इंडिया एक्ज़िम बैंक

भारतीय निर्यात-आयात बैंक

वार्षिक रिपोर्ट 2023-24

विस्तृत जानकारी के लिए
लॉग ऑन करें
www.eximbankindia.in

रिपोर्ट ऑनलाइन देखने के लिए
क्यूआर कोड स्कैन करें

विषय-सूची

परिचालन परिदृश्य

वैश्विक अवसरों को भुनाने के लिए भारतीय कंपनियों को सशक्त बनाना	4
निदेशक मंडल	6
प्रबंध निदेशक का वक्तव्य	8
वित्तीय कार्य निष्पादन	12
हमारा प्रबंधन	14
अर्थव्यवस्था और उद्योग : संक्षिप्त परिचय	15
निदेशकों की रिपोर्ट	21
निर्यात स्पर्धात्मकता का विकास	27
निर्यात वित्तपोषण	31
संपोषी प्रभाव के लिए सरकारों के साथ सहभागिता	35
निर्यात वृद्धि के द्वार	39
संवर्धन और विकास भूमिका	45
मानव पूंजी	51
संस्थागत अवसंरचना	55
संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनी	61

सांविधिक रिपोर्टें

कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट	63

वित्तीय विवरण

एकल वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	97
तुलन पत्र	102
लाभ एवं हानि लेखा	103
तुलन पत्र की अनुसूचियां	104
नकदी प्रवाह विवरण	107

समेकित वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	139
तुलन पत्र	144
लाभ एवं हानि लेखा	145
तुलन पत्र की अनुसूचियां	146
नकदी प्रवाह विवरण	149

निर्यात विकास कोष

निदेशकों की रिपोर्ट	176
वित्तीय विवरण	177

संपर्क, स्पर्धा, संपरिवर्तन से संपोषी विकास

वैश्विक व्यापार पैटर्न लगातार बदलते रहते हैं। तथापि, महामारी के बाद आपूर्ति श्रृंखला संबंधी समस्याएं बढ़ने से ये परिवर्तन और अधिक तेजी से हुए हैं। वैश्विक अनिश्चतताओं के बावजूद भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है और दुनिया की निगाहें आज भारत पर हैं।

भारत ने 2030 तक 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया में भारत ने कंपनियों को विदेशी बाजारों में और अधिक अवसर तलाशने और नए क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाने के लिए भी प्रेरित किया है। भारत में नीतिगत परिवेश व्यवसायों के अनुकूल है। इस क्रम में, कंपनियों की उत्पादन और निर्यात क्षमताएं बढ़ाने और सहभागी देशों के साथ मिलकर काम करने जैसे कई उपाय किए जा रहे हैं। इससे भारतीय कंपनियों को विशेष रूप से संपोषी विकास के अनुरूप विश्व भर में बदलते नियमों और विनियमों को अपनाते हुए विश्व स्तर पर कंपनियों से स्पर्धा करना आसान हुआ है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के मामले में यह और अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जिनमें समावेशी विकास में वृहत्तर योगदान देने की क्षमता है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए अपार अवसर भी उपलब्ध हैं, क्योंकि विकासशील देश आज वैश्विक मूल्य श्रृंखला (जीवीसी) को नए सिरे से परिभाषित करते हुए पहले से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा, डिजिटल प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं में भारत के बढ़ते कौशल से वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारतीय उद्योग और भी अधिक लाभान्वित होंगे। इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारत का एकीकरण संपोषी विकास के लिए सुदृढ़ तरीके से होगा।

100%

भारत सरकार का स्वामित्व

40+ वर्ष परिचालन के

भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश के सुगमीकरण, वित्तपोषण और संवर्धन में

पॉलिसी बैंक

सहभागी देशों की विकास प्राथमिकताओं को सहायता और रिसर्च इनपुट के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण में सहयोग

सुदृढ़ विनियामकीय पूँजी

स्थिति

निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग

अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा संप्रभु रेटिंग के समान रेटिंग

दृष्टि

भारतीय व्यवसायों के वैश्वीकरण और सहभागी देशों के विकास में सहयोग करना

उद्देश्य

भारतीय व्यापार और निवेश को सुगम बनाना और वित्तीय, सामाजिक तथा पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी संस्था के रूप में सहभागी देशों की विकास प्राथमिकताओं में सहयोग प्रदान करना

वैश्विक अवसरों को भुनाने के लिए भारतीय कंपनियों को सशक्त बनाना

बढ़ती वैश्विक मौजूदगी

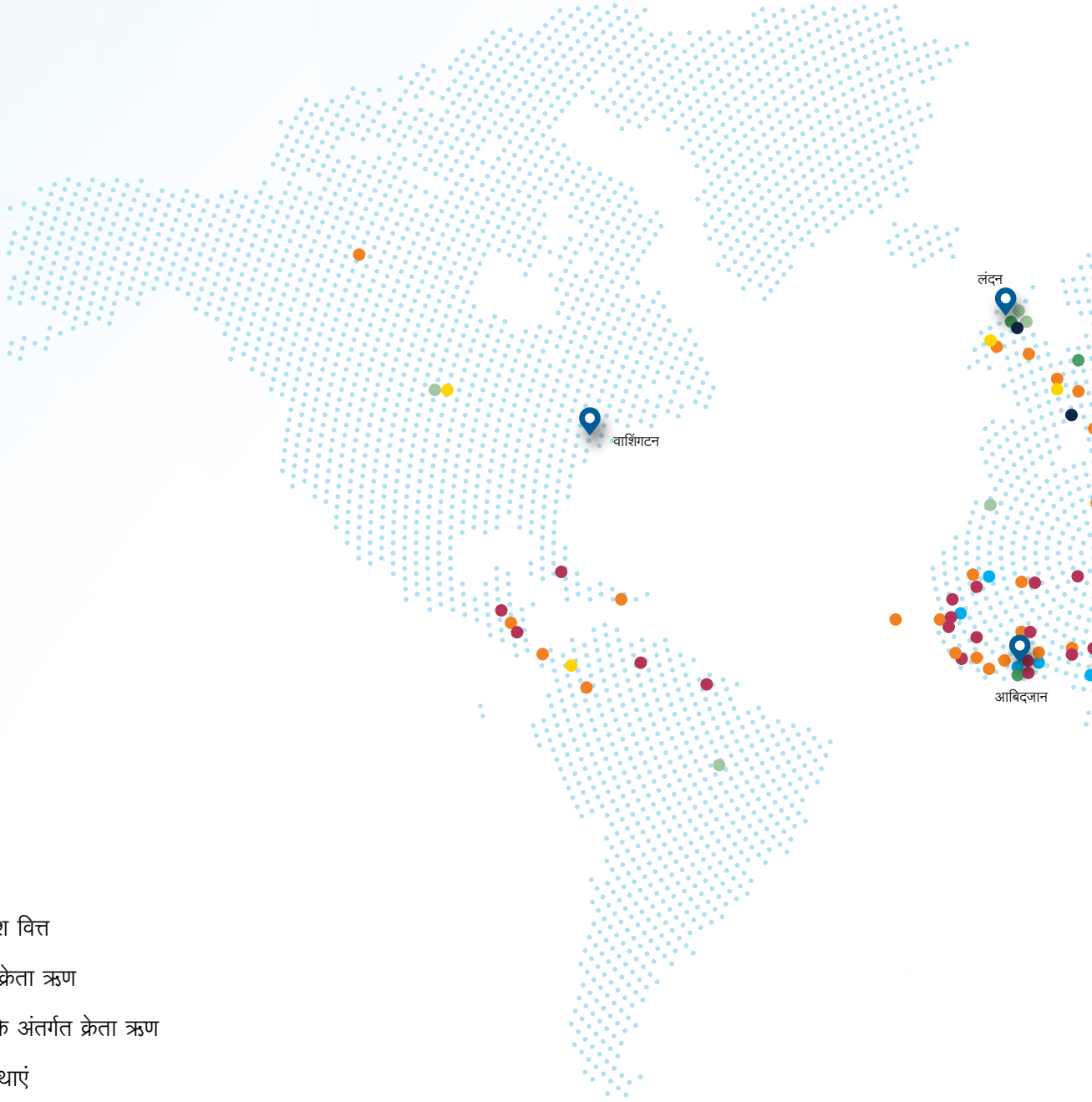

- विदेशी निवेश वित्त
- वाणिज्यिक क्रेता ऋण
- एनईआईए के अंतर्गत क्रेता ऋण
- ऋण–व्यवस्थाएं
- गारंटियां
- व्यापार सहायता कार्यक्रम
- मार्केटिंग सलाहकारी सेवाएं

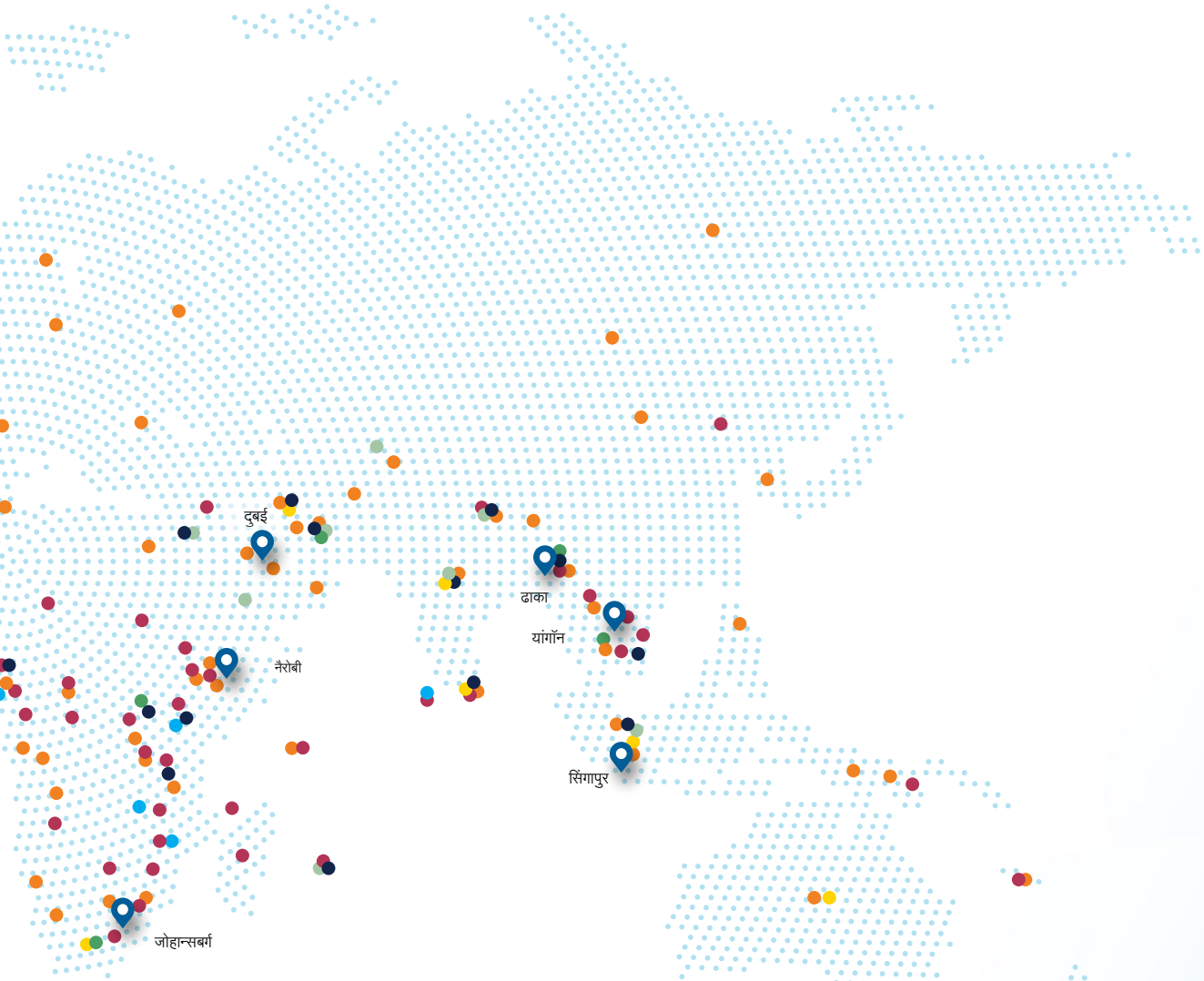

एक्ज़िम बैंक की विदेशी उपस्थिति

निदेशक मंडल

भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक

श्री दम्मू रवि
सचिव (आर्थिक संबंध)
विदेश मंत्रालय

सुश्री हिमानी पांडे
अपर सचिव
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

श्री विपुल बंसल
संयुक्त सचिव
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

सुश्री अपर्णा भाटिया
सलाहकार
आर्थिक कार्य विभाग
वित्त मंत्रालय

डॉ. अभिजीत फुकन
आर्थिक सलाहकार
वित्तीय सेवाएं विभाग
वित्त मंत्रालय

व्यापार और उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक

श्री अशोक कुमार गुप्ता
कर परामर्शदाता

अन्य संस्थाओं तथा वाणिज्यिक बैंकों से निदेशक

श्री आर. सुब्रमणियन
कार्यपालक निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक

श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ
कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) एवं अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
ईसीजीसी लिमिटेड

श्री दिनेश कुमार खारा
अध्यक्ष
भारतीय स्टेट बैंक

श्री राकेश शर्मा
प्रबंध निदेशक और सीईओ
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

श्री मटम वेंकट राव
प्रबंध निदेशक और सीईओ
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

पूर्णकालिक निदेशक

सुश्री हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

श्री तरुण शर्मा
उप प्रबंध निदेशक

यथा 10 मई, 2024 को

प्रबंध निदेशक का वक्तव्य

2023-24: एक नजर

वैश्विक आर्थिक परिवेश वर्ष 2023-24 में, तमाम प्रतिकूलताओं के बीच काफी हद तक सुदृढ़ रहा। अर्थव्यस्थाओं को आपूर्ति श्रृंखला संबंधी बाधाओं, मुद्रास्फीति के दबावों और चुनिंदा क्षेत्रों में भू-राजनीतिक अस्थिरता जैसी विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फलस्वरूप, दुनियाभर की सरकारों और केंद्रीय बैंकों ने नीतियों को इस परिवेश के मुताबिक बनाने की दिशा में तेजी से काम किया। बदलती आर्थिक परिस्थितियों और भू-राजनीतिक जोखिमों को ध्यान में रखते हुए नीति निर्माण की दिशा में त्वरित निर्णय लिए गए, जिससे अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं को अनिश्चितताओं के बावजूद सुधार की दिशा में बढ़ने में मदद मिली। इस परिवेश में भारत का विकास सुनियोजित रूप से जारी रहा और भारत की स्थिति दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में और सुदृढ़ हुई है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था 8.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी और दुनिया की निगाहें आज भारत पर बनी हुई हैं। आर्थिक मोर्चे पर इस सफलता के कई कारक हो सकते हैं। जैसे- भारत की सुदृढ़ और विवेकपूर्ण राजस्व और मौद्रिक नीतियां, प्रमुख क्षेत्रों में समयोचित निवेश और घरेलू मांग में तेजी। हालांकि वर्ष के दौरान वैश्विक व्यापार के मंदा पड़ने से भारत के निर्यातों पर भी असर पड़ा। तथापि, इंजीनियरिंग वस्तुओं, फार्मासूटिकल्स, ऑटोमॉटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा, विश्व वस्तु व्यापार में भारत की स्थिति में 2023 में सुधार आया। यह वैश्विक व्यापार परिदृश्य में भारत के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करता है।

ऐसे में, भारत संपोषी भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने के क्रम में रूपांतरकारी बदलाव का सदुपयोग करने के लिए बेहतर स्थिति में है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में संपोषी पद्धतियों को एकीकृत करने की दिशा में भारत के प्रयास इस बात का संकेत हैं कि भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) में सस्टेनेबल तरीके से एकीकरण की राह पर अग्रसर है। तदनुसार, इस वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट की थीम 'संपर्क, स्पर्धा और संपरिवर्तन से संपोषी विकास' में वर्ष के दौरान बैंक के कार्य निष्पादन के साथ-साथ अधिक समावेशी, प्रतिस्पर्धी और पर्यावरण अनुकूल भविष्य के निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता परिलक्षित होती है।

वित्तीय और व्यवसाय निष्पादन

बैंक का ऋण पोर्टफोलियो बढ़कर ₹ 1,576.02 बिलियन रहा, जिसमें वर्ष के दौरान 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और कॉर्पोरेट ऋणों में 49 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कॉर्पोरेट ऋणों में यह

बढ़ोत्तरी आशाजनक आर्थिक परिदृश्य को दर्शाती है। यह बढ़ोत्तरी ऑटोमोटिव, इंजीनियरिंग वस्तुओं, दूरसंचार, स्वच्छ एवं अक्षय ऊर्जा और फार्मासूटिकल्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अच्छी ऋण वृद्धि के चलते रही। बैंक के गैर-निधिक ऋण ₹ 153.46 बिलियन के रहे, जिसमें मुख्य रूप से परियोजना संबंधी गारंटियां शामिल हैं। अपने सहभागी देशों को सहायता प्रदान करने की भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप, बैंक के कुल व्यवसाय का 44 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार के निर्देश पर किया जाने वाले व्यवसाय का रहा।

बैंक ने भारतीय कंपनियों की निर्यात क्षमताएं बढ़ाने और सहभागी देशों के विकास लक्ष्यों में सहयोग के लिए वर्ष के दौरान ₹ 1,063.12 बिलियन की ऋण सुविधाएं अनुमोदित कीं। बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में, बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले इस सहयोग का मुख्य उद्देश्य निर्यात उन्मुख विनिर्माण को बढ़ावा देना, वैश्विक बाजारों में भारतीय कंपनियों की स्पर्धात्मकता बढ़ाना और उनकी अंतरराष्ट्रीय पैठ को बढ़ाना है।

बैंक के कॉर्पोरेट ऋणों की आस्ति गुणवत्ता सुदृढ़ रही और बैंक के लगभग 90 प्रतिशत ऋण निवेश ग्रेड के रहे। यथा 31 मार्च, 2024 को बैंक का सकल एनपीए अनुपात, गत वर्ष के 4.09 प्रतिशत की तुलना में घटकर 1.94 प्रतिशत रह गया। वहीं, प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 96.83 प्रतिशत और निवल एनपीए अनुपात 0.29 प्रतिशत रहा। सम्यक जांच (ड्यू डिलिजेंस), बेहतर निगरानी प्रणाली और गहन वसूली पहलों के चलते स्लिपेज अनुपात भी 6.52 प्रतिशत से घटकर महज 0.15 प्रतिशत रह गया। परिणामस्वरूप, बैंक ने इस वर्ष भी लाभ दर्ज किया। बैंक का कर पश्चात लाभ ₹ 25.19 बिलियन का रहा, जिसमें 62 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

बाजार उधारियां बैंक के कुल संसाधनों की लगभग 90 प्रतिशत रहीं। वर्ष के दौरान, बैंक ने 3.26 बिलियन यूएस डॉलर के समतुल्य विदेशी मुद्रा संसाधनों सहित कुल ₹ 747.68 बिलियन के संसाधन सफलतापूर्वक जुटाए। वर्ष के दौरान, बैंक ने हरित और संपोषी बॉन्ड जारी किए, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिष्ठित निवेशकों ने पहली बार निवेश किया।

निर्यात क्षमता विकास और निर्यात स्पर्धात्मकता को बढ़ावा

बैंक भारतीय कंपनियों के लिए दुनियाभर में अवसरों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस क्रम में, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निर्यात क्षमता और स्पर्धात्मकता को बढ़ाने और भारतीय उद्यमों के वैश्वीकरण प्रयासों में सहयोग के लिए कुल ₹ 980.14 बिलियन की ऋण सुविधाएं अनुमोदित कर सहायता प्रदान की। इस वर्ष हाई-टेक इलेक्ट्रॉनिक्स और एयरोस्पेस विनिर्माण सहित प्रौद्योगिकी आधारित क्षेत्रों को सहयोग पर बैंक का विशेष जोर रहा, जो भारत की आर्थिक उन्नति के साथ-साथ नवोन्मेष को बढ़ावा देने की दिशा में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहे हैं। वर्ष के दौरान बैंक द्वारा एक भारतीय कंपनी को ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए दिया गया सहयोग एक ऐसा ही उल्लेखनीय उदाहरण है, जिससे न केवल भारत की तकनीकी उन्नति को बल मिला है, बल्कि देश में रोजगार सृजन और संपोषी विकास को भी बढ़ावा मिला है।

भारत के बढ़ते परियोजना निर्यात इस क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमताओं, प्रतिस्पर्धी मजबूतियों और वैश्विक परियोजना निर्यात बाजार में बढ़ते प्रभाव का प्रमाण हैं। वर्ष के दौरान, बैंक ने 33 देशों में विभिन्न क्षेत्रों में ₹ 436.95 बिलियन के 90 कॉन्ट्रैक्टों को सहायता प्रदान करते हुए भारत के परियोजना निर्यातों को सहयोग दिया।

विकासशील सहभागी देशों में संवृद्धि को सुगम बनाना

भारत सरकार की आर्थिक कूटनीति के अंतर्गत बैंक द्वारा भारत सरकार के निर्देश पर ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जाती हैं। यथा 31 मार्च, 2024 को 300 से अधिक ऋण-व्यवस्थाओं और 31 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक की ऋण प्रतिबद्धताओं के साथ बैंक ने सहभागी देशों की विकास आवश्यकताओं में सहयोग किया है। भारत सरकार समर्थित ऋण-व्यवस्था कार्यक्रम के अंतर्गत नए-नए क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं पर काम करते हुए भारतीय कॉन्ट्रैक्टरों को अच्छा अनुभव हासिल हुआ है। इससे वैश्विक स्तर पर समरूपी परियोजनाएं हासिल करने के लिए उनका कौशल बढ़ा है। इन ऋण-व्यवस्थाओं के जरिए कई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों सहित भारतीय कंपनियों को मूल्य शृंखला में आगे आने का अवसर मिला है। साथ ही, इन ऋण-व्यवस्थाओं के माध्यम से भारत और सहभागी देशों में रोजगार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर भी सृजित हुए हैं।

बैंक भारत सरकार से निरंतर मिलने वाले सहयोग के लिए आभारी है। भारत सरकार ने पूंजीगत सहयोग के साथ-साथ निर्यात व्यवस्था में व्यापार सुगमकर्ता के रूप में बैंक की महत्त्वपूर्ण भूमिका को निरंतर सराहा है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का सशक्तीकरण

बैंक निर्यातों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के महत्त्व को समझता है और निर्यातों में इन उद्यमों की भूमिका बढ़ाने की दिशा में निरंतर काम करता रहा है। बैंक की पहलें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए बाजार पहुंच और वित्त की उपलब्धता बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही हैं।

'उभरते सितारे कार्यक्रम' (यूएसपी) के अंतर्गत बैंक छोटी और मध्यम आकार की ऐसी कंपनियों को आगे बढ़ने में मदद कर रहा है, जो प्रौद्योगिकी, उत्पाद या प्रक्रिया के लिहाज से विशिष्ट हैं और लाभ की स्थिति में हैं, किन्तु फिलहाल अंडरपरफॉर्मिंग हैं या अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर पाने की स्थिति में नहीं हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत के महज़ चार साल में इसके अंतर्गत बैंक द्वारा अब तक 60 इकाइयों को ₹ 12 बिलियन से अधिक की सहायता प्रदान की जा चुकी है। बैंक ने वर्ष के दौरान भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण के अलावा इक्विटी और तकनीकी सहायता के जरिए भी सहयोग प्रदान किया है। बैंक ने अग्रणी अकादमिक संस्थानों के साथ भी अपनी भागीदारी को सुदृढ़ किया है। इस क्रम में बैंक ने नवोद्यमों को अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मुंबई और दिल्ली, भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), अहमदाबाद और भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बैंगलोर के इन्क्यूबेटरों को तकनीकी सहायता प्रदान की है।

बैंक का व्यापार सहायता कार्यक्रम (टैप) ट्रेड ट्रांज़ैक्शनों में वित्त की कमी को दूर कर रहा है और सहभागी देशों तथा भारत में स्थानीय बैंकों के बीच सेतु का काम कर रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक आंशिक या पूर्ण गारंटियों के जरिए भारतीय बैंकों को उनके वित्तीय और गैर-वित्तीय दायित्व पूरे करने में मदद कर रहा है। इस तरह बैंक, नए, उभरते और अपरिचित बाजारों में परिचालनरत बैंकों के भुगतान के जोखिम को कम कर रहा है। इस कार्यक्रम के परिचालन के एक वर्ष में बैंक ने 33 देशों में 500 से अधिक ट्रांज़ैक्शनों के लिए सहायता प्रदान की है, जिससे नए या चुनौतीपूर्ण बाजारों में 1 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक के वृद्धिशील निर्यातों को सहयोग मिला है।

इन प्रयासों को और गति प्रदान करने हेतु बैंक ने गिफ्ट सिटी, गुजरात में अगस्त 2023 में इंडिया एक्ज़िम फिनसर्व आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड नाम से अपनी सहायक कंपनी भी स्थापित की है। यह सहायक कंपनी निर्यातकों को फैक्टरिंग सहित विभिन्न ट्रेड फायनैंस उत्पाद प्रदान करती है।

कार्बन-न्यून, संपोषी पहलों का वित्तपोषण

बैंक ने वर्ष के दौरान संपोषी वित्त कार्यक्रम की शुरुआत की। यह पात्र उधारकर्ताओं की हरित (ग्रीन) परियोजनाओं, परिवर्तनकारी परियोजनाओं, तथा सामाजिक और सस्टैनेबिलिटी से जुड़ी पहलों को सहयोग करने के क्रम में एक नई पहल है। बैंक ने इस पहल के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं को सहायता प्रदान की है। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाली परियोजनाओं का वित्तपोषण करते हुए भारत के शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य में सहयोग करना है। 200 मेगावाट की राउंड-द-क्लॉक (आरटीसी) अक्षय ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए बैंक द्वारा प्रदान किया गया सहयोग इसी तरह की प्रमुख ट्रांजिशन परियोजना के लिए दी गई सहायता की मिसाल है। इसके जरिए देश के सबसे बड़े एकीकृत जिंक उत्पादकों में से एक को अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी। इस परियोजना को 'द प्रोजेक्ट फायनैंस इंटरनैशनल (पीएफआई) अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया है। वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने ईएसजी फ्रेमवर्क के अंतर्गत दो संपोषी बॉन्डों के साथ-साथ अपना पहला ग्रीन फ्लोटिंग रेट बॉन्ड भी जारी किया।

संवर्धन और विकासपरक भूमिका

बैंक समावेशी विकास को भी प्राथमिकता देता है। इसके लिए बैंक मुख्य रूप से देश के ग्रामीण इलाकों में ग्रासरूट स्तर के उद्यमों और दस्तकारों को सहयोग प्रदान करता है। बैंक की पहलों के जरिए ग्रासरूट उद्यमों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहुंचने और पैठ बढ़ाने में मदद मिल रही है। भारत सरकार की 'एक जिला एक उत्पाद' (ओडीओपी), निर्यात केंद्र के रूप में जिले (डीईएच) पहलों के अनुरूप, बैंक ने वर्ष के दौरान नौ उपायों के जरिए सहायता प्रदान की है। यह सहायता कॉमन सुविधा केंद्रों की स्थापना, उपकरण प्रदान कर तथा 2,900 लाभार्थियों को 60,000 घंटों से अधिक का प्रशिक्षण प्रदान कर की गई है।

नीति निर्माण में शोध आधारित सहयोग

वर्ष के दौरान, बैंक ने भारतीय राज्यों की निर्यात क्षमताओं, उद्योगों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े विषयों पर विभिन्न देशों/क्षेत्रों पर 20 शोध अध्ययन प्रकाशित किए। इसके अलावा, बैंक मुक्त व्यापार करार वार्ताओं सहित अन्य प्रमुख जानकारियां प्रदान कर भारत सरकार को नीति निर्माण और निर्णय प्रक्रिया में भी योगदान देता है।

बैंक द्वारा आंतरिक रूप से विकसित एक्सपोर्ट लीडिंग इंडेक्स (ईएलआई) मॉडल पर आधारित भारत के निर्यातों के पूर्वानुमान एक बार फिर निर्यातों के वास्तविक डेटा से तुलना करने पर सटीक पाए गए। इससे बैंक को भारत के अल्पावधि निर्यात अनुमानों के मामले में शोध आधारित विश्वसनीय सूचना स्रोत के रूप में स्थापित करने में मदद मिली है।

निदेशक मंडल से मार्गदर्शन

बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और बैंक को अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद करने में इनकी उल्लेखनीय भूमिका रही है। इसमें भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे निदेशक – श्री दम्मू रवि, सचिव (आर्थिक संबंध), विदेश मंत्रालय; सुश्री हिमानी पांडे, अपर सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; श्री विपुल बंसल, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय; सुश्री अपर्णा भाटिया, सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय और डॉ. अभिजीत फुकन, आर्थिक सलाहकार, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय शामिल हैं। हम विभिन्न संस्थाओं और वाणिज्यिक बैंकों के निदेशकों की विशेषज्ञता से लाभान्वित होते रहे हैं और सीखते रहे हैं, जिनमें मेरे सहयोगी और बैंक के उप प्रबंध निदेशक श्री तरुण शर्मा के अलावा, श्री आर. सुब्रमणियन, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक; श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), ईसीजीसी लिमिटेड; श्री दिनेश कुमार खारा, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक; श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड; और श्री मटम वेंकट राव, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं। बैंक, हमारे बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशक, कर सलाहकार, श्री अशोक कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन से भी लाभान्वित हुआ है।

निदेशकों के पदभार में परिवर्तन या अधिवार्षिता आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप निदेशक पद छोड़ने के कारण बैंक के निदेशक मंडल में भी बदलाव हुए हैं। इनमें श्री रजत कुमार मिश्रा, अपर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय; श्री सुचीन्द्र मिश्र, अपर सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय; श्री वुमलुनमंग वुअलनाम, अपर सचिव, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय सहयोग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय; श्री एम. सेंथिलनाथन, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीजीसी लिमिटेड; श्री सुनील जोशी, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), ईसीजीसी लिमिटेड; श्री ए. एस. राजीव, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और श्री एन. रमेश, उप प्रबंध निदेशक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक

शामिल हैं। बैंक, निदेशक के रूप में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए कृतज्ञ और आभारी है।

मैं और बोर्ड में मेरे सभी सहयोगी नवंबर 2020 से नवंबर 2023 के दौरान बैंक के उप प्रबंध निदेशक रहे, श्री एन. रमेश की बहुमूल्य सेवा के लिए उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं।

आगे की राह

भारत विकास की राह पर गतिशील है। उम्मीद की जा रही है कि 2025 में भारत चौथी सबसे बड़ी और 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। भारत वैश्विक मोर्चे पर उल्लेखनीय भूमिका निभाने को तैयार है और इसमें भारत का आर्थिक प्रदर्शन तथा निर्यात क्षमताएं प्रमुख मापदंड होंगी। और बैंक भारत की इस विकास यात्रा में उत्प्रेरक की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। भारत के वैश्विक सहयोग और नवाचार के इस परिवर्तनकारी युग में प्रवेश करने के साथ हम एयरोस्पेस और रक्षा, उन्नत विनिर्माण और अक्षय ऊर्जा सहित रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण अन्य क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। हम मध्यम अवधि से दीर्घावधि वित्तपोषण के अपने पारंपरिक क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के साथ-साथ मौजूदा और नई पहलों के जरिए वित्तपोषण की उपलब्धता बढ़ाने, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की क्षमताओं को बढ़ाने और इन उद्यमों को वैश्विक मूल्य शृंखला से जोड़ने के लिए सहयोग प्रदान कर रहे हैं। अपनी विकास रणनीति के हिस्से के रूप में नए भौगोलिक क्षेत्रों में विस्तार के लिए, हम महत्त्वपूर्ण हितधारकों के साथ बेहतर संपर्क के लिए अपनी भौतिक उपस्थिति बढ़ाते हुए विदेशों और भारत में अतिरिक्त कार्यालय खोल रहे हैं।

भारत की निर्यात ऋण एजेंसी के रूप में हम भारतीय कंपनियों के क्षमता विकास और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में योगदान देने के लिए तत्पर हैं। विकास की राह पर आगे बढ़ते हुए, हम अपने उत्तरदायित्वपूर्ण और संपोषी वित्तपोषण पद्धतियों के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा संपोषी वित्त के क्षेत्र में अग्रणी बने रहने के लिए प्रयासरत हैं।

हर्षा बंगारी

सुश्री हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

वित्तीय कार्य निष्पादन

(संबंधित वित्तीय वर्ष में यथा 31 मार्च को)

निवल ऋण पोर्टफोलियो (क)

(₹ बिलियन में)

गैर-निधिक पोर्टफोलियो (ख)

(₹ बिलियन में)

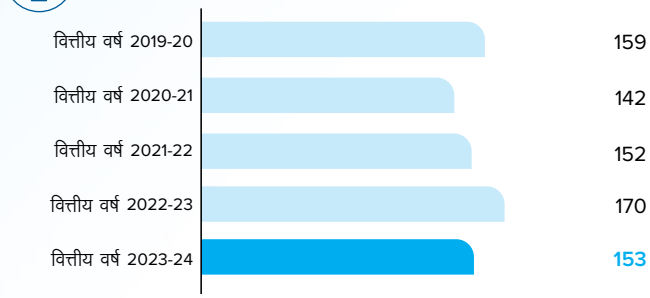

ग्राहक आस्ति पोर्टफोलियो (ग=क+ख)

(₹ बिलियन में)

निवल निवेश (घ)

(₹ बिलियन में)

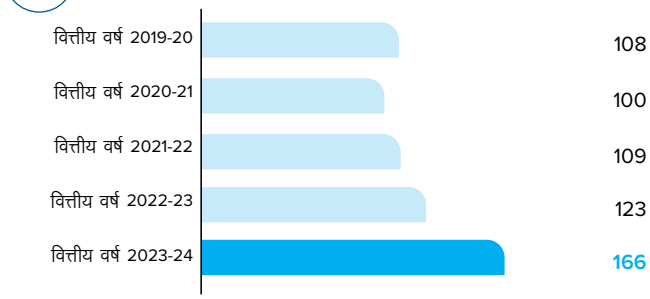

कुल उधारियां (ङ)

(₹ बिलियन में)

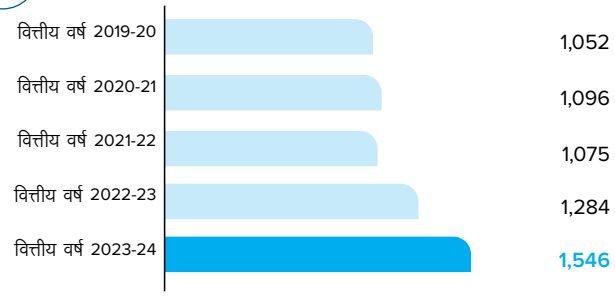

कुल व्यवसाय (ग+घ+ङ)

(₹ बिलियन में)

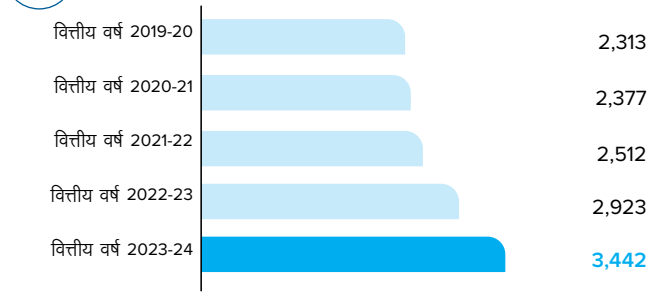

परिचालन लाभ

(₹ मिलियन में)

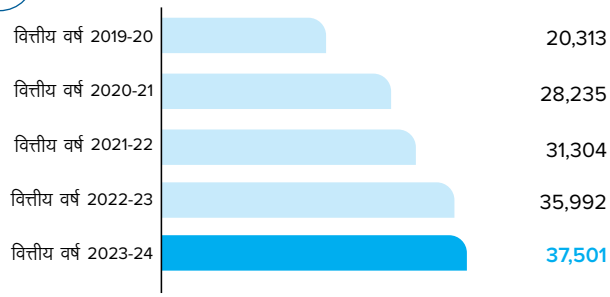

कर पूर्व लाभ

(₹ मिलियन में)

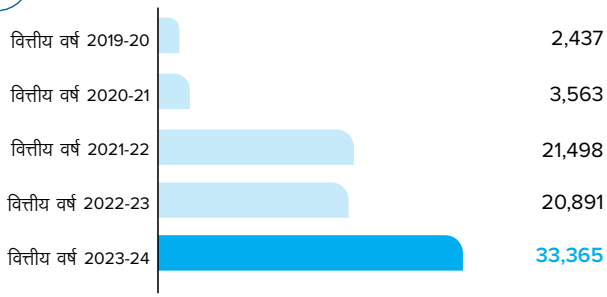

कर पश्चात लाभ

(₹ मिलियन में)

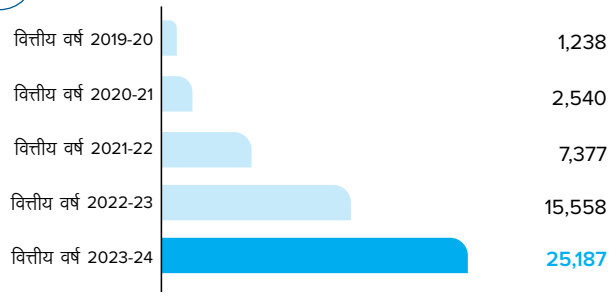

जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात

(% में)

निवल अनर्जक आस्तियां

(% में)

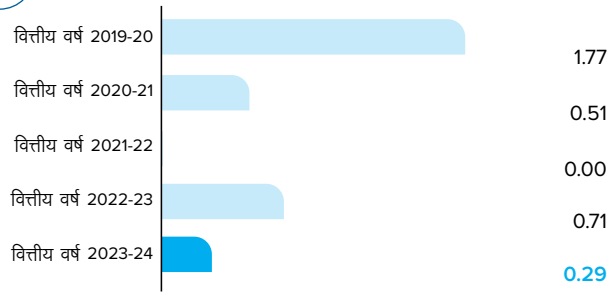

प्रावधान कवरेज अनुपात

(% में)

हमारा प्रबंधन

यथा 10 जुलाई, 2024 को

पूर्णकालिक निदेशक

हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

तरुण शर्मा
उप प्रबंध निदेशक

दीपाली अग्रवाल
उप प्रबंध निदेशक

मुख्य महाप्रबंधक

मुकुल सरकार
जोखिम प्रबंधन

डेविड सिनाटे
शोध एवं विश्लेषण

रीमा मारफतिया
आंतरिक लेखा परीक्षा

मंजिरी भालेराव
अनुपालन एवं ईएसजी

गौरव भंडारी
ट्रेज़री एवं लेखा और एमआईएस

उत्पल गोखले
बोर्ड सचिव

विक्रमादित्य उगरा
ऋण–व्यवस्था

लोकेश कुमार
अवसंरचना

रिकेश चंद
ऋण मूल्यांकन और बीसी–एनईआईए

मीना वर्मा
ऋण परिचालन एवं निगरानी

टी.डी. सिवाकुमार
कॉर्पोरेट संचार एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध

मुकुल अग्रवाल
डिजिटल एवं प्रौद्योगिकी

महाप्रबंधक

धर्मेन्द्र सचान
ज्ञान केंद्र, मार्केटिंग सलाहकारी सेवाएं एवं ग्रासरूट उद्यम विकास

सुजीत भाले
ऋण परिचालन एवं निगरानी

शिल्पा वाघमारे
विशेष परिस्थिति

उदय शिंदे
मानव संसाधन प्रबंधन

निर्मित वेद
ऋण–व्यवस्था एवं सरकारी कार्य

मेघना जोगलेकर
संपोषी उद्यम एवं निर्यात विकास

प्रीति थॉमस
विधिक

मनीष जोशी
ऋण मूल्यांकन

अम्बरीश भंडारी
ऋण मूल्यांकन एवं परियोजना निर्यात

नवेन्दु वाजपेयी
राजभाषा एवं प्रशासन

बख्तावर पटेल
ट्रेज़री

तृप्ति म्हात्रे
व्यापार सुगमीकरण

शैलेश प्रसाद
संपोषी उद्यम एवं निर्यात विकास

अर्थव्यवस्था और उद्योग: संक्षिप्त परिचय

वैश्विक अर्थव्यवस्था

वैश्विक अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों में गतिशील साबित हुई है। वह भी तब जब इसे कोविड–19 महामारी से लेकर भू–राजनीतिक अनिश्चितताओं जैसे विभिन्न संकटों और बढ़ती मुद्रास्फीति के बीच केंद्रीय बैंकों द्वारा की गई मौद्रिक सख्ती का सामना करना पड़ा है। हाल के वर्षों में यह वृद्धि मुख्य रूप से सरकारी और निजी उपभोग के चलते रही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि के चलते 2024 और 2025 में वैश्विक वृद्धि 3.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। तथापि, मध्य पूर्व में जारी भू–राजनीतिक तनावों के चलते अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और व्यापार में गिरावट का जोखिम बना हुआ है।

वास्तविक जीडीपी वृद्धि (%)

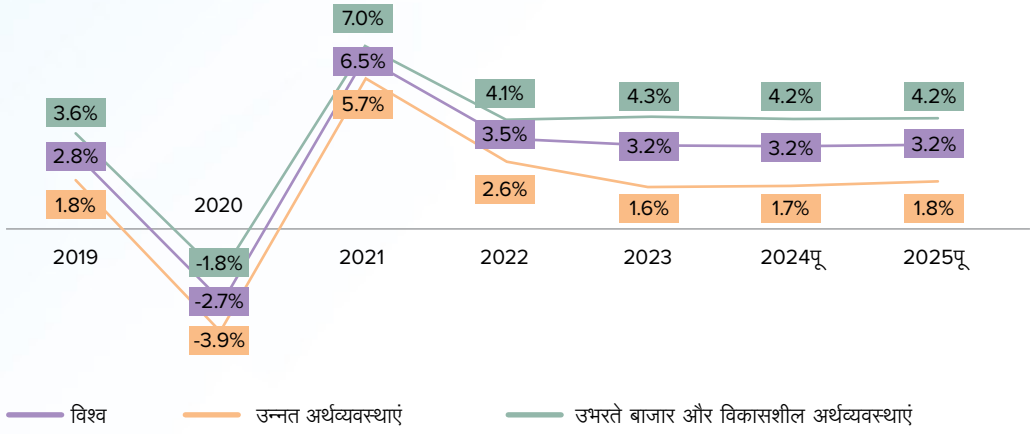

नोट: पू : पूर्वानुमान
स्रोत: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2024

वैश्विक निर्यात वृद्धि (% परिवर्तन)

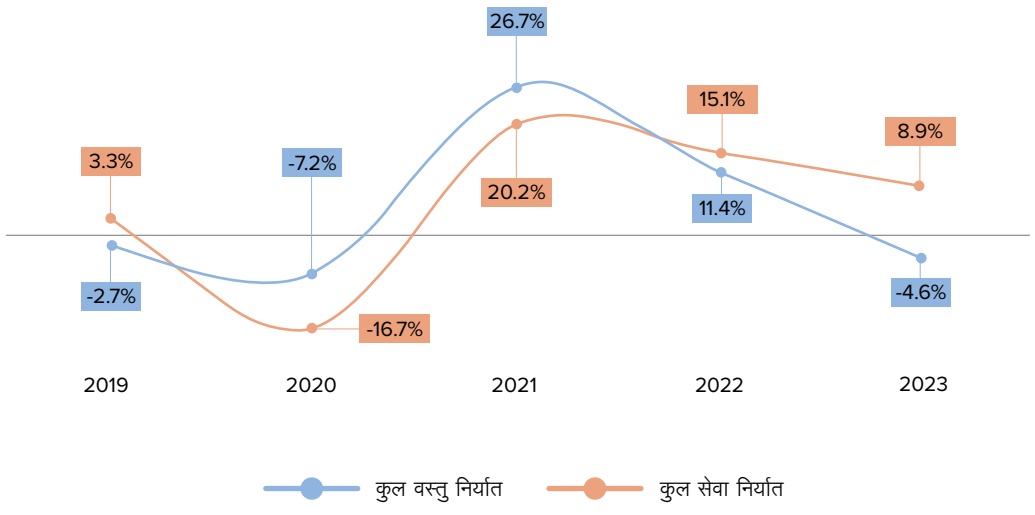

स्रोत: विश्व व्यापार संगठन

भारतीय अर्थव्यवस्था

घरेलू मांग और निवेश गतिविधियों के चलते वर्ष 2023–24 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 8.2 प्रतिशत की अच्छी दर से बढ़ने का अनुमान है। प्रमुख निर्यात बाजारों में कमतर बाह्य मांग और बढ़ती भू–राजनीतिक विपरीत परिस्थितियों तथा इसके परिणामस्वरूप, मध्य पूर्व में शिपिंग संकट के चलते वर्ष 2023–24 में भारत के वस्तु निर्यात में गिरावट आई। तथापि, सॉफ्टवेयर और व्यावसायिक सेवाओं में बढ़त से भारत के सेवा निर्यातों में वृद्धि जारी रही। सरकार द्वारा भौतिक और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर में पूंजीगत व्यय के चलते आर्थिक वृद्धि के बने रहने की उम्मीद है।

भारत की आर्थिक वृद्धि

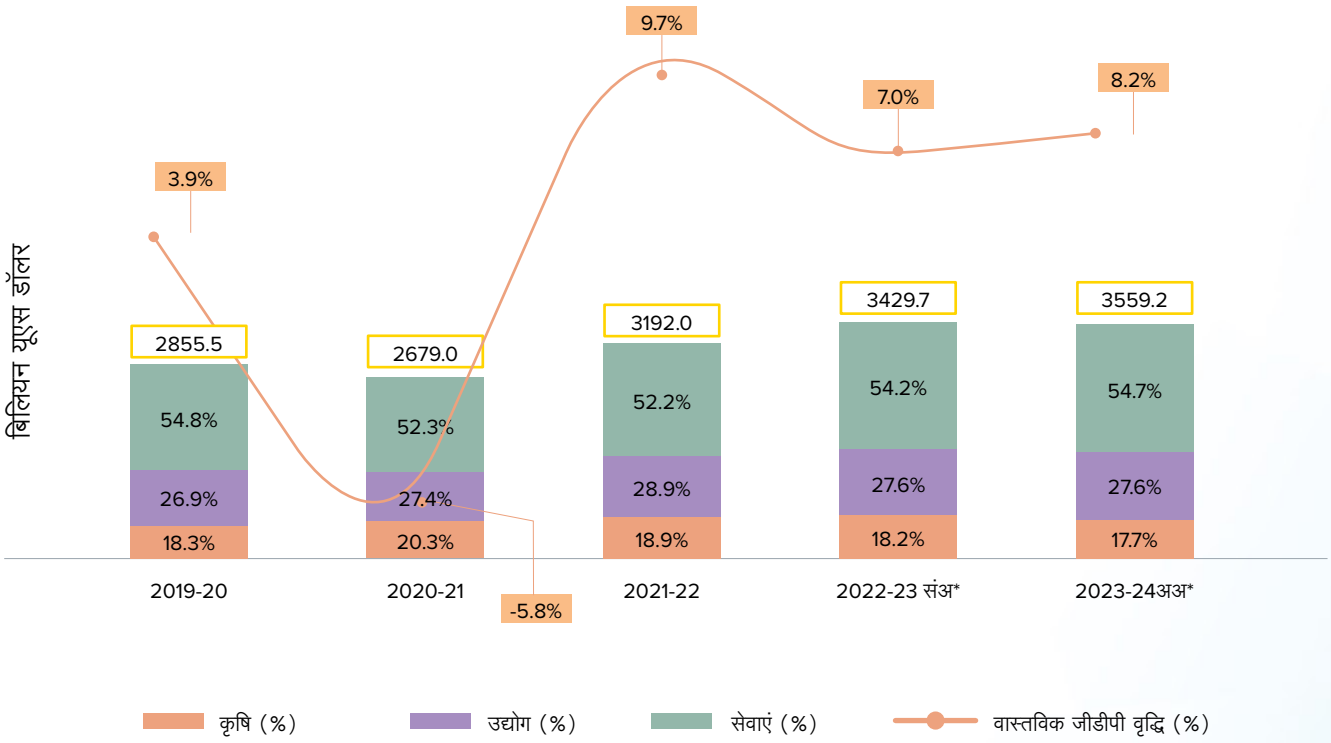

नोट:

*राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए 31 मई, 2024 को जारी वार्षिक जीडीपी के अनंतिम आकलन पर आधारित

पीले बॉक्स में आंकड़े यूएस डॉलर में नॉमिनल जीडीपी को दर्शाते हैं। क्षेत्र विशेष से संबंधित प्रतिशत में दिए आंकड़े जीडीपी में संबंधित क्षेत्र के हिस्से को दर्शाते हैं।

संअ – संशोधित अनुमान; अअ – अनंतिम अनुमान

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान (आईआईएफ) और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

भारत का वस्तु व्यापार

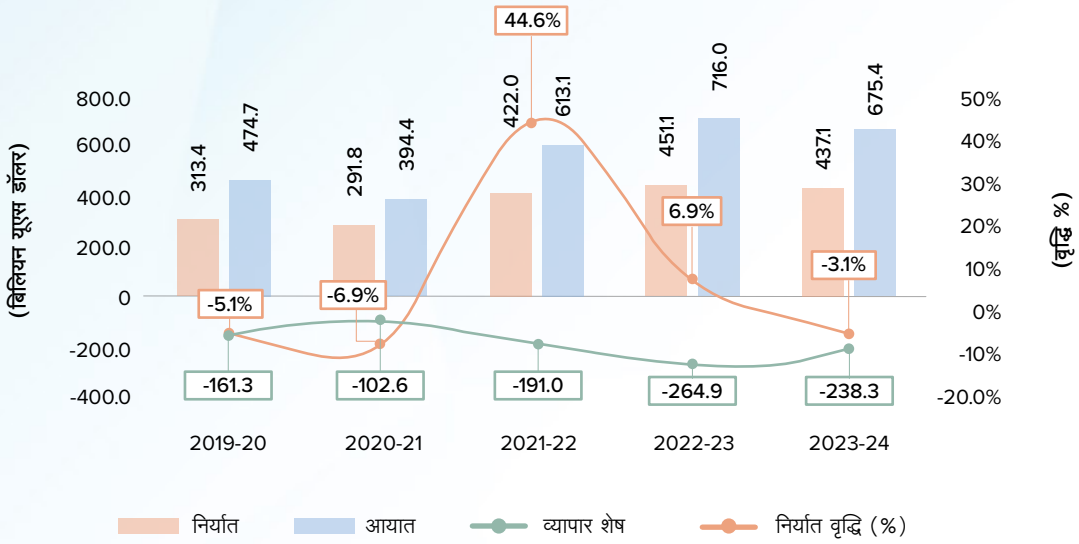

स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

2023–24 में भारत के शीर्ष 10 वस्तु निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)

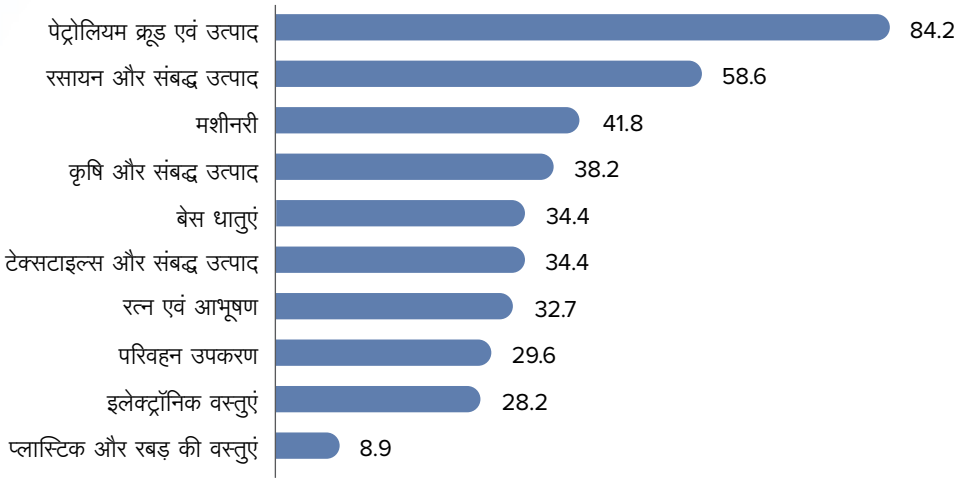

स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

2023–24 में भारत के शीर्ष 10 वस्तु आयात (बिलियन यूएस डॉलर)

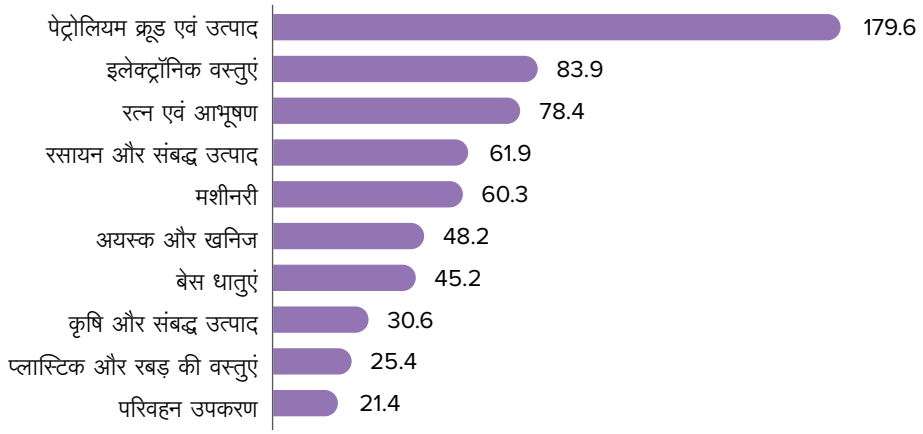

स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

भारत का सेवा व्यापार

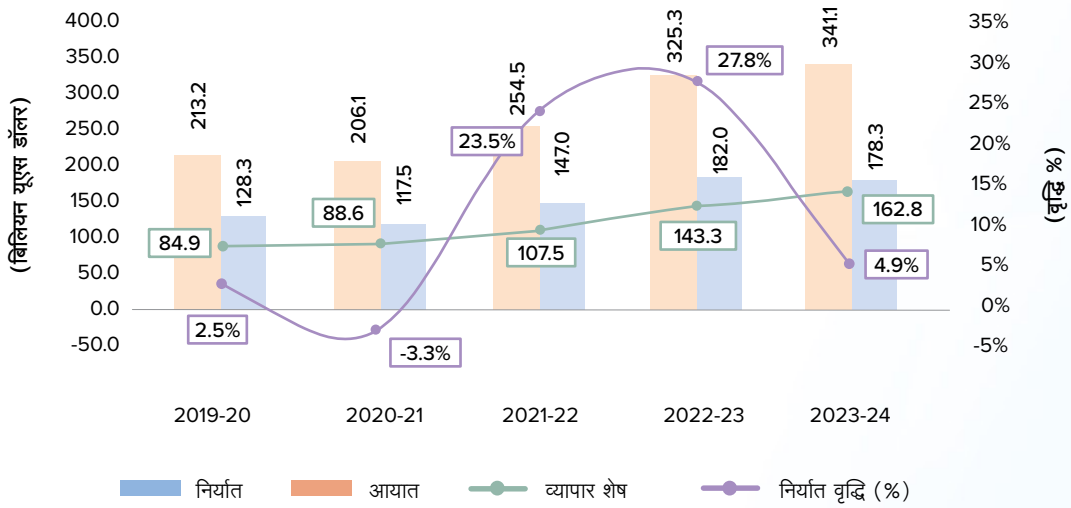

स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

चुनिंदा उत्पादों में भारत का निर्यात [2021-22 से 2023-24]

टेक्सटाइल्स और संबद्ध उत्पाद

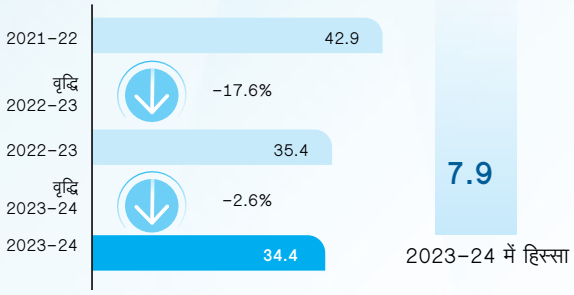

पूंजीगत वस्तुएं

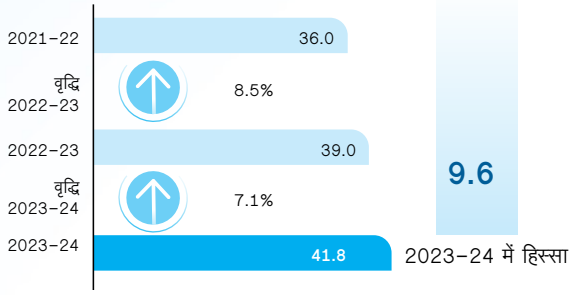

इलेक्ट्रॉनिक्स

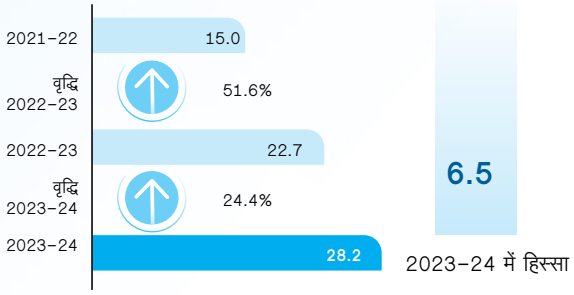

पेट्रोलियम उत्पाद

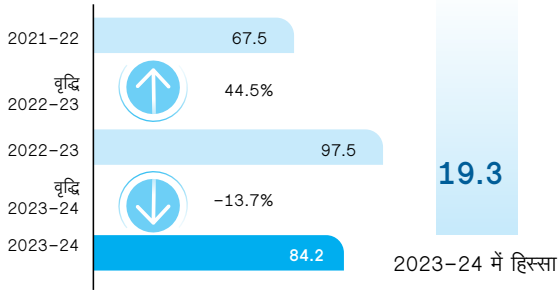

रसायन और संबद्ध उत्पाद

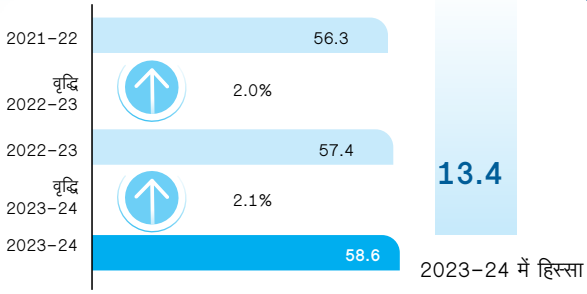

कृषि और संबद्ध उत्पाद

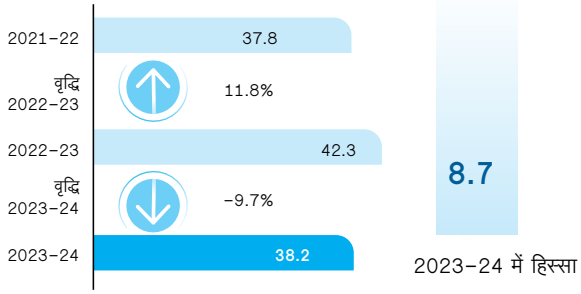

नोट:

*हिस्सेदारी से तात्पर्य वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत के वस्तु निर्यात में संबंधित क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी से है।
स्रोत: वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय

निदेशकों की रिपोर्ट

भारत के विकास और वैश्वीकरण में सहभागी

ऋण आस्तियां

बैंक ने विभिन्न ऋण कार्यक्रमों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के ₹ 669.69 बिलियन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल ₹ 916.72 बिलियन के ऋण अनुमोदित किए। ऋण संवितरण वित्तीय वर्ष 2022-23 के ₹ 648.75 बिलियन के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 846.96 बिलियन के रहे। वहीं, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ऋण चुकौतियां, वित्तीय वर्ष 2022-23 के ₹ 546.83 बिलियन की तुलना में ₹ 651.84 बिलियन की रहीं। यथा 31 मार्च, 2024 को निवल ऋण आस्तियां ₹ 1,576.02 बिलियन की रहीं, जिनमें गत वर्ष की तुलना में 17.16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यथा 31 मार्च, 2024 को निवल ऋण आस्तियों में से रुपया ऋण और अग्रिम 31 प्रतिशत रहे, वहीं 69 प्रतिशत ऋण और अग्रिम विदेशी मुद्रा में रहे। यथा 31 मार्च, 2024 को अल्पावधि ऋण, निवल ऋण और अग्रिमों के 23 प्रतिशत रहे।

गैर-निधिक ऋण सुविधाएं

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 की ₹ 127.96 बिलियन राशि के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 146.40 बिलियन की गैर-निधिक ऋण सुविधाएं मंजूर कीं। इनमें परियोजना गारंटियां, वित्तीय गारंटियां और साख-पत्र शामिल रहे। बैंक का कुल गैर-निधिक पोर्टफोलियो यथा 31 मार्च, 2023 के ₹ 170 बिलियन के मुकाबले यथा 31 मार्च, 2024 को ₹ 153.46 बिलियन का रहा, जिसमें गारंटियां, साख-पत्र एवं आपाती साख-पत्र शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 की ₹ 39.12 बिलियन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 43.77 बिलियन की गारंटियां जारी की गईं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के ₹ 14.45 बिलियन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 11.15 बिलियन के साख-पत्र जारी किए गए। बैंक की बहियों में गारंटियां यथा 31 मार्च, 2023 को ₹ 162.23 बिलियन की तुलना में यथा 31 मार्च, 2024 को 146.24 बिलियन की रहीं। वहीं साख पत्र, यथा 31 मार्च, 2023 के ₹ 7.77 बिलियन की तुलना में यथा 31 मार्च, 2024 को ₹ 7.22 बिलियन के रहे।

आय-व्यय

बैंक ने सामान्य निधि लेखे में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 20.89 बिलियन के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 33.37 बिलियन का कर पूर्व लाभ दर्ज किया। आयकर के लिए ₹ 8.18 बिलियन का प्रावधान करने के बाद, वित्तीय वर्ष 2023-24 में कर पश्चात लाभ ₹ 25.19 बिलियन का रहा, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 15.56 बिलियन का था। इस लाभ में से ₹ 0.04 बिलियन की राशि निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि में अंतरित की गई और ₹ 22.62 बिलियन की राशि आरक्षित निधि में अंतरित की गई। शेष ₹ 2.52 बिलियन की राशि, भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 के प्रावधान के अनुसार भारत सरकार को अंतरित की गई।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निर्यात विकास कोष का कर पूर्व लाभ और कर पश्चात लाभ क्रमशः ₹ 94.93 मिलियन और ₹ 71.04 मिलियन का रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान यह क्रमशः ₹ 114.41 मिलियन और ₹ 85.61 मिलियन का था। ₹ 1,075.81 मिलियन का संचयी लाभ अगले वर्ष में ले जाया गया है।

ऋणों पर ब्याज, विनिमय कमीशन, ब्रोकरेज और शुल्क आदि को मिलाकर कारोबारी आय वित्तीय वर्ष 2022-23 की ₹ 77.69 बिलियन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 114.50 बिलियन की रही। बैंक जमा राशियों पर ब्याज सहित निवेश आय, वित्तीय वर्ष 2022-23 के ₹ 37.18 बिलियन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 40.13 बिलियन की रही। वित्तीय वर्ष 2023-24 में ब्याज व्यय गत वर्ष की तुलना में ₹ 38.06 बिलियन बढ़कर ₹ 113.63 बिलियन का रहा। प्रशासनिक व्यय, कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में (आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान को छोड़कर), वित्तीय वर्ष 2022-23 के 4.21 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 2.99 प्रतिशत रहा।

उधारियां

यथा 31 मार्च, 2024 को बैंक की कुल उधारियां ₹ 1,546.11 बिलियन की रहीं, जो यथा 31 मार्च, 2023 को ₹ 1,284.23 बिलियन की तुलना में 20.39 प्रतिशत अधिक रही। यथा 31 मार्च, 2024 को बाजार उधारियां कुल उधारियों की 100 प्रतिशत और बैंक के कुल संसाधनों की 87 प्रतिशत रहीं।

संसाधन

यथा 31 मार्च, 2024 को ₹ 159.09 बिलियन की चुकता पूंजी और ₹ 69.85 बिलियन की आरक्षित निधियों सहित बैंक के कुल संसाधन ₹ 1,775.05 बिलियन के रहे।

बैंक के संसाधन आधार में अन्य के साथ-साथ, रुपया बॉन्ड, जमा प्रमाण-पत्र, वाणिज्यिक पत्र, मीयादी जमा राशियां, रुपया मीयादी ऋण, विदेशी मुद्रा बॉन्ड, विदेशी मुद्रा ऋण तथा दीर्घावधि स्वॉप शामिल हैं। वर्ष के दौरान, बैंक ने अलग-अलग परिपक्वता अवधियों के कुल ₹ 747.68 बिलियन के संसाधन जुटाए। इनमें ₹ 475.78 बिलियन के रुपया संसाधन और 3.26 बिलियन यूएस डॉलर के समतुल्य विदेशी मुद्रा संसाधन शामिल हैं। रुपया संसाधनों में ₹ 113 बिलियन के संसाधन रुपया बॉन्डों और सावधि ऋणों के जरिए तथा ₹ 362.78 बिलियन के संसाधन अल्पकालिक मुद्रा बाजार उपकरणों के जरिए

जुटाए गए। 2.23 बिलियन यूएस डॉलर के विदेशी मुद्रा संसाधन द्विपक्षीय/ क्लब/ सिंडिकेटेड ऋणों के जरिए और 205.69 मिलियन यूएस डॉलर के समतुल्य संसाधन स्वॉप ऋणों के जरिए, 825 मिलियन यूएस डॉलर बॉन्डों के जरिए जुटाए गए। यथा 31 मार्च, 2024 को बैंक के विदेशी मुद्रा संसाधन 13.52 बिलियन यूएस डॉलर के समतुल्य और ₹ 445.90 बिलियन के बकाया रुपया संसाधन रहे।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक की विदेशी मुद्रा संसाधन रणनीति मुख्यत: प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण, निवेशक आधार विविधीकरण आदि के साथ-साथ संपोषी वित्तपोषण क्षेत्र में प्रभावी परिणाम हासिल करने पर आधारित रही।

वर्ष के दौरान उल्लेखनीय ट्रांज़ैक्शनों में बैंक ने 1.50 बिलियन यूएस डॉलर के दो दीर्घावधि सिंडिकेटेड ऋण जुटाए। इसके अलावा, बैंक ने ग्रेट ब्रिटेन पाउंड तथा जापानी येन सहित विभिन्न मुद्राओं में भी ऋण जुटाए। संपोषी क्षेत्र में बैंक ने अपने ईएसजी फ्रेमवर्क के अंतर्गत कुल 200 मिलियन यूएस डॉलर के दो अल्पावधि संपोषी बॉन्ड निजी नियोजन के जरिए जारी किए। इन संपोषी निर्गमों ने भारत में पहली बार निवेश करने वाले एक नए निवेशक को भी आकर्षित किया और यह निवेशक लैटिन अमेरिका में सबसे बड़ी वित्तीय संस्थाओं में से भी एक है। इस ट्रांज़ैक्शन के जरिए बैंक अपने संपोषी निर्गमों को मूल्य और संख्या की दृष्टि से बढ़ाने के साथ-साथ अपने निवेशक आधार को लैटिन अमेरिकी बाज़ारों में बढ़ाने में भी कामयाब रहा। वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने ईएसजी फ्रेमवर्क के अंतर्गत निजी नियोजन के जरिए अपना पहला ग्रीन फ्लोटिंग रेट बॉन्ड (150 मिलियन यूएस डॉलर) भी जारी किया।

लाइबोर से वैकल्पिक संदर्भ दर में परिवर्तन (ट्रांज़िशन)

बैंक की बैलेंस शीट का बड़ा हिस्सा डॉलरीकृत है, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यूएसडी लाइबोर से जुड़ा हुआ था। 30 जून, 2023 के बाद लाइबोर लागू नहीं होने के कारण, बैंक ने लाइबोर समाप्ति की तारीख से काफी पहले ही लाइबोर से जुड़े अपने सभी मौजूदा गैर-यूएसडी मुद्रा ऋणों तथा यूएसडी मुद्रा ऋणों को सफलतापूर्वक परिवर्तित कर लिया था। जहां तक मौजूदा डेरिवेटिव्स के वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) में परिवर्तन का संबंध है, बैंक ने ब्याज की अगली निर्धारित तिथि को परिपक्व हो चुके 5 डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्टों को छोड़कर, यूएसडी लाइबोर से संबद्ध सभी डेरिवेटिव्स को यथा 30 जून, 2023 को सोफ़र से संबद्ध दरों में परिवर्तित कर लिया था (जो ब्याज की अगली निर्धारित तिथि से प्रभावी थे)। यथा 31 मार्च, 2024 को लाइबोर से संबद्ध कोई बकाया देयता नहीं है।

अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय रेटिंग

बैंक को मूडीज द्वारा बीएए3 (स्थिर), एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा बीबीबी- (स्थिर), फिच रेटिंग्स द्वारा बीबीबी- (स्थिर) और जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा बीबीबी+ (स्थिर) रेटिंग दी गई है। उपरोक्त सभी, निवेश ग्रेड या उससे ऊपर की रेटिंग हैं, जो भारत की संप्रभु रेटिंग के समान हैं। बैंक के घरेलू ऋण लिखतों (इंस्ट्रूमेंट्स) को उच्चतम रेटिंग प्राप्त है, अर्थात, दीर्घावधि ऋण लिखतों के लिए क्रिसिल और इक्रा रेटिंग एजेंसियों से 'एएए (स्थिर)' और अल्पावधि लिखतों के लिए ए1+ रेटिंग प्रदान की गई है।

आस्ति गुणवत्ता

वित्तीय संस्थाओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, उस ऋण / कर्ज को अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके संबंध में देय ब्याज और / या मूलधन 90 दिनों से अधिक समय से बकाया हो। यथा 31 मार्च, 2024 को बैंक की सकल अनर्जक आस्तियां ₹ 31.01 बिलियन राशि की रहीं, जो बैंक के कुल ऋणों तथा अग्रिमों का 1.94 प्रतिशत है। यथा 31 मार्च, 2024 को बैंक की अनर्जक आस्तियां (प्रावधानों को घटाकर) ₹ 4.57 बिलियन की रहीं, जो निवल ऋणों तथा अग्रिमों (प्रावधानों को घटाकर) की 0.29 प्रतिशत हैं। यथा 31 मार्च, 2024 को प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 96.83 प्रतिशत रहा।

आस्ति वर्गीकरण

'अवमानक आस्तियां' वे होती हैं, जिनका ब्याज और / अथवा मूलधन 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया रहता है। ऐसी अवमानक आस्तियां यदि 12 माह से अधिक अवधि तक अनर्जक आस्ति के रूप में बनी रहती हैं, तो उन्हें 'संदिग्ध आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 'हानि आस्तियां' वे होती हैं, जो वसूली योग्य नहीं समझी जाती हैं। यथा 31 मार्च, 2024 को सकल अनर्जक आस्तियों में 6.31 प्रतिशत अवमानक आस्तियां और 93.69 प्रतिशत संदिग्ध आस्तियां रहीं। यथा 31 मार्च, 2024 को बैंक की कोई हानि आस्तियां नहीं रहीं।

ऋण परिचालन और निगरानी

वाणिज्यिक ऋण डिलीवरी के क्षेत्र में परिचालन दक्षता हासिल करने और सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाएं अपनाने के क्रम में, वाणिज्यिक व्यवसाय संबंधी गतिविधियां, नामतः, ऋण परिचालन और निगरानी को व्यवसाय विकास और ऋण मूल्यांकन से अलग रखा गया है। ऋण परिचालन और निगरानी गतिविधियों में निधिक और गैर-निधिक आस्तियों की आवधिक निगरानी तथा परिचालन स्थिति का मूल्यांकन 'पूर्व चेतावनी प्रणाली' के जरिए की जाती है, ताकि किसी ऋण खाते के संबंध में उत्पन्न होने वाले ट्रिगर को परखा जा सके और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

दबावग्रस्त ऋण खातों की निगरानी और अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के वसूली उपायों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए बैंक में अलग से एक विशेष परिस्थिति समूह (एसएसजी) है। यह समूह बोर्ड द्वारा अनुमोदित एनपीए वसूली नीति के अनुसार ऋण वसूली के लिए सक्रियता से कदम उठाता है। साथ ही ऐसी अनर्जक आस्तियां, जिन्हें अर्जक बनाना व्यवहार्य हो, उन्हें अर्जक बनाने के उपाय करता है और उन अनर्जक खातों से वसूली पर फोकस करता है, जहां कानूनी कार्रवाई की जानी हो। एसएसजी में एक समिति द्वारा अनर्जक आस्तियों की मासिक समीक्षा की जाती है। बैंक बहुआयामी रणनीति के जरिए अनर्जक आस्तियों की वसूली को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इस रणनीति में ऋणों की पुनर्संरचना, कानूनी कार्रवाई, कोर्ट रिसीवर के जरिए आस्तियों की बिक्री, निगोशिएशन, एकबारगी निपटान, अनर्जक आस्तियों का हस्तांतरण/समनुदेशन, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम के अंतर्गत आस्तियों पर कब्जा लेना और उनकी बिक्री करना तथा उधारकर्ता कंपनी के मामले को शोधन अक्षमता संहिता के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण में ले जाना शामिल है।

पूंजी पर्याप्तता

जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम 9 प्रतिशत की तुलना में यथा 31 मार्च, 2024 को 21.18 प्रतिशत रहा। यथा 31 मार्च, 2023 को यह 25.43 प्रतिशत था। ऋण-इक्विटी अनुपात यथा 31 मार्च, 2023 के 6.23 प्रतिशत की तुलना में यथा 31 मार्च, 2024 को 6.75 प्रतिशत रहा।

अधिकतम ऋण सीमा (एक्सपोज़र) मानदंड

यथा 31 मार्च, 2024 को एकल उधारकर्ताओं और उधारकर्ता समूहों पर बैंक का ऋण एक्सपोज़र आरबीआई द्वारा निर्धारित सीमा (कुल पूंजी निधियों का क्रमशः 15 प्रतिशत और 40 प्रतिशत) के भीतर रहा। उपरोक्त एक्सपोज़र मानदंड भारत सरकार द्वारा गारंटित ऋण एक्सपोज़र पर लागू नहीं होते हैं। बैंक द्वारा प्रत्येक उद्योग क्षेत्र के लिए तय की गई ऋण सीमा, सभी उद्योग क्षेत्रों के लिए बैंक के कुल ऋण एक्सपोज़र का 15 प्रतिशत है। यथा 31 मार्च, 2024 को किसी भी उद्योग क्षेत्र के लिए बैंक का कोई भी एक्सपोज़र बैंक के कुल उद्योग एक्सपोज़र के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं रहा।

मध्यम अवधि व्यवसाय रणनीति

बैंक पिछले चार दशकों से अधिक समय से भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश को सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। इस अवधि के दौरान, भारत और विश्व के आर्थिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव आया है। बैंक की विकास यात्रा इस डायनैमिक और बदलते परिदृश्य के अनुरूप निरंतर जारी रही। तथापि, इस परिदृश्य में बदली हितधारकों की जरूरतों को प्रभावी तरीके से पूरी करने के क्रम में, बैंक के विजन और मिशन के साथ-साथ बैंक के व्यवसाय मॉडल, उत्पादों और सेवाओं तथा संगठनात्मक ढांचे में बदलाव की जरूरत महसूस की गई। तदनुसार, बैंक ने एक रणनीतिक रोडमैप तैयार करने के क्रम में, अपने कार्यनिष्पादन को अन्य निर्यात ऋण एजेंसियों की उत्कृष्ट पद्धतियों के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से इसकी समीक्षा करने एवं हितधारकों के साथ परामर्श करने के लिए एक वैश्विक परामर्शदाता की सेवाएं ली।

इस क्रम में, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित मध्यम अवधि की व्यवसाय रणनीति (एमटीबीएस) लागू की है। इस एमटीबीएस में बैंक के विजन और मिशन को इन बदलती प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप बनाते हुए और आठ प्रमुख पहलुओं को कवर करती एक व्यापक रणनीति बनाई गई है। अगले पांच साल की अवधि में, बैंक का लक्ष्य परियोजना निर्यातों के वित्तपोषण में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखने और नए भारतीय परियोजना निर्यातकों के विकास में सहयोग करना है। इस रणनीति में क्षेत्र केंद्रित वाणिज्यिक ऋण तथा निर्यात क्षमता की संभावनाओं वाले क्षेत्रों को लक्ष्य कर ऋण पोर्टफोलियो बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस रणनीति में संपोषी वित्त प्रदान करने में बैंक की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया है और यह लक्ष्य रखा गया है कि भारतीय कंपनियां निर्यातों के लिए ईएसजी अनुपालन में खरी उतरें। बैंक अपने ऋण पोर्टफोलियो में हरित वित्तपोषण की हिस्सेदारी बढ़ाने और ऋण के लिए सम्यक जांच प्रक्रिया में सुदृढ़ ईएसजी मानकों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

बैंक जहां विदेशी निवेश वित्त, दीर्घकालिक क्रेता ऋण और निर्यात उन्मुख इकाइयों को वित्तपोषण जैसे मौजूदा कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा, वहीं इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रदान किए जाने वाले सहयोग को बढ़ाना भी है ताकि उनकी निर्यात क्षमताओं को भुनाया जा सके। इस संबंध में, बैंक ने व्यापार सहायता कार्यक्रम और गुजरात इंटरनैशनल फायनैंस टेक-सिटी में व्यापार वित्त के लिए सहायक कंपनी स्थापित करने जैसे ठोस कदम उठाए हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों पर अपने अधिक फोकस के साथ, बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों / वित्तीय संस्थानों के साथ अपनी साझेदारी को सुदृढ़ किया है और विशेष रूप से, भारत सरकार की "निर्यात केंद्र के रूप में जिले" पहल के तहत सुगमीकरण कार्यक्रम किए हैं।

पॉलिसी बैंक के रूप में, भारत सरकार समर्थित ऋण-व्यवस्थाएं (एलओसी) बैंक की प्राथमिकता हैं। एलओसी के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता का सहभागी देशों द्वारा बेहतर उपयोग किया जा सके इसके लिए बैंक का लक्ष्य एलओसी के अंतर्गत परियोजनाओं के संपूर्ण चक्र में प्रतिभागिता बढ़ाने और उनके विकास में सहयोग करने पर केंद्रित रहा है।

एमटीबीएस में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, बैंक ने अपनी संगठन संरचना और मानव संसाधन रणनीति में बदलाव किए हैं। बैंक प्रौद्योगिकी का भी लाभ उठा रहा है और अपनी भौगोलिक पहुंच बढ़ा रहा है। बैंक भारतीय निर्यातकों को दिए जाने वाले अपने उत्पाद और सेवाओं में सुधार के लिए डिजिटल उपकरणों और प्लैटफॉर्मों के अधिक

बैंक ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के हिस्से के रूप में 7.8 किलोमीटर लंबे पुल खंड के निर्माण के लिए एक भारतीय इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और निर्माण (ईपीसी) कंपनी को सहायता प्रदान की।

से अधिक उपयोग पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके अलावा, बैंक ने अपने हितधारकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी भौगोलिक उपस्थिति बढ़ाने की दिशा में भी कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश के निर्यातकों को सहयोग के लिए लखनऊ में एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, बैंक का निष्पादन एमटीबीएस में किए गए अनुमानों के अनुरूप और विभिन्न मानदंडों पर लक्ष्यों से बेहतर रहा है।

बैंक ने निर्यातों के सुगमीकरण और संवर्धन की अपनी भूमिका को बढ़ाने और अपने अंतरराष्ट्रीय फोकस तथा पहुंच को नए आयाम देने के क्रम में, अपनी मध्यम अवधि व्यवसाय रणनीति के हिस्से के रूप में अंतरराष्ट्रीय संबंध समूह (आईआरजी) का गठन किया है। आईआरजी बहुपक्षीय संस्थाओं, निर्यात ऋण एजेंसियों, राष्ट्रीय विकास बैंकों आदि के साथ संबंध स्थापित करेगा और सहभागिता को और सुदृढ़ करेगा। साथ ही, इस प्रकार की सहभागिता के जरिए नए उत्पाद और कार्यक्रम तैयार करेगा। इसके अलावा, क्षमता विकास के लिए सर्वोत्तम पद्धतियां बेंचमार्क करने, जानकारियों के आदान–प्रदान को सुगम बनाने, सह–वित्तपोषण के जरिए व्यवसाय अवसर बढ़ाने और बैंक की विज़िबिलिटी बढ़ाने का काम भी करेगा। आईआरजी अन्य के साथ–साथ, बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों की गतिविधियों का पर्यवेक्षण भी करेगा और बैंक की ऋण आस्तियां, आय तथा ग्राहक आधार बढ़ाने के उनके प्रयासों में सहायता करेगा।

बैंक ने एक्सेस-कंट्रोल्ड नागपुर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए एक भारतीय ईपीसी कंपनी की ओर से परियोजना गारंटियां जारी कर सहायता प्रदान की।

निर्यात स्पर्धात्मकता का विकास

भारतीय कंपनियां वैश्विक व्यापार का हिस्सा बनें और उनकी दक्षता बढ़े, यह देश के आर्थिक विकास के लिए महत्त्वपूर्ण है। तथापि, वैश्विक निर्यातों में भारत की हिस्सेदारी लगभग 2 प्रतिशत के आसपास रही है। देश ने 2030 तक 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर के वस्तु और सेवाओं का महत्त्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारतीय उद्यमों की भागीदारी आज इस पर अधिक निर्भर करती है कि वे उद्यम अंतरराष्ट्रीय निगमों द्वारा स्थापित वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में प्रवेश करने में कितने सक्षम हैं। एक्ज़िम बैंक, अपने विभिन्न वित्तपोषण कार्यक्रमों के जरिए भारतीय उद्यमों के लिए अवसर बढ़ाने का काम करता है और उनसे जुड़ा रहता है।

निर्यात उन्मुख इकाइयों को ऋण

वर्ष के दौरान, बैंक ने 102 निर्यात–उन्मुख इकाइयों को ₹ 114.77 बिलियन के मीयादी ऋण अनुमोदित किए और ₹ 90.07 बिलियन के संवितरण किए। उत्पादन उपकरण वित्त कार्यक्रम के तहत, 21 निर्यातक कंपनियों को उत्पादन उपकरणों के आयात के लिए ₹ 10.58 बिलियन के ऋणों को मंजूरी दी गई और ₹ 8.96 बिलियन के संवितरण किए गए। इसके अलावा, इस कार्यक्रम के तहत 9 कंपनियों को दीर्घावधि कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में कुल ₹ 26.24 बिलियन की मंजूरी दी गई और ₹ 20.34 बिलियन के संवितरण किए गए।

वैश्विक व्यापार में टेक्सटाइल उद्योग की हिस्सेदारी 4 प्रतिशत है। देश के जीडीपी में इसका योगदान 2.3 प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन में 13 प्रतिशत और भारत के निर्यात में 12 प्रतिशत है। यह देश में दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है। विगत वर्षों में इस उद्योग पर बैंक का उल्लेखनीय एक्सपोज़र रहा है।

बैंक, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई प्रमुख नोडल एजेंसियों में से एक है, जिसे प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के अंतर्गत नई इकाइयां स्थापित करने, उन्हें अनुमोदित करने और अनुमोदित परियोजनाओं को सीधे सब्सिडी जारी करने का अधिकार प्राप्त है। बैंक ने अब तक कुल ₹ 192.79 बिलियन की लागत वाली 236 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। टीयूएफएस के तहत मंजूर और संवितरित ऋण राशि क्रमशः ₹ 69.94 बिलियन और ₹ 52.69 बिलियन रही। टीयूएफएस के तहत टेक्सटाइल उद्योग को बैंक का सहयोग देश के विभिन्न राज्यों में टेक्सटाइल विनिर्माण के विभिन्न खंडों में रहा है।

बैटरी स्टोरेज की मदद से चौबीसों घंटे (राउंड द क्लोक – आरटीसी) अक्षय ऊर्जा आपूर्ति की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। क्योंकि इसमें सौर और पवन ऊर्जा के साथ जुड़ी धूप और हवा जैसी अनिवार्यताएं नहीं हैं। आरटीसी के जरिए 2030 तक गैर–जीवाश्म

बैंक ने ओडिशा के अंगुल में 6 मिलियन टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाले एक एकीकृत स्टील प्लांट की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की है।

बैंक ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की सहायक कंपनी द्वारा हासिल किए गए उपग्रह प्रक्षेपण कॉन्ट्रैक्ट के आंशिक वित्तपोषण को जरिए सहायता प्रदान की है। इससे अन्य वाणिज्यिक प्रक्षेपणों की राह प्रशस्त करते हुए अंतरिक्ष और उपग्रह उद्योग में भारत की स्थिति और सुदृढ़ हुई है।

स्रोतों से 500 गीगावॉट की इंस्टॉल्ड क्षमता और 2070 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को पाने संबंधी भारत के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। बैंक ने अपने आयात वित्त कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में राउंड द क्लॉक हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा परियोजना के आंशिक वित्तपोषण के लिए एक कंपनी को 75 मिलियन यूएस डॉलर का मीयादी ऋण प्रदान किया है।

बैंक ने संपोषी वित्त कार्यक्रम (एसएफपी) के तहत एक सौर विद्युत कंपनी को गुजरात में एक पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए किए जाने वाले आयात के आंशिक वित्तपोषण के लिए भी एक मीयादी ऋण को मंजूरी दी है।

वैश्विक मूल्य शृंखला में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना आर्थिक विकास के लिए तो महत्त्वपूर्ण है ही, यह व्यापार संतुलन, वैश्विक स्पर्धात्मकता और रोजगार के अवसरों में भी योगदान देता है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से निर्यात 2013-14 के 7.6 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 28.2 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया। यह बढ़ोत्तरी मेक इन इंडिया जैसी पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन को दर्शाती है। इस सबके बीच, भारत के पास एक बड़ी मांग है और इसे उन्नत प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। बैंक ने एयरोस्पेस विनिर्माण, सैन्य इंजीनियरिंग और रक्षा तकनीक में काम करने वाली एक भारतीय कंपनी को उसके पूंजीगत व्यय के आंशिक वित्तपोषण के लिए मीयादी ऋण प्रदान किया है।

भारत जीवाश्म ईंधन संसाधनों के मामले में बहुत समृद्ध नहीं है और इसलिए ऊर्जा की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा के सभी स्रोतों को इष्टतम तरीके से इस्तेमाल किया गया है और शेष मांग की आपूर्ति आयातों से की जाती है। परमाणु ऊर्जा, विद्युत उत्पादन का एक अच्छा और पर्यावरण अनुकूल स्रोत है, जो पूरे दिन उपलब्ध रहता है। बैंक ने परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में सहयोग के लिए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को विदेशी मुद्रा मीयादी ऋण के जरिए सहायता प्रदान की है।

निर्यात सुगमीकरण

भारत से निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यातों के अनुकूल बुनियादी ढांचा होना बहुत जरूरी है। एक्ज़िम बैंक ने विशाखापट्टनम में डिजाइन, निर्माण, वित्त, परिचालन और हस्तांतरण आधार पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए एक अग्रणी भारतीय हवाई अड्डा डेवलपर को अपने निर्यात सुगमीकरण कार्यक्रम के तहत आंशिक वित्तपोषण प्रदान किया है। इस ग्रीनफील्ड परियोजना के पूरा होने के बाद यह आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा और इस शहर तथा राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में उत्प्रेरक की भूमिका निभाएगा।

बैंक द्वारा न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को काकरापार और राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में पूंजीगत व्यय के आंशिक वित्तपोषण के लिए सहायता प्रदान की गई है।

विदेशी निवेश वित्त

भारत से जावक प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) में उल्लेखनीय परिवर्तन आए हैं। ये परिवर्तन इन निवेशों के आकार से लेकर भौगोलिक विस्तार और क्षेत्रवार (सेक्टर) संरचना तक में देखे जा सकते हैं। जावक प्रत्यक्ष निवेश, भारतीय कंपनियों की वैश्विक स्पर्धात्मकता को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह अन्य के साथ-साथ, इन कंपनियों की पहुंच, रणनीतिक आस्तियों, तकनीकी, कौशल, प्राकृतिक संसाधनों और बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद कर रहा है।

भारत के जावक निवेश में सहयोग के लिए यह बैंक का व्यापक कार्यक्रम है, जिसमें इक्विटी वित्त, ऋण, गारंटियां और सलाहकारी सेवाएं शामिल हैं। वर्ष के दौरान, 24 कंपनियों को 12 देशों में उनके विदेशी निवेशों के आंशिक वित्तपोषण के लिए कुल ₹ 65.73 बिलियन की निधिक और गैर-निधिक सहायता मंजूर की गई। अब तक, बैंक द्वारा 78 देशों में 510 कंपनियों द्वारा स्थापित लगभग 700 उद्यमों को वित्त प्रदान किया जा चुका है।

विदेशी निवेश वित्त कार्यक्रम के तहत, बैंक ने भारतीय संयुक्त उद्यम की एक विदेशी स्टेप-डाउन सहायक कंपनी को उसकी कार्यशील पूंजी जरूरतों के लिए ऋण सुविधाएं प्रदान की हैं। यह विदेशी उधारकर्ता बिजली उत्पादन समाधान प्रदाता कंपनी है और 24 प्रतिशत के मार्केट शेयर के साथ यूके/आयरलैंड में संयुक्त ताप और विद्युत (सीएचपी) प्रणाली, गैस इंजन और बैटरी भंडारण समाधान देने वाले अग्रणी आपूर्तिकर्ताओं, इंस्टॉलरों और रखरखाव प्रदाताओं में से एक है। इस कंपनी का व्यवसाय मॉडल विशिष्ट कंटेनरीकृत समाधान प्रदान करने पर आधारित है, जो ग्राहकों को उनकी ऊर्जा संबंधी लागतों और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के साथ-साथ निरंतर और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति भी प्रदान करता है।

बैंक ने एक भारतीय बहुराष्ट्रीय परिवहन, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग कंपनी की सहायक कंपनियों के लिए बैंक के विदेशी निवेश वित्त कार्यक्रम के अंतर्गत 15 मिलियन यूएस डॉलर की गैर-निधिक ऋण सीमा भी प्रदान की है। यह ऋण सुविधा यूके, यूरोप और यूएस में कंपनी की कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं के आंशिक वित्तपोषण के लिए प्रदान की गई है।

बैंक ने ब्रॉडबैंड सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली एक संचार कंपनी को एक उपग्रह प्रक्षेपण कॉन्ट्रैक्ट के लिए 94.40 मिलियन यूएस डॉलर के दीर्घावधि क्रेता ऋण को मंजूरी दी है। बैंक द्वारा सहायता प्राप्त यह कंपनी पृथ्वी की निचली कक्षा से संचालित दुनिया के सबसे बड़े सैटेलाइट ऑपरेटरों में से एक की परिचालन कंपनी है, और एक उन्नत सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन का निर्माण कर रही है, ताकि व्यवसायों, दूरसंचार और सरकारी भागीदारों को न्यूनतम समय में उच्च गति वाली इंटरनेट सुविधा से जोड़ा जा सके।

वर्तमान में, लैटिन अमेरिका में भारतीय कंपनियों के संयुक्त उद्यमों के लिए ढेरों अवसर मौजूद हैं, जिनके चलते लैटिन अमेरिका एक महत्त्वपूर्ण बाजार बना हुआ है। बैंक ने ब्राजील स्थित एक भारतीय कंपनी की सहायक कंपनी को उसकी दीर्घावधि कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं के आंशिक वित्तपोषण के लिए 20 मिलियन यूएस डॉलर के मीयादी ऋण को मंजूरी दी है।

निर्यात वित्तपोषण

1980 के दशक में धीमी शुरुआत के साथ आरंभ हुए भारतीय परियोजना निर्यातों ने समय के साथ गति पकड़ी है। आज भारतीय परियोजना निर्यातों की विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता है और इनमें प्रौद्योगिकीय दक्षता, औद्योगिक क्षमताएं और भारतीय निर्यातों का निरंतर परिष्कार परिलक्षित होता है। इस दिशा में बैंक की नवोन्मेषी और प्रमुख भूमिका का अहम योगदान रहा है, जिसने इस तरह के निर्यातों को बढ़ाने का काम किया है। बैंक के सहयोग से कम लागत, तकनीकी दक्षता और गुणवत्ता वाले उत्पादों एवं सेवाओं की डिलीवरी की दृष्टि से भारतीय परियोजना निर्यातों की उपादेयता ने भारतीय कंपनियों की अच्छी साख बना दी है।

परियोजना निर्यात

परियोजना निर्यातों को बैंक के निरंतर सहयोग से वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 29 भारतीय निर्यातकों को 33 देशों में 5.24 बिलियन यूएस डॉलर के 90 कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में मदद मिली। इस प्रक्रिया में भारतीय परामर्शदाताओं, आपूर्तिकर्ताओं और कॉन्ट्रैक्टरों ने एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका में विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं निष्पादित की हैं, जिनमें उनकी बढ़ती क्षमता परिलक्षित होती है।

बैंक ने नेपाल में एक विद्युत परियोजना के लिए भी सहायता प्रदान की है। इस परियोजना से मिलने वाली बिजली की आपूर्ति भारत को की जाएगी।

बैंक ने सऊदी अरब में एक सौर फोटोवोल्टिक परियोजना के निष्पादन के लिए भी सहायता प्रदान की है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूरी होने वाली है। बैंक ने थाईलैंड में भी एक सबस्टेशन परियोजना सहित कई परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की है। बैंक ने यह सहायता परियोजना गारंटियों के जरिए प्रदान की है।

मोरक्को में, बैंक ने एक भारतीय कंपनी को समुद्री जल पॉन्ड डोज़िंग सिस्टम, समुद्री जल को मीठा बनाने के लिए 40 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले रिवर्स ऑस्मोसिस संयंत्र, भंडारण टैंक, पंपों और अन्य इलेक्ट्रिकल वस्तुओं की आपूर्ति सहित खारे पानी को मीठा बनाने वाले संयंत्र (डी-सैलिनेशन प्लांट) की आपूर्ति, असेंबली और कमीशनिंग से संबंधित 18.80 मिलियन यूएस डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए सहायता प्रदान की है।

बैंक ने भारत में डीम्ड परियोजना निर्यात के लिए भी सहायता प्रदान की है। मुंबई में कई मेट्रो रैपिड ट्रांज़िट (एमआरटी) प्रणालियों का निर्माण किया जा रहा है। इससे लोगों का सफर तो सुविधाजनक और तीव्रतर होगा ही, कार्बन-डाई-ऑक्साइड उत्सर्जन में भी कमी आएगी। बैंक ने उक्त परियोजना के भूमिगत खंडों के डिजाइन और निर्माण को निष्पादित करने वाली एक भारतीय कंपनी को सहयोग दिया है।

निर्यात ऋण और गारंटियां

वर्ष के दौरान, बैंक ने परियोजना निर्यातों के लिए आपूर्तिकर्ता ऋण, क्रेता ऋण और निधिक / गैर-निधिक सहायता के तहत कुल ₹ 240.11 बिलियन के निर्यात ऋणों और गारंटियों को अनुमोदित किया। वर्ष के दौरान, ₹ 97.16 बिलियन के संवितरण किए गए और कुल ₹ 43.77 बिलियन की गारंटियां जारी की गईं।

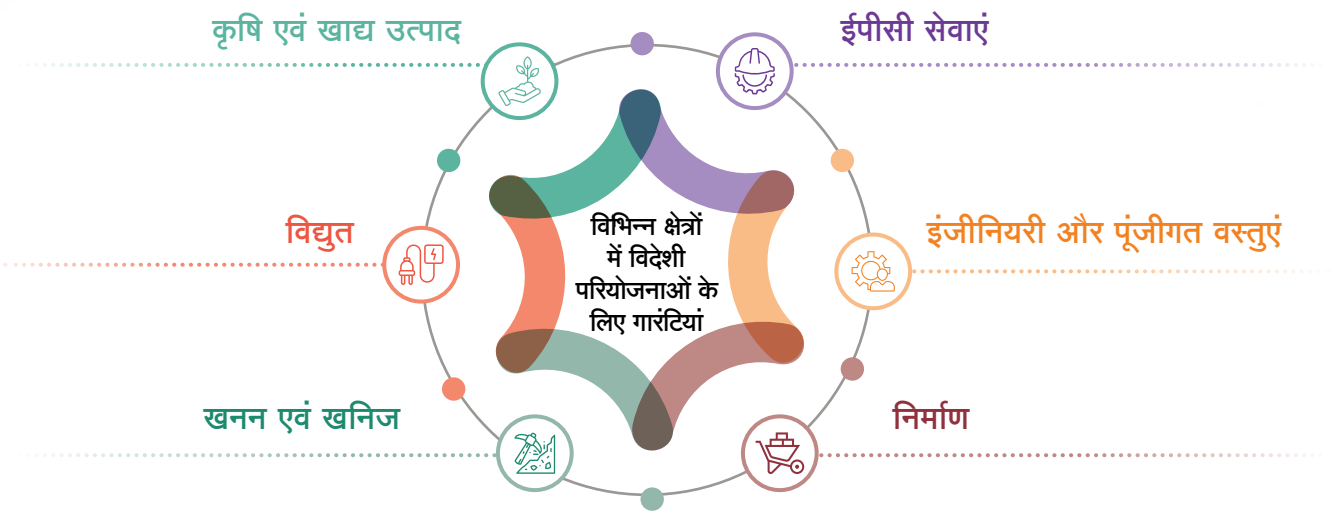

क्रेता ऋण

बैंक विदेशों में उधारकर्ताओं को क्रेता ऋण प्रदान करते हुए भारत से निर्यातों में सहयोग कर रहा है। बैंक द्वारा यह क्रेता ऋण आस्थगित भुगतान शर्तों पर प्रदान किया जाता है। इस प्रकार, बैंक भारत से वस्तु और परियोजना निर्यातों के लिए बाजार के विकास में भी सहयोग कर रहा है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में बैंक ने यूएई, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका तथा नाइजीरिया सहित विभिन्न देशों के विदेशी क्रेताओं को भारत से इन देशों में आयात के लिए 86 मिलियन यूएस डॉलर के ऋण अनुमोदित किए। इस अवधि के दौरान कुल 37.65 मिलियन यूएस डॉलर का संवितरण किया गया।

बैंक ने मोरक्को में डी-सैलिनेशन प्लांट के लिए आपूर्ति, असेंबली और कमीशनिंग के लिए एक भारतीय कंपनी को सहयोग प्रदान किया।

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अंतर्गत क्रेता ऋण

भारत से परियोजना निर्यातों को बढ़ाने के क्रम में एक महत्त्वपूर्ण व्यवस्था है, राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अंतर्गत क्रेता ऋण (बीसी-एनईआईए) कार्यक्रम। यह एक अनूठी वित्तपोषण व्यवस्था है। इसमें भारतीय निर्यातकों को दायित्व रहित (नॉन-रिकोर्स) वित्तपोषण का एक सुरक्षित तरीका मिलता है और यह मध्यम या दीर्घावधि आस्थगित ऋण की जरूरत वाले विकासशील देशों में पारंपरिक तथा नए बाजारों में प्रवेश का प्रभावी माध्यम है। बैंक द्वारा बीसी-एनईआईए के अंतर्गत यथा 31 मार्च, 2024 को 3.72 बिलियन यूएस डॉलर की छत्तीस परियोजनाओं के लिए कुल 3.38 बिलियन यूएस डॉलर की राशि मंजूर की गई।

क्रेडिट लाइन / पुनर्वित्त

बैंक परियोजनाओं के निष्पादन के साथ-साथ वृद्धिशील व्यापार को सहायता प्रदान करने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों/निर्यात-आयात बैंकों/विदेशी बैंकों आदि को भी ऋण प्रदान करता है। वर्ष के दौरान, बैंक ने एशिया और अफ्रीका के बैंकों को कुल 790 मिलियन यूएस डॉलर की क्रेडिट लाइनें प्रदान की हैं। ये क्रेडिट लाइनें भारतीय निर्यातकों के लिए नए बाजार खोलने का अवसर प्रदान करती हैं। भारत और दुनिया भर के अन्य भौगोलिक क्षेत्रों के बीच बैंकिंग संबंधों को भी बढ़ावा देती हैं।

आपाती साख पत्र (एसएलबीसी) / साख पत्र (एलसी)

निर्यातोन्मुख इकाइयों के ट्रांज़ैक्शनों को सुगम बनाने के लिए बैंक मुख्य रूप से बैंक द्वारा वित्तपोषित आयातों के लिए साख पत्र जारी करता है। बैंक निर्यातोन्मुखी इकाइयों को उनके विदेशी उद्यमों के लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर निधियां जुटाने के लिए गारंटियों / आपाती साख पत्रों के माध्यम से वित्तीय गारंटियां भी प्रदान करता है। वर्ष के दौरान, बैंक ने ₹ 15.91 बिलियन की वित्तीय गारंटियां जारी कीं। बैंक का वित्तीय गारंटी पोर्टफोलियो यथा 31 मार्च, 2023 के ₹ 64.31 बिलियन के मुकाबले यथा 31 मार्च, 2024 को ₹ 55.77 बिलियन का रहा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने कुल ₹ 11.15 बिलियन के साख पत्र खोले। बैंक निर्यात दस्तावेजों के निगोशिएशन / कलेक्शन संबंधी कार्य भी संभालता है। बैंक ने ₹ 85.15 बिलियन के 1,258 निर्यात दस्तावेज़ संभाले।

बैंक ने एक फ्लोटिंग उत्पादन, स्टोरेज और ऑफलोडिंग वेसल के निर्माण के आंशिक वित्तपोषण के जरिए सहायता प्रदान की है। इस एफपीएसओ के जरिए ओएनजीसी लिमिटेड के केजी–डीडब्ल्यूएन–98/2 फील्ड स्वर्ण सिंधु को कच्चे तेल की पहली खेप पहुंचाई गई। इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया।

संपोषी प्रभाव के लिए सरकारों के साथ सहभागिता

भारत ऋण–व्यवस्था कार्यक्रम के तहत सहभागी देशों की विकास प्राथमिकताओं को मांग आधारित दृष्टिकोण के साथ पूरा करने में सहयोग प्रदान करता रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाएं वृद्धि और संपोषी विकास को बढ़ावा देते हुए सकारात्मक सामाजिक–आर्थिक बदलाव लाने में सहयोग दे रही हैं। देश ने दक्षिण–दक्षिण सहयोग की मुख्य भावना को कायम रखते हुए और 'सहयोग से समृद्धि' के बहुआयामी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, सहभागी देशों के साथ सौहार्द बनाए रखा है और एक सुदृढ़ साझेदारी विकसित की है। इस सिद्धांत का तात्पर्य ही है, प्रगति में सहभागिता। बैंक लगभग दो दशकों से चले आ रहे इस ख़ूबसूरत सफर का एक साथी रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाओं के वित्तपोषण से लेकर उन्हें पूरा करने तक की यात्रा का हिस्सा रहा है।

ऋण–व्यवस्थाएं

बैंक, भारत सरकार के निर्देश पर प्रदान की जाने वाली ऋण–व्यवस्थाओं (एलओसी) पर विशेष बल देता है। एलओसी विकासशील देशों में नए बाजारों में प्रवेश का प्रभावी माध्यम हैं, जो संप्रभु सरकारों, क्षेत्रीय विकास बैंकों, विदेशी वित्तीय संस्थाओं और विदेशों में स्थित अन्य संस्थाओं को प्रदान की जाती हैं, ताकि खरीदार विकास परियोजनाओं के लिए उन देशों में आस्थगित ऋण शर्तों पर भारत से माल व सेवाओं का आयात सुगमता से कर सकें।

ऋण–व्यवस्था कार्यक्रम के तहत किए गए गहन प्रयास भारतीय कॉन्ट्रैक्टरों के लिए बहुआयामी रहे हैं। इनसे उन्हें नए क्षेत्रों में परियोजनाएं निष्पादित करने में मदद मिली है। इस तरह उन्हें अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बिडिंग के तहत ऐसी ही और परियोजनाएं निष्पादित करने का अनुभव मिला है।

वर्ष के दौरान, बैंक ने भारत से मंगोलिया, गयाना और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की सरकारों को परियोजनाओं, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में सहयोग के लिए कुल 994.87 मिलियन यूएस डॉलर की पांच ऋण–व्यवस्थाएं प्रदान की। ये ऋण–व्यवस्थाएं रक्षा निर्यात, तेल रिफाइनरी संयंत्रों के निर्माण, जलविद्युत और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए दी गई हैं।

वर्तमान में, बैंक की भारत सरकार समर्थित 324 ऋण–व्यवस्थाएं हैं, जिनके अंतर्गत कुल 31.17 बिलियन यूएस डॉलर की ऋण प्रतिबद्धताएं हैं। ये ऋण–व्यवस्थाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। ऋण–व्यवस्थाएं अपनी बढ़ती पहुंच के साथ अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशिआनिया और पूर्वी यूरोप के 68 देशों में आर्थिक विकास में तेजी लाने में सहायक रही हैं।

अवसंरचना समूह

पॉलिसी व्यवसाय में प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया को दक्षतापूर्वक संभालने के लिए बैंक में अलग से एक समूह है। इस समूह का फोकस तकनीकी विशेषज्ञता विकसित करना, परियोजनाएं चिह्नित करना, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का सत्यापन करना, प्रोक्योरमेंट प्रक्रियाओं में तेजी लाना,

बैंक द्वारा कोत दि'वार में 125 स्थानों पर अस्पतालों के पुनरुद्धार और स्वास्थ्य केंद्रों में उपकरणों के लिए इकोवास बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट को ऋण–व्यवस्था के माध्यम से सहायता प्रदान की गई।

बैंक ने मोंगला बंदरगाह को खुलना में मौजूदा रेल नेटवर्क से जोड़ने वाले 65 किलोमीटर लंबे ब्रॉड गेज रेल मार्ग के निर्माण के लिए बांग्लादेश सरकार को प्रदत्त भारत सरकार समर्थित ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत वित्तपोषण के जरिए सहायता प्रदान की है। इस परियोजना का उद्घाटन भारत और बांग्लादेश के माननीय प्रधानमंत्रियों द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया था।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने तथा ऋण-व्यवस्थाओं के अंतर्गत परियोजनाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन करने के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाताओं को शॉर्टलिस्ट करना है।

इस समूह ने भारत सरकार की ओर से प्रदान की जाने वाली ऋण-व्यवस्थाओं के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए परामर्शदाताओं, कॉन्ट्रैक्टरों, आपूर्तिकर्ताओं आदि की सेवाओं के प्रोक्योरमेंट के लिए मॉडल बिडिंग दस्तावेजों का नया स्वरूप तैयार किया है। प्रोक्योरमेंट में सर्वोत्तम पद्धतियों को आधार बनाकर तैयार किए गए इन मॉडल दस्तावेजों से संपूर्ण प्रक्रिया का मानकीकरण हो सकेगा और यह अबाधित रूप से पूरी हो सकेगी। यह समूह भारत सरकार समर्थित ऋण-व्यवस्था परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न हितधारकों के साथ विकास सहयोग बनाए रखने पर केंद्रित है।

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, पॉलिसी व्यवसाय पर फोकस करते हुए एलओसी परियोजनाओं के अंतर्गत व्यवसाय अवसरों की जानकारी के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से कोलकाता, बेंगलूरु और अहमदाबाद में तीन लोकसंपर्क सेमिनार आयोजित किए। सघन प्रयासों के परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, पूर्व अर्हता प्रक्रिया में 22 नए आवेदकों ने हिस्सा लिया और भारत सरकार समर्थित ऋण-व्यवस्था परियोजनाओं के तहत 1.38 बिलियन यूएस डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट शामिल किए गए।

बैंक ने एलओसी के अंतर्गत निगरानी प्रक्रिया को और सुदृढ़ करते हुए, नेत्र - 'न्यू ई-ट्रैकिंग एंड रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन' नाम से एक डायनैमिक निगरानी प्लैटफॉर्म विकसित किया है। यह प्लैटफॉर्म ऋण-व्यवस्थाओं के अंतर्गत परियोजनाओं की निगरानी के लिए रियल टाइम सूचनाएं सुलभ कराता है। विदेश मंत्रालय द्वारा भी दुनियाभर में विभिन्न देशों को प्रदान किए गए अनुदानों के अंतर्गत परियोजनाओं की निगरानी के लिए भी इसी तरह का प्लैटफॉर्म विकसित किया गया है।

बैंक ने पूर्व-अर्हता (पीक्यू) आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित करने के लिए भी एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। इसमें आवेदनों के मूल्यांकन में सहायता का भी प्रावधान है। इससे पीक्यू प्रक्रिया और बेहतर होगी।

रियायती वित्तपोषण योजना

बांग्लादेश के रामपाल में 1320 मेगावाट (2x660 मेगावाट) की अल्ट्रा-सुपर-क्रिटिकल मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना को रियायती वित्तपोषण योजना के तहत 1.60 बिलियन यूएस डॉलर के मीयादी ऋण के जरिए वित्तपोषित किया गया है। इस परियोजना की दूसरी इकाई का उद्घाटन भारत और बांग्लादेश के माननीय प्रधानमंत्रियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। दूसरी इकाई की शुरुआत के बाद, इस परियोजना ने देश की बिजली आपूर्ति में योगदान दिया है। विद्युत उत्पादन क्षमता और बिजली आपूर्ति की दृष्टि से इस परियोजना का बड़ा प्रभाव रहा है, और इससे इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

बैंक ने मालदीव सरकार को प्रदत्त भारत सरकार समर्थित एक ऋण–व्यवस्था के अंतर्गत अड्डू शहर विकास परियोजना के हिस्से के रूप में पुनरुद्धार, तट संरक्षण और अन्य सिविल कार्यों का वित्तपोषण किया है।

निर्यात वृद्धि के द्वार

भारत के निर्यातों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का उल्लेखनीय योगदान है। भारत के कुल निर्यातों का 44 प्रतिशत और भारत के विनिर्माण क्षेत्र का लगभग 36 प्रतिशत निर्यात इन्हीं उद्यमों से होता है और इस तरह, ये उद्यम भारतीय अर्थव्यवस्था की मेरुदंड बने हुए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत, भारत का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में देश के कुल निर्यातों में इन उद्यमों की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 60 प्रतिशत करना है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए यह जरूरी है कि इन उद्यमों को समय पर, किफायती दरों पर पर्याप्त ऋण मुहैया कराया जाए। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में भी गति आएगी।

निर्यात चैंपियन बनाने के लिए नवाचार को प्रोत्साहन

उभरते सितारे कार्यक्रम (यूएसपी)

उभरते सितारे कार्यक्रम (यूएसपी) की शुरुआत 2020 में महामारी के दौरान हुई थी। तथापि, यह बहुत कम समय में ऐसे लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता के लिए बैंक का एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम बन गया है, जो अपने विशिष्ट उत्पादों, प्रक्रियाओं या प्रौद्योगिकियों की दृष्टि से बेहतर स्थिति में हैं। यूएसपी के अंतर्गत निर्यातों की अच्छी संभावनाओं वाली ऐसी कंपनियों को चिह्नित किया जाता है, जो भावी निर्यात चैंपियन हो सकती हैं, या जिनमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी कंपनी के रूप में उभरने की क्षमता है। बैंक अपने गहन शोध के माध्यम से ऐसी कंपनियों को सहायता प्रदान करता है, जो प्रौद्योगिकी, उत्पाद या प्रक्रिया की दृष्टि से विशिष्ट हैं।

बैंक ने यूएसपी के तहत फार्मासूटिकल्स, ऑटो पुर्जे, इंजीनियरिंग समाधानों, संपोषी कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उपभोक्ता वस्तुओं, सॉफ्टवेयर, रक्षा उन्मुख उत्पादों जैसे विविध क्षेत्रों में काम करने वाली विभिन्न कंपनियों को सहायता प्रदान की है और ऐसी ही कंपनियों की एक सुदृढ़ पाइपलाइन भी तैयार की है।

बैंक ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए मैकेनिज़्म बनाने वाली कंपनियों को सहायता प्रदान करने की अपनी पहल के रूप में लिथियम-आयन सेल रिसायकल करने वाली एक कंपनी को मीयादी ऋण मंजूर किया है। यह कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स (लैपटॉप, मोबाइल आदि), इलेक्ट्रिक वाहनों और अन्य उपकरणों की खराब हो चुकी लिथियम-आयन बैटरियां जुटाती है और उन्हें रिसायकल करती है। यह कंपनी अपनी शून्य अपशिष्ट और शून्य उत्सर्जन प्रक्रिया का उपयोग करते हुए, इन्हें 1 प्रतिशत से भी कम अशुद्धियों वाली हाई-ग्रेड ब्लैक मास बैटरियों के रूप में रिसायकल कर रही है। ब्लैक मास में लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, मैंगनीज और ग्रेफाइट आदि जैसे पदार्थ होते हैं। एक्ज़िम बैंक ने इस कंपनी को इक्विटी निवेश के जरिए सहयोग प्रदान किया है और उत्तर प्रदेश में रासायनिक हाइड्रोमेटलर्जी संयंत्र की स्थापना के लिए मशीनरी के अधिग्रहण की

बैंक ने एक भारतीय चिकित्सा-प्रौद्योगिकी नवोद्यम (स्टार्टअप) को उसकी निर्यात क्षमताएं बढ़ाने के लिए सहयोग प्रदान किया है। यह नवोद्यम ऑर्थोपैडिक इम्मोबिलाइजर बनाता है, जो पारंपरिक कास्ट के मुकाबले हल्के और आरामदायक हैं, जिन्हें आसानी से धोया भी जा सकता है।

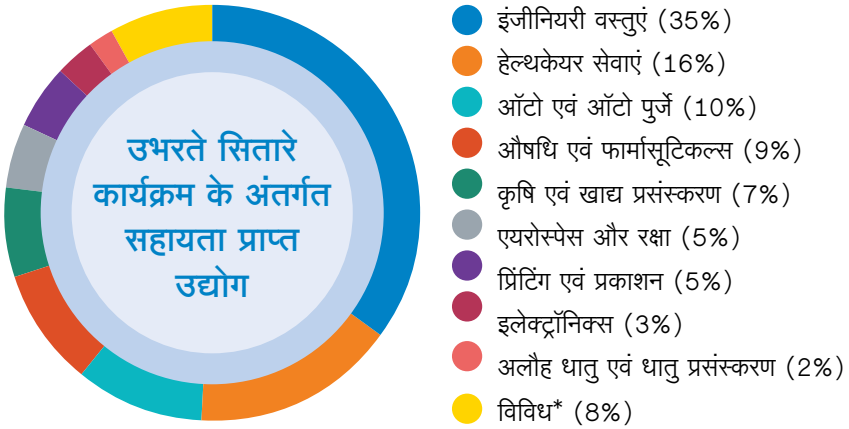

*विविध उद्योगों में उपभोक्ता वस्तुएं, प्लास्टिक एवं प्लास्टिक के उत्पाद, चमड़े की वस्तुएं, सोलर पंप एवं कृषि कोल्ड चेन, पैकेजिंग एवं दूरसंचार शामिल हैं।

लागत के आंशिक वित्तपोषण के लिए मीयादी ऋण भी प्रदान किया है।

चिकित्सा प्रौद्योगिकी एक नया और नवोन्मेषी सेगमेंट है और बैंक ने विशेष रूप से ऑर्थोपैडिक चिकित्सा उपकरण सेगमेंट की एक कंपनी को सहायता प्रदान की है। बैंक ने इस फर्म को गुजरात में एक विनिर्माण इकाई की स्थापना के आंशिक वित्तपोषण के लिए मीयादी ऋण प्रदान किया है। इस कंपनी ने नई तरह का ऑर्थोपैडिक इम्मोबिलाइजर बनाया है, जो पारंपरिक कास्ट से जुड़ी समस्याओं का समाधान करता है। इस इम्मोबिलाइजर को ऐसे डिजाइन किया गया है, ताकि यह रोगी की त्वचा के अनुकूल हो, आरामदायक हो और उन्हें दैनिक कार्य करने में तुलनात्मक रूप से आसानी हो।

पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र में प्रचुर संभाव्यता है। यूएसपी के अंतर्गत असम की एक ऐसी कंपनी को चिह्नित किया गया है, जो पर्यावरणीय सस्टैनेबिलिटी और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में काम कर रही है। यह कंपनी सुपारी के पेड़ से टूटकर गिरे छाल से उच्च गुणवत्ता वाले और पर्यावरण के अनुकूल डिस्पोज़ेबल बर्तन बनाती है। यह कंपनी पूरे पूर्वोत्तर भारत में फैले सामुदायिक स्वामित्व वाले सूक्ष्म उद्यम (क्लस्टर) मॉडल पर काम करती है। इस कंपनी द्वारा तैयार किए गए उत्पादों का उपयोग स्टायरोफ़ोम/ प्लास्टिक से तैयार प्रदूषणकारी और कार्बन गहन प्लेटों के स्थान पर किया जा रहा है। बैंक ने असम में एक विनिर्माण इकाई के आंशिक वित्तपोषण के लिए मीयादी ऋण प्रदान किया है।

बैंक ने एक अन्य ऑटो-कंपोनेंट कंपनी को भी सहायता प्रदान की है, जिसके प्रति मिलियन उत्पादन में भी कोई डिफेक्ट नहीं रहता है और यह अपने उत्पाद निर्यात करती है। रियर ऐक्सल, ट्रांशमिशन गियर और शाफ्ट तथा प्लैनेटरी ड्राइव कंपोनेंट के विनिर्माण में यह अग्रणी कंपनी है। बैंक ने संयंत्र एवं मशीनरी तथा संबद्ध वस्तुओं की खरीद के आंशिक वित्तपोषण के लिए भी मीयादी ऋण प्रदान किया है।

यथा 31 मार्च, 2024 को बैंक ने यूएसपी के अंतर्गत कुल ₹ 12.14 बिलियन की निधिक और गैर-निधिक वित्तीय सहायता प्रदान की है और ₹ 6.07 बिलियन का संवितरण किया है। वर्ष के दौरान, बैंक ने सेंटर फॉर इनोवेशन, आईआईएम अहमदाबाद तथा भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर के फाउंडेशन फॉर साइन्स, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट (एफएसआईडी), इन्क्यूबेशन सेंटर को कुल ₹ 36 मिलियन की तकनीकी सहायता प्रदान की। बैंक द्वारा प्रदान की गई यह तकनीकी सहायता निर्यात की संभावनाओं वाली भावी कंपनियों को सहयोग के लिए प्रोत्साहन का काम करेगी।

यूएसपी के अंतर्गत बैंक द्वारा सह-प्रायोजित 'उभरते सितारे फंड' - (यूएसएफ) नाम से वैकल्पिक निवेश फंड का शुभारंभ माननीय केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री, भारत सरकार, सुश्री निर्मला सीतारामन द्वारा किया गया था। यूएसएफ का उद्देश्य विनिर्माण और सेवा उद्योगों में निर्यात की अच्छी संभावनाओं वाले छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को चिह्नित करना और उनमें इक्विटी या इक्विटी जैसे इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से निवेश करना है। यूएसएफ के अंतर्गत, यथा 31 मार्च, 2024 को 12 बैंकों, संस्थाओं और निधियों की निधि से ₹ 3.58 बिलियन की प्रतिबद्धताएं रहीं।

वैश्विक व्यापार का प्रवेश द्वार

व्यापार सहायता कार्यक्रम

बैंक मीयादी ऋण प्रदान करने वाली एक प्रमुख वित्तीय संस्था है। बैंक भारतीय निर्यात-उन्मुख कंपनियों को मीयादी ऋण प्रदान करता है और भारतीय कंपनियों को उनके विदेशी उद्यमों में सहयोग प्रदान करता है। बैंक उन वाणिज्यिक बैंकों के साथ मिलकर काम करता है, जो सक्रिय रूप से कार्यशील पूंजी और व्यापार वित्त सुविधाएं प्रदान करते हैं। तथापि, भारतीय कंपनियों की निर्यात जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापार वित्त की महती आवश्यकता है।

एक राष्ट्रीय निर्यात ऋण एजेंसी के रूप में बैंक ने इस व्यापार वित्त अंतर को कम करने के उद्देश्य से भारत में अपनी तरह का पहला व्यापार सुगमीकरण कार्यक्रम तैयार किया है, जिसका नाम है- "व्यापार सहायता कार्यक्रम (टैप)"। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चुनौतीपूर्ण और नए बाजारों में ऐसे व्यापार ट्रांज़ैक्शनों को सहयोग प्रदान करना है, जो इस तरह की सहायता के बिना संभव नहीं हो पाते और जहां निर्यातकों को इस प्रकार की सहायता की जरूरत भी होती है।

टैप के अंतर्गत बैंक अंतरराष्ट्रीय व्यापार ट्रांज़ैक्शनों में सहयोग के लिए, व्यापार लिखतों (ट्रेड इंस्ट्रूमेंट्स) की ऋण वृद्धि से भारत में वाणिज्यिक बैंकों / वित्तीय संस्थाओं की क्षमता बढ़ाकर निर्यातकों को सहायता प्रदान करता है। बैंक अपने अनुभवों का लाभ उठाते हुए विदेशी और भारतीय बैंकों के साथ अपने संबंधों का सदुपयोग करता है और उन चुनौतीपूर्ण बाजारों में सहायता के लिए व्यापार ट्रांज़ैक्शनों को चिह्नित करता है, जहां व्यापार के लिए ऋण सुलभ नहीं है या संभावनाओं को भुनाया नहीं गया है। टैप के जरिए बैंक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के साथ ऐसे व्यापार ट्रांज़ैक्शनों को सहायता प्रदान कर रहा है, जो प्रमुख रूप से ट्रेड इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए होते हैं।

बैंक द्वारा अब तक अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में 33 देशों में 80 से अधिक बैंकों के साथ मिलकर कुल 1.14 बिलियन यूएस डॉलर के 506 ट्रांज़ैक्शनों के लिए सहायता प्रदान की जा चुकी है।

बैंक ने उभरते सितारे कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्वोत्तर भारत के एक सूक्ष्म उद्यम को क्षमता विकास के लिए सहयोग प्रदान किया है। इससे विशेष रूप से महिलाओं के लिए 500 रोजगारों का सृजन हुआ है। यह उद्यम पर्यावरण अनुकूल और उच्च गुणवत्ता वाले डिस्पोजेबल बर्तन बनाता है।

टैप के अंतर्गत, सहायता प्रदान किए गए प्रमुख उद्योगों में अन्य के साथ-साथ, कृषि/ खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोटिव उद्योग, रसायन उद्योग, लौह-इस्पात-एल्युमिनियम, संयंत्र एवं मशीनरी तथा वस्त्र उद्योग शामिल हैं। इन उद्योगों में सहायता प्राप्त वस्तुओं में कृषि उपकरण तथा उत्पाद, एल्युमिनियम इंगोट, ऑटोमोटिव पुर्जे, मुलायम लोहे के पाइप, रोलर बियरिंग, स्पंज आयरन तथा इस्पात शीट आदि शामिल हैं।

टैप के अंतर्गत भारत के 16 राज्यों के 42 शहरों से विभिन्न क्षेत्रों के 125 से अधिक भारतीय निर्यातक लाभान्वित हुए हैं। सहायता प्राप्त इन 125 भारतीय निर्यातकों में से 57 एमएसएमई हैं। इन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को टैप के सहयोग से 21 देशों में निर्यात करने में मदद मिली है।

निर्यातों के लिए सूचनाएं सुलभ कराना

एक्ज़िम मित्र 2.0

वर्ष 2017 में अपनी शुरुआत से ही 'एक्ज़िम मित्र' पोर्टल महत्त्वाकांक्षी और अनुभवी निर्यातकों के लिए एक महत्त्वपूर्ण संसाधन बन गया है। 'एक्ज़िम मित्र' यानी 'निर्यातकों और आयातकों का मित्र'। इसके जरिए व्यापार से जुड़ी विविध जानकारियों के साथ-साथ, सलाहकारी और सहायता सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। इस पोर्टल पर व्यापार से जुड़ी तमाम सूचनाएं एकीकृत, इंटरैक्टिव और नवोन्मेषी तरीके से उपलब्ध कराई जाती हैं। एक्ज़िम मित्र भारतीय उद्यमियों के बीच व्यापार, वित्त और ऋण बीमा सुविधाओं के बारे में जानकारियों की उपलब्धता बढ़ाने का एक प्रयास है। इस पोर्टल पर लगभग 3.4 मिलियन विज़िटर आए हैं और छोटे व्यवसायों और निर्यातकों के हजारों सवालों के जवाब दिए गए हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा महत्त्वाकांक्षी निर्यातकों को और सशक्त बनाने के क्रम में बैंक को अधिक उपयोगकर्ता केंद्रित, सुलभ और सुविधा संपन्न प्लैटफॉर्म की जरूरत महसूस हुई। इस जरूरत को पूरा करने के क्रम में, बैंक एक्ज़िम मित्र 2.0 लाने की प्रक्रिया में है, जो वेबसाइट के साथ-साथ मोबाइल ऐप के रूप में भी उपलब्ध होगा। इसे उपयोगकर्ता अपनी सुविधानुसार इस्तेमाल कर सकेंगे और यह उपयोगकर्ताओं की सुविधानुसार उनकी विविध जरूरतों को पूरा करेगा।

निर्यात से जुड़ी जानकारियों तक पहुंच बढ़ाने, भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को सुगम बनाने और निर्यात की संभावनाओं वाले बाजारों को चिह्नित करने के क्रम में बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे एमएसएमई मंत्रालय के उद्यम रजिस्ट्रेशन डेटा तक बैंक की पहुंच बन सकेगी। इससे विशेष रूप से रजिस्टर्ड उद्यम उपयोक्ताओं को एक्ज़िम मित्र 2.0 पर उनकी आवश्यकतानुसार सामग्री और संसाधन उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

इस तरह मिलकर काम करते हुए एक्ज़िम मित्र 2.0 व्यापार सुगमीकरण और सूचना सेवाएं प्रदान कर भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाएगा। उपयोगकर्ता प्रोफाइल और उद्यम एपीआई के जरिए इस पर व्यवसाय क्षेत्र, उत्पाद श्रेणियों और स्थान जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत जरूरतों के अनुरूप जानकारियां प्रदान की जाएंगी। भारत की भाषाई विविधता और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के उद्देश्य से एक्ज़िम मित्र 2.0 छह भाषाओं में लॉन्च किया जाएगा।

बैंक निर्यातकों तक पहुंच बढ़ाने के क्रम में, सरकार, बहुपक्षीय संस्थाओं और निजी क्षेत्र से प्रमुख हितधारकों के साथ रणनीतिक सहभागिता कर रहा है। प्रमुख हितधारकों में वाणिज्यिक सूचना और सांख्यिकी (डीजीसीआई एंड एस), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र, जेनेवा और अमेज़ॉन ग्लोबल सेलिंग शामिल हैं। बैंक द्वारा इस तरह की साझेदारी एक्ज़िम मित्र 2.0 पर बहुमूल्य डेटा, संसाधनों और व्यापार वित्त अवसरों तक अधिक पहुंच सुनिश्चित करेगी और सबसे अहम बात कि भारतीय एमएसएमई को वैश्विक व्यापार के अवसरों तक पहुंचने में मदद मिलेगी।

संपोषी समुदायों को सहायता

ग्रासरूट उद्यम विकास

भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का ताना-बाना भारतीय कृषि से लेकर हस्तशिल्प, आभूषण, टेक्सटाइल और दूसरे शिल्पों के

रेशों से बुना है और इन्हीं से बुनी हैं, इन क्षेत्रों में काम करने वाले हुनरमंद समुदायों की जिंदगियां। समय के साथ इन्होंने अपने कला कौशल को निखारा है और इस तकनीक और ज्ञान को नई पीढ़ियों तक ऐसे पहुंचाया है कि यह उनकी पहचान का पर्याय बन गया है। आर्थिक वृद्धि में स्थानीय उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने की अपार क्षमता को देखते हुए भारत ने एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल शुरू की है।

ओडीओपी की शुरुआत इस उद्देश्य के साथ की गई थी कि स्थानीय आर्थिक विकास को गति देने के क्रम में किसी क्षेत्र विशेष की विशेषज्ञता और संसाधनों का सदुपयोग कर विशिष्ट उत्पाद तैयार किए जा सकें और उस क्षेत्र को स्पर्धात्मक लाभ की स्थिति में लाया जा सके तथा आर्थिक विकास के लिए जिला स्तर पर ठोस प्रयास किए जा सकें। किसी जिले में उत्कृष्टता वाले अनूठे उत्पादों को चिह्नित कर स्थानीय समुदायों का उत्थान करना और अर्थव्यवस्था में बहुआयामी प्रभाव लाना भी ओडीओपी के उद्देश्यों में से एक है।

देश के निर्यातों में भारतीय जिलों के योगदान को बढ़ाने के उद्देश्य से ओडीओपी पहल का विलय 'निर्यात केंद्र के रूप में जिले' (डीईएच) पहल में कर दिया गया है। एक्ज़िम बैंक ने अपने ग्रासरूट उद्यम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अपनी गतिविधियों को ओडीओपी/डीईएच पहल के अनुरूप बना लिया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान बैंक ने ओडीओपी–डीईएच पहल के तहत कई जिलों के विभिन्न उत्पादों में बुनियादी ढांचागत विकास के लिए अनुदानों को मंजूरी दी है। इनमें पश्चिम बंगाल में 40 बंगाल पटचित्र दस्तकारों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम; नागालैंड में बांस का काम करने वाले दस्तकारों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम और आंध्र प्रदेश में 200 महिला दस्तकारों को उनके क्रोशिया कला कौशल को निखारने के लिए प्रदान किया गया सहयोग शामिल है।

इन कौशल विकास कार्यक्रमों के अलावा बैंक ने ओडीओपी/डीईएच पहलों के अंतर्गत क्षमता निर्माण के लिए भी सहयोग प्रदान किया है। इसमें महाराष्ट्र के सांगली में हल्दी उत्पादकों के लिए एक कॉमन सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए उपकरण और मशीनरी प्रदान करना; और महाराष्ट्र के पुणे में गुलाबों की खेती करने वाले पवन संस्कृति फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को नीदरलैंड में आयोजित हुए बागवानी व्यापार मेला 2023 में हिस्सा लेने तथा मृदा परीक्षण मशीन और रेफ्रिजरेटेड कोल्ड वैन के लिए प्रदान किया गया सहयोग शामिल है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश के खुर्जा में 3डी डिजाइन स्टूडियो की स्थापना के लिए एक पॉटरी विनिर्माण संघ को भी अनुदान के रूप में सहायता प्रदान की गई।

बाजार विविधीकरण

मार्केटिंग सलाहकारी सेवाएं

हमारे देश में कई वस्तुओं का उत्पादन होता है। तथापि, इनमें बहुत सारे उत्पाद ऐसे हैं, जो कई बार उपयुक्त बाजार तक नहीं पहुंच पाते। वस्तुतः इनमें से कई हस्तनिर्मित पारंपरिक वस्तुएं हैं, जिन्हें उनका सही बाजार नहीं मिल पाता है।

ग्रासरूट उद्यमों और दस्तकारों तक पहुंच बढ़ाने और उन्हें सहायता प्रदान करने के प्रयास के क्रम में बैंक ने दस्तकारों के लिए 'एक्ज़िम बाजार' नाम से एक विशेष मार्केटिंग प्लैटफॉर्म तैयार किया है। 'एक्ज़िम बाज़ार' की शुरुआत 2017 में की गई थी और बैंक द्वारा अब तक विभिन्न भारतीय शहरों में इसका आयोजन किया जा चुका है। इसके दोतरफा उद्देश्य हैं। एक, देश की पारंपरिक कला और शिल्प को पहचान मिले और इसके बारे में

रक्षा क्षेत्र के लिए सैन्य ड्राइविंग सिमुलेटर विनिर्माता और ड्रोन-रोधी प्रौद्योगिकी वाली भारतीय कंपनी को उसके निर्यात कॉन्ट्रैक्टों के निष्पादन के लिए उभरते सितारे कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई।

बैंक द्वारा प्रौद्योगिकी आधारित एक भारतीय बायोटेक कंपनी को वैश्विक बाजारों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भारत और यूएसए में अपनी क्षमताओं के विस्तार हेतु उभरते सितारे कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई।

लोग जागरूक हों और दूसरा, इस प्रकार के शिल्प कार्यों में लगी फर्मों को उनकी मेहनत की उपयुक्त कीमत मिल पाए और उनकी आजीविका में सुधार हो।

भारत के पारंपरिक कला शिल्प उत्पादों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के अपने बहुमुखी प्रयास में बैंक ने वर्ष 2024 में मुंबई के प्रतिष्ठित काला घोड़ा कला महोत्सव (केजीएएफ) के सहयोगी प्रायोजक के रूप में एक रणनीतिक सहभागिता की है। इससे दस्तकारों की पहुंच उपभोक्ता बाजारों तक उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है और उन्हें अपने कलात्मक कौशल को बड़े पैमाने पर सामने लाने का मंच मिला है।

देश भर के विभिन्न राज्यों के 200 से अधिक दस्तकारों और ग्रासरूट उद्यमों ने केजीएएफ में भाग लिया था। इनमें 24 राज्यों के 60 से अधिक दस्तकारों को बैंक द्वारा प्रायोजित किया गया था। केजीएएफ के अलावा, बैंक ने अमेज़ॉन ग्लोबल सेलिंग के बारे में एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित कर दस्तकारों के लिए ऑनलाइन बाजार खोलने का भी प्रयास किया।

केजीएएफ के जरिए ढोकरा और टेराकोटा के कुछ दस्तकारों को अपने उत्पादों को मुंबई के प्रीमियम स्टोरों में लिस्ट कराने और क्रय आदेश हासिल करने का अवसर मिला।

इस सब के बीच, बैंक इन उत्पादों को अपने मार्केटिंग सलाहकारी सेवाएं कार्यक्रम (एम एएस) के माध्यम से सफलता शुल्क आधार पर विदेशी बाजारों तक पहुंचाने के प्रयासों में भारतीय फर्मों को सक्रिय रूप से सहायता प्रदान करता है। वर्ष के दौरान एमएएस के तहत बैंक ने विदेशी बाजारों से संभावित ग्राहकों को चिह्नित करते हुए 10 निर्यातकों से मैंडेट हासिल किया है। ये निर्यातक ऑटोमोटिव पुर्जे, इंजीनियरिंग उपकरण, डेयरी उत्पादों तथा खनन में आवश्यक इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन और परीक्षण डिवाइस से संबंधित उपकरणों, गियर जैसे विभिन्न क्षेत्रों से रहे।

संवर्धन और विकास भूमिका

बदलते वैश्विक परिदृश्य में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आयाम भी तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में संवर्धन और विकास की भूमिका भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार की इस बदलती प्रकृति के अनुरूप होनी चाहिए। इसलिए बैंक व्यापार में कंपनियों की प्रतिभागिता बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न पहलुओं पर शोध के जरिए नीति निर्माण में योगदान दे रहा है। बैंक बेहतर सहयोग और सर्वोत्कृष्ट पद्धतियों को साझा करने के लिए भारत और अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में अन्य संस्थाओं के साथ संस्थागत संबंधों को भी बढ़ावा दे रहा है। एक्ज़िम बैंक विभिन्न संगोष्ठियों और कार्यशालाओं के आयोजन या सह-आयोजन के लिए संस्थाओं और बाह्य हितधारकों के साथ भी मिलकर काम करता है।

शोध एवं विश्लेषण समूह

बैंक का शोध एवं विश्लेषण समूह अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, व्यापार और निवेश के विभिन्न पहलुओं पर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव शोध तकनीकों के जरिए शोध अध्ययन करता है। ये शोध अध्ययन मुख्य रूप से क्षेत्रीय, उद्योग खंड और नीति संबंधी श्रेणियों के अंतर्गत किए जाते हैं और इन्हें प्रासंगिक आलेखों तथा कार्यकारी आलेखों, विशेष प्रकाशनों, पुस्तकों आदि के रूप में प्रकाशित किया जाता है।

वर्ष के दौरान विभिन्न विषयों पर 20 शोध अध्ययन प्रकाशित किए गए। इनमें चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना; भारत के मध्य-निर्यात जिलों का मूल्यांकनः ओडीओपी-डीईएच पहल का सुगमीकरण; जेंडर और व्यापार; हरित पहलों के जरिए अफ्रीका के साथ संपोषी भागीदारी को बढ़ाना आदि जैसे विषयों पर किए गए अध्ययन शामिल रहे। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में किए गए अध्ययनों में खिलौना उद्योग, ई-कॉमर्स, अनाज आदि से संबंधित अध्ययन शामिल रहे। भौगोलिक क्षेत्रों में किए अध्ययनों में मध्य अमेरिका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ, यूरेशियाई आर्थिक संघ, यूएसए, ओमान, बांग्लादेश और सऊदी अरब जैसे क्षेत्रों को कवर किया गया।

बैंक राज्य स्तर पर निर्यात निष्पादन के मूल्यांकन और निर्यात स्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए रणनीति बनाने हेतु राज्य सरकारों के साथ मिलकर सक्रियता से काम करता रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक ने तेलंगाना के लिए राज्य स्तरीय निर्यात रणनीति शोध पत्र प्रकाशित किया। इसके अलावा, नीति आयोग ने हिमाचल प्रदेश की निर्यात क्षमता पर अपना दृष्टिकोण साझा करने के लिए बैंक को भी आमंत्रित किया था।

अपनी निरंतर शोध पहलों के क्रम में, एक्ज़िम बैंक ने तिमाही आधार पर भारत के निर्यातों में आने वाले उतार-चढ़ावों के पूर्वानुमान और उनका ट्रैक रखने के उद्देश्य से एक्सपोर्ट लीडिंग इंडेक्स (ईएलआई) तैयार करने के लिए एक आंतरिक मॉडल विकसित किया है। ईएलआई मॉडल के आधार पर बैंक ने पूर्ण वर्ष (अर्थात 2023-24) के लिए निर्यातों का पूर्वानुमान जारी किया। वर्ष के दौरान कुल वस्तु निर्यात 435.3 बिलियन यूएस डॉलर और गैर-तेल निर्यात 350.1 बिलियन यूएस डॉलर रहने का पूर्वानुमान रहा। ये पूर्वानुमान 15 अप्रैल, 2024 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जारी किए गए वास्तविक (आरंभिक) आकलन के अनुरूप रहे। इनके अनुसार वस्तु निर्यात 437 बिलियन यूएस डॉलर और गैर-पेट्रोलियम वस्तु निर्यात 352.9 बिलियन यूएस डॉलर के रहे।

उत्कृष्टता को सम्मान

वर्ष 2016 में बैंक ने 'ब्रिक्स आर्थिक शोध वार्षिक सम्मान' की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, व्यापार, विकास और संबद्ध वित्तपोषण के क्षेत्र में ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए प्रासंगिक समसामयिक विषयों पर केंद्रित उन्नत डॉक्टोरल शोध को प्रोत्साहित करना है। वर्ष 2023 के लिए यह सम्मान डॉ. दिग्विजय सिंह नेगी को 'जोखिम, बीमा और कल्याण पर निबंध' शीर्षक वाली उनकी डॉक्टोरल थीसिस के लिए प्रदान किया गया।

बैंक द्वारा 1989 में अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध वार्षिक सम्मान की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में भारतीय नागरिकों द्वारा अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, व्यापार, विकास और संबंधित वित्तपोषण के क्षेत्र में शोध और डॉक्टोरल डिग्री को प्रोत्साहित करना है। वर्ष 2022 के लिए यह सम्मान डॉ. रोनित मुखर्जी को 'अप्रवासियों और स्थानीय श्रम बाजार पर उनका प्रभाव पर निबंध' शीर्षक वाली उनकी डॉक्टोरल थीसिस के लिए प्रदान किया गया।

बैंक और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), किसी भारतीय कंपनी द्वारा अपनाई गई उत्कृष्ट गुणवत्ता प्रबंधन पद्धतियों के लिए सीआईआई-एक्ज़िम बैंक व्यवसाय उत्कृष्टता पुरस्कार के माध्यम से भारतीय कंपनियों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देते हैं। 2023 में 18 कंपनियों को अलग-अलग स्तरों पर पुरस्कृत किया गया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. की हैदराबाद इकाई; एल्यूमिना रिफाइनरी ऑफ नैशनल एल्युमिनियम कंपनी लि. और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. के हाई-प्रेशर बॉयलर प्लांट, तिरुचिरापल्ली यूनिट को व्यवसाय उत्कृष्टता के लिए सीआईआई-एक्ज़िम बैंक पुरस्कार के लिए चुना गया।

लोकसंपर्क कार्यक्रम

बैंक भारतीय निर्यातकों और आयातकों को जानकारियां प्रदान करने और भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा निवेश को सुगम बनाने के क्रम में कार्यक्रमों, सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन करता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, निर्यातकों के लिए 36 सेमिनार आयोजित किए गए। ये सेमिनार

मुख्य रूप से निर्यात क्षमता सृजन, व्यवसाय अवसर, उद्योग, देश, एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पर भारत सरकार की पहल और उद्योग, देशगत/क्षेत्रगत फोकस तथा भारतीय राज्यों की निर्यात संभाव्यताओं जैसे विषयों पर केंद्रित रहे। आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के क्रम में बैंक ने देश भर में और विदेशों में खास तौर पर अगस्त 2023 के विशेष माह में 17 सेमिनारों, प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं और हितधारक संपर्क कार्यक्रमों का आयोजन किया। बैंक ने अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में 'मंथन सत्र: भारतीय व्यवसायों के लिए सीएलएमवी' का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सरकार, भारतीय कंपनियों, उद्योग मंडलों और निर्यात संवर्धन परिषदों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस आयोजन से प्रतिभागियों को सीएलएमवी देशों में विविध निवेश संभावनाओं के साथ-साथ विकास और सहयोग के अवसरों पर बहुमूल्य जानकारी मिली। बहुपक्षीय विकास बैंकों द्वारा निधिक परियोजनाओं में प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए भारतीय निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के क्रम में, बैंक ने सितंबर 2023 में हैदराबाद में एशियाई विकास बैंक के साथ चर्चापरक कार्यशाला का आयोजन किया। बैंक ने अपने उभरते सितारे कार्यक्रम और व्यापार सहायता कार्यक्रम को बढ़ावा देने के क्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए विभिन्न टियर II और टियर III शहरों में सेमिनार आयोजित किए।

बैंक भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर 2005 से 'भारत-अफ्रीका विकास भागीदारी' पर सीआईआई-एक्ज़िम बैंक कॉन्क्लेव का आयोजन करता रहा है। इस क्रम में, 18वें कॉन्क्लेव का आयोजन 14-16 जुलाई, 2023 को नई दिल्ली में किया गया। यह आयोजन विदेश मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से किया गया। इस कॉन्क्लेव में 45 अफ्रीकी देशों के 30 वरिष्ठ मंत्रियों और 823 व्यवसाय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कॉन्क्लेव को भारत सरकार के माननीय विदेश मंत्री, डॉ. एस जयशंकर, भारत सरकार के माननीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री, श्री पीयूष गोयल और देश के माननीय विदेश राज्य मंत्री, श्री वी मुरलीधरन ने संबोधित किया। इस कॉन्क्लेव में 22 गैर-अफ्रीकी देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों ने हिस्सा लिया और भारत की ओर से भी अच्छी भागीदारी रही।

इसके अलावा, बैंक ने भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद द्वारा भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सहयोग से ग्रेटर नोएडा में जनवरी 2024 में आयोजित 'इंडसफूड 2024' प्रदर्शनी में आधिकारिक बैंकिंग सहभागी के रूप में कार्य किया। इस दौरान विभिन्न सरकारी अधिकारी उपस्थित रहे। कई निर्यातकों और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों ने बैंक की पहलों और सेवाओं में काफी रुचि दिखाई।

बैंक ने वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से 11 वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदों के कंसोर्शियम द्वारा आयोजित वैश्विक टेक्सटाइल कार्यक्रम 'भारत टेक्स 2024' में भाग लिया। इस आयोजन में सस्टैनेबिलिटी और अनुकूल आपूर्ति श्रृंखलाओं और दुनिया की सर्वोत्कृष्ट टेक्सटाइल प्रौद्योगिकी पर फोकस रहा। यहां बैंक का भी एक स्टॉल था, जहां बैंक के उत्पाद और सेवाओं को समझने के लिए काफी लोगों ने रुचि दिखाई। यह आयोजन नई दिल्ली में फरवरी 2024 में हुआ था।

बैंक ने यूएई में एक भारतीय कंपनी की सहायक कंपनी (सब्सिडियरी) को नए बाजारों में पहुंच बढ़ाने और अपने उत्पाद अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य देशों को निर्यात में मदद करने के लिए विदेशी निवेश वित्त कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्रदान की है।

बैंक ने कोलंबो बंदरगाह, श्रीलंका में एक कंटेनर टर्मिनल के लिए एक इंजीनियरिंग, आपूर्ति/खरीद तथा निर्माण कॉन्ट्रैक्ट के निष्पादन हेतु एक भारतीय कंपनी को परियोजना गारंटियों के जरिए सहायता प्रदान की है।

बैंक ने अपने यूएसपी कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार के क्रम में, इंडिया एसएमई एक्सेलेरेटर नेटवर्क (आईएसएएन) के साथ मिलकर बेंगलुरु में फरवरी 2024 में 'निर्यात चैंपियन – भावी वैश्विक भारतीय व्यवसायों के लिए कार्यशाला' आयोजित की, जिसमें लगभग 50 कंपनियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में भाग लेने वाली लघु और मध्यम आकार की कंपनियों को सुप्रसिद्ध वक्ताओं और उद्योग जगत के विशेषज्ञों से बहुमूल्य जानकारियां, नेटवर्किंग के अवसर और विशेषज्ञों का मार्गदर्शन सुलभ हुआ है।

बैंक ने "स्टार्टअप महाकुंभ 2024" में भी भाग लिया, जो इस तरह का पहला आयोजन था, जिसमें स्टार्टअप, निवेशक, इनक्यूबेटर, उत्प्रेरक और कई क्षेत्रों के अग्रणी उद्योगों सहित भारत के पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक साथ लाया जा सका। इस कार्यक्रम में एक्ज़िम बैंक ने भी अपना एक स्टॉल लगाया था, जिनसे नवोद्यमों और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों को बैंक के उत्पादों के बारे में जानने में मदद मिली।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने विभिन्न क्षेत्रों में बैठकों के माध्यम से व्यापार सहायता कार्यक्रम (टैप) की मार्केटिंग के लिए भी ठोस प्रयास किए। अन्य वित्तीय संस्थाओं ने अपने क्षेत्रीय/ अंचल/ शाखा स्तर के अधिकारियों को टैप से परिचित कराने के लिए बैंक के साथ मिलकर वेबिनार और सम्मेलन आयोजित किए।

लोकसंपर्क कार्यक्रम नेपाल और वियतनाम में भी आयोजित किए गए, जहां प्रतिभागी बैंकों ने काफी रुचि दिखाई। बैंक ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा श्रीलंका में आयोजित कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग सम्मेलन – आसियान और दक्षिण एशिया में भी भाग लिया।

संस्थागत संबद्धताएं

वैश्वीकरण की ओर तेजी से बढ़ रहे सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य से अवगत रहने और सर्वोत्तम पद्धतियों से सीखने के लिए संस्थागत संबद्धताएं महत्त्वपूर्ण हैं। बैंक ने व्यापार और निवेश के लिए अनुकूल परिवेश तैयार करने में सहयोग के उद्देश्य से बहुपक्षीय एजेंसियों, निर्यात ऋण एजेंसियों, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं, व्यापार संवर्धन निकायों और निवेश संवर्धन बोर्डों के साथ अपने संस्थागत संबंधों के नेटवर्क विकसित किए हैं।

एशियाई एक्ज़िम बैंक फोरम (एईबीएफ) का उद्देश्य अपनी सदस्य संस्थाओं के बीच आर्थिक

सहयोग में वृद्धि और सुदृढ़ संस्थागत संबंध स्थापित करना है, ताकि एशियाई एक्ज़िम बैंक समुदाय में दीर्घकालिक संबंध स्थापित किए जा सकें। एईबीएफ की 28वीं वार्षिक बैठक नवंबर 2023 में एक्सपोर्ट फायनैंस ऑस्ट्रेलिया द्वारा सिडनी में 'निर्यात ऋण 2040: विकसित होते परिदृश्य में भविष्य की प्राथमिकताएं' विषय पर आयोजित की गई थी।

बैंक अपने विकास अनुभव, इनपुट और इनसाइट साझा करने तथा अन्य संस्थाओं के अनुभवों से लाभान्वित होने के लिए एशिया और प्रशांत में विकास वित्त संस्थाओं के संघ (एडफिएप) के वार्षिक कार्यक्रमों में नियमित रूप से हिस्सा लेता रहा है। वर्ष के दौरान बैंक को "बुनियादी ढांचागत विकास" के लिए मेरिट पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

एक्ज़िम बैंकों और विकास वित्त संस्थाओं का वैश्विक नेटवर्क (जी-नेक्सिड) दक्षिण-दक्षिण व्यापार, निवेश और परियोजना वित्त को बढ़ावा देने के लिए एक्ज़िम बैंकों और विकास वित्त संस्थाओं का फोरम है। इस नेटवर्क ने वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें अन्य के साथ-साथ, 'अफ्रीका महाद्वीप मुक्त व्यापार क्षेत्र के सहयोग से लॉजिस्टिक्स संबंधी बाधाओं को दूर करने में अफ्रीकी विकास वित्त संस्थाओं की भूमिका'; 'एशियाई विकास बैंक द्वारा 2023 के व्यापार वित्त अंतरों, वृद्धि और नौकरियों पर सर्वेक्षण' पर वेबिनार शामिल हैं।

बैंक अफ्रीकी विकास बैंक समूह (एएफडीबी) की वार्षिक बैठकों से संबद्ध कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में, 2013 से, 'अफ्रीका-भारत भागीदारी दिवस' (एआईपीडी) का आयोजन करता रहा है। अफ्रीकी विकास बैंक समूह के गवर्नरों की 58वीं वार्षिक बोर्ड बैठक मई 2023 में मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित हुई थी। एएफडीबी वार्षिक बैठक 2023 की थीम के अनुरूप, एआईपीडी का फोकस 'अफ्रीका में जलवायु और हरित विकास के वित्तपोषण के लिए निजी क्षेत्र का संगठित वित्तपोषण' विषय पर रहा।

बैंक ब्रिक्स अंतरबैंक सहयोग तंत्र के अंतर्गत, भारत की ओर से नामित सदस्य विकास बैंक है। दक्षिणी अफ्रीका विकास बैंक (डीबीएसए) ने अगस्त 2023 में ब्रिक्स अंतरबैंक सहयोग तंत्र की वार्षिक बैठक और वित्तीय फोरम की मेजबानी की। इसी दौरान ब्रिक्स आर्थिक शोध वार्षिक सम्मान 2023 के विजेता की आधिकारिक घोषणा की गई। बैंक, ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल के वित्तीय सेवाएं कार्य समूह में भी भारत का प्रतिनिधित्व करता है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत 9 प्रस्तावों, बैंक के ग्रासरूट उद्यम विकास (ग्रिड) समूह द्वारा भारत के ग्यारह राज्यों में आयोजित किए गए 3 प्रशिक्षण कार्यक्रमों और भारत सरकार के 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान में सहयोग प्रदान किया। इन गतिविधियों के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, कौशल विकास, आजीविका से संबद्ध गतिविधियों, खेलों संबंधी पहल और शिक्षा के क्षेत्रों में सहायता दी गई। इनमें से कई पहलें भारत के अल्प विकसित जिलों में लक्षित रहीं।

बैंक ने विशेष रूप से आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों को शैक्षणिक उत्कृष्टता हासिल करने में सहायता करने के उद्देश्य से भारत में 13 शैक्षणिक संस्थानों में छात्रवृत्तियां स्थापित की हैं। बैंक द्वारा स्थापित इन छात्रवृत्तियों से सुयोग्य विद्यार्थियों, विशेष रूप से आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों को अपने शैक्षणिक खर्चों की पूर्ति और उच्च शिक्षा के लिए सहायता मिली है।

बैंक ने एक भारतीय कंपनी के ब्राज़ील स्थित उद्यम को इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन टावरों के विनिर्माण के लिए अपने विदेशी निवेश वित्त कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्रदान की है।

बैंक द्वारा भूटान में 118 मेगावाट की निकाचू जलविद्युत परियोजना के निष्पादन के लिए एक भारतीय ईपीसी कंपनी को सहायता प्रदान की गई है।

मानव पूंजी

मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम) संस्थागत प्रतिभा की जरूरतों को चिह्नित करने से लेकर भर्ती प्रक्रियाएं आयोजित करने तक कर्मचारियों के संपूर्ण करियर में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एचआरएम ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया का प्रबंधन करता है, निरंतर प्रशिक्षण और विकास की संस्कृति को बढ़ावा देता है और कर्मचारियों के विकास के लिए उनके कार्य निष्पादन के मूल्यांकन की निगरानी करता है। एचआरएम पदोन्नति, स्थानांतरण और कार्यविमुक्ति सहित कर्मचारी जीवन के हर परिवर्तन में अहम भूमिका निभाता है। मानव पूंजी, बैंक के विकास का आधार है और बैंक को प्रगति पथ पर अग्रसर बनाए रखने में इसकी अहम भूमिका है। बैंक, संस्था के लक्ष्यों के साथ कर्मचारियों की निजी आकांक्षाओं का तालमेल बनाते हुए, उत्पादकता, प्रतिभा और वाइब्रेंट कार्यस्थल वाले परिवेश को बढ़ावा देता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक के विभिन्न कार्यालयों में 353 स्थायी कर्मचारी कार्यरत रहे। बैंक की जॉब रोटेशन नीति को ध्यान में रखते हुए इन्हें विभिन्न उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं, ताकि बैंक की परिचालन क्षमता को सुदृढ़ बनाए रखा जा सके। यह सुविचारित आवंटन इस दृष्टि से किया गया है कि इस कार्यबल की विशेषज्ञताओं और दृष्टिकोण में इस तरह सामंजस्य बनाए रखा जा सके कि यह निरंतर उत्कृष्टता की ओर बढ़ते रहने की बैंक की प्रतिबद्धता को पूरा करने में सहायक हो। बैंक में विभिन्न विषय क्षेत्रों के प्रोफेशनल शामिल हैं। इनमें प्रबंधन स्नातक, चार्टर्ड अकाउंटैंट, अर्थशास्त्री, विधिक, पुस्तकालय व दस्तावेजीकरण विशेषज्ञ, इंजीनियर, भाषाविद्, मानव संसाधन, मार्केटिंग और आईटी विशेषज्ञ शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में कर्मचारियों का संक्षिप्त विवरण

			कुल
वित्तीय वर्ष 2023-24	198	155	353
वित्तीय वर्ष 2022-23	203	154	357

विविधता और समावेशन

विविधता और समावेशन एक्ज़िम बैंक में हमारी मानव संसाधन नीति के आधार स्तंभ हैं। बैंक के स्थायी कार्यबल में 44 प्रतिशत महिलाएं हैं। बैंक सभी स्तरों और क्षेत्रों में लैंगिक समानता को प्राथमिकता देता है। बैंक में महिला कर्मचारियों को पदानुक्रम और पदस्थापना के स्तर पर भी समान अवसर दिए जाते हैं, उन्हें क्षेत्रीय कार्यालयों में भी समान रूप से पदस्थापित किया गया है। बैंक लैंगिक निष्पक्षता सुनिश्चित करता है और महिला कर्मचारियों की व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक अनुकूल और सहज परिवेश प्रदान करता है। हम संस्थागत विकास में महिला लीडरों की क्षमताओं को समझते हैं और उनके योगदान को सराहते हैं।

बोर्ड और शीर्ष प्रबंधन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

विवरण	कुल	महिलाओं की संख्या	महिलाओं का प्रतिनिधित्व
निदेशक मंडल	13	3	23%
शीर्ष प्रबंधन	23	8	35%

कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए, बैंक लैंगिक उत्पीड़न के प्रति ज़ीरो–टॉलरेंस की नीति को अपनाता है और कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 का अनुपालन करता है। यह अधिनियम बैंक के सभी कर्मचारियों पर लागू होता है। इसके अंतर्गत किसी को हानि पहुंचाने की भावना को रोकने और पीड़ित व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखने जैसे उपाय शामिल हैं। बैंक की इस नीति के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन भी किया गया है। इस पहल में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और समावेशन को बढ़ावा देने की बैंक की प्रतिबद्धता परिलक्षित होती है। उल्लेखनीय है कि रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान, बैंक में कोई शिकायत नहीं मिली, इससे पता चलता है कि ये उपाय कितने प्रभावी हैं। इसके अलावा, संस्था में महिला कर्मचारियों को सभी प्रकार के लाभ पुरुष कर्मचारियों के समान दिए जाते हैं और सभी स्तरों पर महिला–पुरुष कर्मचारियों को समान वेतन प्रदान किया जाता है।

स्थायी कर्मचारियों का लैंगिक और आयु संबंधी विवरण

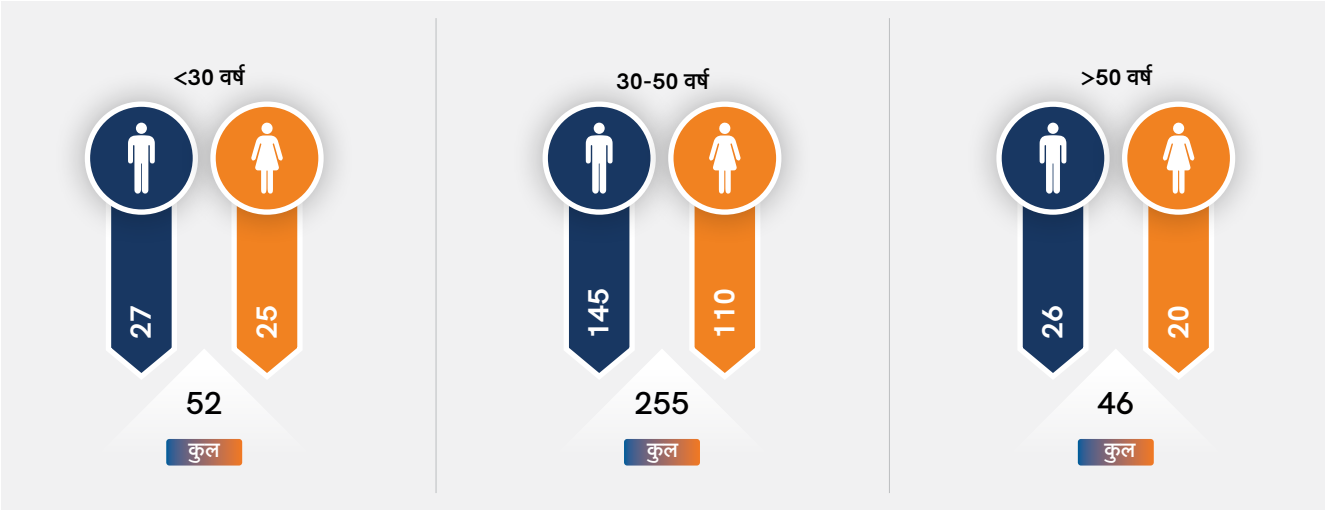

आरक्षण नीति संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन

बैंक अपनी भर्ती प्रक्रिया में भारत सरकार की आरक्षण नीति संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है। बैंक में कुल कार्यबल में आरक्षित श्रेणियों के अधिकारियों का यथोचित प्रतिनिधित्व है। यथा 31 मार्च, 2024 को बैंक में कुल स्थायी कर्मचारियों की संख्या 353 रही, जिनमें से 37 अनुसूचित जाति (एससी), 24 अनुसूचित जनजाति (एसटी) और 65 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से शामिल रहे। बैंक द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के स्टाफ सदस्यों को समान अवसर और प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन में, बैंक समान अवसर नीति का पालन करता है, जो समावेशिता और विविधता के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आरक्षण नीतियों पर सरकार के निर्देशों के अनुपालन में बैंक अपने कार्यबल में दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) सहित अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों का भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। बैंक का यह न्यायोचित दृष्टिकोण प्रत्येक कर्मचारी को ऐसा परिवेश प्रदान करने के प्रति समर्पण को दर्शाता है, जहां उन्हें प्रोन्नति के समान अवसर मिलें, फिर चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि से या शैक्षणिक योग्यता वाले हों।

यथा 31 मार्च, 2024 को दिव्यांग कर्मचारी

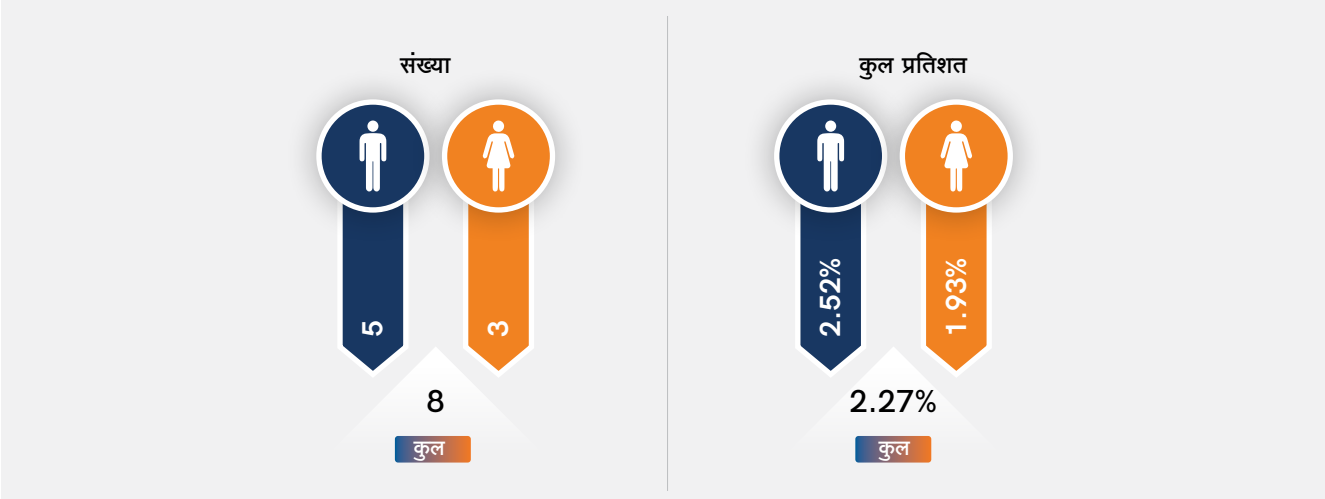

कर्मचारी लाभ और कल्याण

बैंक अपने कर्मचारियों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान करता है। इनमें मातृत्व अवकाश सहित स्वास्थ्य देखभाल और सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली सुविधाएं शामिल हैं। बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकारी नीतियों के अनुरूप महिला और पुरुष दोनों क्रमशः मातृत्व और पितृत्व अवकाश के लिए पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, मृत्यु, दिव्यांगता या गंभीर चोट जैसे चुनौतीपूर्ण समय के दौरान बैंक अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों को यथोचित सहयोग प्रदान करता है। इस सहायता में, व्यक्तिगत परिस्थितियों और लागू योजनाओं के आधार पर, ऐसे कर्मचारी जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान हुई है, उनके परिवारों के लिए बैंक अनुग्रह भुगतान, वित्तीय सहयोग और अनुकंपा नियुक्तियों जैसी सहायता प्रदान करता है।

बैंक के लिए कर्मचारी कल्याण भी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है और बैंक अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य लाभ के लिए कार्यालय में योग और जिम जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। ये सुविधाएं कर्मचारियों के शारीरिक–मानसिक स्वास्थ्य लाभ और संतुलित जीवन शैली को प्रोत्साहित करने तथा कर्मचारियों में उत्साह बनाए रखने के उद्देश्य से प्रदान की जाती हैं। बैंक नियमित व्यायाम और तनावमुक्त जीवनशैली को प्रोत्साहित करते हुए अपने कर्मचारियों के समग्र विकास और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रशिक्षित कर्मचारी

श्रेणी			कुल
कनिष्ठ प्रबंधन	31	43	74
मध्य प्रबंधन	95	71	166
वरिष्ठ प्रबंधन	53	33	86
शीर्ष प्रबंधन	12	6	18
कुल	**191**	**153**	**344**

संस्थागत अवसंरचना

ट्रेजरी

बैंक की एकीकृत ट्रेजरी, सरप्लस निधियों के निवेश, मुद्रा बाजार, फॉरेक्स परिचालनों और प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री सहित निधि प्रबंधन का कार्य देखती है। बैंक ने फ्रंट, मिडल और बैक ऑफिस कार्यों को अलग-अलग किया है और आधुनिकतम डीलिंग रूम बनाया हुआ है। बैंक की ट्रेजरी अपने ग्राहकों को विदेशी मुद्रा विनिमय सौदे/ निर्यात दस्तावेजों की वसूली/ परक्रामण, अंतरदेशीय/ विदेशी साख पत्र और गारंटियां जारी करना और संरचित ऋण आदि विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्रदान करती है। बैंक अपने बाजार जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से, न्यून लागत पर निधियां जुटाने और बैलेंस शीट एक्सपोज़र की हेजिंग के लिए मुद्रा बाजार इंस्ट्रूमेंट/वित्तीय डेरिवेटिव ट्रांज़ैक्शनों का भी उपयोग करता है। बैंक भारतीय वित्तीय नेटवर्क (इन्फिनेट) का सदस्य है और बैंक को प्रमाणन प्राधिकरण, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी (आईडीआरबीटी) से रजिस्ट्रेशन प्राधिकारी का दर्जा प्राप्त है।

बैंक को आरबीआई के निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग सेगमेंट के जरिए सौदा करने के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त है। यह भारत सरकार की प्रतिभूतियों (जी-सेक) के क्रय-विक्रय के लिए इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन का मंच प्रदान करता है। बैंक की प्रतिभूति / विदेशी मुद्रा ट्रांज़ैक्शन सामान्यतः भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) द्वारा प्रदान की गई 'गारंटित निपटान सुविधा' के जरिए किए जाते हैं। बैंक 'ट्राय-पार्टी रेपो डीलिंग सिस्टम' (ट्रेप्स) और सीसीआईएल के रेपो डीलिंग सिस्टम्स 'क्लियर कॉर्प ऑर्डर मैचिंग सिस्टम' (क्रोम्स) का सदस्य है। बैंक सीसीआईएल के फॉरेक्स डीलिंग सिस्टम 'एफएक्स-क्लीयर' सेग्मेंट का सदस्य भी है। बैंक में लंदन शाखा से कनेक्टिविटी के साथ केंद्रीकृत स्विफ्ट सुविधा भी है, जो 'मल्टिपल बैंक आइडेंटिफायर कोड्स' संभालने में सक्षम है।

आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम)

बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) बैंक के जोखिम प्रबंधन समूह के सहयोग से बाजार जोखिम की निगरानी और प्रबंधन का कार्य करती है। एल्को द्वारा लिक्विडिटी / ब्याज दर जोखिमों का प्रबंधन एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार किया जाता है, जिसमें निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित व्यापक एएलएम / लिक्विडिटी नीतियां शामिल हैं। एल्को की भूमिका में अन्य बातों के साथ-साथ, आरबीआई / बोर्ड द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं की तुलना में बैंक की मुद्रा-वार संरचनात्मक लिक्विडिटी और ब्याज दर संवेदनशीलता की स्थितियों की समीक्षा करना, नकदी प्रवाहों के आवधिक दबाव परीक्षणों के परिणामों की निगरानी करना और ब्याज दर जोखिम के आधार पर एक उपयुक्त एएलएम रणनीति तैयार करना शामिल है। ब्याज दर जोखिम को ब्याज दर में उतार चढ़ाव की तुलना में अवधि अंतराल विश्लेषण के जरिए (क) निवल ब्याज आय की संवेदनशीलता के विश्लेषण और (ख) आर्थिक मूल्य की संवेदनशीलता से मापा जाता है। मुद्रा-वार लिक्विडिटी स्थिति के दबाव परीक्षण नियमित रूप से किए जाते हैं और प्रत्येक मुद्रा की उपलब्धता में कमी की स्थिति का आकलन करने के लिए समय-समय पर आकस्मिक फंडिंग योजना बनाई जाती है। निधि प्रबंधन समिति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित निधि प्रबंधन / संसाधन योजना के अनुसार निवेशों / विनिवेशों और संसाधन जुटाने के संबंध में निर्णय लेती है और वर्ष के दौरान इसकी समीक्षा करती है।

जोखिम प्रबंधन

निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) बैंक के लिए विभिन्न जोखिमों की निगरानी और उनका प्रबंधन करने के साथ-साथ ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनों से संबंधित जोखिमों के संबंध में एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए नीति और रणनीति संबंधी कार्य देखती है। साथ ही एल्को, एफएमसी, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) और परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) के परिचालनों की देखरेख भी करती है, जिनमें से सभी का क्रॉस-फंक्शनल प्रतिनिधित्व होता है। सीआरएमसी, बैंक के ऋण जोखिमों का विश्लेषण, प्रबंधन और नियंत्रण करती है। बैंक में एक उन्नत ऋण जोखिम प्रबंधन मॉडल (सीआरएम) है, जिससे (क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पैमानों के जरिए) बैंक को बेहतर ऋण मूल्यांकन संबंधी निर्णय लेने और ऋण जोखिमों के आधार पर उधारकर्ताओं की आंतरिक ऋण ग्रेडिंग करने में मदद मिलती है।

ओआरएमसी बैंक में परिचालन संबंधी जोखिमों की समीक्षा करती है और पुनः ऐसा होने से रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की संस्तुति करती है। साथ ही, यह बैंक की आईटी आस्तियों से संबंधित/ उत्पन्न होने वाले परिचालन जोखिमों को चिह्नित करने, उनका मूल्यांकन करने और अथवा मापने, निगरानी करने और नियंत्रण करने/ जोखिमों को कम करने का काम भी करती है। बैंक व्यवसाय निरंतरता और अपने सभी कार्यालयों की आपदा बहाली योजनाओं की भी वार्षिक समीक्षा करता है। जोखिमों के प्रभाव से बचने के लिए प्रत्येक योजना की भली-भांति जांच की जाती है कि ये योजनाएं संकट की स्थिति में व्यवसाय निरंतरता को बनाए रखने के लिए कितनी कारगर हैं और जोखिम से सुरक्षा के उपाय कैसे हैं।

बैंक ने अपने रणनीतिक वित्तीय और परिचालनगत लक्ष्यों के अनुरूप बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम वहन क्षमता नीति को अपनाया है। जोखिम वहन क्षमता विवरण के भाग के रूप में प्रमुख आयामों में पूंजी पर्याप्तता, लाभप्रदता, ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, संकेंद्रण जोखिम, लिक्विडिटी जोखिम, परिचालन जोखिम, प्रतिष्ठा और अनुपालन जोखिम सम्मिलित हैं। इन जोखिम आयामों के अधीन प्रत्येक पैरामीटर हेतु निर्धारित टॉलरैंस सीमा सहित जोखिम वहन पैरामीटर होते हैं। जोखिम वहन क्षमता पैरामीटर के मापदंडों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और बैंक की जोखिम प्रबंधन समिति को छमाही समीक्षा प्रस्तुत की जाती है। वर्ष के दौरान, जोखिम वहन क्षमता विवरण में सकल एनपीए के अलावा अधिकांश पैरामीटर 'ग्रीन जोन' (नियंत्रित) रहे और, रेड ज़ोन में ऐसा कोई पैरामीटर नहीं था जो यह दर्शाता है कि टॉलरैंस सीमा का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

बैंक ने यूएई के जेबेल अली फ्री जोन में वायर रॉड मिल की स्थापना के लिए यूएई की दूसरी सबसे बड़ी स्टील विनिर्माता कंपनी को भारत से मशीनरी और पुर्जों के आयात के लिए वित्तपोषण के जरिए सहायता प्रदान की है।

आरबीआई ने 21 सितंबर, 2023 को बासेल पूंजी ढांचे पर विवेकसम्मत विनियमों पर अंतिम मास्टर निदेश जारी किया है, जो 01 अप्रैल, 2024 से एक्ज़िम बैंक सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं पर लागू है। यह ढांचा, अन्य के साथ-साथ, बैंक की पूंजी आवश्यकता, जोखिमों के आकलन, दबाव परीक्षण, एक्सपोज़र मानदंड, निवेशों के मूल्यांकन, संसाधन जुटाने के मानदंडों आदि से संबंधित है। इस मास्टर निदेश के अनुसार, बैंक को 01 अप्रैल, 2024 से निरंतर आधार पर 9 प्रतिशत का न्यूनतम पिलर 1 सीआरएआर बनाए रखना आवश्यक है। बैंक को ऋण, बाजार और परिचालन जोखिमों के लिए पिलर 1 के तहत न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता बनाए रखने के अलावा, बासेल दिशानिर्देशों के पिलर 2 – पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया के अंतर्गत आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) के आधार पर अतिरिक्त पूंजी को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति लागू की गई है। इसमें व्यापक दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क भी शामिल है। आईसीएएपी नीति में बैंक के सभी जोखिमों के जारी मूल्यांकन के लिए फ्रेमवर्क निर्धारित किया गया है। इसमें ऐसे मूल्यांकन शामिल हैं कि बैंक उन जोखिमों के प्रभावों को कम कैसे करेगा, और जोखिम करने वाले अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए बैंक के लिए वर्तमान और भविष्य में कितनी पूंजी आवश्यक होगी। बैंक आईसीएएपी मूल्यांकन करता है और इसकी रिपोर्ट जोखिम प्रबंधन समिति और निदेशक मंडल को वार्षिक आधार पर प्रस्तुत की जाती है। दबाव परीक्षण गतिविधि अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है तथा इसके परिणाम जोखिम प्रबंधन समिति को रिपोर्ट किए जाते हैं।

पिलर 3 – बाजार अनुशासन के तहत, बैंक को अपने व्यवसाय के पूंजी तत्वों और विभिन्न जोखिम घटकों से संबंधित कई प्रकटीकरण प्रदान करना आवश्यक है। पहला तिमाही प्रकटीकरण 30 जून, 2024 तक किया जाना है। बैंक में एक प्रकटीकरण नीति अंगीकृत की गई है, जिसमें प्रकटीकरणों संबंधी फ्रेमवर्क की रूपरेखा निर्धारित की गई है।

सूचना प्रौद्योगिकी

बैंक ने नई पहलें क्रियान्वित करते हुए और डिजिटलीकरण, व्यवसाय आसूचना, डिजिटल दस्तावेजीकरण, वर्कफ्लो ऑटोमेशन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क और सुरक्षा जैसे पहलुओं को कवर करते हुए अपने प्रौद्योगिकी ढांचे को सुदृढ़ करना जारी रखा। बैंक परिचालनों के डिजिटलीकरण और ग्राहक संपर्क बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है। बैंक ने 'क्लाउड फर्स्ट' को टेक्नोलॉजी होस्टिंग समाधान के रूप में

तंज़ानिया सरकार को ज़ांज़ीबार में जल आपूर्ति प्रणाली के पुनरुद्धार और सुधार के लिए प्रदत्त एक ऋण–व्यवस्था के अंतर्गत चार मिलियन लीटर क्षमता वाली एक जल भंडारण सुविधा का निर्माण किया गया है।

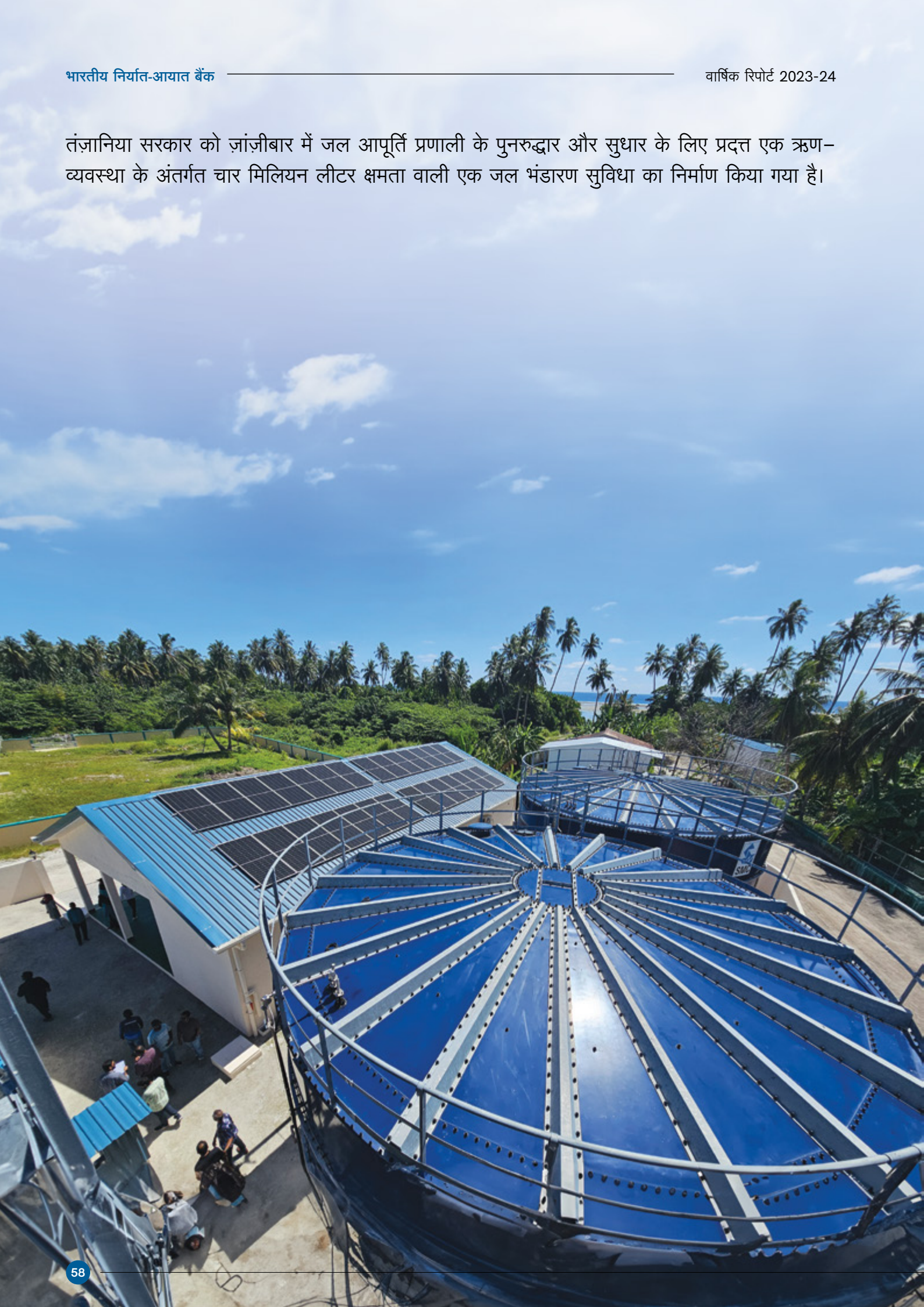

अपनाया है जो बाजार में त्वरित पहुंच और आईटी परिचालनों को सुव्यवस्थित करने में मदद कर रहा है।

बैंक ने आईटी गवर्नेंस संबंधी अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन के लिए अपनी पद्धतियों और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ किया है। बैंक के विभिन्न ऋण कार्यक्रमों, गतिविधियों और परामर्श सेवाओं से संबंधित जानकारियां बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइटों के जरिए प्रदान की जाती है। बैंक का अत्याधुनिक डेटा सेंटर और आपदा रिकवरी (डीसी और डीआर) स्थल है। बैंक ने सुरक्षित रिमोट एक्सेस आधारित प्रौद्योगिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर को क्रियान्वित किया है। इसके अलावा, बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम और भुगतान चैनलों (आरटीजीएस/एनईएफटी और स्विफ्ट) के बीच एकीकरण से बेहतर निधि प्रबंधन और निधियों का रियल टाइम में बेहतर विनियोजन होता है। बैंक ने प्रौद्योगिकी-आधारित डिजिटल वर्कफ्लो 'ई-भुगतान' और 'ई-नोट' प्रक्रियाएं विकसित की हैं जिन्होंने कागजी काम को न्यूनतम बनाया है और मैनुअल काम को भी न्यूनतम किया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने अपने ट्रेजरी ऐप्लिकेशन, ग्राहक रेटिंग मॉड्यूल, स्ट्रक्चर फायनैंशल मैसेजिंग सिस्टम, स्विफ्ट, रिपोर्ट जनरेशन प्लैटफॉर्म और आंतरिक वर्कफ्लो ऐप्लिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी प्लैटफॉर्म को अपग्रेड किया है। इसके अलावा, आगंतुक प्रबंधन, पूर्व चेतावनी संकेतों से उत्पन्न अलर्ट के समाधान संबंधी वर्कफ्लो, केंद्रीय सूचना प्रबंधन प्रणाली अनुप्रयोग और कोलैटरल प्रबंधन के लिए नए ऐप्लिकेशन लागू किए गए हैं। इन पहलों का लक्ष्य ग्राहकों को समान अनुभव प्रदान करना और मैनुअल प्रक्रियाओं का स्वचालन करना था।

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 में परिभाषित अनुसार, एक्ज़िम बैंक एक लोक प्राधिकरण है और इस अधिनियम का अनुपालन करता है। भारतीय नागरिक, इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए बैंक के मुंबई स्थित प्रधान कार्यालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी अथवा बैंक के भारत स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में सहायक लोक सूचना अधिकारियों को अपने आवेदन भेज सकते हैं। इनका विवरण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बैंक ने सरकारी प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का पालन किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक को कुल 118 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए और आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट अनुसार, 30 दिनों की समयसीमा के भीतर इनके जवाब दिए गए।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

वर्ष के दौरान, बैंक ने हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया और अपने अधिकारियों को हिंदी में प्रवीण बनाने के लिए भारत सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के तहत हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित किया। अपने दैनिक कामकाज में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से बैंक में विभिन्न प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। बैंक के प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा तिमाही आधार पर राजभाषा कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। बैंक द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों, कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से भाग लिया गया और अंतरबैंक हिंदी प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम आयोजित किए गए। देशभर में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से, बैंक ने अपने न्यूज़लेटरों में से कृषि निर्यातों पर केंद्रित एक न्यूज़लेटर का प्रकाशन हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 10 भारतीय भाषाओं में करना जारी रखा। उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए बैंक के प्रधान कार्यालय, कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय और नई दिल्ली कार्यालय को उनकी संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा सम्मानित किया गया।

ई-गवर्नेंस और ई-भुगतान

व्यवसाय परिचालनों, सूचना प्रबंधन प्रणाली (एमआईएस), बिजनेस इंटेलिजेंस, दस्तावेज प्रबंधन, वर्कफ़्लो, नेटवर्क और सुरक्षा के लिए बैंक में प्रणालियां लागू की गई हैं। बैंक ने प्रौद्योगिकी-आधारित "ई-भुगतान" और "ई-नोट" प्रक्रियाएं विकसित की हैं जिन्होंने कागजी काम को न्यूनतम बनाया है और मैनुअल काम को भी लगभग न्यूनतम कर लिया है। बैंक राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल) का सदस्य है। बैंक ने निगेटिव लिस्ट और केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो से प्राप्त सूचनाओं का आंतरिक ऑनलाइन डेटाबेस भी तैयार किया है और ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान इन सूचनाओं का उपयोग किया जा रहा। इसके अलावा, बैंक विभिन्न देशों के बीच वित्तीय और गैर-वित्तीय संदेशों के सुरक्षित ट्रांसमिशन के लिए स्विफ्ट अलायंस एक्सेस सॉफ्टवेयर प्लैटफॉर्म का उपयोग कर रहा है। ये संदेश फिनैकल ऐप्लिकेशन (कोर और ट्रेजरी) में बनाए जाते हैं और स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस के जरिए स्विफ्ट ऐप्लिकेशन को भेजे जाते हैं।

बैंक ने ब्राज़ील में एक भारतीय कंपनी के उद्यम को 430 किलोमीटर लंबी तीन ट्रांसमिशन लाइनों और 267 टावरों के कार्य वाली साओ फ्रांसिस्को परियोजना के निष्पादन के लिए अपने विदेशी निवेश वित्त कार्यक्रम के अंतर्गत सहयोग प्रदान किया है।

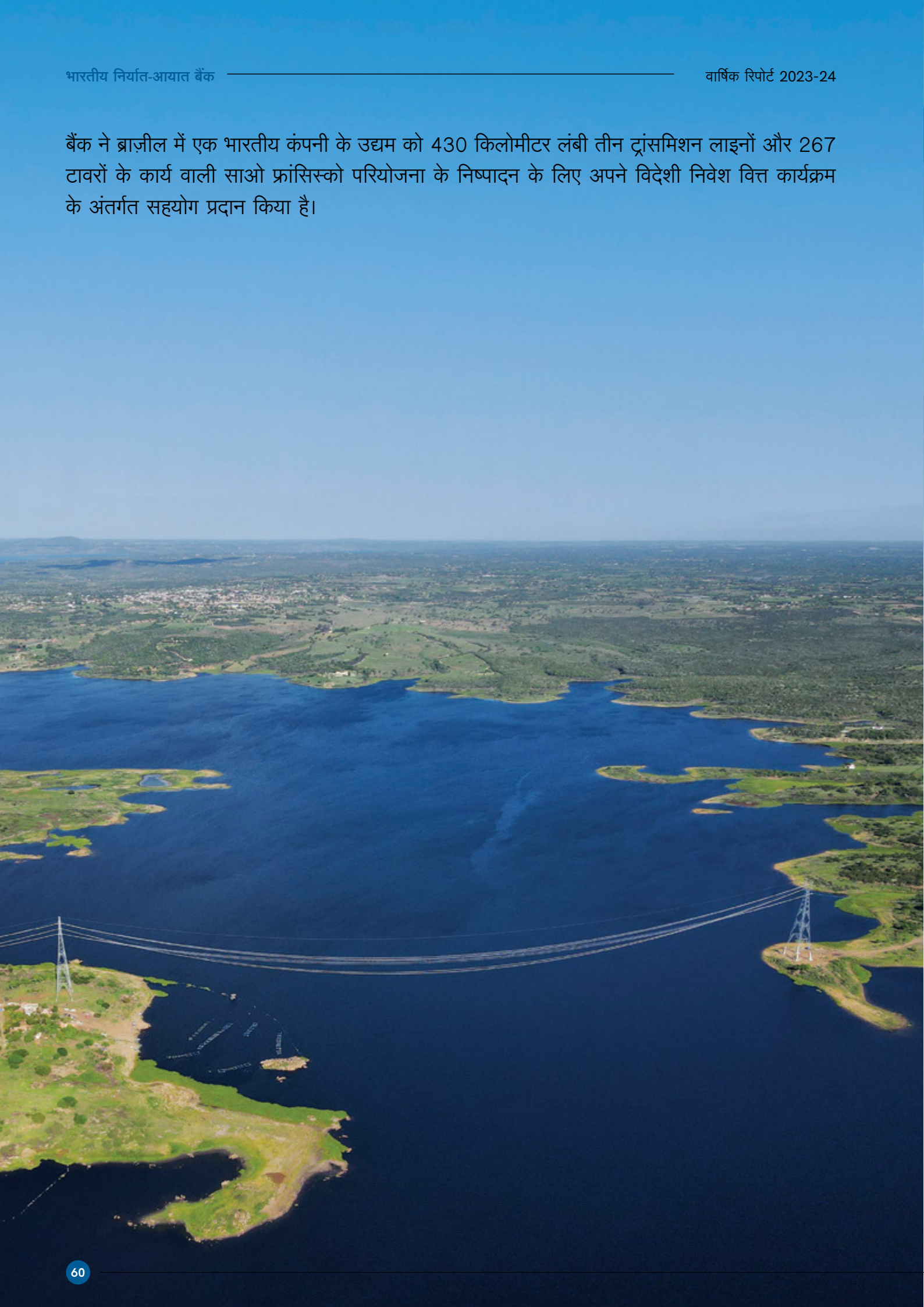

संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनी

संयुक्त उद्यम

जीपीसीएल कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड

एक्ज़िम बैंक द्वारा वर्ष 1996 में निजी क्षेत्र की संस्था के रूप में स्थापित और प्रवर्तित, जीपीसीएल कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड (जीपीसीएल), एक्ज़िम बैंक तथा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की 9 अन्य प्रतिष्ठित कंपनियों का एक संयुक्त उद्यम है। जीपीसीएल लिमिटेड एक अग्रणी अवधारणा थी जिसकी स्थापना कृषि, ऊर्जा, उद्योग, खनन, परिवहन, जल संसाधन आदि जैसे क्षेत्रों से जुड़ी अग्रणी कंपनियों की भागीदारी से की गई थी। जीपीसीएल ने गत वर्ष अपनी प्रोक्योरमेंट सेवाओं के दायरे को बढ़ाया है, जिनमें बिड परामर्श, प्रोक्योरमेंट प्रशिक्षण, ई- प्रोक्योरमेंट सॉल्यूशन, परियोजना को चिह्नित करना, पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन करना, विभिन्न रिपोर्टें तैयार करना और उनकी समीक्षा करना, ऋणदाता के इंजीनियर के रूप में कार्य करना, परियोजनाओं की सम्यक जांच करना, परियोजना की निगरानी करना, मूल्यांकन, क्षमता निर्माण और द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय ऋण एजेंसियों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करना शामिल है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कंपनी ने ₹ 25.93 मिलियन के कर-पूर्व लाभ के साथ ₹ 68.51 मिलियन की कुल आय दर्ज की।

कुकुज़ा परियोजना विकास कंपनी

कुकुज़ा परियोजना विकास कंपनी (केपीडीसी), मॉरीशस, अफ्रीकी विकास बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और इन्फ्रास्ट्रक्चर लीज़िंग एंड फायनैंशल सर्विसेज (आईएल एंड एफएस) समूह के साथ एक्ज़िम बैंक द्वारा सह-प्रायोजित एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। इसकी स्थापना अफ्रीका में बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में भारतीय भागीदारी को सुगम बनाने के उद्देश्य से की गई थी। केपीडीसी को हुए घाटे को ध्यान में रखते हुए, शेयरधारकों ने केपीडीसी के परिचालनों को बंद करने का निर्णय लिया है और एक क्रमबद्ध समापन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

सहायक

इंडिया एक्ज़िम फिनसर्व आईएफएससी प्रा. लि.

भारत में फैक्टरिंग इको-सिस्टम में सुधार मुख्य रूप से फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 के वर्ष 2012 की शुरुआत में प्रभावी होने के बाद सामने आए। इसके बाद आरबीआई सहित अन्य विनियामकों की विभिन्न पहलों के जरिए इसे सुदृढ़ किया गया। इनमें से दो उल्लेखनीय पहलें प्रमुख रहीं। एक, 2017 में ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (ट्रेड्स) और दूसरी, 2021 में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा फैक्टरिंग (बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) के लिए ऋण बीमा खोलना। इसी वर्ष, भारत सरकार ने फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन किया, जिसके बाद आईएफएससीए द्वारा कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार वित्तपोषण सेवा मंच (उत्पाद के रूप में निर्यात फैक्टरिंग सहित) संबंधी अवधारणा का प्रमाण प्रदान करने हेतु सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान किया गया।

माननीय वित्त मंत्री ने 1 फरवरी, 2023 को यूनियन बजट 2023 पेश करते समय एक्ज़िम बैंक द्वारा व्यापार और पुनर्वित्त के लिए गुजरात इंटरनैशनल फायनैंस टेक सिटी (गिफ्ट सिटी), गांधीनगर, गुजरात में एक सहायक कंपनी की स्थापना की घोषणा की थी।

इसके तुरंत बाद, अगस्त 2023 में गिफ्ट सिटी में इंडिया एक्ज़िम फिनसर्व आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक्ज़िम बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की स्थापना की गई। इस सहायक कंपनी का उद्घाटन डॉ. विवेक जोशी, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 08 अगस्त, 2023 को किया गया। इस अवसर पर श्री के. राजारमन, अध्यक्ष, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) तथा श्री तपन रे, एमडी एवं ग्रुप सीईओ, गिफ्ट सिटी उपस्थित रहे।

एक्ज़िम फिनसर्व भारतीय निर्यातकों को मुख्य रूप से निर्यात फैक्टरिंग पर फोकस करते हुए विभिन्न व्यापार वित्त उत्पाद प्रदान करेगी। एक्ज़िम फिनसर्व की फैक्टरिंग सेवाओं से निर्यातकों को तीन ज़रूरी सेवाएं सुलभ होंगी- रिसीवेबल फायनैंसिंग, भुगतान न किए जाने के जोखिम का कवरेज और अकाउंट्स रिसीवेबल का प्रबंधन। इससे निर्यातकों के लिए नकदी प्रवाह बेहतर होगा और भुगतान जोखिम कम होगा। साथ ही, वे भरोसे के साथ नए बाज़ारों में कदम रख पाएंगे और अपनी वृद्धि के अवसरों को भुना पाएंगे। ये फैक्टरिंग सेवाएं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निर्यातकों के लिए खास तौर पर लाभकारी होंगी, क्योंकि ये सेवाएं कोलैटरल के बजाय मुख्य रूप से लेनदारी लेखों की गुणवत्ता पर आधारित होती हैं।

एक्ज़िम फिनसर्व को रिसीवेबल गतिविधियों की फैक्टरिंग और फॉरफेटिंग के लिए आईएफएससीए से रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र सितंबर 2023 में प्राप्त हुआ। एक महीने बाद इसने निर्यात फैक्टरिंग ट्रांज़ैक्शन के साथ अपने व्यवसाय की शुरुआत की, जिसके जरिए मुरादाबाद स्थित एक एमएसएमई को अमेरिका को निर्यात करने में मदद मिली।

एक्ज़िम फिनसर्व ने दिसंबर 2023 में एफसीआई की सदस्यता प्राप्त की जो ओपन अकाउंट घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ट्रेड रिसीवेबल्स की फैक्टरिंग और वित्तपोषण के लिए वैश्विक प्रतिनिधि निकाय है।

निर्यातकों को प्रदान की जाने वाली अपनी सेवाएं बढ़ाने के क्रम में, एक्ज़िम फिनसर्व को मार्च 2024 में आईएफएससीए से "ऋण, प्रतिबद्धताओं और गारंटियों, ऋण वृद्धि, प्रतिभूतिकरण, वित्तीय लीज तथा पोर्टफोलियो के क्रय और विक्रय के रूप में ऋण प्रदान करने" के मैंडेट के साथ अतिरिक्त गतिविधियों के लिए अनुमोदन मिला। एक्ज़िम फिनसर्व अब भारतीय निर्यातकों को व्यापक रूप से निर्यात वित्तपोषण समाधान प्रदान करने के लिए तत्पर है।

एक्ज़िम बैंक की इस सहायक कंपनी के जरिए वृहत्तर ओपन अकाउंट ट्रेड सुगम होगा। इससे भारतीय निर्यातकों को अपने जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करते हुए अपनी स्पर्धात्मकता में सुधार लाने और सुदृढ़ क्रेता संबंध बनाने हेतु एक अतिरिक्त टूल मिलेगा।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

1. बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिद्धांत

भारतीय निर्यात–आयात बैंक ("एक्ज़िम बैंक") कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांतों और महत्त्व को समझता है। बैंक न केवल सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन कर रहा है, बल्कि बैंक ने स्वेच्छा से सुदृढ़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियां भी तैयार की हैं।

एक्ज़िम बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है। एक्ज़िम बैंक का निदेशन, प्रबंधन और व्यवसाय संचालन भारतीय निर्यात–आयात बैंक अधिनियम, 1981 ("एक्ज़िम बैंक अधिनियम") के अंतर्गत बनाए गए और इसके साथ पठित भारतीय निर्यात–आयात बैंक सामान्य विनियम, 2020 ("एक्ज़िम बैंक सामान्य विनियम") और अन्य लागू कानूनों के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। एक्ज़िम बैंक अधिनियम के प्रावधानों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("लिस्टिंग विनियम") के विनियम 17 से 27 की प्रयोज्यता पर प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि एक्ज़िम बैंक एक विशिष्ट अधिनियम (एक्ज़िम बैंक अधिनियम) के अंतर्गत स्थापित एक वित्तीय संस्था है और इसे कंपनी अधिनियम के तहत एक कंपनी के रूप में निगमित नहीं किया गया है। बैंक, यथा लागू अनुसार, अपने सभी परिचालनों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, प्रकटीकरण करने और स्टेकहोल्डर मूल्य को बढ़ाने की दृष्टि से अन्य सभी कानूनों और विनियमों का अनुपालन करता है।

एक्ज़िम बैंक की असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियां, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") पर सूचीबद्ध हैं और ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन–कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग) विनियम, 2021 और लिस्टिंग विनियमों द्वारा शासित होती हैं।

2. निदेशक मंडल

एक्ज़िम बैंक अधिनियम की धारा 6 में एक्ज़िम बैंक के निदेशक मंडल के गठन का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान एक्ज़िम बैंक के निदेशक मंडल की संरचना निम्नलिखित अनुसार रही:

धारा	निदेशक की प्रकृति	निदेशक का विवरण	श्रेणी*	टिप्पणियां
6[1][क]	अध्यक्ष	रिक्त	–	20 फरवरी, 2017 से
	प्रबंध निदेशक	सुश्री हर्षा बंगारी	कार्यपालक निदेशक	नियुक्ति 08 सितंबर, 2021 से प्रभावी
6[1][कक]	दो पूर्णकालिक निदेशक	श्री एन. रमेश	कार्यपालक निदेशक	उप प्रबंध निदेशक के रूप में 22 नवंबर, 2023 को (कार्यालय समय उपरांत) प्रतिनियुक्ति कार्यकाल पूरा।
		श्री तरुण शर्मा	कार्यपालक निदेशक	नियुक्ति 18 अप्रैल, 2023 से प्रभावी
6[1][ख]	एक निदेशक (आरबीआई द्वारा नामनिर्दिष्ट)	श्री आर सुब्रमणियन कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक	गैर–कार्यकारी निदेशक	नियुक्ति 13 फरवरी, 2021 से प्रभावी
6[1][ग]	एक निदेशक (विकास बैंक)	श्री राकेश शर्मा प्रबंध निदेशक और सीईओ, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	गैर–कार्यकारी निदेशक	नियुक्ति 21 दिसंबर, 2018 से प्रभावी
6[1][घ]	एक निदेशक (ईसीजीसी द्वारा नामनिर्दिष्ट)	श्री एम. सेंथिलनाथन अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, ईसीजीसी लिमिटेड	गैर–कार्यकारी निदेशक	सेवानिवृत्ति 31 जुलाई, 2023 से प्रभावी
		श्री सुनील जोशी कार्यकारी निदेशक (पॉलिसी मामले) एवं अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) ईसीजीसी लिमिटेड	गैर–कार्यकारी निदेशक	नियुक्ति 16 अगस्त, 2023 से प्रभावी और कार्यकाल 31 अक्टूबर, 2023 को पूरा हुआ।
		श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ कार्यकारी निदेशक (पॉलिसी) एवं अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) ईसीजीसी लिमिटेड	गैर–कार्यकारी निदेशक	नियुक्ति 16 नवंबर, 2023 से प्रभावी

धारा	निदेशक की प्रकृति	निदेशक का विवरण	श्रेणी*	टिप्पणियां
6[1][ङ][i]	पांच निदेशक (केंद्र सरकार के अधिकारी)	श्री दम्मू रवि सचिव (ईआर), विदेश मंत्रालय	गैर-कार्यकारी निदेशक/ भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	नियुक्ति 20 सितंबर, 2021 से प्रभावी
		सुश्री हिमानी पांडे संयुक्त सचिव उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	गैर-कार्यकारी निदेशक/ भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	नियुक्ति 25 मई, 2023 से प्रभावी
		सुश्री अपर्णा भाटिया सलाहकार आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	गैर-कार्यकारी निदेशक/ भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	नियुक्ति 10 नवंबर, 2023 से प्रभावी
		डॉ. अभिजीत फुकन आर्थिक सलाहकार वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय	गैर-कार्यकारी निदेशक/ भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	नियुक्ति 30 जून, 2023 से प्रभावी
		श्री विपुल बंसल संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	गैर-कार्यकारी निदेशक/ भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	नियुक्ति 03 दिसंबर, 2021 से प्रभावी
		श्री रजत कुमार मिश्रा अपर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	गैर-कार्यकारी निदेशक/ भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	25 अगस्त, 2023 तक
		श्री सुचीन्द्र मिश्र अपर सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय	गैर-कार्यकारी निदेशक/ भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	30 जून, 2023 तक
		श्री वुमलुनमंग वुअलनम अपर सचिव (बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय सहयोग) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	गैर-कार्यकारी निदेशक/ भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	25 अगस्त, 2023 को नियुक्ति हुई और 01 सितंबर, 2023 से नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार में स्थानांतरित हो गए
6[1][ङ][ii]	अधिकतम तीन निदेशक (अनुसूचित बैंकों से)	श्री दिनेश कुमार खारा अध्यक्ष भारतीय स्टेट बैंक	गैर-कार्यकारी निदेशक	नियुक्ति 24 दिसंबर, 2020 से प्रभावी
		श्री ए. एस. राजीव प्रबंध निदेशक और सीईओ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र	गैर-कार्यकारी निदेशक	23 फरवरी, 2024 तक
		श्री एम.वी. राव प्रबंध निदेशक और सीईओ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	गैर-कार्यकारी निदेशक	नियुक्ति 21 सितंबर, 2022 से प्रभावी
6[1][ङ][iii]	निर्यात, आयात या वित्तपोषण में विशेष ज्ञान या प्रोफेशनल अनुभव वाले अधिकतम चार निदेशक	श्री अशोक कुमार गुप्ता कर परामर्शदाता	गैर-सरकारी निदेशक/ स्वतंत्र	नियुक्ति 21 दिसंबर, 2021 से प्रभावी
		रिक्त	–	05 जून, 2009 से
		रिक्त	–	18 अप्रैल, 2015 से
		रिक्त	–	18 अप्रैल, 2015 से

जीओआई- भारत सरकार; आरबीआई- भारतीय रिज़र्व बैंक

*सूचीबद्धता विनियम के विनियम 16(1)(ख) के अंतर्गत "स्वतंत्र निदेशक" से तात्पर्य सूचीबद्ध कंपनी के नामित निदेशक के अलावा गैर-कार्यकारी निदेशक से है

स्पष्टीकरण – "उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध इकाई" के मामले में: (क) जो एक निकाय कॉर्पोरेट है, जिसे उस कानून के अनुसार एक विशिष्ट तरीके से अपने निदेशक मंडल का गठन करना है, जिसके तहत उस निकाय की स्थापना की गई है, के बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशकों को स्वतंत्र निदेशकों के रूप में माना जाएगा।

विनियम 17(1)(क) के अनुसार, "निदेशक मंडल" में कार्यपालक और गैर-कार्यकारी निदेशकों का एक इष्टतम संयोजन होना चाहिए जिसमें कम से कम एक महिला निदेशक हो और निदेशक मंडल में कम से कम पचास प्रतिशत गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल हों।

तदनुसार, एक्ज़िम बैंक अधिनियम के अनुसरण में नियुक्त/नामित किए जा रहे बैंक के बोर्ड में निदेशकों को लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए स्वतंत्र निदेशकों के रूप में माना जाएगा।

एक्ज़िम बैंक के निदेशकों का संक्षिप्त प्रोफाइल (यथा 10 मई, 2024 को)

निदेशक विवरण	संक्षिप्त प्रोफाइल
श्री दम्मू रवि सचिव (ईआर) विदेश मंत्रालय	श्री दम्मू रवि ने 1989 में भारतीय विदेश सेवा में अपना पदभार ग्रहण किया। आपने वर्ष 1991 से 2001 तक मेक्सिको, क्यूबा, ब्रसेल्स स्थित भारतीय मिशनों में विभिन्न पदों पर रहते हुए कार्य किया। आपने 2001 से 2006 तक विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में पश्चिम यूरोप और संयुक्त राष्ट्र प्रभागों में उप सचिव/निदेशक के रूप में कार्य किया है। आपने मार्च 2006 से मई 2009 तक पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य किया है। आप अक्टूबर 2009 से दिसंबर 2013 तक लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों के साथ भारतीय संबंधों का कार्यभार संभालते हुए विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव रहे। आपने जनवरी 2014 से फरवरी 2020 तक वाणिज्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया, जहां आपने व्यापार संबंधी विवादों, डब्ल्यूटीओ के निगोशिएशन विषय– गैर–कृषि बाजार पहुंच, मत्स्यपालन वार्ताओं, व्यापार नीति संबंधी समीक्षा आदि जैसे डब्ल्यूटीओ से जुड़े विषयों सहित भारत की व्यापार नीति का उत्तरदायित्व संभाला। आप नवंबर 2015 में नैरोबी (एमसी X) और दिसंबर 2017 में ब्यूनस आयर्स (एमसी XI) में होने वाले डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे। आपने जी20, ब्रिक्स, राष्ट्रमंडल, एससीओ, एपेक, आईओआरए, एएसईएम, अंकटाड आदि जैसे क्षेत्रीय समूहों के साथ भारत के व्यापार तथा निवेश संबंधों का उत्तरदायित्व भी संभाला है। आप वृहद् क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौते 'क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी)' में भारत के मुख्य वार्ताकार भी रहे हैं। वर्तमान में, आप विदेश मंत्रालय में सचिव (आर्थिक संबंध) हैं। आपने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है।
सुश्री हिमानी पांडे अपर सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	सुश्री हिमानी पांडे, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की अपर सचिव हैं। आप बौद्धिक संपदा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, सरकारी खरीद और अंतरराष्ट्रीय व्यापार करार प्रभाग संभाल रहीं हैं। आपने 'लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस' से सार्वजनिक प्रबंधन और गवर्नेंस में विज्ञान में मास्टर डिग्री हासिल की है। 1998 बैच की आईएएस अधिकारी सुश्री पांडे झारखंड राज्य में कार्यान्वयन के साथ–साथ सार्वजनिक नीति नियोजन में विभिन्न कार्यभार संभाल चुकी हैं।
श्री विपुल बंसल संयुक्त सचिव वाणिज्य विभाग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	श्री विपुल बंसल 2005 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। वर्तमान में आप वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले, आप वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में कार्यरत रहे हैं। श्री बंसल ने 2001 में अपनी चार्टर्ड अकाउंटैंसी पूरी की। आप श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं, जहां से आपने 1998 में वाणिज्य में स्नातक की डिग्री हासिल की।
सुश्री अपर्णा भाटिया सलाहकार आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	सुश्री अपर्णा भाटिया, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में सलाहकार हैं और द्विपक्षीय सहयोग तथा सिक्का और मुद्रा एवं प्रशासन तथा समन्वय संबंधी कामकाज संभालती हैं। सुश्री अपर्णा भाटिया भारतीय आर्थिक सेवा 1996 बैच की अधिकारी हैं। इससे पहले आपको आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध सलाहकार के रूप में कार्य का अनुभव रहा है और सार्क विकास कोष में निदेशक के रूप में आप भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। साथ ही, आप भारत के जी20 शेरपा की साओ–शेरपा रही हैं और फायनैंस डेप्यूटी की डेप्यूटी भी रही हैं। इस भूमिका में आपने ओईसीडी, ब्रिक्स, फायनैंस ट्रैक, आसियान आदि से संबंधित सभी मामले संभाले हैं। सुश्री भाटिया इससे पहले, आर्थिक कार्य विभाग में निदेशक (बहुपक्षीय संस्थान) के रूप में सेवारत रही हैं और आपने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी), न्यू डेवलपमेंट बैंक और विश्व बैंक (वित्त, अवसंरचना और आपदा राहत परियोजनाएं) संबंधी उत्तरदायित्व संभाले हैं। आपने न्यू डेवलपमेंट बैंक में भारत के निदेशक की सलाहकार के रूप में भी काम किया है। आपने नई दिल्ली में आईएमएफ के एसएआरटीटीएसी– दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता केंद्र की स्थापना में भी अहम भूमिका निभाई है।

निदेशक विवरण	संक्षिप्त प्रोफाइल
	आप आर्थिक कार्य विभाग के सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) प्रकोष्ठ की छह साल तक प्रमुख रही हैं और यह वह समय रहा, जिस दौरान भारत में विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में पीपीपी परियोजनाएं अपने सर्वोच्च स्तर पर रहीं।
डॉ. अभिजीत फुकन आर्थिक सलाहकार वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय	डॉ. अभिजीत फुकन भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस 2004 बैच) के अधिकारी हैं। वर्तमान में आप वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) में आर्थिक सलाहकार तथा मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सिसो) के रूप में कार्यरत हैं। आप वित्त में पीएचडी और अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं। आपने मानव संसाधन विकास और मार्केटिंग में पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा भी किया है। अर्थशास्त्र, प्रबंधन एवं वित्त से संबंधित विभिन्न विषयों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लब्धप्रतिष्ठ जर्नलों में आपके कई शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं।
	आपको शैक्षणिक, अनुसंधान और लोक नीति में विभिन्न विभागों में गवर्नेंस का बीस वर्षों से अधिक का अनुभव है। आपको संपोषी वित्त/सीएसआर/सतत विकास लक्ष्यों/पर्यावरणीय, सस्टैनेबिलिटी और गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, विनियामकीय एवं अनुपालन, ऊर्जा एवं विद्युत क्षेत्र, इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी), अंतरराष्ट्रीय व्यापार आदि में विशद अनुभव और विशेषज्ञता है। आप वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में सचिव सहित विभिन्न पदों पर रहे हैं। इसके अलावा, आप राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) में भी सेवारत रहे हैं। सरकारी सेवा में रहते हुए आप आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सुधार और नीतिगत फ्रेमवर्कों के अगुआ रहे हैं।
श्री अशोक कुमार गुप्ता कर परामर्शदाता	श्री अशोक कुमार गुप्ता कर परामर्शदाता और ए.के. गुप्ता एंड कं. के प्रॉप्राइटर हैं। आपको कर एवं विनियामकीय क्षेत्रों में लगभग 34 वर्षों से भी अधिक का अनुभव है। साथ ही आपको कर आयोजना, कानूनी सहयोग, सम्यक् जांच, फेमा और अन्य कर कानूनों में विशेषज्ञता प्राप्त है। आपने सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज से वाणिज्य में स्नातक की और कलकत्ता विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली है। श्री गुप्ता डायरेक्ट टैक्सेज़ प्रफेशनल्स एसोसिएशन के आजीवन सदस्य हैं।
श्री आर. सुब्रमणियन कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक	श्री आर. सुब्रमणियन भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक हैं। आपको रिज़र्व बैंक में बैंकिंग पर्यवेक्षण, प्रवर्तन, वित्तीय बाजार विनियमन, रिज़र्व प्रबंधन, आंतरिक ऋण प्रबंधन और रिज़र्व बैंक के अन्य क्षेत्रों में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है। श्री सुब्रमणियन ग्रामीण प्रबंधन संस्थान (इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट), आणंद से प्रबंधन में पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा धारक हैं। आपने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटैंट्स ऑफ इंडिया से एसोसिएट के रूप में प्रोफेशनल योग्यता हासिल की और आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फायनैंस के सर्टिफाइड एसोसिएट भी हैं।
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) और अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), ईसीजीसी लिमिटेड	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ ईसीजीसी लिमिटेड के कार्यपालक निदेशक हैं और अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं। आप ईसीजीसी लिमिटेड के बोर्ड में पूर्णकालिक निदेशक होने के साथ-साथ परियोजना निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) के प्रबंध ट्रस्टी भी हैं। आपने 1995 में परिवीक्षा अधिकारी के रूप में ईसीजीसी जॉइन किया था और आप मुरादाबाद, जोधपुर एवं मुंबई बैंक कार्यालयों के प्रमुख रहे हैं। आप ईसीजीसी के उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक भी रहे हैं। भारत की प्रमुख निर्यात ऋण एजेंसी, ईसीजीसी में आपको 28 वर्षों का अनुभव है। अल्पावधि और मध्यम अवधि तथा दीर्घावधि के व्यवसायों से लेकर उत्पाद और नीति निर्माण, मार्केटिंग, लेखा परीक्षा और अनुपालन, मुख्य सतर्कता अधिकारी, मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण, हामीदारी अंकन (अंडरराइटिंग) पद्धतियों और मॉडलों तथा अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आपका विशद अनुभव है। आपने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कंपनी का प्रतिनिधित्व किया है। आप भारत तथा विदेश, दोनों में, बहुत से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में वक्ता के रूप में शामिल हुए हैं। आप राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर हैं। आप मार्केटिंग में एमबीए हैं और आपने मानव संसाधन विकास में पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा भी प्राप्त किया है।

निदेशक विवरण	संक्षिप्त प्रोफाइल
श्री दिनेश कुमार खारा अध्यक्ष भारतीय स्टेट बैंक	श्री दिनेश कुमार खारा देश के सबसे बड़े बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के अध्यक्ष हैं। 1984 में आपने प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में एसबीआई जॉइन किया। आपको बैंकिंग क्षेत्र में सभी विषयों का गहन अनुभव है। श्री खारा एसबीआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने से पहले एसबीआई में कई मुख्य पदों पर कार्य कर चुके हैं। आप प्रबंध निदेशक (ग्लोबल बैंकिंग और अनुषंगियां), प्रबंध निदेशक (सहयोगी एवं अनुषंगियां), प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (एसबीआई म्यूचुअल फंड्स) और मुख्य महाप्रबंधक, भोपाल सर्कल रहे हैं। विदेशी कार्यभार संभालने के दौरान आप शिकागो में भी पदस्थापित रहे हैं। प्रबंध निदेशक के रूप में अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह, बड़े कॉर्पोरेट्स और ट्रेजरी परिचालनों के प्रमुख रहने के अतिरिक्त आप बैंक की एसबीआई कार्ड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई लाइफ, एसबीआई जनरल जैसी गैर-बैंकिंग सहायक कंपनियों के भी प्रमुख रहे। आपने अपने पांच पूर्व सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक का एसबीआई में विलय संबंधी कार्य का सफलतापूर्वक निष्पादन किया। इसके अतिरिक्त आप अलग-अलग समय पर बैंक के जोखिम, आईटी और अनुपालन कार्यों के प्रमुख भी रहे हैं। श्री खारा दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से कॉमर्स में पोस्ट ग्रैजुएट हैं और एफएमएस, नई दिल्ली से एमबीए हैं। आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट (सीएआईआईबी) हैं।
श्री राकेश शर्मा प्रबंध निदेशक और सीईओ आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	श्री राकेश शर्मा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं। इससे पहले आप केनरा बैंक तथा लक्ष्मी विलास बैंक में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। केनरा बैंक में कार्यरत रहते हुए आप केनरा बैंक की समूह कंपनियों में अध्यक्ष के पद पर भी रहे। 2014 में लक्ष्मी विलास बैंक में कार्यभार ग्रहण करने से पहले श्री शर्मा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। आपको एसबीआई में 33 वर्ष से अधिक का अनुभव रहा है। वहां आप आंध्र प्रदेश क्षेत्र में मिड कॉर्पोरेट अकाउंट्स के प्रमुख रहे हैं। इसके अलावा, आपने राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रिटेल परिचालनों के पर्यवेक्षण, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह में बैंकिंग परिचालन, विशेषीकृत शाखाओं/प्रशासनिक कार्यालयों आदि में क्रेडिट असाइनमेंट जैसे महत्त्वपूर्ण कार्यभार भी संभाले हैं। श्री राकेश शर्मा अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रैजुएट और सीएआईआईबी हैं।
श्री एम. वी. राव प्रबंध निदेशक और सीईओ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	श्री एम. वी. राव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं। आपने 1 मार्च, 2021 से यह कार्यभार संभाला है। इससे पहले आप तीन वर्ष से अधिक समय तक केनरा बैंक के कार्यपालक निदेशक रहे हैं। कृषि में स्नातकोत्तर श्री राव ने पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक (अब इंडियन बैंक) से अपने करियर की शुरुआत की थी। आपको नेतृत्व वाली भूमिकाओं में तीन दशकों से अधिक समय का प्रोफेशनल बैंकिंग का अनुभव रहा है। आपको कॉर्पोरेट ऋण, रिटेल परिसंपत्तियों, ट्रेज़री प्रबंधन, मानव संसाधन, ऋण नीति और निगरानी, दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन, डिजिटल बैंकिंग, जोखिम प्रबंधन, व्यवसाय प्रक्रिया परिवर्तन जैसे बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के निदेशक होने के साथ-साथ श्री राव बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, मुंबई और भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान, गुवाहाटी के गवर्निंग बोर्ड के भी सदस्य हैं। आप भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण और भारतीय बैंक संघ द्वारा गठित विभिन्न समितियों के भी सदस्य हैं।
सुश्री हर्षा बंगारी प्रबंध निदेशक	सुश्री हर्षा बंगारी बैंक की प्रबंध निदेशक हैं। इससे पहले आप एक्ज़िम बैंक की उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यरत थीं। सुश्री बंगारी कॉमर्स ग्रेजुएट एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आपने 1995 में एक्ज़िम बैंक जॉइन किया था। सुश्री बंगारी अनुभवी फायनैंस प्रोफेशनल हैं और आपको वित्तीय क्षेत्र में 29 वर्ष से अधिक का अनुभव है। आपको बैंक की सभी प्रक्रियाओं और व्यवसाय नीतियों की विशद जानकारी है। आपको ट्रेजरी और विदेशी मुद्रा संसाधनों से लेकर जोखिम प्रबंधन, ग्राहक सेवा, देयता प्रबंधन के साथ-साथ सीमा पार परियोजना वित्त जैसे बैंक के समस्त क्रियाकलापों का अनुभव है।
श्री तरुण शर्मा उप प्रबंध निदेशक	श्री तरुण शर्मा एक्ज़िम बैंक के उप प्रबंध निदेशक हैं। इससे पहले आप बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के रूप में कार्यरत थे और बैंक की प्रौद्योगिकी पहलों का नेतृत्व कर रहे थे। आपको व्यापार, प्रतिस्पर्धात्मकता, उद्योग और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास तथा नीति में दो दशक से अधिक का अनुभव है। सीएफओ के रूप में अपने कार्यकाल से पहले श्री तरुण शर्मा बैंक के नई दिल्ली कार्यालय के प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। आपने भारतीय कंपनियों की क्षमताएं बढ़ाने के लिए वित्त की स्ट्रक्चरिंग करने; मित्र देशों में सामाजिक-आर्थिक विकास परियोजनाओं को सहयोग प्रदान करने; सरकारी कार्य संभालने और नीति निर्माण में योगदान देने जैसे उत्तरदायित्व निभाए हैं। इस दौरान, श्री तरुण शर्मा ने 'उभरते सितारे कार्यक्रम' नाम की नई पहल शुरू करने का उत्तरदायित्व भी संभाला। यह कार्यक्रम ऐसे उद्यमों को चिह्नित करने और ऋण,इक्विटी तथा तकनीकी सहायता के जरिए सहयोग प्रदान करने के लिए है, जिनमें प्रौद्योगिकी, उत्पाद और प्रोसेस एवं निर्यात की दृष्टि से संभावनाएं हैं।

सचिवीय लेखा परीक्षा

लिस्टिंग विनियमों के विनियम 24ए के अनुसरण में, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए मैसर्स रागिनी चोकशी एंड कंपनी, कंपनी सचिव, मुंबई को बैंक की सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया था। सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट और अनुपालन प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के अनुलग्नक में हैं।

निदेशकों की गैर–निरर्हता का प्रमाण पत्र

लिस्टिंग विनियमों के अंतर्गत अपेक्षाओं के अनुसरण में, एक्ज़िम बैंक ने एक संचालनरत कंपनी सचिव से एक प्रमाण–पत्र प्राप्त किया है, जिसमें यह प्रमाणित किया गया है कि बैंक के बोर्ड में किसी भी निदेशक को सेबी/कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

निदेशक मंडल की बैठक

बोर्ड की बैठकों की तारीखें समय रहते काफी पहले निर्धारित की जाती हैं और इस संबंध में निदेशकों को सूचित कर दिया जाता है। बोर्ड सदस्यों को बोर्ड और समिति(यों) की प्रत्येक बैठक से पहले संबंधित आवश्यक दस्तावेजों और जानकारी के साथ कार्यसूची संबंधी कागजात प्रदान किए जाते हैं। बोर्ड, बैंक पर लागू कानूनों और विनियमों के संबंध में अनुपालन रिपोर्टों की आवधिक रूप से समीक्षा करता है। समितियों की संस्तुतियों को आवश्यक अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतया मुंबई में बैंक के प्रधान कार्यालय में आयोजित की जाती हैं और बैंक के निदेशकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा भी प्रदान की जाती है, ताकि आप बोर्ड / समिति की बैठकों में भाग ले सकें। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, निदेशक मंडल की पांच बैठकें निम्नलिखित तिथियों को आयोजित हुईः (i) 11 मई, 2023 (ii) 11 अगस्त, 2023, (iii) 07 नवंबर, 2023, (iv) 13 फरवरी, 2024 और (v) 22 मार्च, 2024.

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए बोर्ड की बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

निदेशक का नाम	श्रेणी*	वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान बोर्ड बैठकों की संख्या		निदेशन/समिति सदस्यताओं/अध्यक्षता की संख्या		
		आयोजित	भाग लिया	निदेशन विनियम	समिति की सदस्यता**	समिति की अध्यक्षता**
सुश्री हर्षा बंगारी	प्रबंध निदेशक	5	5	1	1	0
श्री एन. रमेश (22 नवंबर, 2023 तक)	उप प्रबंध निदेशक	3	3	–	–	–
श्री तरुण शर्मा (18 अप्रैल, 2023 से)	उप प्रबंध निदेशक	5	5	1	1	0
श्री दम्मू रवि	गैर–कार्यकारी निदेशक/ भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	5	4	1	0	0
सुश्री हिमानी पांडे (25 मई, 2023 से)	गैर–कार्यकारी निदेशक/ भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	4	4	1	0	0
श्री विपुल बंसल	गैर–कार्यकारी निदेशक/ भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	5	2	3	1	0

निदेशक का नाम	श्रेणी*	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बोर्ड बैठकों की संख्या		निदेशन/समिति सदस्यताओं/अध्यक्षता की संख्या		
		आयोजित	भाग लिया	निदेशन विनियम	समिति की सदस्यता**	समिति की अध्यक्षता**
सुश्री अपर्णा भाटिया (10 नवंबर, 2023 से)	गैर-कार्यकारी निदेशक/ भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	2	1	1	1	0
डॉ. अभिजीत फुकन (30 जून, 2023 से)	गैर-कार्यकारी निदेशक/ भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	4	2	2	0	0
श्री रजत कुमार मिश्रा (25 अगस्त, 2023 तक)	गैर-कार्यकारी निदेशक/ भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	2	1	–	–	–
श्री सुचीन्द्र मिश्र (30 जून, 2023 तक)	गैर-कार्यकारी निदेशक/ भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	1	1	–	–	–
श्री वुमलुनमंग वुअल्नम (25 अगस्त, 2023 से 31 अगस्त, 2023 तक)	गैर-कार्यकारी निदेशक/ भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	0	0	–	–	–
श्री आर सुब्रमणियन	गैर-कार्यकारी निदेशक	5	3	1	0	0
श्री राकेश शर्मा	गैर-कार्यकारी निदेशक	5	0	2	1	0
श्री एम. सेंथिलनाथन (31 जुलाई, 2023 तक)	गैर-कार्यकारी निदेशक	1	0	–	–	–
श्री सुनील जोशी (16 अगस्त, 2023 से 31 अक्टूबर, 2023 तक)	गैर-कार्यकारी निदेशक	0	0	–	–	–
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ (16 नवंबर, 2023 से)	गैर-कार्यकारी निदेशक	2	2	1	2	0

निदेशक का नाम	श्रेणी*	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बोर्ड बैठकों की संख्या		निदेशन/समिति सदस्यताओं/अध्यक्षता की संख्या		
		आयोजित	भाग लिया	निदेशन विनियम	समिति की सदस्यता**	समिति की अध्यक्षता**
श्री दिनेश कुमार खारा	गैर-कार्यकारी निदेशक	5	2	4	2	0
श्री ए. एस. राजीव (23 फरवरी, 2024 तक)	गैर-कार्यकारी निदेशक	4	1	–	–	–
श्री एम.वी. राव	गैर-कार्यकारी निदेशक	5	2	2	4	1
श्री अशोक कुमार गुप्ता	गैर-सरकारी निदेशक	5	5	1	2	1

*लिस्टिंग विनियमों के विनियम 16(1)(ख) के अनुसार, 'स्वतंत्र निदेशक' से तात्पर्य सूचीबद्ध संस्था के नामित निदेशक के अलावा गैर-कार्यकारी निदेशक से है।

स्पष्टीकरण – 'उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध इकाई' के मामले में: (क) जो एक निकाय कॉर्पोरेट है, जिसे उस कानून के अनुसार एक विशिष्ट तरीके से अपने निदेशक मंडल का गठन करना है, जिसके तहत उस निकाय की स्थापना की गई है, के बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशकों को स्वतंत्र निदेशकों के रूप में माना जाएगा।

**लेखा परीक्षा समिति और शेयरधारक संबंध समिति की सीमा, अध्यक्षता और सदस्यता के निर्धारण के प्रयोजन से विचार किया गया है।

नोटः

1. बोर्ड में कोई भी निदेशक 7 से अधिक सूचीबद्ध इकाइयों के निदेशक / स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं, जिनके इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों।
2. पूर्णकालिक निदेशकों /प्रबंध निदेशक में से कोई भी तीन से अधिक सूचीबद्ध इकाइयों में स्वतंत्र निदेशक नहीं है, जिनके इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों।
3. बोर्ड में कोई भी निदेशक उन सभी कंपनियों में 10 से अधिक समितियों के सदस्य नहीं हैं और 5 से अधिक समितियों के अध्यक्ष नहीं है, जिनमें वह निदेशक हैं।
4. हमारी जानकारी के अनुसार, निदेशकों के बीच परस्पर कोई संबंध नहीं है।
5. यथा 31 मार्च, 2024 को किसी भी गैर-कार्यकारी निदेशक के पास एक्ज़िम बैंक की प्रतिभूतियां नहीं रहीं।
6. यथा 31 मार्च, 2024 को सूचीबद्ध इकाइयों में अन्य निदेशक पद (केवल वही, जिनकी इक्विटी सूचीबद्ध है) जहां एक्ज़िम बैंक के कोई बोर्ड सदस्य निदेशक हैं, निम्नलिखित अनुसार हैं:

यथा 31 मार्च, 2024 को अन्य सूचीबद्ध इकाई(यों) में निदेशकों का विवरण

निदेशक का नाम	सूचीबद्ध इकाई(यों) में निदेशक पद	निदेशक पद/अध्यक्षता की श्रेणी	समितियों में अध्यक्ष /सदस्यता
श्री विपुल बंसल	एमएमटीसी लिमिटेड	सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक	शून्य
	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक	शून्य
श्री अभिजीत फुकन	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक	शून्य
श्री दिनेश कुमार खारा	भारतीय स्टेट बैंक	कार्यपालक निदेशक-अध्यक्ष	शून्य
	एसबीआई काड्र्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड	गैर-कार्यकारी निदेशक – नाम निर्दिष्ट निदेशक – अध्यक्ष	शून्य
	एसबीआई लाइफ इंश्योरैंस कंपनी लिमिटेड	गैर-कार्यकारी निदेशक – नाम निर्दिष्ट निदेशक – अध्यक्ष	शून्य
श्री राकेश शर्मा	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	प्रबंध निदेशक और सीईओ	1. जोखिम प्रबंधन समिति (सदस्य) 2. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सदस्य)
श्री एम. वी. राव	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	प्रबंध निदेशक और सीईओ	हितधारक संबंध समिति (सदस्य)

स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम:

वित्तीय वर्ष 2023-24 में, बैंक के निदेशकों के लिए बैंक द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। निदेशक विकास कार्यक्रम 2023 का आयोजन वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (एफएसआईबी) द्वारा किया गया। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, अपने ग्राहक को जानिए [ग्राहक परिचय (केवाईसी)] कार्यक्रम तथा धन शोधन निवारण (एएमएल) पर कार्यक्रम और लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण पर कार्यक्रम का आयोजन सेंटर फॉर एडवांस्ड फायनैंशल रिसर्च एंड लर्निंग द्वारा किया गया। जिन कार्यक्रमों में बैंक के निदेशकों ने हिस्सा लिया, उनका विवरण वेबसाइट पर दिया गया है। लिंकः https://www.eximbankindia.in/Hindi/investor-relations

निदेशक मंडल की समितियां

एक्ज़िम बैंक के बोर्ड ने बैंक के व्यावसायिक मामलों में मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करने की दृष्टि से विभिन्न समितियों का गठन किया है। बोर्ड की विभिन्न समितियों की बैठकें एक्ज़िम बैंक अधिनियम और एक्ज़िम बैंक सामान्य विनियमावली और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार आयोजित की जाती हैं। यथा 31 मार्च, 2024 को बैंक की विभिन्न समितियां निम्नलिखित अनुसार रहीं:

1. लेखा परीक्षा समिति (एसी)
2. जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)
3. सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आईटीएससी)
4. हितधारक संबंध समिति (एसआरसी)
5. प्रबंध समिति (एमसी)
6. मानव संसाधन समिति
7. पॉलिसी व्यवसाय संबंधी अन्वेक्षण समिति (ओसीपीबी)
8. धोखाधड़ी मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी विशेष समिति (एससीएमएफएफ)
9. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआरसी)
10. उधारकर्ता को असहयोगी उधारकर्ता के रूप में वर्गीकृत करने संबंधी समीक्षा समिति (आरसीएनसीबी)
11. उधारकर्ता को इरादतन चूककर्ता के रूप में चिह्नित करने संबंधी समीक्षा समिति (आरसीआईडब्ल्यूडी)
12. पारिश्रमिक समिति (आरसी)

बोर्ड की बैठकों के आयोजन से संबंधित बैंक के दिशानिर्देश यथासंभव व्यवहार्यता तक, समिति की बैठकों पर भी लागू होते हैं। बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों/कार्यात्मक प्रमुखों को वांछित विभिन्न विवरण प्रस्तुत करने के लिए समिति द्वारा अपनी बैठक में आमंत्रित किया जाता है।

यदि बोर्ड द्वारा गठित की गई किसी कतिपय उप–समिति के पदनामित अध्यक्ष किसी आपात स्थिति के चलते बैठक में भाग लेने में असमर्थ होते हैं, तो बैठक में भाग लेने वाले सबसे लंबे समय तक सेवारत गैर–कार्यकारी निदेशक (एनईडी) बैठक की अध्यक्षता करते हैं, भले ही वह एनईडी बोर्ड की किसी अन्य उप–समिति के अध्यक्ष हों।

1. लेखा परीक्षा समिति (एसी)

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसी) बैंक के संपूर्ण लेखा परीक्षा कार्यों के लिए मार्गदर्शन देती है, ताकि एक प्रबंधन माध्यम के रूप में, इसकी प्रभावशीलता में वृद्धि हो और बैंक सांविधिक, बाहरी, आंतरिक और संगामी लेखापरीक्षा रिपोर्टों और आरबीआई निरीक्षण रिपोर्टों में उठाए गए सभी मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित कर सके। लेखापरीक्षा समिति (एसी) बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणियों की समीक्षा करती है।

समिति को बैंक के आंतरिक लेखा परीक्षा समूह के कार्यकलापों के अन्वेक्षण और इसकी प्रमुख टिप्पणियों की समीक्षा करने, बैंक के लेखों को अंतिम रूप देने और आरबीआई निरीक्षण रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों से संबंधित मामलों में मार्गदर्शन प्रदान करने का उत्तरदायित्त्व सौंपा गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की 6 बैठकें, अर्थात, (i) 08 मई, 2023 (ii) 11 अगस्त, 2023 (iii) 06 नवंबर, 2023 (iv) 14 दिसंबर, 2023 (v) 12 फरवरी, 2024 और (vi) 22 मार्च, 2024 को हुई। दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतर 120 दिनों से अधिक का नहीं रहा।

अपने–अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित इस समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिए अनुसार है:

निदेशक का नाम	वर्ग	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया
श्री ए.एस. राजीव	01.04.2023 से 23.02.2024	5	5
श्री दिनेश कुमार खारा	01.04.2023 से 31.03.2024	6	1
श्री एम. सेंथिलनाथन	01.04.2023 से 31.07.2023	1	0
श्री सुनील जोशी	16.08.2023 से 31.10.2023	0	0
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ	16.11.2023 से 31.03.2024	3	2
श्री राकेश शर्मा	01.04.2023 से 31.03.2024	6	0
श्री एम.वी. राव	01.04.2023 से 31.03.2024	6	2
श्री अशोक कुमार गुप्ता	01.04.2023 से 31.03.2024	6	6
श्री एन. रमेश	01.04.2023 से 22.11.2023	3	3
श्री तरुण शर्मा	18.04.2023 से 31.03.2024	3	3

यथा 10 मई, 2024 को लेखा परीक्षा समिति की निम्नानुसार रही::

निदेशकों की प्रकृति	वर्तमान संरचना
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड द्वारा नामनिर्दिष्ट [धारा 6(1)(ग)]	श्री राकेश शर्मा
ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक धारा 6(1)(घ)]	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ
अनुसूचित बैंकों से तीन निदेशक धारा 6(1)(ङ)(ii)]	श्री दिनेश कुमार खारा श्री एम.वी. राव
चार निदेशक, जिन्हें निर्यात या आयात या इनके वित्तपोषण का विशेष ज्ञान या प्रोफेशनल अनुभव हो। धारा 6(1)(ङ)(iii)]	श्री अशोक कुमार गुप्ता

2. जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)

जोखिम प्रबंधन समिति बैंक की जोखिम प्रबंधन नीति को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। साथ ही, भारतीय रिज़र्व बैंक / बोर्ड द्वारा निर्धारित विभिन्न जोखिम सीमाओं के अनुपालन की निगरानी करती है और अन्य आंतरिक जोखिम प्रबंधन समितियों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्व की समीक्षा भी करती है। बैंक की ऐसी विभिन्न नीतियां जिनकी बोर्ड द्वारा समीक्षा की जाती है और अनुमोदित किया जाता है, उन्हें पहले आरएमसी को समीक्षा और बोर्ड को संस्तुति करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

वित्तीय वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की 5 बैठकें, अर्थात, (i) 08 मई, 2023 (ii) 11 अगस्त, 2023, (iii) 06 नवंबर, 2023, (iv) 12 फरवरी, 2024 और (v) 22 मार्च, 2024 को हुईं।

निदेशकों के अपने–अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित इस समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिए अनुसार है:

निदेशक का नाम	अवधि	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
श्री एन. रमेश	01.04.2023 से 22.11.2023	3	3
श्री तरुण शर्मा	18.04.2023 से 31.03.2024	5	5
श्री राकेश शर्मा	01.04.2023 से 31.03.2024	5	0
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ	16.11.2023 से 31.03.2024	2	1
श्री एम. सेंथिलनाथन	01.04.2023 से 31.07.2023	1	0
श्री सुनील जोशी	16.08.2023 से 31.10.2023	0	0
श्री ए.एस. राजीव	01.04.2023 से 23.02.2024	4	2
श्री दिनेश कुमार खारा	01.04.2023 से 31.03.2024	5	0
श्री एम.वी. राव	01.04.2023 से 31.03.2024	5	4
श्री अशोक कुमार गुप्ता	01.04.2023 से 31.03.2024	5	5

यथा 10 मई, 2024 को जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

निदेशकों की प्रकृति	वर्तमान संरचना
दो उप प्रबंध निदेशक, एक्ज़िम बैंक धारा [6(1)(कक)]	श्री तरुण शर्मा
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड द्वारा नामनिर्दिष्ट धारा [6(1)(ग)]	श्री राकेश शर्मा
ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक धारा [6(1)(घ)]	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ
अनुसूचित बैंकों से तीन निदेशक धारा [6(1)(ङ)(ii)]	श्री दिनेश कुमार खारा श्री एम. वी. राव
चार निदेशक, जिन्हें निर्यात या आयात या इनके वित्तपोषण का विशेष ज्ञान या प्रोफेशनल अनुभव है। धारा [6(1)(ङ)(iii)]	श्री अशोक कुमार गुप्ता

3. सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आईटीएससी)

सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आईटीएससी) बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी पहलों को बैंक पर लागू विनियमों के अनुरूप बनाने और तदनुसार उन पहलों के कार्यान्वयन की रणनीति बनाने में नीतिगत स्तर पर मार्गदर्शन करती है। आईटीएससी के लक्ष्यों, उद्देश्यों, प्रयोजनों और उत्तरदायित्वों में बैंक के आईटी गवर्नेंस एवं सूचना सुरक्षा गवर्नेंस को सुदृढ़ करना, और साइबर सुरक्षा तथा बैंक की डिजिटल पहलों को बढ़ाने के लिए बजटीय आवंटन की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। आईटीएससी समिति का पुनर्गठन वित्तीय वर्ष 2023–24 में बोर्ड की 22 मार्च, 2024 को आयोजित बैठक के दौरान हुआ और इसकी बैठक 26 मार्च, 2024 को हुई।

निदेशकों के अपने–अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित इस समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिए अनुसार रहा:

निदेशक का नाम	अवधि	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
श्री तरुण शर्मा	18.04.2023 से 31.03.2024	1	1
श्री राकेश शर्मा	01.04.2023 से 31.03.2024	1	0
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ	16.11.2023 से 31.03.2024	1	1
श्री दिनेश कुमार खारा	01.04.2023 से 31.03.2024	1	0
श्री एस वी राव	01.04.2023 से 31.03.2024	1	0
श्री अशोक कुमार गुप्ता	01.04.2023 से 31.03.2024	1	1

यथा 10 मई, 2024 को आईटीएससी की संरचना निम्नानुसार रही:

निदेशकों की प्रकृति	वर्तमान संरचना
दो उप प्रबंध निदेशक, एक्ज़िम बैंक [धारा 6(1)(कक)]	श्री तरुण शर्मा
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड द्वारा नामनिर्दिष्ट [धारा 6(1)(ग)]	श्री राकेश शर्मा
ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक [धारा 6(1)(घ)]	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ
अनुसूचित बैंकों से तीन निदेशक [धारा 6(1)(ङ)(ii)]	श्री दिनेश कुमार खारा श्री एम. वी. राव
चार निदेशक, जिन्हें निर्यात या आयात या इनके वित्तपोषण का विशेष ज्ञान या प्रोफेशनल अनुभव है। [धारा 6(1)(ङ)(iii)]	श्री अशोक कुमार गुप्ता

4. हितधारक संबंध समिति (एसआरसी)

एक्ज़िम बैंक के बोर्ड ने 21 मार्च, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में हितधारक संबंध समिति का गठन किया था। एसआरसी की भूमिका में बैंक के हितधारकों की शिकायतों की निगरानी और उनका समाधान करना शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में एसआरसी की बैठक 02 नवंबर, 2023 को हुई।

निदेशकों के अपने–अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित इस समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिए अनुसार है:

निदेशक का नाम	अवधि	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
श्री एन. रमेश	01.04.2023 से 22.11.2023	1	1
श्री तरुण शर्मा	18.04.2023 से 31.03.2024	1	1
श्री एम.वी. राव	01.04.2023 से 31.03.2024	1	1
श्री अशोक कुमार गुप्ता	01.04.2023 से 31.03.2024	1	1

यथा 10 मई, 2024 को हितधारक संबंध समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

निदेशकों की प्रकृति	वर्तमान संरचना
दो उप प्रबंध निदेशक (उप्रनि), एक्ज़िम बैंक [धारा 6(1)(कक)];	श्री तरुण शर्मा
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड द्वारा नामनिर्दिष्ट [धारा 6(1)(ग)];	श्री राकेश शर्मा
ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक [धारा 6(1)(घ)];	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ
अनुसूचित बैंकों से तीन निदेशक धारा [6(1)(ङ)(ii)];	श्री दिनेश कुमार खारा श्री एम. वी. राव
चार निदेशक, जिन्हें निर्यात या आयात या इनके वित्तपोषण का विशेष ज्ञान या प्रोफेशनल अनुभव हो [धारा 6(1)(ङ)(iii)];	श्री अशोक कुमार गुप्ता

अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम : सुश्री सिद्धि केलुसकर, अनुपालन अधिकारी

वर्ष के दौरान प्राप्त और समाधान किए गए शिकायतों से संबंधित विवरण :

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान प्राप्त शिकायतों/निवेदनों के विवरण निम्नानुसार है:	1. वर्ष की शुरुआत में निवेशकों की लंबित शिकायतों की संख्या – शून्य 2. वर्ष को दौरान निवेशकों की प्राप्त शिकायतों की संख्या – शून्य 3. वर्ष के दौरान निवेशकों की निस्तारित की गई शिकायतों की संख्या – शून्य 4. वर्ष के अंत में निवेशकों की अनसुलझी शिकायतों की संख्या – शून्य

5. प्रबंध समिति (एमसी)

प्रबंध समिति बोर्ड की उप–समिति है, जिसे बैंक की आंतरिक समितियों, नामतः, कार्यपालक समिति और ऋण समिति की शक्तियों से अधिक के वाणिज्यिक ऋण एक्सपोज़र को मंजूरी प्रदान करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, एमसी की बैठकें (i) 18 मई, 2023 (ii) 03 जुलाई, 2023, (iii) 01 सितंबर, 2023, (iv) 02 नवंबर, 2023, (v) 14 दिसंबर, 2023, (vi) 06 फरवरी, 2024 तथा (vii) 21 मार्च, 2024 को आयोजित हुईं।

निदेशकों के अपने–अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित इस समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिए अनुसार है:

निदेशक का नाम	अवधि	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
सुश्री हर्षा बंगारी	01.04.2023 से 31.03.2024	7	7
श्री एन. रमेश	01.04.2023 से 22.11.2023	4	4
श्री तरुण शर्मा	18.04.2023 से 31.03.2024	7	7
श्री राकेश शर्मा	01.04.2023 से 31.03.2024	7	0
श्री एम. सेंथिलनाथन	01.04.2023 से 31.07.2023	2	1
श्री सुनील जोशी	16.08.2023 से 31.10.2023	1	1
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ	16.11.2023 से 31.03.2024	3	3
श्री ए.एस. राजीव	01.04.2023 से 23.02.2024	6	2
श्री दिनेश कुमार खारा	01.04.2023 से 31.03.2024	7	0
श्री एम.वी. राव	01.04.2023 से 31.03.2024	7	4
श्री अशोक कुमार गुप्ता	01.04.2023 से 31.03.2024	7	7

यथा 10 मई, 2024 को प्रबंध समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

निदेशकों की प्रकृति	वर्तमान संरचना
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एक्ज़िम बैंक [धारा 6(1)(क)];	सुश्री हर्षा बंगारी
दो उप प्रबंध निदेशक (उप्रनि), एक्ज़िम बैंक [धारा 6(1)(कक)];	श्री तरुण शर्मा
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड द्वारा नामनिर्दिष्ट [धारा 6(1)(ग)];	श्री राकेश शर्मा
ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक [धारा 6(1)(घ)];	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ
अनुसूचित बैंकों से तीन निदेशक [धारा 6(1)(ङ)(ii)];	श्री दिनेश कुमार खारा श्री एम. वी. राव
बोर्ड में नामांकन के क्रम में निदेशक, जिन्हें निर्यात या आयात या इनके वित्तपोषण का विशेष ज्ञान या प्रोफेशनल अनुभव है। [धारा 6(1)(ङ)(iii)]	श्री अशोक कुमार गुप्ता

6. मानव संसाधन समिति (एचआरसी)

बोर्ड द्वारा निर्धारित अनुसार तथा सुदृढ़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिद्धांतों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता के अनुरूप, एचआर पद्धतियों पर बैंक को केंद्रित मार्गदर्शन सुनिश्चित करने हेतु एचआरसी का गठन किया गया था। इसके प्रमुख उत्तरदायित्वों में बैंक की एचआर नीतियों से संबंधित मामलों की समीक्षा करना और इस संबंध में बोर्ड को संस्तुति करना शामिल है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान एचआरसी की 4 बैठकें अर्थात (i) 18 मई, 2023; (ii) 03 जुलाई, 2023; (iii) 12 दिसंबर, 2023); (iv) 21 मार्च, 2024 को हुईं।

निदेशकों के अपने–अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित इस समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिए अनुसार है:

निदेशक का नाम	अवधि	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
श्री तरुण शर्मा	18.04.2023 से 31.03.2024	4	4
श्री एम.वी. राव	01.04.2023 से 31.03.2024	4	4
श्री अशोक कुमार गुप्ता	01.04.2023 से 31.03.2024	4	4

यथा 10 मई, 2024 को मानव संसाधन समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

निदेशकों की प्रकृति	वर्तमान संरचना
एक उप प्रबंध निदेशक, एक्ज़िम बैंक [धारा 6(1)(कक)];	श्री तरुण शर्मा
अनुसूचित बैंकों के तीन निदेशकों में से कोई एक धारा [6(1)(ङ)(ii)];	श्री दिनेश कुमार खारा श्री एम. वी. राव
बोर्ड में नामांकन के क्रम में निर्यात या आयात, या इनके वित्तपोषण में विशेष ज्ञान या प्रोफेशनल अनुभव वाले चार निदेशकों में से दो निदेशक धारा [6(1)(ङ)(iii)]	श्री अशोक कुमार गुप्ता

7. पॉलिसी व्यवसाय संबंधी अन्वेक्षण समिति (ओसीपीबी)

बोर्ड द्वारा ओसीपीबी का गठन मार्च 2023 में किया गया था। इस समिति का गठन बैंक के पॉलिसी व्यवसाय (ऋण–व्यवस्था, रियायती वित्तपोषण योजना) की पहलों की निगरानी और संचालन तथा लंबित अतिदेय/ प्रावधानीकरण जैसे मामलों के समाधान में प्रभावी ढंग से दिशा प्रदान करने के लिए किया गया था। ओसीपीबी की बैठक (i) 27 अप्रैल, 2023; (ii) 03 नवंबर, 2023 तथा (iii) 8 फरवरी, 2024 को हुईं।

निदेशकों के अपने–अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित इस समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिए अनुसार है:

निदेशक का नाम	अवधि	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
सुश्री हर्षा बंगारी	01.04.2023 से 31.03.2024	3	3
श्री एन. रमेश	01.04.2023 से 22.11.2023	2	2
श्री दम्मू रवि	01.04.2023 से 31.03.2024	3	3

निदेशक का नाम	अवधि	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
श्री अभिजीत फुकन	30.06.2023 से 31.03.2024	2	2
श्री रजत कुमार मिश्रा	01.04.2023 से 25.08.2023	1	1
श्री सुचीन्द्र मिश्र	01.04.2023 से 30.06.2023	1	1
श्री ए.एस. राजीव	01.04.2023 से 23.02.2024	3	3
श्री वुमलुनमांग वाल्नम	25.08.2023 से 31.08.2023	0	0
श्री तरुण शर्मा	23.11.2023 से 31.03.2024	1	1
सुश्री अपर्णा भाटिया	10.11.2023 से 31.03.2024	1	1

यथा 10 मई, 2024 को पॉलिसी व्यवसाय संबंधी अन्वेक्षण समिति की संरचना निम्नानुसार रही :

निदेशकों की प्रकृति	वर्तमान संरचना
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एक्ज़िम बैंक [धारा 6(1)(क)];	सुश्री हर्षा बंगारी
एक उप प्रबंध निदेशक, एक्ज़िम बैंक [धारा 6(1)(कक)];	श्री तरुण शर्मा
धारा 6(1)(ङ)(i) के अनुसार, भारत सरकार के अधिकारियों के रूप में केंद्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन निदेशक:	श्री दम्मू रवि सुश्री हिमानी पांडे सुश्री अपर्णा भाटिया
अनुसूचित बैंकों से तीन निदेशकों में से एक [धारा 6(1)(ङ)(ii)]	डॉ. अभिजीत फुकन श्री दिनेश कुमार खारा श्री एम.वी. राव

8. धोखाधड़ी मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी विशेष समिति (एससीएमएफएफ)

एससीएमएफएफ 'धोखाधड़ी' के रूप में वर्गीकृत खातों की समीक्षा करती है और समीक्षा के उपरांत इस संबंध में की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करती है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में एससीएमएफएफ की बैठकें 01 सितंबर, 2023 और 12 फरवरी, 2024 को हुईं।

निदेशकों के अपने–अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित इस समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिए अनुसार है:

निदेशक का नाम	अवधि	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
सुश्री हर्षा बंगारी	01.04.2023 से 31.03.2024	2	2
श्री एन. रमेश	01.04.2023 से 22.11.2023	1	1
श्री ए.एस. राजीव	01.04.2023 से 23.02.2024	2	2
श्री दिनेश कुमार खारा	01.04.2023 से 31.03.2024	2	0
श्री एम.वी. राव	01.04.2023 से 31.03.2024	2	0
श्री राकेश शर्मा	01.04.2023 से 31.03.2024	2	0
श्री सुनील जोशी	16.08.2023 से 31.10.2023	1	1
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ	16.11.2023 से 31.03.2024	1	0
श्री अशोक कुमार गुप्ता	01.04.2023 से 31.03.2024	2	2

यथा 10 मई, 2024 को धोखाधड़ी मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी विशेष समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

निदेशकों की प्रकृति	वर्तमान संरचना
प्रबंध निदेशक, एक्ज़िम बैंक [धारा 6(1)(क)];	सुश्री हर्षा बंगारी
बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) के कोई दो सदस्य	यथा 10 मई, 2024 को लेखा परीक्षा समिति की संरचना का उल्लेख पैरा 1 लेखा परीक्षा समिति में दिया गया है
आरबीआई द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक के अलावा, बोर्ड के कोई दो सदस्य	बोर्ड की संरचना का उल्लेख "निदेशक मंडल" के पैरा 1 में दिया गया है

9. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआरसी)

बोर्ड द्वारा सीएसआरसी का गठन नागर विमानन मंत्रालय के परिपत्र संख्या 14/2021 में निर्धारित अनुसार, और सुदृढ़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिद्धांतों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता के अनुरूप, सीएसआर के अंतर्गत पहलों को शामिल करने, उनकी समीक्षा करने और उनकी संस्तुति करने के लिए किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में सीएसआरसी की बैठक 21 मार्च, 2024 को हुई।

निदेशकों के अपने–अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित इस समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिए अनुसार है:

निदेशक का नाम	अवधि	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
सुश्री हर्षा बंगारी	01.04.2023 से 31.03.2024	1	1
श्री तरुण शर्मा	01.04.2023 से 31.03.2024	1	1
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ	16.11.2023 से 31.03.2024	1	1
श्री एम. वी. राव	01.04.2023 से 31.03.2024	1	1
श्री अशोक कुमार गुप्ता	01.04.2023 से 31.03.2024	1	1

यथा 10 मई, 2024 को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

निदेशकों की प्रकृति	वर्तमान संरचना
प्रबंध निदेशक, एक्ज़िम बैंक [धारा 6(1)(क)];	सुश्री हर्षा बंगारी
दो उप प्रबंध निदेशक, एक्ज़िम बैंक [धारा 6(1)(कक)];	श्री तरुण शर्मा
ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक एक्ज़िम बैंक अधिनियम की [धारा 6(1)(घ)];	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ
अनुसूचित बैंकों के तीन निदेशकों में से कोई एक [धारा 6(1)(ङ)(ii)];	श्री दिनेश कुमार खारा श्री एम.वी. राव
बोर्ड में नामांकन के क्रम में चार निदेशकों में से कोई एक जिन्हें निर्यात या आयात या इनके वित्तपोषण का विशेष ज्ञान या प्रोफेशनल अनुभव है [धारा 6(1)(ङ)(iii)];	श्री अशोक कुमार गुप्ता

10. उधारकर्ता को असहयोगी उधारकर्ता के रूप में वर्गीकृत करने संबंधी समीक्षा समिति (आरसीएनसीबी)

आरसीएनसीबी, उधारकर्ता को असहयोगी उधारकर्ता के रूप में वर्गीकृत करने संबंधी समिति द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा करती है और उनकी पुष्टि करती है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान इस समिति की कोई बैठक नहीं हुई है।

यथा 10 मई, 2024 को उधारकर्ता को असहयोगी उधारकर्ता के रूप में वर्गीकृत करने संबंधी समीक्षा समिति की संरचना निम्नानुसार रही :

निदेशकों की प्रकृति	वर्तमान संरचना
प्रबंध निदेशक, एक्ज़िम बैंक [धारा 6(1)(क)];	सुश्री हर्षा बंगारी
(क) आईडीबीआई बैंक लि. [धारा 6(1)(ग)];	श्री राकेश शर्मा
(ख) अन्य वाणिज्यिक बैंकों [धारा 6(1)(ङ)(ii)];	श्री दिनेश कुमार खारा
(ग) ईसीजीसी लि. [धारा 6(1)(घ)];	श्री एम.वी. राव
(घ) निर्यात या आयात या इनके वित्तपोषण के विशेष ज्ञान या प्रोफेशनल अनुभव वाले निदेशकों [धारा 6(1)(ङ)(iii)]; में से कोई दो सदस्य	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ श्री अशोक कुमार गुप्ता

11. उधारकर्ता को इरादतन चूककर्ता के रूप में चिह्नित करने संबंधी समीक्षा समिति (आरसीआईडब्ल्यूडी)

आरसीआईडब्ल्यूडी, उधारकर्ता को इरादतन चूककर्ता के रूप में चिह्नित करने संबंधी समिति द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा करती है और उनकी पुष्टि करती है। आरसीआईडब्ल्यूडी की बैठक 21 मार्च, 2024 को आयोजित हुई थी।

निदेशकों के अपने-अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित इस समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिए अनुसार है:

निदेशक का नाम	अवधि	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
सुश्री हर्षा बंगारी	01.04.2023 से 31.03.2024	1	1
श्री एम. वी. राव	01.04.2023 से 31.03.2024	1	1
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ	16.11.2023 से 31.03.2024	1	1
श्री दिनेश कुमार खारा	01.04.2023 से 31.03.2024	1	0
श्री राकेश शर्मा	01.04.2023 से 31.03.2024	1	0

यथा 10 मई, 2024 को उधारकर्ता को इरादतन चूककर्ता के रूप में चिह्नित करने संबंधी समीक्षा समिति की संरचना निम्नानुसार रही :

निदेशकों की प्रकृति	वर्तमान संरचना
प्रबंध निदेशक, एक्ज़िम बैंक [धारा 6(1)(क)];	सुश्री हर्षा बंगारी
(क) आईडीबीआई बैंक लि. [धारा 6(1)(ग)];	श्री राकेश शर्मा
(ख) अन्य वाणिज्यिक बैंकों [धारा 6(1)(ङ)(ii)];	श्री दिनेश कुमार खारा
(ग) ईसीजीसी लि. [धारा 6(1)(घ)];	श्री एम.वी. राव
(घ) निर्यात या आयात या इनके वित्तपोषण का विशेष ज्ञान या प्रोफेशनल अनुभव वाले निदेशकों [धारा 6(1)(ङ)(iii)]; में से कोई दो सदस्य	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ श्री अशोक कुमार गुप्ता

12. पारिश्रमिक समिति (आरसी)

बोर्ड द्वारा 22 मार्च, 2024 को आयोजित बैठक में 'पारिश्रमिक समिति' (आरसी) का गठन किया गया। आरसी का गठन बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों और प्रबंध निदेशक अथवा बोर्ड की उपसमितियों को सीधे रिपोर्ट करने वाले अन्य वरिष्ठ कार्यपालकों के कार्य निष्पादन की समीक्षा और प्रोत्साहनों से संबंधित मामलों का समाधान करने के प्रयोजन से किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान उक्त समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

यथा 10 मई, 2024 को पारिश्रमिक समिति की संरचना निम्नानुसार रही :

निदेशकों की प्रकृति	वर्तमान संरचना
भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 की [धारा 6(1)(ङ)(i) के तहत केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि, जो केंद्र सरकार के अधिकारी होंगे]	डॉ. अभिजीत फुकन
केंद्र सरकार/संस्थाओं द्वारा नामित अन्य निदेशकों में से कोई तीन निदेशक [धारा 6(1)(ग) जो आईडीबीआई बैंक लिमिटेड से या उनके स्थान पर किसी अन्य संस्था से नामित किए जाने वाले कोई अन्य निदेशक; धारा 6(1)(घ) के अंतर्गत ईसीजीसी लिमिटेड से नामित निदेशक; धारा 6(1)(ङ)(ii) के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों से नामित निदेशक; धारा 6(1)(ङ)(iii) के अंतर्गत निर्यात या आयात या उनके वित्तपोषण में विशेज्ञता प्राप्त या प्रोफेशनल अनुभवी निदेशक]	श्री दम्मू रवि सुश्री हिमानी पांडे सुश्री अपर्णा भाटिया श्री राकेश शर्मा श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ श्री दिनेश कुमार खारा श्री एम.वी. राव श्री अशोक कुमार गुप्ता

वरिष्ठ प्रबंधन

बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन से संबंधित विवरण वार्षिक रिपोर्ट के पेज संख्या 13 पर दिया गया है।

पारिश्रमिक नीति

निदेशकों को भुगतान किए जाने वाले शुल्क और भत्ते (यथा लागू) एक्ज़िम बैंक अधिनियम और एक्ज़िम बैंक सामान्य विनियमावली के प्रावधानों के अनुसार हैं।

पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, बैंक की प्रबंध निदेशक सुश्री हर्षा बंगारी को भुगतान किया गया पारिश्रमिक (अन्य भत्तों और परिलब्धियों सहित) ₹ 65.45 लाख और बैंक के उप प्रबंध निदेशक श्री तरुण शर्मा को ₹ 46.79 लाख तथा श्री एन. रमेश को (22 नवंबर, 2023 तक) ₹ 31.39 लाख रहा।

बैंक के गैर–सरकारी निदेशकों को देय शुल्क:

बैठकें	प्रति बैठक देय शुल्क
बोर्ड	₹ 40,000 (बोर्ड की अध्यक्षता के लिए ₹ 10,000 अतिरिक्त)
बोर्ड की उप–समिति	₹20,000 (अध्यक्षता के लिए ₹5,000 अतिरिक्त)

नोट: एक्ज़िम बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक और सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी किसी भी बैठक में शुल्क के लिए पात्र नहीं हैं।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान गैर–सरकारी निदेशकों को भुगतान किया गया कुल बैठक शुल्क:

निदेशक का नाम	बैठक शुल्क
श्री अशोक कुमार गुप्ता	₹ 6.75 लाख

टिप्पणियां :

- बैंक के निदेशकों द्वारा किए गए प्रकटीकरण के अनुसार, उनमें से किसी के पास यथा 31 मार्च, 2024 को एक्ज़िम बैंक की कोई भी प्रतिभूतियां नहीं रहीं;
- स्टॉक ऑप्शन्स – लागू नहीं
- यथा 31 मार्च, 2024 को बकाया बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के ऋणों से संबंधित जानकारी के लिए 'वित्तीय विवरणों के लेखों पर टिप्पणियां' के 'संबंधित पार्टी प्रकटीकरण' संबंधी "टिप्पणी 22" का संदर्भ लीजिए।
- पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा 3 वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाती है।
- बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए निष्पादन आधारित कोई प्रोत्साहन योजना लागू नहीं रही।
- चूंकि पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए नोटिस अवधि और सेवरैंस शुल्क लागू नहीं होते हैं।

संचार के साधन

एक्ज़िम बैंक के तिमाही/अर्धवार्षिक/ वार्षिक वित्तीय परिणाम प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 के वित्तीय परिणाम बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी और हिंदी– सभी संस्करण) में प्रकाशित किए गए थे। वित्तीय परिणाम, प्रेस विज्ञप्तियां और अन्य आधिकारिक समाचार विज्ञप्तियां बैंक की वेबसाइट www.eximbankindia.in/Hindi पर उपलब्ध कराई जाती हैं।

सामान्य जानकारी

एक्ज़िम बैंक, भारतीय निर्यात–आयात बैंक अधिनियम, 1981 के जरिए स्थापित और प्रशासित है और यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है। तथापि, एक 'उच्च मूल्य वाली ऋण सूचीबद्ध इकाई' होने के कारण, लिस्टिंग विनियमों के प्रावधान अनुपालन के लिए एक्ज़िम बैंक पर भी लागू होते हैं।

1	**वार्षिक आम बैठक**	लागू नहीं			
2	**वित्तीय वर्ष 2023–24**	**तिमाही/वित्तीय वर्ष के लिए समाप्त वार्षिक परिणामों की समीक्षा/ अंगीकरण**	**बोर्ड बैठक की तारीख**	**प्रकाशन की तिथि**	**समाचार पत्र का नाम**
		30 जून, 2023 (तिमाही परिणाम)	11/08/2023	14/08/2023	बिजनेस स्टैंडर्ड
		30 सितंबर, 2023 (तिमाही और छमाही परिणाम)	07/11/2023	08/11/2023	बिजनेस स्टैंडर्ड
		31 दिसंबर, 2023 (तिमाही परिणाम)	13/02/2024	14/02/2024	बिजनेस स्टैंडर्ड
		31 मार्च, 2024 (तिमाही और वार्षिक परिणाम)	10/05/2024	14/05/2024	बिजनेस स्टैंडर्ड
		तिमाही/वार्षिक परिणामों के लिए वेबलिंक: https://www.eximbankindia.in/Hindi/investor-relations			

3	**लाभांश भुगतान की तरीख**	एक्ज़िम बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है। निवल लाभ शेष राशि, निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों को अंगीकृत किए जाने के बाद केंद्र सरकार को अंतरित की जाती है।
4	**स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग**	एक्ज़िम बैंक की ऋण प्रतिभूतियां नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में लिस्ट की गई हैं, एक्सचेंज प्लाज़ा, सी–1, ब्लॉक जी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई–400 051 वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को किया गया है।
5	**स्टॉक कोड**	लागू नहीं एक्ज़िम बैंक, निजी नियोजन आधार पर डिबेंचर की प्रकृति वाले प्रतिदेय, कर योग्य, असंपरिवर्तनीय (नॉन–कन्वर्टिबल), अप्रतिभूतित प्रतिभूतियों के रूप में केवल ऋण प्रतिभूतियां जारी करता है।
6	**बाजार मूल्य डेटा – पिछले वित्तीय वर्ष में प्रत्येक महीने के दौरान उच्च, निम्न**	लागू नहीं एक्ज़िम बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है। इसके अलावा, एक्ज़िम बैंक निजी नियोजन आधार पर डिबेंचर की प्रकृति वाले प्रतिदेय, कर योग्य, असंपरिवर्तनीय (नॉन–कन्वर्टिबल), अप्रतिभूतित प्रतिभूतियों के रूप में केवल ऋण प्रतिभूतियां जारी करता है।
7	**बीएसई सेंसेक्स, क्रिसिल इंडेक्स आदि जैसे व्यापक आधार वाले सूचकांकों की तुलना में प्रदर्शन।**	लागू नहीं
8	**यदि प्रतिभूतियों को ट्रेडिंग से निलंबित कर दिया जाता है, तो निदेशकों की रिपोर्ट में उसके कारण स्पष्ट किए जाएं**	लागू नहीं
9	**किसी निर्गम और शेयर ट्रान्सफर एजेंटों के लिए रजिस्ट्रार**	डेटामैटिक्स बिजनेस सॉल्यूशंस लिमिटेड पता: प्लॉट नंबर बी–5, पार्ट बी क्रॉस लेन, एमआईडीसी, अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400093 ईमेल: sunny_abraham@datamaticsbpm.com टेलीफोन: 022 – 66712001 – 06, 022 – 66719645 एक्ज़िम बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है। बैंक निजी नियोजन आधार पर डिबेंचर की प्रकृति वाले प्रतिदेय, कर योग्य, असंपरिवर्तनीय, अप्रतिभूतित प्रतिभूतियों के रूप में केवल ऋण प्रतिभूतियां जारी करता है, जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं और आवंटन, हस्तांतरण और शमन के संबंध में सभी गतिविधियों का रखरखाव डेटामैटिक्स बिजनेस सॉल्यूशंस लिमिटेड द्वारा किया जाता है।
10	**शेयर हस्तांतरण प्रणाली**	नियोजन आधार पर डिबेंचर की प्रकृति वाले प्रतिदेय, कर योग्य, असंपरिवर्तनीय, अप्रतिभूतित प्रतिभूतियों के रूप में ऋण प्रतिभूतियां जारी करता है, जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं और आवंटन, हस्तांतरण और शमन के संबंध में सभी गतिविधियां केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं।
11	**शेयरधारिता का वितरण और शेयरों और लिक्विडिटी का अमूर्तिकरण (डिमैटेरिअलाइजेशन)**	लागू नहीं एक्ज़िम बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है। बैंक निजी नियोजन आधार पर डिबेंचर की प्रकृति वाले प्रतिदेय, कर योग्य, असंपरिवर्तनीय, अप्रतिभूतित प्रतिभूतियों के रूप में ऋण प्रतिभूतियां जारी करता है।

12	**बकाया वैश्विक डिपॉजिटिरी रसीदें या अमेरिकी डिपॉजिटिरी रसीदें या वारंट या कोई परिवर्तनीय उपकरण, रूपांतरण तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव**	लागू नहीं एक्ज़िम बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है। बैंक निजी नियोजन आधार पर डिबेंचर की प्रकृति वाले प्रतिदेय, कर योग्य, असंपरिवर्तनीय, अप्रतिभूतित प्रतिभूतियों के रूप में ऋण प्रतिभूतियां जारी करता है।
13	**कमोडिटी मूल्य जोखिम**	लागू नहीं
	या विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियां	'वित्तीय विवरणों के लेखों पर टिप्पणियां' की 'टिप्पणी 10 डेरिवेटिव' का संदर्भ लीजिए।
14	**संयंत्र के स्थान**	लागू नहीं एक्ज़िम बैंक का प्रधान कार्यालय केंद्र एक भवन, 21वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल, कफ़ परेड, मुंबई 400 005 में स्थित है। बैंक के 11 घरेलू क्षेत्रीय कार्यालय हैं और आठ विदेश स्थित प्रतिनिधि कार्यालय हैं तथा लंदन में एक शाखा है।
15	**पत्राचार के लिए पता**	एक्ज़िम बैंक का प्रधान कार्यालय केंद्र एक भवन, 21वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल, कफ़ परेड, मुंबई 400 005 में स्थित है।
16	**किसी सूचीबद्ध इकाई द्वारा अपने सभी ऋण इंस्ट्रूमेंट्स या किसी भी सावधि जमा कार्यक्रम या निधियों को भारत या विदेश में लगाने की किसी योजना या प्रस्ताव के संबंध में संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त इकाई द्वारा हासिल की गई सभी क्रेडिट रेटिंग, और उनमें हुए किसी भी तरह के संशोधनों की सूची**	

इन्स्ट्रूमेंट	क्रिसिल (पुनः पुष्टि) इक्रा	(पुनः पुष्टि) इक्रा
बॉन्ड	क्रिसिल एएए; स्थिर	इक्रा एएए; स्थिर
दीर्घावधि जमा प्रमाणपत्र	क्रिसिल एएए; स्थिर	इक्रा एएए; स्थिर
अल्पावधि जमा प्रमाणपत्र	क्रिसिल ए1	इक्रा ए1+
वाणिज्यिक पत्र	क्रिसिल ए1+	इक्रा ए1+
बैंक ऋण सुविधाएं	क्रिसिल एएए; स्थिर	इक्रा एएए; स्थिर
मीयादी जमा	क्रिसिल एएए; स्थिर	इक्रा एएए; स्थिर
टियर 1 बॉन्ड (बासेल iii के तहत)	क्रिसिल एए+ स्थिर	इक्रा एए+; स्थिर

रेटिंग एजेंसी	दीर्घावधि/ अल्पावधि	रेटिंग	रेटिंग दिनांक	आउटलुक
मूडीज़	दीर्घावधि	बीएए3	18/07/2023	स्थिर
फिच	दीर्घावधि	बीबीबी–	21/03/2023	स्थिर
एस एंड पी	दीर्घावधि	बीबीबी–	03/10/2023	स्थिर
जापानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी	दीर्घावधि	बीबीबी+	04/03/2024	स्थिर

अन्य प्रकटीकरण:

1	**प्रमुख रूप से उल्लेखनीय ऐसे संबंधित पार्टी ट्रांज़ैक्शनों पर प्रकटीकरण, जिनमें व्यापक रूप से सूचीबद्ध इकाई के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है:**	'वित्तीय विवरण के लेखों पर टिप्पणियां' की 'टिप्पणी 22. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण' का संदर्भ लीजिए।
2	**पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचीबद्ध इकाई द्वारा अनुपालन के चलते स्टॉक एक्सचेंज (जों) या बोर्ड या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में सूचीबद्ध इकाई पर लगाए गए दंड या बाध्यता का विवरण:**	एक्ज़िम बैंक निजी नियोजन आधार पर डिबेंचर की प्रकृति वाले प्रतिदेय, कर योग्य, असंपरिवर्तनीय, अप्रतिभूतित प्रतिभूतियों के रूप में ऋण प्रतिभूतियां जारी करता है। स्टॉक एक्सचेंज या बोर्ड या किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा एक्ज़िम बैंक पर कोई दंड, प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
3	**सतर्कता तंत्र की स्थापना का विवरण [/] सचेतक (विसल ब्लोअर) नीति, और पुष्टि कि कोई भी कर्मी लेखा परीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं रहा:**	बैंक ने एक सतर्कता तंत्र और बोर्ड द्वारा एक विसल ब्लोअर नीति लागू की है, जो बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है: www.eximbankindia.in/Hindi
4	**अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन और गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं को अपनाने का विवरण :**	लिस्टिंग विनियमों के विनियम 15-27 के अनुसार, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानदंड, 31 मार्च, 2024 तक अनुपालन या स्पष्टीकरण के आधार पर लागू हैं।
5	**सेबी विनियमों के अनुसार नीतियों के लिए वेब लिंक:** • **निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता संबंधी नीति।** • **भौतिक सब्सिडियरी संबंधी नीति** • **संबंधित पक्ष ट्रांजैक्शन के प्रभाव संबंधी नीति।** • **अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के उचित प्रकटीकरण के लिए आचार संहिता और प्रक्रियाओं संबंधी नीति।** • **नामित व्यक्तियों और उनके निकटतम संबंधियों द्वारा ट्रेडिंग विनियमन, निगरानी और रिपोर्ट करने तथा निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए आचार संहिता।**	बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां यहां उपलब्ध हैं: https://www.eximbankindia.in/Hindi/investor-relations
6	**कमोडिटी मूल्य जोखिमों और कमोडिटी हेजिंग गतिविधियों का प्रकटीकरण।**	लागू नहीं
7	**विनियम 32 (7क) के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट अधिमान्य आवंटन अथवा अर्हता प्राप्त संस्थाओं के नियोजन के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग का विवरण।**	लागू नहीं एक्ज़िम बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है। बैंक निजी नियोजन आधार पर डिबेंचर की प्रकृति वाले प्रतिदेय, कर योग्य, गैर-परिवर्तनीय अप्रतिभूतित प्रतिभूतियों के रूप में प्रतिभूतियां जारी करता है।

8	**जहां बोर्ड ने बोर्ड की किसी समिति की कोई भी संस्तुति स्वीकार नहीं की है, जो संबंधित वित्तीय वर्ष में अनिवार्य रूप से अपेक्षित है, उसका प्रकटीकरण कारण सहित किया जाए।** **परन्तु यह खंड केवल वहीं लागू होगा जहां निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए समिति द्वारा संस्तुति / प्रस्तुतीकरण अपेक्षित हो और यह वहां लागू नहीं होगा, जहां इन विनियमों के अंतर्गत किसी भी ट्रांज़ैक्शन के लिए संबंधित समिति का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित हो।**	शून्य
9	**सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षक और नेटवर्क फर्म/नेटवर्क इकाई की सभी संस्थाओं, जिसका सांविधिक लेखा परीक्षक एक हिस्सा है, को सभी सेवाओं के लिए समेकित आधार पर भुगतान किया गया कुल शुल्क**	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने वित्तीय विवरणों की सीमित समीक्षा, कर लेखा परीक्षा और अन्य प्रमाणनों (फुटकर खर्च की प्रतिपूर्ति सहित) सहित सांविधिक लेखा परीक्षा जैसे विभिन्न कार्यों के संबंध में मैसर्स जीएमजे एंड कंपनी, सांविधिक लेखा परीक्षकों को कुल ₹48.57 लाख के शुल्क का भुगतान किया है।
10	**कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण:**	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या – शून्य वित्तीय वर्ष के दौरान निस्तारित की गई शिकायतों की संख्या–शून्य वित्तीय वर्ष के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या–शून्य
11	**सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा उन फर्मों/कंपनियों को ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिमों का प्रकटीकरण, जिनमें निदेशक नाम और राशि से हित रखते हैं:** **परंतु यह आवश्यकता सूचीबद्ध बैंकों को छोड़कर सभी सूचीबद्ध संस्थाओं पर लागू होगी:**	लागू नहीं
12	**सूचीबद्ध इकाई की भौतिक सहायक कंपनियों का विवरण; निगमन की तारीख और स्थान और ऐसी सहायक कंपनियों के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति का नाम और तारीख।**	**शून्य** **बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों का विवरण:** इंडिया एक्ज़िम फिनसर्व आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय निर्यात-आयात बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसे यथा 31 मार्च, 2024 को भौतिक सहायक कंपनी के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं है।

प्रबंध निदेशक का प्रमाण पत्र / घोषणा

मैं घोषणा करती हूं कि बोर्ड ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में बैंक के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता निर्धारित की है। आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मैं यह भी घोषणा करती हूं कि बैंक के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

कृते भारतीय निर्यात–आयात बैंक

(हर्षा बंगारी)
प्रबंध निदेशक

प्रपत्र संख्या एमआर-3

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

01-04-2023 से 31-03-2024 तक की अवधि के लिए

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 24क के अनुसार

प्रति,
सदस्यगण,
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
केंद्र एक भवन, 21वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल,
कफ़ परेड, मुंबई 400005

हमने **भारतीय निर्यात-आयात बैंक** (आगे "बैंक" के रूप में संदर्भित) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट पद्धतियों के अनुपालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरीके से की गई कि हमें कॉर्पोरेट आचार/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार मिला।

बैंक के बही-खातों, दस्तावेजों, मिनट बुक और दाखिल किए गए रिटर्न और बैंक द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों के हमारे सत्यापन और सचिवीय लेखा परीक्षा कार्य के दौरान बैंक तथा बैंक के अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, बैंक ने 1 अप्रैल, 2023 से 31, मार्च 2024 तक की लेखा परीक्षा अवधि के दौरान इसके अंतर्गत सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और हम यह रिपोर्ट करते हैं कि बैंक में समुचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र हैं और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन हैं:

हमने 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की लेखा परीक्षा अवधि के लिए बैंक द्वारा रखी गई बहियों, दस्तावेजों, मिनट बुक, और रिटर्न और अन्य रिकॉर्डों की जांच की है:

i. भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 ("एक्ज़िम बैंक अधिनियम");

ii. भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियम, 2020;

iii. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम; **(लागू नहीं हैं क्योंकि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित नहीं है)**

iv. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम (लागू सीमा तक)

v. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उपनियम (लागू सीमा तक)

vi. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पारदेशीय प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक;

vii. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश:

क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011; **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015; **(लागू सीमा तक)**

ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018; **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और श्रम-जन्य इक्विटी) विनियम, 2021 और समय-समय पर यथासंशोधित **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग) विनियम, 2021; **(लागू सीमा तक)**

च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993, कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में; **(लागू सीमा तक)**

छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) विनियम, 2009: **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड प्रतिभूतियों का बाय-बैक विनियम, 2018 **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

क) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक; **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)**

ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (सेबी एलओडीआर विनियम) और बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए लिस्टिंग करार । **(लागू सीमा तक)।**

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसार, बैंक एक उच्च मूल्य ऋण प्रदाता सूचीबद्ध इकाई है, इसलिए अध्याय के प्रावधान 31 मार्च, 2025 तक 'अनुपालन या स्पष्टीकरण' आधार पर लागू होंगे।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने निम्नलिखित को छोड़कर उपरोक्त एक्ज़िम बैंक अधिनियम, नियम, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

- एक्ज़िम बैंक अधिनियम की धारा 6(1)(क) के अनुसरण में निदेशक मंडल में केंद्र सरकार द्वारा अध्यक्ष (गैर-कार्यकारी) की नियुक्ति प्रतीक्षित है। एक्ज़िम बैंक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक्ज़िम बैंक अधिनियम की धारा 6(1)(क) के अंतर्गत नियुक्त प्रबंध निदेशक द्वारा बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता की जाती है। तथापि, बैंक अपने बोर्ड में रिक्तियों को भरने के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार के साथ मासिक आधार पर संपर्क में रहता है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

एक्ज़िम बैंक के निदेशक मंडल का गठन एक्ज़िम बैंक अधिनियम की धारा 6 के अनुसार विधिवत् किया गया है, जिसमें कार्यपालक निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों के पद हैं और इसे उच्च मूल्य ऋण प्रदाता सूचीबद्ध इकाई के रूप में बैंक पर लागू सीमा तक सेबी एलओडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप देखा जाता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो परिवर्तन हुए, वे एक्ज़िम बैंक अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में और नियुक्तियों/नामांकन आदेशों के अनुसार रहे।

बोर्ड की बैठकें निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया गया, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट पर्याप्त समय रहते भेजे गए, और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर विस्तृत जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक सिस्टम मौजूद है।

निदेशकों द्वारा अपेक्षित अनुसार, कार्यसूची मदों पर आवश्यक सूचना / स्पष्टीकरण प्रदान किया जाता है, ताकि बैठक में सार्थक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। संबंधित बैठक में हुई चर्चाओं को उचित रूप से दर्ज किया जाता है और उपस्थित सभी सदस्यों की सहमति से निर्णय लिए जाते हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार और परिचालनों के अनुरूप, बैंक में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, नीचे उल्लिखित को छोड़कर बैंक में कोई विशिष्ट घटना या कार्रवाई नहीं रही जो उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में बैंक के कार्यों पर प्रभाव डाल सकती है।

यथा 20 जून, 2023 को गुजरात इंटरनैशनल फायनैंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में स्थित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, **इंडिया एक्ज़िम फिनसर्व आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड** का निगमीकरण।

कृते **रागिनी चोकशी एंड कंपनी**
(कंपनी सचिव)
फर्म पंजीकरण संख्या 92897

हस्ताक्षर/-
रागिनी चोकशी
(पार्टनर)
सी.पी. संख्या: 1436
एफसीएस संख्या: 2390
स्थान: मुंबई पीआर प्रमाण पत्र संख्या: 659 / 2020
दिनांक: 30.04.2024 यूडीआईएन: एफ002390एफ000279205

इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्यक तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाए जो अनुलग्नक "क" के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

अनुलग्नक "क"

प्रति,
सदस्यगण,
भारतीय निर्यात–आयात बैंक
केंद्र एक भवन, 21वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल,
कफ परेड, मुंबई 400005.

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमारी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना है।

1. सचिवीय रिकॉर्ड के रखरखाव का उत्तरदायित्व बैंक के प्रबंधन का है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्डों पर अभिमत व्यक्त करना है।

2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की परिशुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखा परीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हो, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा विश्वास है कि हम जिन प्रक्रियाओं और पद्धतियों का पालन करते हैं, वे हमारे अभिमत के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. हमने बैंक के वित्तीय रिकॉर्ड और बही खातों की शुद्धता और उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की है।

4. जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के होने आदि के संबंध में प्रबंधन अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच, परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

6. यह सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में कोई आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के कार्यों का संचालन किया है।

कृते **रागिनी चोकशी एंड कंपनी**
(कंपनी सचिव)
फर्म पंजीकरण संख्या 92897

हस्ताक्षर/–
रागिनी चोकशी
(पार्टनर)
सी.पी. संख्या: 1436
एफसीएस संख्या: 2390
पीआर प्रमाण पत्र संख्या: 659 / 2020
यूडीआईएन: एफ002390एफ000279205

स्थान: मुंबई
दिनांक: 30.04.2024

सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट भारतीय निर्यात–आयात बैंक

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 24क के अंतर्गत सेबी परिपत्र संख्या सीआईआर / सीएफडी/सीएमडी 1 / 27 / 2019 दिनांकित 08 फरवरी, 2019 के साथ पठित]

हमने निम्नलिखित की जांच की है:

(क) हमें भारतीय निर्यात–आयात बैंक ("उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध इकाई") द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड और प्रदान किए गए स्पष्टीकरण,

(ख) इस सूचीबद्ध इकाई द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई फाइलिंग / प्रस्तुतीकरण,

(ग) इस सूचीबद्ध इकाई की वेबसाइट

(घ) कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज / फाइलिंग, जिस पर इस प्रमाणन को बनाने के लिए निर्भर रहा गया है,

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष ("समीक्षा अवधि") के लिए निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में

(क) भारतीय निर्यात–आयात बैंक अधिनियम, 1981 ("एक्ज़िम बैंक अधिनियम");

(ख) भारतीय निर्यात–आयात बैंक सामान्य विनियम, 2020;

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") और इसके अंतर्गत जारी विनियम, परिपत्र, दिशानिर्देश और

(घ) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, (एससीआरए), इसके अंतर्गत बनाए गए नियम और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा इसके अंतर्गत जारी विनियम, परिपत्र, दिशानिर्देश **(लागू सीमा तक)**

विशिष्ट विनियम, जिनके प्रावधानों और उनके अंतर्गत जारी परिपत्रों / दिशानिर्देशों की जांच की गई है, में निम्नलिखित शामिल हैं: –

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और समय–समय पर यथासंशोधित; **(लागू सीमा तक)**

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 और समय–समय पर यथासंशोधित; **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 और समय–समय पर यथा संशोधित; **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड प्रतिभूतियों का क्रय द्वारा वापस लेना (बाय–बैक) विनियम, 2018; **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और श्रम–जन्य इक्विटी) विनियम, 2021 और समय–समय पर यथासंशोधित; **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन–कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग) विनियम, 2021 और समय–समय पर यथा संशोधित; **(लागू सीमा तक)**

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड असंपरिवर्तनीय मोचनीय (नॉन–कन्वर्टिबल रिडीमेबल) अधिमानी शेयरों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता विनियम, 2021 **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 और समय–समय पर यथासंशोधित; **(लागू सीमा तक)**

(झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 **(लागू सीमा तक);**

(ञ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

(ट) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेशक संरक्षण और शिक्षण निधि) विनियम, 2009 **(यथा लागू अनुसार)**

(ठ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में; **(लागू सीमा तक)**

हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षा अवधि के दौरान इस सूचीबद्ध इकाई की अनुपालन स्थिति नीचे दी गई है:

क्र. सं.	विवरण	अनुपालन स्थिति (हां /नहीं / लागू नहीं)	पीसीएस द्वारा ऑब्जर्वेशन टिप्पणियां*
1	**सचिवीय मानक:** इस सूचीबद्ध इकाई के अनुपालन, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों (एसएस) के अनुसार हैं।	लागू नहीं	यह लागू नहीं है क्योंकि बैंक कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित नहीं है।
2	**नीतियों का अंगीकरण और समय पर अपडेशन:** • सेबी विनियमों के अंतर्गत सभी लागू नीतियों को सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक मंडल के अनुमोदन से अंगीकृत किया जाता है। • सभी नीतियां सेबी विनियमों के अनुरूप हैं और सेबी द्वारा जारी विनियमों / परिपत्रों / दिशानिर्देशों के अनुसार इनकी समीक्षा की गई है और इन्हें समय पर अपडेट किया गया है।	हां	कोई नहीं
3	**वेबसाइट रखरखाव और प्रकटीकरण:** • इस सूचीबद्ध इकाई का कार्यात्मक वेबसाइट है । • वेबसाइट पर एक अलग सेक्शन के तहत दस्तावेजों / सूचनाओं का समय पर प्रसार किया जाता है। • विनयम 27(2) के अंतर्गत वार्षिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में प्रदान किए गए वेब-लिंक सटीक और विशिष्ट है जो वेबसाइट के संबंधित दस्तावेज / सेक्शन पर ले जाते हैं।	हां	कोई नहीं
4	**निदेशक की निरहर्ता:** बैंक का कोई भी निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत निरर्ह नहीं है।	हां	बैंक भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 के अंतर्गत शासित है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 लागू नहीं होता है।
5	**सूचीबद्ध संस्थाओं की सहायक कंपनियों से संबंधित विवरणों की जांच करने के लिए:** (क) मैटीरियल सहायक कंपनियों का चिह्नीकरण (ख) मैटीरियल और अन्य सहायक कंपनियों के प्रकटीकरण के संबंध में अपेक्षाएं	हां	बैंक की कोई मैटीरियल सहायक कंपनी नहीं है और बैंक ने अन्य सहायक कंपनियों के प्रकटीकरण के संबंध में आवश्यकता का अनुपालन किया है।
6	**दस्तावेजों का संरक्षण:** यह सूचीबद्ध इकाई सेबी विनियमों के अंतर्गत निर्धारित रिकॉर्डों का संरक्षण और रखरखाव कर रही है और सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के अंतर्गत निर्धारित, 'दस्तावेजों का संरक्षण नीति' और 'अभिलेखीय नीति' के अनुसार रिकॉर्डों का निस्तारण कर रही है।	हां	कोई नहीं
7	**निष्पादन मूल्यांकन:** इस सूचीबद्ध इकाई ने सेबी विनियमों में निर्धारित अनुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में बोर्ड, स्वतंत्र निदेशकों और समितियों का निष्पादन मूल्यांकन किया है।	लागू नहीं	यह लागू नहीं है, क्योंकि सभी निदेशकों को एक्ज़िम बैंक अधिनियम के अनुसार भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। पूर्णकालिक निदेशकों का मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रमुख निष्पादन संकेतकों के साथ निष्पादन मूल्यांकन फ्रेमवर्क के आधार पर किया जाता है।

क्र. सं.	विवरण	अनुपालन स्थिति (हां /नहीं / लागू नहीं)	पीसीएस द्वारा ऑब्जर्वेशन टिप्पणियां*
8	**संबंधित पक्ष ट्रांज़ैक्शन:** (क) इस सूचीबद्ध इकाई ने सभी संबंधित पक्ष ट्रांज़ैक्शनों के लिए लेखा परीक्षा समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया है (ख) यदि कोई पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है, तो सूचीबद्ध इकाई लेखा परीक्षा समिति द्वारा ट्रांज़ैक्शन को बाद में अनुमोदित/ सत्यापित / अस्वीकृत किए जाने की पुष्टि के साथ विस्तृत कारण प्रदान करेगी।	हां	संबंधित पक्ष ट्रांज़ैक्शनों के लिए लेखा परीक्षा समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाता है और तिमाही आधार पर समीक्षा के लिए लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट किया जाता है और लेखों पर टिप्पणियों के हिस्से के रूप में वार्षिक रिपोर्ट में भी प्रकट किया जाता है।
9	**घटनाओं या सूचनाओं का प्रकटीकरण:** इस सूचीबद्ध इकाई ने सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 की अनुसूची III के साथ विनियम 30 के अंतर्गत सभी आवश्यक प्रकटीकरण इसके तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रदान किए हैं।	लागू नहीं	सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 का विनियम 30 बैंक पर लागू नहीं है। तथापि, सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियमन 51 के अनुसार समय पर प्रकटीकरण प्रस्तुत किए गए।
10	**इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध:** इस सूचीबद्ध इकाई द्वारा सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के विनियम 3(5) और 3(6) का अनुपालन किया गया है।	हां	कोई नहीं
11	**सेबी या स्टॉक एक्सचेंज(जों) द्वारा की गई कार्रवाई, यदि कोई हो:** इस सूचीबद्ध इकाई / इसके प्रवर्तकों / निदेशकों / सहायक कंपनियों के विरुद्ध सेबी विनियमों और उनके अंतर्गत जारी परिपत्रों / दिशानिर्देशों (विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से सेबी द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं सहित) के अंतर्गत सेबी या स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।	लागू नहीं	समीक्षाधीन अवधि के दौरान सेबी या स्टॉक एक्सचेंज(जों) द्वारा की गई कोई कार्रवाई नहीं पाई गई।
12	**अतिरिक्त अननुपालन, यदि कोई हो:** सेबी के सभी विनियमों / परिपत्र / मार्गदर्शन नोट आदि के संबंध में कोई अतिरिक्त अननुपालन नहीं पाया गया।	लागू नहीं	समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई अननुपालन नहीं पाया गया।

8 अक्टूबर, 2029 के सेबी परिपत्र सीआईआर / सीएफडी / सीएमडी /114/ 2019 के अनुसार सूचीबद्ध संस्थाओं और उनकी मैटीरियल सहायक कंपनियों से सांविधिक लेखा परीक्षकों के त्यागपत्र से संबंधित अनुपालन:

क्र. सं.	विवरण	अनुपालन स्थिति (हां / नहीं / लागू नहीं)	पीसीएस द्वारा ऑब्ज़र्वेशन / टिप्पणियां
1	**लेखा परीक्षक की नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति के समय निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन**		
	i. यदि लेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष की तिमाही के अंत से 45 दिनों के भीतर त्यागपत्र दे दिया है, तो ऐसे त्यागपत्र से पहले लेखा परीक्षक ने ऐसी तिमाही के लिए सीमित समीक्षा / लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी है; या	लागू नहीं	समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं
	ii. यदि लेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष की तिमाही के अंत से 45 दिनों के बाद त्यागपत्र दिया है, तो ऐसे त्यागपत्र से पहले लेखा परीक्षक ने ऐसी तिमाही के साथ-साथ अगली तिमाही के लिए सीमित समीक्षा / लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की है; या	लागू नहीं	समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं

क्र. सं.	विवरण	अनुपालन स्थिति (हां / नहीं / लागू नहीं)	पीसीएस द्वारा ऑब्ज़र्वेशन / टिप्पणियां
	iii. यदि लेखा परीक्षक ने किसी वित्तीय वर्ष की पहली तीन तिमाहियों के लिए सीमित समीक्षा / लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ऐसे त्यागपत्र से पहले लेखा परीक्षक ने ऐसे वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के लिए सीमित समीक्षा/ लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ-साथ ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की है।	लागू नहीं	समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं
2	**सांविधिक लेखा परीक्षक के त्यागपत्र से संबंधित अन्य शर्तें**		
	i. लेखा परीक्षा समिति को सूचीबद्ध इकाई / उसकी मैटीरियल सहायक कंपनी के संबंध में लेखा परीक्षक की चिंता के विषयों की रिपोर्टिंगः क. ऐसे किसी भी मामले में जिसमें सूचीबद्ध इकाई / मैटीरियल सहायक कंपनी के प्रबंधन को लेकर कोई चिंता का विषय रहा हो जैसे- सूचना की अनुपलब्धता / प्रबंधन द्वारा असहयोग, जिससे लेखा परीक्षा प्रक्रिया बाधित हुई हो, लेखा परीक्षक ने सूचीबद्ध इकाई की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष से संपर्क किया है और लेखा परीक्षा समिति द्वारा तिमाही लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की विशेष रूप से प्रतीक्षा किए बिना, चिंता के ऐसे विषयों को सीधे और तुरंत लिया जाएगा। ख. यदि लेखा परीक्षक द्वारा त्यागपत्र देने का प्रस्ताव रखा जाता है, तो प्रस्तावित त्यागपत्र के संबंध में सभी चिंताओं को संबंधित दस्तावेजों के साथ लेखा परीक्षा समिति के ध्यान में लाया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां प्रस्तावित त्यागपत्र कंपनी से सूचान / स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण है, लेखा परीक्षक ने मांगी गई और प्रबंधन द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई जानकारी / स्पष्टीकरण के विवरण के बारे में लेखा परीक्षा समिति को सूचित किया है। ग. लेखा परीक्षा समिति / निदेशक मंडल, जैसा भी माम ला हो, ने उपर्युक्त अनुसार त्यागपत्र देने के प्रस्ताव से संबंधित लेखा परीक्षक से ऐसी सूचना प्राप्त होने पर मामले पर विचार-विमर्श किया और प्रबंधन तथा लेखा परीक्षक को अपने विचारों से अवगत कराया।	लागू नहीं	समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं
	ii. जानकारी प्राप्त न होने की स्थिति में अस्वीकरणः लेखा परीक्षक ने अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में एक ऐसे मामलों में आईसीएआई / एनएफआरए द्वारा विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार, उपयुक्त अस्वीकरण प्रदान किया है, जहां सूचीबद्ध इकाई / उसकी मैटीरियल सहायक कंपनी ने लेखा परीक्षक द्वारा अपेक्षित अनुसार जानकारी प्रदान नहीं की है।	लागू नहीं	समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं
3	सूचीबद्ध इकाई / इसकी सहायक कंपनी ने त्यागपत्र देने पर लेखा परीक्षक से 18 अक्टूबर, 2019 के सेबी परिपत्र सीआईआर /सीएफडी / सीएमडी।/ 114 / 2019 अनुलग्नक-क में निर्दिष्ट प्रारूप में सूचना प्राप्त की है।	लागू नहीं	समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं

सूचीबद्ध इकाई ने नीचे विनिर्दिष्ट मामलों को छोड़कर, उपर्युक्त विनियमों और उनके तहत जारी परिपत्रों / दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन किया है:-

क्र सं.	अनुपालन अपेक्षा (विनियम/ परिपत्र/ दिशानिर्देश सहित विशिष्ट खंड)	विनियम/ परिपत्र	विचलन	की गई कार्रवाई	कार्रवाई का प्रकार	उल्लंघन का विवरण	दंड राशि	कार्यरत कंपनी सचिव के ऑब्ज़र्वेशन/ टिप्पणियां	प्रबंधन की प्रतिक्रिया	टिप्पणियां
समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऐसे कोई मामले नहीं हैं।										

टिप्पणियाः-

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसार, बैंक एक उच्च मूल्य ऋण प्रदाता सूचीबद्ध इकाई है, इसलिए अध्याय IV के प्रावधान 31 मार्च, 2025 तक 'अनुपालन या स्पष्टीकरण' आधार पर लागू होंगे;

   संबंधित अधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर, बैंक भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (एक्ज़िम बैंक अधिनियम) और भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियम, 2020 (एक्ज़िम बैंक सामान्य विनियम) द्वारा शासित है। इस प्रकार, कॉर्पोरेट गवर्नेंस संरचना और अनुपालन उस सीमा तक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अंतर्गत विशिष्ट विनियमों के अनुसार हैं जब तक इन विनियमों का टकराव एक्ज़िम बैंक अधिनियम और एक्ज़िम बैंक सामान्य विनियमों के प्रावधानों के साथ न हो।

पिछली रिपोर्टों में की गई टिप्पणियों के अनुपालन में सूचीबद्ध संस्था द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:

क्र सं.	अनुपालन अपेक्षा (विनियम/ परिपत्र/ दिशानिर्देश सहित विशिष्ट खंड)	विनियम/ परिपत्र	विचलन	की गई कार्रवाई	कार्रवाई का प्रकार	उल्लंघन का विवरण	दंड राशि	कार्यरत कंपनी सचिव के ऑब्ज़र्वेशन/ टिप्पणियां	प्रबंधन की प्रतिक्रिया	टिप्पणियां
लागू नहीं										

कृते **रागिनी चोकशी एंड कंपनी**
(कंपनी सचिव)
फर्म पंजीकरण संख्या 92897

हस्ताक्षर/-
रागिनी चोकशी
(कंपनी सचिव/पार्टनर)
एफसीएस संख्याः 2390
सी.पी. संख्याः 1436
पीआर प्रमाण पत्र संख्याः 659/2020
यूडीआईएनः एफ002390एफ000278897

स्थानः मुंबई
दिनांक 30.04.2024

कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी प्रमाण पत्र

[सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची V के भाग ङ के अनुसार]

प्रति,
सदस्यगण,
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
केंद्र एक भवन, 21वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल,
कफ परेड, मुंबई 400 005.

हमने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 से 27, विनियम 46 के उप-विनियम (2) के खंड (ख) से (झ), विनियम 62 और इसकी अनुसूची V के पैरा-ग, घ और ङ में निर्धारित अनुसार, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक ('बैंक') द्वारा एक उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध इकाई के रूप में बैंक पर लागू सीमा तक कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिमत की अभिव्यक्ति है।

संबंधित अधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर, बैंक भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (एक्ज़िम बैंक अधिनियम) और भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियम, 2020 (एक्ज़िम बैंक सामान्य विनियम) द्वारा अभिशासित है। इस प्रकार, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर और अनुपालन, उस सीमा तक सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विशिष्ट विनियमों के अनुसार हैं, जब तक कि वे एक्ज़िम बैंक अधिनियम और एक्ज़िम बैंक सामान्य विनियमों के प्रावधानों के प्रतिकूल न हो।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसार, बैंक एक उच्च मूल्य ऋण प्रदाता सूचीबद्ध इकाई है, इसलिए अध्याय के प्रावधान 31 मार्च, 2024 तक 'अनुपालन या स्पष्टीकरण' आधार पर लागू होंगे।

हम यह उल्लेख भी करते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में कोई आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के कार्यों का संचालन किया है।

कृते **रागिनी चोकशी एंड कंपनी**
(कंपनी सचिव)
फर्म पंजीकरण संख्या 92897

हस्ताक्षर/-
रागिनी चोकशी
(कंपनी सचिव/पार्टनर)
एफसीएस संख्या: 2390
सी.पी. संख्या: 1436
पीआर प्रमाण पत्र संख्या: 659/2020
यूडीआईएन: एफ002390एफ000279073

स्थानः मुंबई
दिनांक: 30/04/2024

निदेशकों की निरर्हता का प्रमाण पत्र

[सेबी (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V पैरा ग खंड (10) (झ) के अनुसार]

प्रति
सदस्यगण,
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
केंद्र एक भवन, 21वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल,
कफ परेड, मुंबई 400 005

हमने इस प्रमाण पत्र को जारी करने के उद्देश्य से, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V के पैरा ग खंड 10 (झ) के साथ पठित विनियम 34(3) और भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 ("एक्जिम बैंक अधिनियम") के अनुसार, केंद्र एक भवन, 21वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल, कफ परेड, मुंबई 400 005 में अपने प्रधान कार्यालय वाले भारतीय निर्यात-आयात बैंक (इसके बाद 'बैंक' के रूप में संदर्भित) द्वारा प्रस्तुत किए गए संबंधित रजिस्टरों, रिकॉर्डों, फॉर्मों, रिटर्नों और निदेशकों से प्राप्त प्रकटीकरण की जांच की है।

हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्कृष्ट जानकारी के अनुसार, और पोर्टल (www.mca.gov.in) पर सत्यापित स्थिति के अनुसार (निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति सहित और बैंक और उसके अधिकारियों द्वारा हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरण के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के बोर्ड में नीचे उल्लिखित अनुसार किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसे किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों / बैंकों के निदेशकों के रूप में नियुक्त होने या इस पद पर बने रहने के लिए निरर्ह घोषित नहीं किया गया है।

क्र. सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	बैंक में नियुक्ति की तिथि
1.	सुश्री हर्षा बंगारी	01807838	08.09.2021
2.	श्री तरुण शर्मा	–	18.04.2023
3.	श्री दम्मू रवि	–	20.09.2021
4.	सुश्री हिमानी पांडे	03472356	25.05.2023
5.	डॉ. अभिजीत फुकन	–	30.06.2023
6.	श्री विपुल बंसल	02687229	03.12.2021
7.	सुश्री अपर्णा भाटिया	09402061	10.11.2023
8.	श्री आर. सुब्रमणियन	–	13.02.2021
9.	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ	10375617	16.11.2023
10.	श्री दिनेश कुमार खारा	06737041	24.12.2020
11.	श्री राकेश शर्मा	06846594	21.12.2018
12.	श्री एम.वी. राव	06930826	21.09.2022
13.	श्री अशोक कुमार गुप्ता	01187193	21.12.2021

बैंक के बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/नामांकन एक्ज़िम बैंक अधिनियम में विनिर्दिष्ट अनुसार, केंद्र सरकार/संस्थाओं द्वारा किया जाता है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे सत्यापन के आधार पर इन पर अभिमत व्यक्त करना है। यह प्रमाण पत्र न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में कोई आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के कार्यों का संचालन किया है।

कृते **रागिनी चोकशी एंड कंपनी**
(कंपनी सचिव)
फर्म पंजीकरण संख्या 92897

हस्ताक्षर/-
रागिनी चोकशी
(कंपनी सचिव/पार्टनर)
एफसीएस संख्या: 2390
सी.पी. संख्या: 1436
पीआर प्रमाण पत्र संख्या: 659/2020
यूडीआईएन: एफ002390एफ000279141

दिनांक: 30/04/2024
स्थानः मुंबई

एकल वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में
भारत के राष्ट्रपति

लेखा परीक्षित एकल वित्तीय विवरणों संबंधी रिपोर्ट

अभिमत

हमने भारतीय निर्यात–आयात बैंक ('बैंक') की सामान्य निधि के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा कर ली है, जिसमें यथा 31 मार्च, 2024 को तुलन–पत्र तथा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए एकल लाभ और हानि लेखे एवं एकल नकदी प्रवाह विवरण और एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां तथा महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, ये एकल वित्तीय विवरण भारतीय निर्यात–आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 2020 के विनियम 14 (i) में वांछित अनुसार, यथा 31 मार्च 2024 को बैंक की वित्तीय स्थिति, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का लाभ और नकदी प्रवाह विवरण संबंधी स्थिति की सत्य एवं सही स्थिति प्रकट करते हैं और ये भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा अधिसूचित लेखांकन मानकों तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

अभिमत का आधार

हमने आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों का विवरण, हमारी रिपोर्ट के 'वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा' खंड में आगे 'लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व' में दिया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक संहिता और विशिष्ट वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा से जुड़ी नैतिक अपेक्षाओं के अनुरूप, बैंक से किसी प्रकार से संबद्ध नहीं हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं एवं नैतिक संहिता के अनुरूप अपने नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमारा मत है कि हमें मिले लेखा परीक्षा संबंधी साक्ष्य पर्याप्त हैं और हमारे एकल वित्तीय विवरणों से संबंधित लेखा अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए समुचित हैं।

लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामले

लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामले वे हैं, जो हमारे प्रोफेशनल निर्णय में, वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्त्व के रहे। इन मामलों का समाधान, संपूर्ण रूप में, एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा और उस पर हमारा अभिमत बनाने के संदर्भ में किया गया और हम उन मामलों के संबंध में अलग से अभिमत प्रदान नहीं करते हैं।

हमने अपनी रिपोर्ट में नीचे दिए गए मामलों को लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामलों के रूप में वर्णित करने का निर्णय लिया है:

क्रमांक	लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामले	हमारी लेखा परीक्षा में मामलों का समाधान ऐसे किया गया
1	**अनर्जक ऋण एवं अग्रिमों का निर्धारण और प्रावधानीकरण:** ऋण एवं अग्रिम, बैंक की आस्तियों का महत्त्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और इन अग्रिमों की गुणवत्ता को, बैंक के सकल ऋण एवं अग्रिमों की तुलना में अनर्जक अग्रिमों ("एनपीए") के अनुपात के रूप में मापा जाता है। यथा 31 मार्च, 2024 को बैंक के ऋण एवं अग्रिम, कुल आस्तियों के 82.11% रहे और बैंक का सकल एनपीए अनुपात 1.94% रहा।	**हमने अन्य के साथ–साथ निम्नलिखित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं अपनाई हैं:** – एनपीए निर्धारण और प्रावधानीकरण के लिए बैंक की नीतियों को ध्यान में रखना तथा आईआरएसीपी मानदंडों के अनुपालन का मूल्यांकन करना। – मौजूदा आईआरएसीपी दिशानिर्देशों और केवल बैंक के संबंध में दिए गए आरबीआई के अतिरिक्त निदेशों के आधार पर ह्रासित खातों का निर्धारण करने के संबंध में प्रमुख नियंत्रणों (एप्लिकेशन नियंत्रणों सहित) को समझना और उनकी परिचालन प्रभावशीलता का मूल्यांकन तथा परीक्षण करना।

क्रमांक	लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामले	हमारी लेखा परीक्षा में मामलों का समाधान ऐसे किया गया
	भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") के आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) दिशानिर्देशों में एनपीए तथा ऐसी आस्तियों के लिए न्यूनतम प्रावधान का निर्धारण और वर्गीकरण करने के लिए विवेकसम्मत मानदंड निर्धारित किए गए हैं। ये मानदंड, मात्रात्मक और गुणात्मक कारकों का प्रयोग करते हुए एनपीए का निर्धारण करने और उनके लिए अपेक्षित प्रावधान करने के संबंध में बैंक पर भी लागू होते हैं। एनपीए का निर्धारण कुछ निश्चित क्षेत्रों में दबाव और लिक्विडिटी जैसे कारकों से प्रभावित होता है। निर्धारित एनपीए के लिए प्रावधानीकरण, उन एनपीए के कालिक क्षय और वर्गीकरण, वसूली अनुमान, सिक्योरिटी के मूल्य और अन्य गुणात्मक कारकों के आधार पर आकलित किया जाता है तथा यह प्रावधान आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रावधानीकरण मानदंडों के अध्यधीन है। इसके अतिरिक्त, बैंक कुछ निश्चित क्षेत्रों में ऋण एवं अग्रिमों और एनपीए हो जाने की आशंका वाले चिह्नित ऋण एवं अग्रिमों अथवा समूह ऋण एवं अग्रिमों सहित उन एक्सपोज़रों के लिए भी प्रावधान करता है, जो एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किए गए हैं। इन्हें आकस्मिक प्रावधानों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बैंक ने इस संबंध में अपनी लेखांकन नीति में, नोट । (iii) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के अंतर्गत "महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों पर टिप्पणियां" में विवरण दिया है। चूंकि एनपीए का निर्धारण और ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधानीकरण में महत्त्वपूर्ण आकलन अपेक्षित होता है और समग्र लेखा परीक्षा में इसके महत्त्व को देखते हुए, हमने एनपीए के निर्धारण और प्रावधानीकरण को लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामला माना है।	– यथोचित प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने के लिए ऋण एवं अग्रिमों पर विभिन्न आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता की जांच की गई और बैंक की निगरानी प्रक्रिया के अनुसार की गई विभिन्न लेखा परीक्षाओं तथा आरबीआई निरीक्षण की टिप्पणियों के संबंध में अनुपालन की जांच की गई। – चिह्नित उधारकर्ताओं के लेखा विवरणों और अन्य संबंधित जानकारियों की मात्रात्मक और गुणात्मक जोखिम कारकों के आधार पर समीक्षा करना। – बैंक द्वारा तनावग्रस्त ऋण खातों को चिह्नित करने के लिए बनाई गई पूर्व चेतावनी रिपोर्टों की जांच करना। – जहां कहीं भी ऋण जोखिम माना गया, उन मामलों में बैंक के प्रबंधन के साथ विशिष्ट चर्चा करना और जोखिमों को कम करने के उपाय करना। – बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार की गई जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा और संगामी लेखा परीक्षा की प्रमुख टिप्पणियों को ध्यान में रखना। – बैंक से संबंधित आरबीआई की वित्तीय निरीक्षण रिपोर्टों, वर्ष के दौरान इन टिप्पणियों पर बैंक के उत्तर और आरबीआई के साथ हुए पत्राचार को ध्यान में रखना। – हमने एनपीए के संबंध में, संबंधित लेखा मानकों और आरबीआई की अपेक्षाओं के एवज में प्रकटीकरण की सुसंगतता और पर्याप्तता का मूल्यांकन किया। साथ ही, विनियामकीय पैकेज और समाधान फ्रेमवर्क के अनुसार आवश्यक अतिरिक्त प्रकटीकरण का भी मूल्यांकन करना। **ऋण एवं अग्रिमों के प्रावधानीकरण के संबंध में हमने निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनाईः** – ऋण एवं अग्रिमों के प्रावधानीकरण के लिए बैंक की प्रक्रिया के संबंध में एक समझ बनाई। – आरबीआई विनियमों के अनुपालन के लिए प्रबंधन द्वारा की गई गणना तथा प्रावधानीकरण के लिए आंतरिक स्तर पर निर्धारित की गई नीतियों की सैंपल आधार पर जांच की गई। – ऐसे ऋण खातों के लिए, जो एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किए गए हैं और बैंक ने उनके लिए प्रावधान किए हैं, हमने उन प्रावधानों के लिए बैंक के मूल्यांकन की समीक्षा की।
2	**आयकर के लिए आकस्मिक देयताः** बैंक में कुछ महत्त्वपूर्ण कर मामले चल रहे हैं, जिनमें ऐसे मामले भी शामिल हैं, जो विवादित हैं और उन विवादों में संभावित परिणाम के लिए निर्णय महत्त्वपूर्ण होगा। चूंकि इन कर मामलों के मूल्यांकन में महत्त्वपूर्ण स्तर का निर्णय अपेक्षित है, इसलिए हमने इसे लेखा संबंधी प्रमुख मामलों में शामिल किया।	– कर देयताएं और कर प्रावधान निर्धारित करने के लिए बैंक की प्रक्रिया के संबंध में समझ बनाना। – रिपोर्टिंग की तारीख को कर मामलों के संबंध में कानूनी वरीयता, अन्य निर्णयों और नई जानकारी पर विचार करने के बाद महत्त्वपूर्ण कर जोखिमों के लिए देयता की संभावना और उसके स्तर के मूल्यांकन को समझने के लिए बाहरी कर विशेषज्ञों को शामिल किया। – कर प्राधिकारों के साथ हुए पत्राचार सहित संबंधित दस्तावेजीकरण का संदर्भ लेते हुए कर मांग की समीक्षा की गई।

क्रमांक	लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामले	हमारी लेखा परीक्षा में मामलों का समाधान ऐसे किया गया
		– इस संबंध में एकल वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरणों का मूल्यांकन किया गया। – हमने विवादित आयकर देयताओं के प्रावधानीकरण पर बैंक के मत को रेखांकित किया। बैंक तथा बाह्य कर विशेषज्ञों के साथ हुई चर्चा के आधार पर आयकर के लिए आकस्मिक देयता के तहत ₹ 0.55 बिलियन का प्रकटीकरण (गत वर्षः ₹ 0.55 बिलियन) किया गया है।
3	**वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियां और नियंत्रण** बैंक की प्रमुख वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं, प्रणालियों में स्वचालित नियंत्रण सहित सूचना प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भर हैं। यह निर्भरता इतनी अधिक है कि इससे यह जोखिम बना रहता है कि आईटी नियंत्रण परिवेश में किसी भी तरह के गैप से वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग रिकॉर्ड गलत हो सकते हैं। आईटी परिवेश की व्यापक प्रकृति और जटिलता के साथ-साथ सटीक और समय पर वित्तीय रिपोर्टिंग में आईटी के महत्त्व के कारण हमने इस क्षेत्र को एक प्रमुख ऑडिट मामले के रूप में चिह्नित किया है।	बैंक की आईटी प्रणालियों और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए संबंधित नियंत्रणों की समीक्षा हेतु हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं के एक हिस्से के रूप में हमने निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनाई हैं: – वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्त्वपूर्ण बैंक की आईटी प्रणालियों और नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभाविता का मूल्यांकन करने के लिए वॉकथ्रू किया गया। – बैंक में चिह्नित किए गए ऐप्लिकेशन सिस्टम्स के संबंध में यथोचित अंतराल पर ऐप्लिकेशन सॉफ्टवेयर ऑडिट के लिए एक प्रणाली लागू है। बैंक द्वारा यथोचित अंतराल पर सूचना प्रणाली सुरक्षा ऑडिट की जाती है। – हमने वर्ष के दौरान बैंक की आईटी प्रणालियों पर की गई ऑडिट में सामने आई प्रमुख टिप्पणियों की समीक्षा की है।

एकल वित्तीय विवरण और इसके संबंध में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारियों के लिए बैंक का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य जानकारियों में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, किंतु एकल वित्तीय विवरण और उस संबंध में हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। बैंक की वार्षिक रिपोर्ट को हमें लेखा परीक्षक की इस रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

एकल वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य जानकारी को कवर नहीं किया गया है और इस संबंध में हम किसी भी रूप में कोई आश्वासन / निष्कर्ष अभिव्यक्त नहीं करते हैं। एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व ऊपर चिह्नित की गई अन्य जानकारी को पढ़ना है, और इसे पढ़ते हुए इस पर विचार करना है कि यह अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों में दी गई जानकारी से वस्तुतः असंगत तो नहीं है, या लेखा परीक्षा में ली गई हमारी जानकारी या अन्यथा कोई जानकारी गलत तो नहीं है।

यदि, इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से पूर्व में हमें मिली अन्य जानकारी पर हमारे द्वारा किए गए काम के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह अन्य जानकारी गलत है तो हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते समय, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें कहीं कुछ गलत बयानी है तो हम उन मामलों को गवर्नेंस संबंधी प्राधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे।

अन्य मामले

भारत में बैंक के 11 (ग्यारह) क्षेत्रीय कार्यालय हैं, विदेश में बैंक की 1 (एक) शाखा और 8 (आठ) कार्यालय स्थित हैं। भारत और विदेश स्थित कार्यालयों के लिए बैंक की वित्तीय लेखा प्रणालियां केंद्रीकृत हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों, विदेश स्थित कार्यालयों और विदेश स्थित शाखाओं में से हमने 9 (नौ) क्षेत्रीय कार्यालयों और विदेश स्थित 1 (एक) शाखा का दौरा किया है।

हमने 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही तक के लिए जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और 31 मार्च, 2024 को समाप्त माह तक के लिए संगामी लेखा परीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा कर ली है। हम समझते हैं कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा संबंधी कार्य प्रक्रियाधीन है। इसलिए ये रिपोर्टें हमारी समीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं रहीं।

इस मामले के संबंध में हमारी राय इससे भिन्न नहीं है।

एकल वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन और गवर्नेंस प्रभारियों के उत्तरदायित्व

बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह की सत्य एवं सही स्थिति दर्शाने वाले इन एकल विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए बैंक का प्रबंधन उत्तरदायी है। ये एकल वित्तीय विवरण भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 2020 और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं। बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों के रखरखाव और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग करने; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेने एवं आकलन करने; और ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित करने, उन्हें क्रियान्वित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं, जो सत्य और सही स्थिति बताने वाले, तथा धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होनी वाली किसी भी भौतिक चूक से मुक्त, एकल वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए संबंधित लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन, बैंक के परिचालन को जारी रखने के लिए बैंक की क्षमता का मूल्यांकन करने, परिचालन जारी रखने संबंधी मामलों के यथा लागू अनुसार प्रकटीकरण, और जब तक कि भारत सरकार बैंक को लिक्विडेट न करना चाहे या परिचालन बंद न करना चाहे, या ऐसा करने के अलावा कोई उचित विकल्प न हो, तब तक लेखांकन के आधार पर परिचालन जारी रखने के लिए उत्तरदायी है।

बैंक का प्रबंधन बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन हासिल करना और अपने अभिमत को शामिल करते हुए लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है कि इन एकल वित्तीय विवरणों में किसी भी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के चलते किसी भी तरह के मिथ्या कथन नहीं हैं। तर्कसंगत आश्वासन, उच्च स्तरीय आश्वासन हैं, किन्तु इस बात की गारंटी नहीं है कि इनमें यदि कोई गंभीर मिथ्या कथन हुए तो लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की गई इस लेखा परीक्षा में उनका पता लगा ही लिया जाएगा। मिथ्या कथन धोखाधड़ी या त्रुटि के चलते आ सकते हैं और ये तब ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, जब इन वित्तीय विवरणों के आधार पर इनके उपयोक्ताओं द्वारा अलग-अलग या सामूहिक रूप से लिए गए उनके आर्थिक निर्णय प्रभावित होते हों।

लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की गई इस लेखा परीक्षा के क्रम में, हम प्रोफेशनल निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान इसी प्रोफेशनल दृष्टि से तथ्यों को परखते हैं। हमारे उत्तरदायित्वों में निम्नलिखित भी शामिल हैं:

- धोखाधड़ी या त्रुटि के चलते, एकल वित्तीय विवरणों के गंभीर मिथ्या कथन के जोखिमों का निर्धारण और मूल्यांकन करना, उन जोखिमों की प्रतिक्रियास्वरूप लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन करना और उनका निष्पादन करना तथा हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समुचित लेखा परीक्षा साक्ष्य हासिल करना। किसी धोखाधड़ी आधारित गंभीर मिथ्या कथन का जोखिम, किसी त्रुटि आधारित मिथ्या कथनों की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, मिथ्या प्रस्तुति, अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना करना शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों के अनुसार यथोचित लेखा प्रक्रियाएं डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ विकसित करना।
- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन आकलन की तार्किकता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करना।
- व्यवसाय की निरंतरता जारी रखने के संबंध में उच्च प्रबंधन द्वारा अपनाई जा रही लेखांकन पद्धतियों की हासिल किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर जांच करना, इसकी उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना और यह सुनिश्चित करना कि घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई महत्त्वपूर्ण अनिश्चितता तो नहीं है, जो बैंक के व्यवसाय जारी रखने के संबंध में कोई शंका पैदा करती हो। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऐसी कोई आशंका है तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में एकल वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों में इस ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक होता है अथवा यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होते हैं, तो अपना अभिमत बदलना पड़ता है। हमारे निष्कर्ष, हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक हासिल किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं।
- प्रकटीकरणों सहित एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना और देखना कि एकल वित्तीय विवरण निहित संव्यवहारों और कार्यों को उचित रूप में प्रस्तुत करते हैं।

हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान चिह्नित किए गए किसी गंभीर विचलन सहित अन्य मामलों में, गवर्नेंस से जुड़े व्यक्तियों को लेखा परीक्षा के नियोजित स्कोप और समय तथा महत्त्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष सूचित करते हैं।

हम गवर्नेंस से जुड़े व्यक्तियों को यह कथन भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित सभी नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और उन्हें सभी संबंधों तथा अन्य मामलों और जहां कहीं लागू हो, संबंधित सेफगार्ड के बारे में सूचित करते हैं, जिन्हें हमारी स्वतंत्र लेखा परीक्षा के लिए जरूरी माना जा सकता है।

गवर्नेंस प्रभारियों को सूचित किए गए मामलों से, हमारा तात्पर्य उन मामलों से है, जो 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे महत्त्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि उस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण से विधि या विनियमों का उल्लंघन न होता हो, या जब तक अत्यन्त दुर्लभ परिस्थितियों में हम यह निर्धारित न कर लें कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में इसलिए सूचित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी सूचनाओं का प्रकाशन लोकहित में होने के बजाय प्रतिकूल परिणाम देने वाला हो सकता है।

अन्य कानूनी और विनियामकीय अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट

तुलन–पत्र, लाभ और हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण, भारतीय निर्यात–आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 2020 की अनुसूचियों I, II और III के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं किः

- लेखा परीक्षा के लिए हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार जो तथ्य और स्पष्टीकरण आवश्यक थे, वे सब हमने प्राप्त किए हैं और वे संतोषजनक हैं।
- इस रिपोर्ट में लिए गए एकल तुलन–पत्र, एकल लाभ और हानि लेखा विवरण तथा एकल नकदी प्रवाह विवरण लेखों की बहियों के अनुरूप हैं।
- बैंक के संव्यवहार, जो हमारे संज्ञान में लाए गए हैं, बैंक की शक्तियों के अन्दर हैं।
- बैंक के कार्यालयों और विदेश स्थित शाखा से प्राप्त लेखांकन विवरण, जानकारी और रिटर्न हमारी लेखा परीक्षा के लिए पर्याप्त पाए गए हैं।
- हमारी राय में, इस रिपोर्ट में लिए गए उक्त वित्तीय विवरण, लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं।

कृते **जीएमजे एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या 103429W

सीए अतुल जैन
पार्टनर
सदस्यता सं. 037097
यूडीआईएन: 24037097BKCXCY1220

स्थानः मुंबई
दिनांकः 10 मई, 2024

यथा 31 मार्च, 2024 को तुलन–पत्र

सामान्य निधि

		इस वर्ष (यथा 31.03.2024 को) ₹	गत वर्ष (यथा 31.03.2023 को) ₹
देयताएं	**अनुसूचियां**		
1. पूँजी	I	1,59,09,36,63,881	1,59,09,36,63,881
2. आरक्षित निधियां	II	69,84,92,97,495	47,18,25,89,123
3. लाभ और हानि खाता	III	2,52,00,00,000	1,55,80,00,000
4. नोट, बॉन्ड एवं डिबेंचर		9,12,35,46,53,250	9,15,33,00,48,500
5. देय बिल		-	-
6. जमा राशियां	IV	1,13,35,12,174	1,52,61,65,868
7. उधार राशियां	V	6,32,61,82,81,220	3,67,37,61,08,842
8. चालू देयताएं एवं आकस्मिकताओं हेतु प्रावधान		90,84,32,29,885	63,57,92,78,636
9. अन्य देयताएं		51,10,15,40,632	59,02,32,97,198
योग		**19,19,51,41,78,537**	**16,14,66,91,52,048**
आस्तियां			
1. नकदी एवं बैंक शेष	VI	84,28,84,69,827	25,22,03,32,051
2. निवेश	VII	1,66,23,49,66,956	1,23,10,85,20,849
3. ऋण एवं अग्रिम	VIII	15,12,01,27,83,809	12,92,33,40,28,165
4. भुनाए गए/पुनः भुनाए गए विनिमय बिल और वचन पत्र	IX	64,01,00,00,000	52,90,00,00,000
5. अचल आस्तियां	X	3,63,80,41,444	3,74,69,20,156
6. अन्य आस्तियां	XI	89,32,99,16,501	1,17,35,93,50,827
योग		**19,19,51,41,78,537**	**16,14,66,91,52,048**
आकस्मिक देयताएं			
i) स्वीकृतियां, गारंटियां, परांकन तथा अन्य दायित्व		1,36,75,69,95,162	1,54,18,10,42,151
ii) वायदा विनिमय संविदाओं की बकाया राशियों पर		2,26,85,842	2,27,37,040
iii) हामीदारी वचनबद्धताओं पर		-	-
iv) अंशतः प्रदत्त निवेशों पर अनाहूत देयताएं		18,98,22,180	18,91,62,520
v) बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है		3,52,70,00,000	5,05,02,00,000
vi) संग्रहण के लिए बिल		-	-
vii) सहभागिता प्रमाण–पत्रों पर		-	-
viii) भुनाए गए/पुनः भुनाए गए बिल		-	-
ix) अन्य राशियां जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है		17,50,39,25,640	16,60,68,79,596
योग		**1,58,00,04,28,824**	**1,76,05,00,21,307**

'लेखों पर टिप्पणियां' संलग्न हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

श्री तरुण शर्मा
उप प्रबंध निदेशक

सुश्री हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

श्री दम्मू रवि

सुश्री हिमानी पांडे

सुश्री अपर्णा भाटिया

डॉ. अभिजीत फुकन

श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ

श्री दिनेश कुमार खारा

श्री एम. वी. राव

श्री अशोक कुमार गुप्ता

कृते जीएमजे एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 103429W

(सीए अतुल जैन)
पार्टनर सदस्यता
सं. 037097

स्थानः मुंबई
दिनांकः 10 मई, 2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

सामान्य निधि

	अनुसूचियां	इस वर्ष (2023-24) ₹	गत वर्ष (2022-23) ₹
व्यय			
1. ब्याज		1,12,91,85,43,653	74,83,22,98,013
2. ऋण बीमा, शुल्क एवं प्रभार		70,80,02,228	73,20,90,012
3. स्टाफ के वेतन, भत्ते आदि और सेवांत लाभ		99,82,50,252	97,87,02,641
4. निदेशकों एवं समिति के सदस्यों की फीस तथा व्यय		8,62,250	5,46,721
5. लेखा परीक्षा की फीस		12,93,600	11,98,100
6. भाड़ा, कर, बिजली और बीमा प्रीमिया		31,91,45,577	30,40,84,447
7. संचार विषयक व्यय		3,97,11,843	4,21,04,140
8. विधि विषयक व्यय		4,68,81,263	3,63,09,370
9. अन्य व्यय	XII	1,54,75,16,718	1,48,35,53,599
10. मूल्यह्रास		54,48,20,459	47,49,37,412
11. ऋण हानियों/आकस्मिकताओं, निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		4,13,57,64,503	15,10,08,18,219
12. नीचे ले जाया गया लाभ/(हानि)		33,36,54,40,438	20,89,08,46,605
योग		**1,54,62,62,32,784**	**1,14,87,74,89,279**
आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर राशि का निवल) [₹ 10,63,72,395 के आस्थगित कर सहित (गत वर्ष – ₹ 123,50,43,812)]		8,17,87,32,066	5,33,24,25,711
तुलन–पत्र में अंतरित शेष लाभ/(हानि)		25,18,67,08,372	15,55,84,20,894
		33,36,54,40,438	**20,89,08,46,605**
आय			
1. ब्याज और बट्टा	XIII	1,49,02,38,22,762	1,09,39,46,31,318
2. विनिमय, कमीशन, ब्रोकरेज और फीस		4,79,95,30,528	4,37,42,51,247
3. अन्य आय	XIV	80,28,79,494	1,10,86,06,714
योग		**1,54,62,62,32,784**	**1,14,87,74,89,279**
नीचे लाया गया लाभ/(हानि)		33,36,54,40,438	20,89,08,46,605
पूर्ववर्ती वर्षों की आधिक्य आय/ब्याज–कर प्रावधान का प्रतिलेखन		-	-
		33,36,54,40,438	**20,89,08,46,605**

'लेखों पर टिप्पणियां' संलग्न हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

श्री तरुण शर्मा
उप प्रबंध निदेशक

सुश्री हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

श्री दम्मू रवि

सुश्री हिमानी पांडे

सुश्री अपर्णा भाटिया

डॉ. अभिजीत फुकन

श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ

श्री दिनेश कुमार खारा

श्री एम. वी. राव

श्री अशोक कुमार गुप्ता

कृते जीएमजे एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 103429W

(सीए अतुल जैन)
पार्टनर सदस्यता
सं. 037097

स्थानः मुंबई
दिनांकः 10 मई, 2024

तुलन–पत्र की अनुसूचियां

सामान्य निधि

	इस वर्ष (यथा 31.03.2024 को) ₹	गत वर्ष (यथा 31.03.2023 को) ₹
अनुसूची I: पूँजी:		
1. प्राधिकृत	2,00,00,00,00,000	2,00,00,00,00,000
2. निर्गमित एवं प्रदत्तः (केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः अभिदत्त)	1,59,09,36,63,881	1,59,09,36,63,881
अनुसूची II: आरक्षित निधियां:		
1. आरक्षित निधि	52,27,20,82,031	29,64,79,73,659
2. सामान्य आरक्षित राशियां	-	-
3. अन्य आरक्षित राशियां:		
निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षित निधि	1,98,18,96,400	1,93,92,96,400
ऋण शोधन निधि (ऋण–व्यवस्थाएं)	1,95,53,19,064	1,95,53,19,064
4. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित राशि	13,64,00,00,000	13,64,00,00,000
	69,84,92,97,495	**47,18,25,89,123**
अनुसूची III: लाभ और हानि लेखा:		
1. परिशिष्ट में उल्लिखित लेखों के अनुसार शेष	25,18,67,08,372	15,55,84,20,894
2. घटाएं: विनियोजनः		
– आरक्षित निधि को अंतरित	22,62,41,08,372	14,00,04,20,894
– निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षित निधि को अंतरित	4,26,00,000	-
– ऋण शोधन निधि को अंतरित	-	-
– आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि को अंतरित	-	-
3. निवल लाभ का शेष (एक्ज़िम बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 23(2) के अनुसार केंद्र सरकार को अंतरणीय)		
	2,52,00,00,000	**1,55,80,00,000**
अनुसूची IV: जमा राशियां:		
(क) भारत में	1,13,35,12,174	1,52,61,65,868
(ख) भारत के बाहर	-	-
	1,13,35,12,174	**1,52,61,65,868**
अनुसूची V: उधार राशियां:		
1. भारतीय रिज़र्व बैंक से:		
(क) न्यासी प्रतिभूतियों पर	-	-
(ख) विनिमय बिलों पर	-	-
(ग) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि से	-	-
2. भारत सरकार से	-	-
3. अन्य स्रोतों से:		
(क) भारत में	1,91,78,99,12,310	90,47,56,28,920
(ख) भारत के बाहर	4,40,82,83,68,910	2,76,90,04,79,922
	6,32,61,82,81,220	**3,67,37,61,08,842**

तुलन–पत्र की अनुसूचियां

सामान्य निधि

	इस वर्ष (यथा 31.03.2024 को) ₹	गत वर्ष (यथा 31.03.2023 को) ₹
अनुसूची VI: नकदी एवं बैंक में शेष:		
1. हाथ में नकदी	1,69,832	2,01,986
2. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष	28,64,02,616	1,00,74,381
3. अन्य बैंकों में शेष:		
(क) भारत में		
i) चालू खातों में	8,24,12,17,409	2,50,89,99,192
ii) अन्य जमा खातों में	12,01,43,13,945	9,96,43,13,945
(ख) भारत के बाहर	33,76,28,44,637	12,73,67,42,547
4. मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि/ट्रेप के अंतर्गत ऋण	29,98,35,21,388	-
	84,28,84,69,827	**25,22,03,32,051**
अनुसूची VII: निवेश: (मूल्य में ह्रास का निवल, यदि कोई है)		
1. केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	1,32,37,11,58,755	1,06,83,76,64,874
2. इक्विटी शेयर और स्टॉक	2,57,06,32,644	2,13,67,83,687
3. अधिमानी शेयर एवं स्टॉक	19,88,28,626	40,61,99,960
4. नोट, डिबेंचर एवं बॉन्ड	1,66,74,95,794	2,13,03,59,328
5. अन्य	29,42,68,51,137	11,59,75,13,000
	1,66,23,49,66,956	**1,23,10,85,20,849**
अनुसूची VIII: ऋण एवं अग्रिम:		
1. विदेशी सरकारें	5,40,06,87,73,757	5,56,97,47,43,079
2. बैंक:		
(क) भारत में	1,56,24,23,50,000	1,36,25,95,00,000
(ख) भारत के बाहर	1,25,10,75,000	2,46,51,00,000
3. वित्तीय संस्थाएं:		
(क) भारत में	10,00,00,00,000	-
(ख) भारत के बाहर	1,11,42,82,04,946	1,16,48,37,74,169
4. अन्य	6,93,02,23,80,106	4,80,15,09,10,917
	15,12,01,27,83,809	**12,92,33,40,28,165**
अनुसूची IX: भुनाये गये/पुनः भुनाये गये विनिमय बिल और वचन–पत्र:		
(क) भारत में	64,01,00,00,000	52,90,00,00,000
(ख) भारत के बाहर	-	-
	64,01,00,00,000	**52,90,00,00,000**
अनुसूची X: अचल आस्तियां: (लागत पर मूल्यह्रास घटाकर)		
1. परिसर		
सकल राशि (आगे लाई गई)	5,24,67,32,163	5,13,54,13,642
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	11,62,08,251	11,13,18,521
वर्ष के दौरान निपटान	5,17,53,954	-
वर्ष के अंत में सकल राशि	5,31,11,86,460	5,24,67,32,163
संचित ह्रास	2,16,07,05,514	1,93,19,79,947
निवल राशि (ब्लॉक)	3,15,04,80,946	3,31,47,52,216

तुलन–पत्र की अनुसूचियां

सामान्य निधि

	इस वर्ष (यथा 31.03.2024 को) ₹	गत वर्ष (यथा 31.03.2023 को) ₹
2. अन्य		
सकल राशि (आगे लाई गई)	1,86,00,90,076	1,49,19,44,300
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	37,31,08,009	42,27,33,039
वर्ष के दौरान निपटान	4,85,48,050	5,45,87,263
वर्ष के अंत में सकल राशि	2,18,46,50,035	1,86,00,90,076
संचित ह्रास	1,69,70,89,537	1,42,79,22,136
निवल राशि (ब्लॉक)	48,75,60,498	43,21,67,940
	3,63,80,41,444	**3,74,69,20,156**
अनुसूची XI: अन्य आस्तियां:		
1. निम्नलिखित पर उपचित ब्याज:		
क) निवेशों/बैंक जमाओं पर	12,16,93,74,005	14,68,26,12,658
ख) ऋण एवं अग्रिम	30,35,58,57,343	19,41,59,36,548
2. विविध पक्षों के पास जमा राशियां	6,37,28,946	5,80,06,510
3. प्रदत्त अग्रिम आयकर (निवल)	17,57,35,88,580	9,38,09,84,168
4. अन्य [₹ 17,77,16,40,983 की निवल आस्थगित कर आस्तियों सहित (गत वर्ष ₹ 17,87,80,13,378)]	29,16,73,67,627	73,82,18,10,943
	89,32,99,16,501	**1,17,35,93,50,827**
अनुसूची XII: अन्य व्यय:		
1. निर्यात संवर्धन व्यय	4,20,45,166	2,90,39,189
2. डाटा प्रोसेसिंग पर और संबद्ध व्यय	24,58,829	35,05,130
3. मरम्मत और रखरखाव	56,19,38,393	47,21,26,829
4. मुद्रण और लेखन सामग्री	95,65,423	1,11,42,760
5. अन्य	93,15,08,907	96,77,39,691
	1,54,75,16,718	**1,48,35,53,599**
अनुसूची XIII: ब्याज एवं बट्टा:		
1. ऋणों और अग्रिमों/बिलों की भुनाई/पुनर्भुनाई पर ब्याज और बट्टा	1,11,99,79,52,343	74,08,44,14,205
2. निवेशों/बैंक शेष राशियों पर आय	37,02,58,70,419	35,31,02,17,113
	1,49,02,38,22,762	**1,09,39,46,31,318**
अनुसूची XIV: अन्य आय:		
1. निवेशों की बिक्री/पुनर्मूल्यांकन पर निवल लाभ	30,90,69,474	52,93,14,303
2. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर निवल लाभ	(5,39,299)	(5,52,707)
3. अन्य	49,43,49,319	57,98,45,118
	80,28,79,494	**1,10,86,06,714**

टिप्पणी:

'देयताओं' के अंतर्गत जमाओं [अनुसूची IV (क) देखिए] में 5.92 मिलियन यूएस डॉलर की 'ऑन शोर' विदेशी मुद्रा जमा राशियां (गत वर्ष 8.30 मिलियन यूएस डॉलर) शामिल हैं जो प्रतिपक्षी पार्टी बैंकों/संस्थाओं द्वारा एक्ज़िम बैंक के पास रेसीप्रोकल रुपया जमा/बॉन्डों के पेटे रखी गई हैं।

'आस्तियों' के अंतर्गत निवेश में [अनुसूची VII 4 देखिए] कुल ₹ 0.27 बिलियन की बॉन्ड राशि (गत वर्ष ₹ 0.39 बिलियन) शामिल है, जो स्वॉप्स के चलते है।

नकदी प्रवाह विवरण

राशि (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
परिचालनगत कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व निवल लाभ/(हानि) और असाधारण मदें	3,336.54	2,089.08
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
– अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ)/हानि (निवल)	0.05	0.06
– निवेशों की बिक्री से (लाभ)/हानि (निवल)	(30.91)	(52.93)
– मूल्यह्रास	54.48	47.49
– बट्टे में डाले गए बॉन्ड निर्गमों पर छूट/व्यय	17.15	12.79
– निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षित लेखे से अंतर	-	-
– ऋणों/निवेशों एवं अन्य प्रावधानों के लिए प्रावधान/राइट ऑफ	413.58	1,510.08
– अन्य उल्लेख करें	-	-
	3,790.90	**3,606.58**
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
– अन्य आस्तियां	3,594.42	(7,629.18)
– चालू देयताएं	713.41	130.70
परिचालनों से नकदी निर्माण	**8,098.72**	**(3,891.90)**
आय कर/ब्याज कर का भुगतान	(819.26)	(592.45)
परिचालनगत कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क)	**7,279.46**	**(3,299.45)**
निवेशगत कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
– अचल आस्तियों की निवल खरीद	(43.65)	(53.31)
– निवेशों में निवल परिवर्तन	(4,281.74)	(1,355.39)
निवेशगत कार्यकलापों में उपयोग की गयी/से अर्जित निवल नकदी (ख)	**(4,325.39)**	**(1,408.70)**
वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
– प्राप्त इक्विटी पूँजी	-	-
– लिए गए ऋण (चुकौती घटाकर)	26,187.41	20,934.81
– दिए गए ऋण, बिलों की भुनाई और पुनर्भुनाई (प्राप्त चुकौती घटाकर)	(23,078.88)	(16,904.24)
– इक्विटी शेयरों पर लाभांश तथा लाभांश पर कर (केन्द्र सरकार को अंतरित निवल लाभ अधिशेष)	(155.80)	(73.76)
वित्तीय कार्यकलापों में प्रयुक्त/से अर्जित निवल नकदी प्रवाह (ग)	**2,952.74**	**3,956.81**
नकदी और नकद समतुल्य में निवल वृद्धि/(गिरावट) (क+ख+ग)	**5,906.81**	**(751.35)**
प्रारंभिक नकदी एवं समतुल्य	**2,522.03**	**3,273.38**
अंतिम नकदी एवं समतुल्य	**8,428.85**	**2,522.03**

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

श्री तरुण शर्मा
उप प्रबंध निदेशक

सुश्री हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

श्री दम्मू रवि

सुश्री हिमानी पांडे

सुश्री अपर्णा भाटिया

डॉ. अभिजीत फुकन

श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ

श्री दिनेश कुमार खारा

श्री एम. वी. राव

श्री अशोक कुमार गुप्ता

कृते जीएमजे एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 103429W

(सीए अतुल जैन)
पार्टनर सदस्यता
सं. 037097

स्थानः मुंबई
दिनांकः 10 मई, 2024

महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं लेखों पर टिप्पणियां

I. महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(i) वित्तीय विवरण

क) तैयारी का आधार

भारतीय निर्यात–आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) का तुलन–पत्र तथा लाभ और हानि लेखा (सामान्य निधि एवं निर्यात विकास कोष), भारत में प्रचलित लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो ऐतिहासिक लागत पद्धति के तहत तैयार किए गए हैं। बैंक द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियां गत वर्ष प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों के अनुरूप हैं। एक्ज़िम बैंक का तुलन–पत्र तथा लाभ और हानि लेखा भारतीय निर्यात–आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 2020 में दिए गए अनुसार तैयार किए गए हैं, जिसे भारतीय निर्यात–आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) की धारा 39(2) के अधीन भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निर्देश डीबीआर.एफआईडी.सं. 108/01.02.000/2015-16, दिनांकित 23 जून, 2016 में अपेक्षित अनुसार कतिपय महत्त्वपूर्ण वित्तीय अनुपात/आंकड़े, "लेखों पर टिप्पणियां" के खंड के रूप में दर्शाए गए हैं।

ख) आकलन का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को स्वीकृत मानक लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है और इन्हें तैयार करने के लिए प्रबंधन को वित्तीय विवरणों और रिपोर्ट की जाने वाली अवधि तक के लिए आय एवं व्यय की तारीख को आस्तियों, देयताओं और प्रावधानों (आकस्मिक देयताओं सहित) की रिपोर्ट की गई राशि में कुछ आकलन और पूर्वानुमान करने पड़ते हैं। वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयोग किए गए ये आकलन प्रबंधन की राय में विवेकसम्मत और तार्किक हैं।

(ii) राजस्व की गणना

अनर्जक आस्तियों/अनर्जक निवेशों और "तनावग्रस्त आस्तियों", रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना के अंतर्गत ऋणों पर ब्याज, केंद्र सरकार द्वारा गारंटित ऋणों, जिनमें 90 दिन से अधिक का अतिदेय है, शुल्क आय, कमीशन, वचनबद्धता प्रभार और लाभांश जिन्हें नकदी आधार पर हिसाब में लिया जाता है, को छोड़कर आय/व्यय का निर्धारण उपचय आधार पर किया गया है। अनर्जक आस्तियों का निर्धारण अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है। एक्ज़िम बैंक के बॉन्डों पर दिया जाने वाला बट्टा/मोचन प्रीमियम बॉन्ड की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है और ब्याज व्यय में शामिल किया गया है।

(iii) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण

तुलन–पत्र में दर्शायी गई ऋण और अग्रिम राशियों में अनर्जक आस्तियों हेतु प्रावधानों को घटाकर सिर्फ मूलधन बकाया राशियां शामिल हैं। प्राप्य ब्याज को "अन्य आस्तियों" में समूहित किया गया है।

ऋण चुकौती और वसूली हेतु कोलैटरल सिक्योरिटी पर निर्भरता के अनुसार ऋण आस्तियों को निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया गया है: मानक आस्तियां, अवमानक आस्तियां, संदिग्ध आस्तियां और हानि आस्तियां। ऋण आस्तियों का वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को जारी किए गए निदेशों / दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है।

(iv) निवेश

संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

(क) "परिपक्वता तक धारित" (परिपक्वता तक रखने के इरादे से अर्जित प्रतिभूतियां),

(ख) "क्रय–विक्रय के लिए धारित" (प्रतिभूतियां इस इरादे से अर्जित की जाती हैं कि अल्पावधि मूल्य/ब्याज दर में होने वाले उतार–चढ़ावों आदि का लाभ उठाकर उनका क्रय–विक्रय किया जाए) और

(ग) "बिक्री के लिए उपलब्ध" (शेष निवेश)।

निवेशों को निम्नलिखित रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है:

i) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश
iii) शेयरों में निवेश
iv) डिबेंचर और बॉन्ड में निवेश
v) सहायक कंपनियों/संयुक्त उपक्रमों में निवेश
vi) अन्य (वाणिज्यिक-पत्र, म्युचुअल फंड इकाइयों आदि में) निवेश

निवेशों के विभिन्न लिखतों का वर्गीकरण, श्रेणीकरण, श्रेणियों के बीच परिवर्तन, मूल्य निर्धारण और निवेशों का प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए निर्धारित किए गए मानदंडों के अनुसार किया गया है।

(v) अचल आस्तियां तथा मूल्यह्रास

(क) अचल आस्तियों को संचित मूल्यह्रास घटाकर परंपरागत लागत अर्जन के समय मूल लागत पर दर्शाया गया है।

(ख) मूल्यह्रास का प्रावधान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर निम्नलिखित दरों पर किया गया है:

आस्ति	मूल्यह्रास दर
स्वामित्व वाले भवन	5%
फर्नीचर एवं फिक्सचर	25%
कार्यालय उपकरण	25%
अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	25%
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	25%
मोटर वाहन	25%
कम्प्यूटरों व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर मूल्यह्रास, प्रौद्योगिकी के पुराने होने के आधार पर लिया गया है	प्रथम दो वर्षों के लिए 33.33%, तीसरे वर्ष में 33.34%
मोबाइल फोन	50%

(ग) वर्ष के दौरान अर्जित आस्तियों के संबंध में, मूल्यह्रास खरीद वर्ष में समूचे वर्ष के लिए प्रदान किया गया है तथा वर्ष के दौरान बेची गई आस्तियों के संबंध में बिक्री वर्ष में कोई मूल्यह्रास नहीं किया गया है।

(घ) जहां किसी अवक्षयी आस्ति को बेच दिया गया है, त्याग दिया गया है, ढहा दिया गया है अथवा नष्ट कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में निवल अधिशेष या कमी को लाभ और हानि लेखे में समायोजित किया गया है।

(vi) ह्रास

आस्तियों के रख-रखाव की राशि को हर तुलन-पत्र की तारीख को आंतरिक अथवा बाह्य कारणों से आस्ति के मूल्य में हुए ह्रास के लिए प्रावधान अथवा गत अवधियों में हुई ह्रास हानियों यथा लागू प्रावधानों को रिवर्स करने के लिए पुनरीक्षित किया गया है। ह्रास हानि तब होती है जब किसी आस्ति की वहन राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है।

(vii) विदेशी मुद्रा लेन-देनों के लिए लेखांकन

(क) विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आस्तियों तथा देयताओं को वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (फेडई) द्वारा अधिसूचित विनिमय दर पर अंतरित किया गया है।

(ख) आय तथा व्यय मदों को वर्ष के दौरान विनिमय की औसत दरों पर अंतरित किया गया है।

(ग) बकाया विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाओं को निर्दिष्ट परिपक्वता अवधियों के लिए फेडई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है तथा इससे होने वाले लाभ/हानि को लाभ और हानि लेखे में शामिल किया गया है।

(घ) गारंटियों, स्वीकृतियों, परांकनों तथा अन्य दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देयताओं को वर्ष के अंत में फेडई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर दर्शाया गया है।

(viii) गारंटियां

ईसीजीसी पॉलिसियों के अधीन अरक्षित खण्ड के लिए गारंटियों का प्रावधान परियोजनाओं के पूरे होने तक संभावित हानियों को ध्यान में रखकर किया गया है।

(ix) डेरिवेटिव

बैंक अपनी आस्तियों और देयताओं की हेजिंग के लिए डेरिवेटिव संविदाएं जैसे ब्याज दर स्वाप, करंसी स्वाप, अंतर करंसी ब्याज दर स्वाप तथा वायदा दर करार करता है। आरबीआई के दिशानिर्देशों के आधार पर, हेजिंग के उद्देश्य से किए गए डेरिवेटिव संव्यवहारों को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है। यथा तुलन–पत्र की तारीख को बकाया डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्टों से संबंधित क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव प्रकटीकरणों को अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग मानदंडों संबंधी आरबीआई के मास्टर निदेश के अनुसार 'लेखों पर टिप्पणियां' में रिपोर्ट किया जाता है।

(x) कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान

(क) बैंक में भविष्य निधि, ग्रेच्युटी निधि और पेंशन निधि बैंक द्वारा चलाई जा रही परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाएं हैं। इन निधियों में बैंक के अंशदान को संबंधित वर्ष के लिए लाभ–हानि खाते में हिसाब में लिया जाता है।

(ख) ग्रेच्युटी, पेंशन तथा छुट्टी नकदीकरण परिभाषित कर्मचारी लाभ देयताएं हैं। इन देयताओं के लिए प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति के आधार पर किया जाता है।

(xi) आय पर करों का लेखांकन

(क) संबंधित संविधि के अधीन भुगतान योग्य कर के अनुसार वर्तमान कर के लिए प्रावधान किया गया है।

(ख) कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच समय अंतर की दृष्टि से आस्थगित कर की गणना विद्यमान कर दरों पर तथा अधिनियमित विधि अथवा तुलन–पत्र की सम दिनांक को प्रमुखतः अधिनियमित विधि के अनुसार की गई है। आस्थगित कर आस्तियों को केवल उसी सीमा तक हिसाब में लिया गया है जिस सीमा तक उनकी वसूली की समुचित निश्चितता है।

(xii) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक 29 – 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां' के अनुसार, बैंक प्रावधानों को केवल तभी हिसाब में लेता है, जब वर्तमान दायित्व किसी विगत घटना का परिणाम हो। हालांकि यह संभव है कि इस दायित्व से उपजे आर्थिक भार संबंधी राशि का भुगतान दायित्व की राशि के सही आकलन के निर्धारण के बाद किया जाए।

आकस्मिक देयताएं तभी प्रकट की जाती हैं, जब आर्थिक लाभ संबंधी राशि का भुगतान किए जाने की कुछ न कुछ संभावना अवश्य हो।

आकस्मिक आस्तियों को न ही हिसाब में लिया जाता है तथा न ही उन्हें वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

(xiii) भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के क्रियान्वयन का स्थगन

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के परिपत्र दिनांकित 04 अगस्त, 2016 के अनुसार, भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) सभी बैंकों, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं पर 01 अप्रैल, 2018 से शुरू होने वाली लेखांकन अवधि के लिए और 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाली अवधि के तुलनात्मक आंकड़ों के साथ लागू थे। आरबीआई ने एक्ज़िम बैंक को संबोधित 15 मई, 2019 के अपने पत्र के जरिए अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए इन मानकों का क्रियान्वयन अगली सूचना तक स्थगित करने के संबंध में सूचित किया है।

II. लेखों पर टिप्पणियां – सामान्य निधि

1. एजेंसी लेखा

चूंकि एक्ज़िम बैंक इराक में भारतीय कॉन्ट्रैक्टरों से संबंधित कतिपय सौदों को सुगम बनाने के लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है, अतएव भारत सरकार को समनुदेशित ₹ 57.32 बिलियन (पिछले वर्ष ₹ 56.47 बिलियन) की राशि सहित बैंक को सूचित एजेंसी खाते में धारित ₹ 51.80 बिलियन (पिछले वर्ष ₹ 51.03 बिलियन) की समतुल्य राशि की विदेशी मुद्रा की प्राप्य राशियां उपर्युक्त तुलन–पत्र में शामिल नहीं की गई हैं।

2. (क) आकस्मिक देयताएं

गारंटियों में ₹ 3.18 बिलियन की समाप्त हो चुकी गारंटियां (गत वर्ष ₹ 2.35 बिलियन) शामिल हैं, जिन्हें बहियों में निरस्त करना शेष है।

(ख) दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है

आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत "बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है" के रूप में दिखाई गई ₹ 3.53 बिलियन (पिछले वर्ष ₹ 5.05 बिलियन) की राशि अधिकांशत: बैंक के चूककर्ता उधारकर्ताओं के विरुद्ध बैंक द्वारा शुरू की गई कानूनी कार्रवाई के जवाब में उन उधारकर्ताओं द्वारा बैंक के विरुद्ध दायर किए गए दावों/प्रतिदावों से संबंधित है। बैंक के सॉलिसिटरों की राय में कोई भी दावा/प्रतिदावा अभिमत में रखने योग्य नहीं है तथा कोई भी मामला अभी तक अंतिम सुनवाई तक नहीं पहुंचा है; अतः विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर इस संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

(ग) आयकर के चलते आकस्मिक देयता

विभिन्न निर्णयन प्राधिकारियों के समक्ष लंबित विवादित आयकर मामलों के चलते ₹ 0.55 बिलियन (गत वर्ष 0.55 बिलियन) की राशि को आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिनके बैंक के मूल्यांकन में देयता में फलीभूत होने की संभावना कम है और इनके एवज में ₹ 1.09 बिलियन का रिफंड प्राप्य (गत वर्ष ₹ 1.06 बिलियन) है।

(घ) वायदा विनिमय संविदाएं, मुद्रा/ब्याज दर स्वाप

(i) यथा 31 मार्च, 2024 को बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की पूर्ण हेजिंग की गई है। बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के 7 जुलाई, 1999 के परिपत्र संदर्भ सं. एमपीडी.बीसी.187/07.01.279/1999-2000 एवं उसके बाद जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आस्ति–देयता प्रबंधन के प्रयोजनार्थ डेरिवेटिव सौदे (ब्याज दर स्वाप, वायदा दर करार तथा मुद्रा–सह–ब्याज दर स्वाप) करता है। बैंक अपनी आवश्यकताओं तथा बाजार स्थितियों के आधार पर ऐसे सौदे करता है और आवश्यकता पड़ने पर उनका निपटान भी करता है। ऐसे बकाया डेरिवेटिव संव्यवहारों को हिसाब में लिया जाता है, जिन पर ब्याज दर में उतार–चढ़ाव का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) द्वारा इस स्थिति की निगरानी की जाती है और निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा की जाती है। डेरिवेटिव के ऋण समतुल्य की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 'वर्तमान एक्सपोज़र' पद्धति के अनुसार की जाती है। डेरिवेटिव के आधार बिंदु (पीवी 01) के फेयर वैल्यू तथा प्राइस वैल्यू को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार 'लेखों पर टिप्पणियों' में अलग से प्रकट किया गया है। वायदा दर संविदाओं से होने वाले लाभ या हानि को संविदा की पूरी अवधि के लिए परिशोधित किया गया है। वायदा विनिमय संविदाओं के निरस्तीकरण से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को वर्ष के लिए आय/व्यय के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

(ii) बैंक को एफएक्स स्वाप, मुद्रा स्वाप और विदेशी मुद्रा ब्याज स्वाप में बिना किसी परिपक्वता समय या मुद्रा प्रतिबंधों के 'मार्केट मेकर' की भूमिका निभाने की अनुमति प्राप्त है।

(ङ) मुद्रा विनिमय दर के उतार–चढ़ाव पर लाभ/हानि

विदेशी मुद्रा में उल्लिखित आस्तियों तथा देयताओं को वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (फेडई) द्वारा अधिसूचित दरों पर अंतरित किया जाता है। आय तथा व्यय मदों को वर्ष के दौरान औसत विनिमय दर पर अंतरित किया जाता है। चालू वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा परिचालनों से अर्जित आय के इस प्रकार के अंतरण पर सांकेतिक लाभ ₹ 0.09 बिलियन (गत वर्ष ₹ 0.28 बिलियन की सांकेतिक हानि) है।

3.

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों संबंधित प्रकटीकरण: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को विलंबित भुगतान संबंधी कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपेक्षित अनुसार अतिरिक्त सूचना

4.1 पूँजी

(क)

(₹ बिलियन)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2024 को	यथा 31 मार्च, 2023 को
(i) सामान्य इक्विटी	203.05	182.19
(ii) अतिरिक्त टियर 1 पूँजी	-	-
(iii) कुल टियर 1 पूँजी (i+ii)	203.05	182.19
(vi) टियर 2 पूँजी	16.92	13.51
(v) कुल पूँजी (टियर 1+ टियर 2)	219.96	195.70
(vi) कुल जोखिम भारित आस्तियां	1,038.32	769.47
(vii) सामान्य इक्विटी अनुपात (कुल जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में कॉमन इक्विटी)	19.56%	23.68%
(viii) टियर 1 अनुपात (कुल जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूँजी)	19.56%	23.68%
(ix) जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात (सीआरएआर) (कुल जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल पूँजी)	21.18%	25.43%
(x) बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	100%	100%
(xi) भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई इक्विटी पूँजी राशि	शून्य	शून्य
(xii) जुटाई गई अतिरिक्त टियर 1 पूँजी, जिसमें से		
क) बेमियादी गैर–संचयी अधिमानी शेयर	शून्य	शून्य
ख) बेमियादी ऋण लिखत	शून्य	शून्य
(xiii) जुटाई गई टियर 2 पूँजी, जिसमें से		
क) ऋण पूँजी लिखतें	शून्य	शून्य
ख) बेमियादी गैर–संचयी अधिमानी शेयर	शून्य	शून्य
ग) प्रतिदेय गैर–संचयी अधिमानी शेयर	शून्य	शून्य
घ) प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर	शून्य	शून्य

(ख) यथा 31 मार्च, 2024 को टियर–II पूँजी के रूप में जुटाए गए और बकाया गौण ऋण की राशि: ₹ शून्य (गत वर्ष: ₹ शून्य)

(ग) जोखिम भारित आस्तियां

(₹ बिलियन)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2024 को	यथा 31 मार्च, 2023 को
(i) तुलन–पत्र में 'शामिल' मदें	840.15	578.92
(ii) तुलन–पत्र में 'शामिल नहीं की गई' मदें	198.17	190.55

(घ) तुलन–पत्र की तारीख को शेयरधारिता का स्वरूप: भारत सरकार द्वारा पूर्णतः अभिदत्त पूँजी।

- जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात (सीआरएआर) और अन्य संबंधित मानदंडों का निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय संस्थाओं के लिए निर्धारित पूँजी पर्याप्तता मानदंडों के अनुसार किया गया है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 सितंबर, 2023 के अपने परिपत्र के जरिए बासेल III मास्टर निदेश जारी किए। बैंक सीआरएआर के निर्धारण हेतु बासेल III मानकों को इनके प्रभावी होने की तारीख यानी 01 अप्रैल, 2024 से लागू करेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक से अंतिम अधिसूचना प्रतीक्षित है।

4.2 निर्बंध आरक्षित निधियां एवं प्रावधान

(क) मानक आस्तियों पर प्रावधान

(₹ बिलियन)

विवरण	2023-24	2022-23
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	20.72	(3.22)

(ख) कोविड-19 विनियामकीय पैकेज पर आरबीआई के परिपत्र के अनुसार लेखों में किए गए प्रावधानों के संबंध में प्रकटीकरण

कोविड-19 विनियामकीय पैकेज–आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी आरबीआई के परिपत्रों डीओआर. सं. बीपी. बीसी. 47/21.04.048/2019-20 दिनांकित 27 मार्च, 2020 ('विनियामकीय पैकेज'), डीओआर. सं. बीपी. बीसी. 63/21.04.048/2019-20 दिनांकित 17 अप्रैल, 2020 और डीओआर. एफआईडी. सं. 8140/01.02.000/2019-20 दिनांकित 08 मई, 2020 के अनुसार, ऋणदाता संस्थाओं को ऐसे खातों के संबंध में किए गए प्रावधानों का प्रकटीकरण करना आवश्यक है, जिन्हें मॉरेटोरिअम प्रदान किया गया था और आस्ति वर्गीकरण का लाभ प्रदान किया गया था। ऐसे प्रावधानों का विवरण निम्नलिखित अनुसार है:

(₹ बिलियन)

विवरण	2023-24	2022-23
उधारकर्ताओं की संख्या	-	-
बकाया ऋण राशि	-	-
अतिदेय राशि	-	-
राशि, जिसके लिए आस्ति वर्गीकरण लाभ प्रदान किया गया	-	-
किया गया प्रावधान	-	-

(ग) अस्थायी प्रावधान

(₹ बिलियन)

विवरण	2023-24	2022-23
(क) अस्थायी प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	-	-
(ख) लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की राशि	-	-
(ग) लेखा वर्ष के दौरान आहरित की गई राशि	-	-
(घ) अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष	-	-

4.3 आस्ति गुणवत्ता और विशिष्ट प्रावधान

(क) अनर्जक ऋण एवं अग्रिम

(₹ बिलियन)

विवरण	2023-24	2022-23
(i) निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां (%)	0.29%	0.71%
(ii) अनर्जक आस्तियों में उतार–चढ़ाव (सकल)		
(क) प्रारंभिक शेष	56.97	43.47
(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	2.81	78.94
(ग) वर्ष के दौरान कमी	28.77	65.44
(घ) अंतिम शेष	31.01	56.97
(iii) निवल अनर्जक आस्तियों में उतार–चढ़ाव		
(क) प्रारंभिक शेष	9.48	-
(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	-	9.48
(ग) वर्ष के दौरान कमी	4.91	-
(घ) अंतिम शेष	4.57	9.48
(iv) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों में उतार–चढ़ाव (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) प्रारंभिक शेष	47.49	43.47
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	2.99	26.68
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का राइट ऑफ/प्रतिलेखन	24.04	22.66
(घ) अंतिम शेष	26.44	47.49

(ख) अनर्जक निवेश

(₹ बिलियन)

विवरण	2023-24	2022-23
(i) निवल निवेशों की तुलना में निवल अनर्जक निवेश (%)	0.06%	0.08%
(ii) अनर्जक निवेशों में उतार–चढ़ाव (सकल)		
(क) प्रारंभिक शेष	2.95	13.75
(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	16.81	0.73
(ग) वर्ष के दौरान कमी	0.85	11.53
(घ) अंतिम शेष	18.91	2.95
(iii) निवल अनर्जक निवेशों में उतार–चढ़ाव		
(क) प्रारंभिक शेष	0.09	0.59
(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	0.04	0.04
(ग) वर्ष के दौरान कमी	0.03	0.54
(घ) अंतिम शेष	0.10	0.09
(iv) अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधानों में उतार–चढ़ाव (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) प्रारंभिक शेष	2.85	13.16
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	16.84	0.76
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का राइट ऑफ/प्रतिलेखन	0.88	11.07
(घ) अंतिम शेष	18.81	2.85

(ग) अनर्जक आस्तियां (क+ख)

(₹ बिलियन)

विवरण	2023-24	2022-23
(i) निवल आस्तियों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां (अग्रिम + निवेश) (%)	0.28%	0.59%
(ii) अनर्जक आस्तियों में उतार–चढ़ाव (सकल अग्रिम + सकल निवेश)		
(क) प्रारंभिक शेष	59.92	57.22
(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	19.62	79.67
(ग) वर्ष के दौरान कमी	29.62	76.97
(घ) अंतिम शेष	49.92	59.92
(iii) अनर्जक आस्तियों में उतार–चढ़ाव		
(क) प्रारंभिक शेष	9.57	0.59
(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	0.04	9.52
(ग) वर्ष के दौरान कमी	4.94	0.54
(घ) अंतिम शेष	4.67	9.57
(iv) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों में उतार–चढ़ाव (मानक आस्तियों पर किए गए प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) प्रारंभिक शेष	50.34	56.63
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	19.83	27.44
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का राइट ऑफ/प्रतिलेखन	24.92	33.73
(घ) अंतिम शेष	45.25	50.34

4.4 पुनर्संरचित किए गए खातों का विवरण वर्तमान वर्ष

(₹ बिलियन)

क्र.सं.	पुनर्संरचना का प्रकार / आस्ति वर्गीकरण	विवरण	कंपनी कर्ज पुनर्संरचना (सीडीआर) प्रक्रिया के अंतर्गत					एसएमई ऋण पुनर्संरचना प्रक्रिया के अंतर्गत					अन्य					कुल
			मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	
1	वित्तीय वर्ष की प्रारंभिक तारीख को पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	2	6	-	11	12
		बकाया राशि	-	-	0.51	-	0.51	-	-	-	-	-	10.18	3.67	6.35	-	20.20	20.71
		उस पर प्रावधान	-	-	0.51	-	0.51	-	-	-	-	-	0.52	1.59	6.35	-	8.46	8.97
2	वर्ष के दौरान नवीन पुनर्संरचना/बढ़त	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.26	1.25	-	-	5.51	5.51
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.19	1.25	-	-	4.44	4.44
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	3.67	-	3.68	3.68
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.59	-	1.59	1.59
4	वित्तीय वर्ष के अंत में पुनर्संरचित मानक अग्रिम, जिनमें उच्चतर प्रावधान हुए और / अथवा अतिरिक्त जोखिम भार और इस तरह उन्हें अगले वित्तीय वर्ष के आरंभ में पुनर्संरचित मानक अग्रिमों के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1)	(2)	-	-	(3)	(3)
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.32)	(3.67)	-	-	(8.99)	(8.99)
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.25)	(1.59)	-	-	(1.84)	(1.84)
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों को डाउनग्रेड / कम करना	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2)	-	-	-	(2)	(2)
		बकाया राशि	-	-	(0.12)	-	(0.12)	-	-	-	-	-	(5.32)	-	(0.15)	-	(5.47)	(5.59)
		उस पर प्रावधान	-	-	(0.12)	-	(0.12)	-	-	-	-	-	(0.61)	-	0.69	-	0.08	(0.04)
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों को राइट ऑफ करना	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	(1)	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1)
		बकाया राशि	-	-	(0.39)	-	(0.39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.39)
		उस पर प्रावधान	-	-	(0.39)	-	(0.39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.39)
7	वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को पुनर्संरचित खाते (अंतिम आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	-	10	10
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.81	1.25	9.87	-	14.93	14.93
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.85	1.25	8.63	-	12.73	12.73

गत वर्ष :

(₹ बिलियन)

क्र.सं.	पुनर्संरचना का प्रकार / आस्ति वर्गीकरण	विवरण	कंपनी कर्ज पुनर्संरचना (सीडीआर) प्रक्रिया के अंतर्गत					एसएमई ऋण पुनर्संरचना प्रक्रिया के अंतर्गत					अन्य					कुल
			मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	
1	वित्तीय वर्ष की प्रारंभिक तारीख को पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	3	-	3	-	-	1	-	1	4	-	11	-	15	19
		बकाया राशि	-	-	0.91	-	0.91	-	-	0.01	-	0.01	7.06	-	13.37	-	20.43	21.35
		उस पर प्रावधान	-	-	0.91	-	0.91	-	-	0.01	-	0.01	1.83	-	13.37	-	15.20	16.12
2	वर्ष के दौरान नवीन पुनर्संरचना/बढ़त	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	3
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.66	3.67	-	-	10.33	10.33
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.31	1.59	-	-	1.90	1.90
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	वित्तीय वर्ष के अंत में पुनर्संरचित मानक अग्रिम, जिनमें उच्चतर प्रावधान हुए और / अथवा अतिरिक्त जोखिम भार और इस तरह उन्हें अगले वित्तीय वर्ष के आरंभ में पुनर्संरचित मानक ऋण एवं अग्रिमों के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों को डाउनग्रेड / कम करना	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	5	-	7	9
		बकाया राशि	-	-	0.40	-	0.40	-	-	-	-	-	3.54	-	7.02	-	10.56	10.96
		उस पर प्रावधान	-	-	0.40	-	0.40	-	-	-	-	-	1.62	-	7.02	-	8.64	9.04
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों को राइट ऑफ करना	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01
7	वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को पुनर्संरचित खाते (अंतिम आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	2	6	-	11	12
		बकाया राशि	-	-	0.51	-	0.51	-	-	-	-	-	10.18	3.67	6.35	-	20.20	20.71
		उस पर प्रावधान	-	-	0.51	-	0.51	-	-	-	-	-	0.52	1.59	6.35	-	8.46	8.97

4.5 अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव

(₹ बिलियन)

विवरण	2023-24	2022-23
यथा 1 अप्रैल को सकल अनर्जक आस्तियां (प्रारंभिक शेष)	56.97	43.47
वर्ष के दौरान बढ़त (नई अनर्जक आस्तियां)	2.00	76.70
ब्याज निधीयन	0.08	0.07
विनिमय दर उतार-चढ़ाव	0.73	2.17
उपखंड योग (क)	**59.78**	**122.41**
घटाएं:		
(i) उन्नयन	0.06	5.74
(ii) वसूली (अपग्रेड किए खातों से वसूली को छोड़कर)	21.85	49.29
(iii) तकनीकी/विवेकसम्मत बट्टे खाते	3.29	8.74
(iv) राइट ऑफ, उपर्युक्त (iii) के अलावा	3.58	1.67
(v) विनिमय दर घट-बढ़	-	-
उपखंड योग (ख)	**28.77**	**65.44**
यथा 31 मार्च को सकल अनर्जक आस्तियां (अंतिम शेष) (क-ख)	**31.01**	**56.97**

आरबीआई आईआरएसीपी मानदंड परिपत्र डीओआर.एसटीआर.आरईसी.3/21.04.048/2023-24 दिनांकित 1 अप्रैल, 2023 के अनुसार सकल अनर्जक आस्तियां

4.6 राइट ऑफ और वसूली

(₹ बिलियन)

विवरण	2023-24	2022-23
यथा 1 अप्रैल को तकनीकी/विवेकसम्मत रूप से राइट ऑफ किए गए खातों का प्रारंभिक शेष	117.45	107.62
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकसम्मत राइट ऑफ	3.29	8.63
जोड़ें/(घटाएं): विनिमय में उतार-चढ़ाव	0.75	3.41
उपखंड योग (क)	**121.48**	**119.66**
घटाएं: वर्ष के दौरान पुराने तकनीकी/विवेकसम्मत राइट ऑफ किए गए खातों से की गई वसूली (ख)	(8.43)	2.21
यथा 31 मार्च को अंतिम शेष (क-ख)	**113.06**	**117.45**

4.7 विदेशी आस्तियां, अनर्जक आस्तियां और राजस्व

नीचे दिए गए आंकड़े बैंक की लंदन शाखा से संबंधित हैं, जिसने अक्टूबर 2010 में परिचालन शुरू किया था।

(₹ बिलियन)

विवरण	2023-24	2022-23
कुल आस्तियां	114.45	67.22
कुल अनर्जक आस्तियां	2.77	2.73
कुल राजस्व	6.77	2.98

4.8 निवेशों पर मूल्यह्रास और प्रावधान

(₹ बिलियन)

विवरण	2023-24	2022-23
(1) निवेश		
(i) सकल निवेश	189.49	147.41
क) भारत में	187.44	145.39
ख) भारत से बाहर	2.05	2.02
(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	23.25	24.31
क) भारत में	21.31	22.39
ख) भारत से बाहर	1.94	1.92
(iii) निवल निवेश	166.23	123.11
क) भारत में	166.12	123.00
ख) भारत से बाहर	0.11	0.11
(2) निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधानों में घट-बढ़		
(i) प्रारंभिक शेष	24.31	23.72
(ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.63	2.97
(iii) वर्ष के दौरान निवेश अस्थिर आरक्षित निधि खाते से विनियोजन, यदि कोई है	-	-
(iv) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों पर राइट ऑफ/प्रतिलेखन	(1.69)	(2.38)
(v) घटाएं: अस्थिर आरक्षित निधि खाते में हस्तांतरण, यदि कोई है	-	-
(vi) अंतिम शेष	23.25	24.31

4.9 प्रावधान और आकस्मिक व्यय

(₹ बिलियन)

लाभ एवं हानि लेखा शीर्ष के अंतर्गत दिखाए गए प्रावधानों और आकस्मिक व्यय का विवरण	2023-24	2022-23
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	(1.37)	0.06
अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान	(21.08)	3.89
आयकर के लिए किए गए प्रावधान	8.18	5.33
अन्य प्रावधान और आकस्मिक व्यय*	26.59	11.05

*इसमें बैंक गारंटियों के लिए ₹ 0.17 बिलियन (गत वर्ष ₹ 4.60 बिलियन) और देशगत जोखिम प्रावधानीकरण के लिए ₹ 0.25 बिलियन (गत वर्ष ₹ 0.03 बिलियन) का राइट बैक और हेज न किए गए विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र वाली संस्थाओं को एक्सपोज़र के चलते ₹ 0.46 बिलियन (गत वर्ष ₹ 0.25 बिलियन) का प्रावधानीकरण शामिल है।

4.10 प्रावधान कवरेज अनुपात

विवरण	2023-24	2022-23
प्रावधान कवरेज अनुपात (टेक्निकल राइट ऑफ सहित)	96.83%	94.56%

4.11 वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी मामले और उनके लिए किए गए प्रावधान

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किसी भी नए खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया है (गत वर्ष शून्य)। इसके अतिरिक्त, यथा वर्ष की समाप्ति को अपरिशोधित प्रावधान की कोई भी राशि 'अन्य आरक्षित निधियों' से डेबिट नहीं की गई है।

5. निवेश पोर्टफोलियो: संघटक एवं परिचालन

5.1 रेपो लेन–देन

वर्तमान वर्ष:

(₹ बिलियन)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	यथा 31 मार्च, 2024 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	3.50	8.95	1.99	24.05
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	--	--	--	--
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	--	--	--	--
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	--	--	--	--

गत वर्ष:

(₹ बिलियन)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	यथा 31 मार्च, 2023 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	--	--	--	--
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	--	--	--	--
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	--	--	--	--
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	--	--	--	--

5.2 ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के लिए निवेशकर्ता की जमाराशियों का प्रकटीकरण

वर्तमान वर्ष:

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	निवेशकर्ता	राशि	राशि			
			निजी प्लेसमेंट के जरिए किया गया निवेश	"निवेश ग्रेड से नीचे" धारित प्रतिभूतियां	धारित "अश्रेणीकृत" प्रतिभूतियां	धारित "असूचीबद्ध" प्रतिभूतियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक उपक्रम	-	-	-	-	-
2	वित्तीय संस्थाएं	1.68	1.68	-	0.06	1.68
3	बैंक	4.99	4.99	-	-	4.99
4	निजी कॉर्पोरेट	48.66*	48.60	-	19.85	29.70
5	सहायक कंपनियां/संयुक्त उद्यम	0.42	0.42	-	0.42	0.42
6	अन्य	0.02	0.02	-	-	0.02
7	मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधान#	23.25	22.08	-	3.25	20.80
	कुल	**55.76**	**55.70**	**-**	**20.33**	**36.80**

कॉलम 3 में प्रकट किए जाने वाले प्रावधान की केवल कुल राशि।

* जिसमें से ₹ 18.43 बिलियन की जमा राशियां आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में निवेश को दर्शाती हैं और ₹ 6.30 बिलियन का निवेश ऋण पुनर्संरचना के हिस्से के रूप में शेयरों/ऋण पत्रों (डिबेंचरों) में है।

उपर्युक्त कॉलम 4, 5, 6 और 7 के अंतर्गत उल्लिखित राशियां पारस्परिक रूप से अनन्य नहीं हैं।

गत वर्षः

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	निवेशकर्ता	राशि	राशि			
			निजी प्लेसमेंट के जरिए किया गया निवेश	"निवेश ग्रेड से नीचे" धारित प्रतिभूतियां	धारित "अश्रेणीकृत" प्रतिभूतियां	धारित "असूचीबद्ध" प्रतिभूतियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक उपक्रम	-	-	-	-	-
2	वित्तीय संस्थाएं	0.80	0.80	-	0.06	0.80
3	बैंक	0.002	0.002	-	-	-
4	निजी कॉर्पोरेट	38.14*	38.14	-	6.37	35.20
5	सहायक कंपनिया/संयुक्त उद्यम	0.003	0.003	-	0.003	0.003
6	अन्य	0.02	0.02	-	-	0.02
7	मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधान#	24.31	24.31	-	-	-
	कुल	**38.96**	**38.96**	**-**	**6.43**	**36.02**

कॉलम 3 में प्रकट किए गए प्रावधान की कुल राशि।

* जिसमें से ₹ 18.60 बिलियन की जमा राशियां आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में निवेश और ₹ 7.55 बिलियन ऋण पुनर्संरचना के हिस्से के रूप में शेयरों/ऋण पत्रों (डिबेंचरों) में निवेश को दर्शाती हैं।

उपर्युक्त कॉलम 4, 5, 6 और 7 के अंतर्गत उल्लिखित राशियां पारस्परिक रूप से अनन्य नहीं हैं।

5.3 हेल्ड टू मैच्योरिटी (एचटीएम) श्रेणी में / से बिक्री और अंतरण

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, हेल्ड–टू–मैच्योरिटी (एचटीएम) श्रेणी में से निवेशों का कोई विक्रय और अंतरण नहीं किया गया। (गत वर्षः शून्य)।

6. खरीदी/बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

6.1 आस्ति पुनर्संचरना के लिए प्रतिभूतिकरण / पुनर्संरचना कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

क. बिक्री का विवरण

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	विवरण	2023-24	2022-23
(i)	खातों की संख्या	4	1
(ii)	आस्ति प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेचे गए खातों (प्रावधानों को घटाकर) का कुल मूल्य	-	-
(iii)	कुल प्राप्ति	0.78	0.16
(iv)	गत वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त राशि	0.43	0.51
(v)	निवल बही मूल्य पर कुल प्राप्ति/(हानि)	1.21	0.67

- "आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों को बेची गई आस्तियों" को आरबीआई के मास्टर परिपत्र डीबीओडी संख्या एफआईडी.एफआईसी. 2/01.02.00/2006-07 दिनांकित 01 जुलाई, 2006 और उसके बाद परिभाषित अनुसार माना गया है।

ख. प्रतिभूति जमाओं में निवेशों के बही मूल्य का विवरण

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	विवरण	प्रतिभूति रसीदों में निवेशों का बही मूल्य	
		2023-24	2022-23
(i)	बैंक द्वारा बेची गई अनर्जक आस्तियों द्वारा गारंटित	0.53	0.84
(ii)	बैंकों/अन्य वित्तीय संस्थाओं/गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेची गई अनर्जक आस्तियों द्वारा गारंटित	-	-
	कुल	0.53	0.84

6.2 खरीदी/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

क. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	विवरण	2023-24	2022-23
1.	(क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	--	--
	(ख) कुल बकाया	--	--
2.	(क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या	--	--
	(ख) कुल बकाया	--	--

ख. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	विवरण	2023-24	2022-23
1.	बेचे गए खातों की संख्या	4	1
2.	कुल बकाया	2.07	0.30
3.	कुल प्राप्त राशि	0.78	0.16

6.3 वर्ष के दौरान हस्तांतरित/अधिग्रहीत किए गए दबावग्रस्त ऋणों का विवरण

क. हस्तांतरित दबावग्रस्त ऋणों का विवरण

(सभी राशियां ₹ बिलियन में)	एआरसी को	अनुमत हस्तांतरणकर्ताओं को	अन्य हस्तांतरणकर्ताओं को (कृपया उल्लेख करें)
खातों की संख्या	4	-	-
हस्तांतरित ऋणों का कुल मूलधन बकाया	2.07	-	-
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत शेष अवधि	शून्य	-	-
हस्तांतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	शून्य	-	-
कुल प्रतिफल	0.78	-	-
पूर्व वर्षों में हस्तांतरित ऋणों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	0.43	-	-

ख. वर्ष के दौरान दबावग्रस्त ऋणों का विवरण

(सभी राशियां ₹ बिलियन में)	खंड 3 में सूचीबद्ध ऋणदाताओं की सूची से	एआरसी से
अधिग्रहीत ऋणों का कुल मूलधन बकाया	-	-
कुल प्रदत्त प्रतिफल	-	-
अधिग्रहीत ऋणों की भारित औसत शेष अवधि	-	-

7. परिचालन परिणाम

क्र. सं.	विवरण	2023-24	2022-23
(i)	औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	8.98	7.78
(ii)	औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर–ब्याज आय	0.34	0.39
(iii)	औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	2.26	2.56
(iv)	औसत आस्तियों पर प्रतिफल	1.47	1.04
(v)	प्रति (स्थायी) कर्मचारी निवल लाभ/(हानि) (₹ बिलियन में)	0.07	0.04

- परिचालन परिणामों के लिए कार्यशील निधियों और कुल आस्तियों को गत लेखा वर्ष के अंत तथा रिपोर्ट के अंतर्गत लेखा वर्ष के अंत के आंकड़ों के औसत के रूप में लिया गया है ("कार्यशील निधियों" का संदर्भ निवल अर्जक आस्तियों से है)।
- प्रति कर्मचारी निवल लाभ की गणना के लिए सभी कैडरों के स्थायी, पूर्णकालिक कर्मचारियों को लिया गया है।

8. ऋण संकेंद्रण जोखिम

8.1 पूँजी बाजार एक्सपोज़र

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	विवरण	2023-24	2022-23
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिट्स में प्रत्यक्ष निवेश, जिनका निवेश केवल कॉर्पोरेट ऋण में ही नहीं है;	0.18	0.18
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईसॉप सहित) परिवर्तनीय बॉन्डों/परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिट्स में निवेश के लिए शेयरों / बॉन्डों / डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के एवज में अग्रिम अथवा गैर प्रतिभूति आधार पर व्यक्तियों को अग्रिम;	--	--
(iii)	अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम, जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिट्स को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	--	--
(iv)	अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डों/ डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिट्स की कोलैटरल सिक्योरिटी, अर्थात ऐसे उद्देश्य जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉन्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिट्स के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह कवर नहीं करती;	--	--
(v)	शेयर दलालों को जमानती और गैर-जमानती अग्रिम तथा शेयर दलालों और मार्केटमेकर्स की ओर से जारी गारंटियां;	--	--
(vi)	संसाधन जुटाने के लिए कॉर्पोरेट्स को नई कंपनियों में प्रवर्तक इक्विटी लेने के लिए शेयरों/बॉन्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के पेटे या बेजमानती ऋणों की मंजूरी;	--	--
(vii)	संभावित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के बदले पूरक ऋण;	--	--
(viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिट्स की प्राथमिक निर्गम की खरीद के संबंध में बैंक द्वारा दी गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं;	--	--
(ix)	शेयर दलालों को मार्जिन ट्रेडिंग के लिए वित्तपोषण;	--	--
(x)	उद्यम पूँजीगत निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के लिए सभी एक्सपोज़र	0.24	0.16
	पूँजी बाजार में कुल एक्सपोज़र	**0.42**	**0.34**

8.2 देशगत जोखिम एक्सपोज़र

(₹ बिलियन)

जोखिम श्रेणी	यथा 31 मार्च, 2024 को एक्सपोज़र (निवल)	यथा 31 मार्च, 2024 को रखे गए प्रावधान	यथा 31 मार्च, 2023 को एक्सपोज़र (निवल)	यथा 31 मार्च, 2023 को प्रावधान
नगण्य	94.09	0.47	50.21	0.23
न्यून	116.96	-	86.72	-
मध्यम	613.75	-	558.20	-
उच्च	231.47	-	420.33	-
बहुत ज्यादा	236.51	-	121.52	-
प्रतिबंधित	-	-	-	-
ऑफ क्रेडिट	-	-	-	-
कुल	**1,292.78**	**0.47**	**1,236.98**	**0.23**

8.3 रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना (एसडीआर) योजना

(₹ बिलियन)

विवरण	2023-24	2022-23
खातों की संख्या	1	1
कुल बकाया राशि	-	-
इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि	0.08	0.08

8.4 वर्ष के दौरान क्रियान्वित की गई समाधान योजना

निधि आधारितः

(₹ बिलियन)

उधारकर्ताओं की संख्या	बकाया ऋण (पुनर्संरचना से पहले)	बकाया ऋण (पुनर्संरचना के बाद)	पुनर्संरचना के बाद वसूली राशि	यथा 31 मार्च, 2024 को बकाया राशि
5	1.39	1.28	3.19	1.28

गैर-निधि आधारितः

(₹ बिलियन)

उधारकर्ताओं की संख्या	बकाया ऋण (पुनर्संरचना से पहले)	बकाया ऋण (पुनर्संरचना के बाद)	पुनर्संरचना के बाद वसूली राशि	यथा 31 मार्च, 2024 को बकाया राशि
-	-	-	-	-

- अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों पर आरबीआई के परिपत्र डीओआर सं. एसटीआर.आरईसी.3/21.04.048/2023-24 दिनांकित 01 अप्रैल, 2023 के अनुसार।

8.5 दबावग्रस्त आस्तियों की संवहनीय संरचना योजना (एस4ए) के अंतर्गत एक्सपोज़र

(₹ बिलियन)

विवरण		2023-24	2022-23
मानक खातों के रूप में वर्गीकृत खातों की संख्या, जिन पर एस4ए लागू होता है		2	2
कुल बकाया राशि		-	-
बकाया राशि	भाग क में	2.94	2.94
	भाग ख में	2.59	2.59
किया गया प्रावधान		1.11	1.11

8.6 यथा 31 मार्च, 2024 को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत ₹ 8.21 बिलियन (गत वर्षः ₹ 14.17 बिलियन) के बकाया ऋण के साथ 67 खातों (गत वर्षः 70 खाते) को एनसीएलटी में दाखिल किया गया या संदर्भित किया गया, जिनके एवज में बैंक ने 100% प्रावधान किया है (गत वर्षः 100%)। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान इन खातों से कुल 0.80 बिलियन राशि वसूल की गई।

8.7 बैंक द्वारा विवेकसम्मत ऋण सीमा से अधिक ऋण देने संबंधी मामले–एकल उधारकर्ता सीमा/समूह उधारकर्ता सीमा

क. वर्ष के दौरान विवेकसम्मत ऋण सीमा से अधिक ऋण संबंधी मामलों की संख्या और राशि

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	पैन	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कोड	उद्योग का नाम	क्षेत्र	निधिक राशि	गैर–निधिक राशि	पूँजीगत निधियों के % के रूप में एक्सपोज़र
1.		–	-	–	–	-	-	-

गत वर्ष

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	पैन	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कोड	उद्योग का नाम	क्षेत्र	निधिक राशि	गैर–निधिक राशि	पूँजीगत निधियों के % के रूप में एक्सपोज़र
1.		–	-	–	–	-	-	-

ख. पूँजीगत निधियों और कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण

वर्तमान वर्ष

विवरण	पूँजीगत निधियों की तुलना में प्रतिशत*	कुल ऋण एक्सपोज़र (टीसीई) की तुलना में प्रतिशत@	कुल आस्तियों की तुलना में प्रतिशत
i) सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	18.85	1.56	1.92
ii) सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह	25.85	2.14	2.64
iii) 20 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	195.14	16.12	19.89
iv) 20 सबसे बड़े उधारकर्ता समूह	181.64	15.00	18.52

* यथा 31 मार्च, 2023 को पूँजीगत निधियां

@ टीसीईः ऋण + अग्रिम + अप्रयुक्त मंजूरियां + गारंटियां + साख पत्र + डेरिवेटिव्स पर ऋण एक्सपोज़र।

1) बैंकों और विदेशी संस्थाओं को दिए गए ऐसे ऋण, जिनके लिए भारत सरकार द्वारा गारंटी दी गई है/भारत सरकार की ओर से स्वीकृत किए गए हैं, उन्हें एकल/समूह उधारकर्ता एक्सपोज़र में शामिल नहीं किया गया है।

2) यथा 31 मार्च, 2024 को ऐसे कोई उधारकर्ता नहीं रहे, जिन्हें ऋण एक्सपोज़र विवेकसम्मत एक्सपोजर सीमा से अधिक रहा हो। इसके अलावा, ऐसे कोई उधारकर्ता समूह नहीं रहे, जिन्हें ऋण एक्सपोज़र कुल पूंजीगत निधियों के 40% की आधार सीमा से अधिक रहा हो। विवरण उपर्युक्त पैरा 8.7.क में दिया गया है।

गत वर्षः

विवरण	पूँजीगत निधियों की तुलना में प्रतिशत*	कुल ऋण एक्सपोज़र (टीसीई) की तुलना में प्रतिशत@	कुल आस्तियों की तुलना में प्रतिशत
i) सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	14.01	1.17	1.56
ii) सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह	26.41	2.21	2.94
iii) 20 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	149.33	12.47	16.62
iv) 20 सबसे बड़े उधारकर्ता समूह	157.45	13.15	17.52

* यथा 31 मार्च, 2022 को पूँजीगत निधियां।

@ टीसीईः ऋण + अग्रिम + अप्रयुक्त मंजूरियां + गारंटियां + साख पत्र + डेरिवेटिव्स पर ऋण एक्सपोज़र।

1) बैंकों और विदेशी संस्थाओं को दिए गए ऐसे ऋण, जिनके लिए भारत सरकार द्वारा गारंटी दी गई है/भारत सरकार की ओर से स्वीकृत किए गए हैं, उन्हें एकल/समूह उधारकर्ता एक्सपोज़र में शामिल नहीं किया गया है।

2) यथा 31 मार्च, 2023 को एक एकल उधारकर्ता था, जिसे ऋण एक्सपोज़र कुल पंजीगत पूँजी निधियों के 15% से अधिक रहा। इसके अतिरिक्त, कोई समूह उधारकर्ता नहीं रहा, जिसे ऋण एक्सपोज़र पूँजीगत निधियों के 40% की सीमा से अधिक रहा हो। विवरण उपर्युक्त पैरा 8.7.क में दिया गया है।

ग. पांच सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को ऋण एक्सपोज़र

वर्तमान वर्ष:

क्षेत्र	कुल ऋण एक्सपोज़र (टीसीई) की तुलना में प्रतिशत	ऋण आस्तियों की तुलना में प्रतिशत
i) वित्तीय सेवाएं	4.71	6.97
ii) ईपीसी सेवाएं	4.33	6.40
iii) रसायन और रंजक (डाई)	3.26	4.83
iv) लौह धातुएं और धातु प्रसंस्करण	3.19	4.72
v) पेट्रोलियम उत्पाद	3.12	4.62

गत वर्ष:

क्षेत्र	कुल ऋण एक्सपोज़र (टीसीई) की तुलना में प्रतिशत	ऋण आस्तियों की तुलना में प्रतिशत
i) वित्तीय सेवाएं	4.57	7.06
ii) ईपीसी सेवाएं	4.53	6.99
iii) रसायन और रंजक (डाई)	3.31	5.12
iv) निर्माण	3.30	5.09
v) लौह धातुएं और धातु प्रसंस्करण	2.85	4.41

- "ऋण एक्सपोज़र" की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित अनुसार की गई है।
- उद्योग एक्सपोज़र की गणना के लिए बैंकों और विदेशी संस्थाओं को दिया गया वह ऋण जिसके लिए भारत सरकार द्वारा/भारत सरकार की ओर से गारंटी दी गई है को, भारत सरकार की ओर से दिया गया ऋण माना गया है और उसे इसमें शामिल नहीं किया गया है।

घ. अप्रतिभूतित ऋण एवं अग्रिम

(₹ बिलियन)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2024 को	यथा 31 मार्च, 2023 को
बैंक के कुल अप्रतिभूतित ऋण एवं अग्रिम	249.73	159.50
i) जिसमें से कॉर्पोरेट/व्यक्तिगत गारंटियों, वचन पत्रों, ट्रस्ट रसीदों आदि जैसी अमूर्त आस्तियों के एवज में बकाया ऋण एवं अग्रिम की राशि	10.82	16.33
ii) उपर्युक्त (i) में उल्लिखित अनुसार अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	4.49	-

ङ. फैक्टरिंग एक्सपोज़र

फैक्टरिंग व्यवस्था के अंतर्गत बैंक का कोई एक्सपोज़र नहीं है (गत वर्ष: ₹ शून्य)।

च. वर्ष के दौरान वित्तीय संस्था द्वारा पार की गई विवेकसम्मत ऋण सीमा वाले एक्सपोज़र

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	पैन	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कोड	उद्योग का नाम	क्षेत्र	निधिक राशि	गैर-निधिक राशि	पूँजीगत निधियों के % के रूप में एक्सपोज़र
1.	-	–	-	–	–	-	-	-

गत वर्ष

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	पैन	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कोड	उद्योग का नाम	क्षेत्र	निधिक राशि	गैर-निधिक राशि	पूँजीगत निधियों के % के रूप में एक्सपोज़र
1.	-	–	-	–	–	-	-	-

9. उधारियों/ऋण–व्यवस्थाओं, ऋण एक्सपोज़रों और अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

(क) उधारियों और ऋण–व्यवस्थाओं का संकेंद्रण

(₹ बिलियन)

विवरण	2023-24	2022-23
20 सबसे बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियां	409.50	276.90
बैंक की कुल उधारियों की तुलना में 20 सबसे बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियों का प्रतिशत	26.49%	21.56%

(ख) ऋण एक्सपोज़रों का संकेंद्रण

(₹ बिलियन)

विवरण	2023-24	2022-23
20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल एक्सपोज़र	381.89	268.29
बैंक के कुल ऋण एवं अग्रिमों की तुलना में 20 सबसे बड़े ऋणदाताओं को कुल एक्सपोज़र का प्रतिशत	23.83%	19.26%
20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र	381.89	268.29
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोज़र की तुलना में 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को एक्सपोज़र का प्रतिशत	16.12%	12.47%
एक्ज़िम बैंक के मामले में, कुल एक्सपोज़र की तुलना में शीर्ष 10 देशों के एक्सपोज़र का प्रतिशत	36.87%	38.81%

ऋण और निवेश एक्सपोज़र पर आधारित एक्सपोज़र की गणना वित्तीय संस्थाओं के लिए एक्सपोज़र मानदंडों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र संख्या डीबीआर.एफआईडी.एफआईसी.संख्या 4/01.02.00/2015-16 दिनांकित 01 जुलाई, 2015 के अनुसार की गई है।

(ग) ऋणों और अनर्जक आस्तियों का क्षेत्रवार संकेंद्रण

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	क्षेत्र	2023-24 कुल बकाया अग्रिम	2023-24 सकल अनर्जक आस्तियां	2023-24 क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत	2022-23 कुल बकाया अग्रिम	2022-23 सकल अनर्जक आस्तियां	2022-23 क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत
क	**घरेलू क्षेत्र**	**462.46**	**6.18**	**1%**	**308.47**	**13.17**	**4%**
1	**कुल निर्यात वित्त**	**340.74**	**4.62**	**1%**	**254.42**	**10.42**	**4%**
	कृषि क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
	औद्योगिक क्षेत्र	**303.84**	**4.14**	**1%**	**209.99**	**10.10**	**5%**
	लौह धातुएं और धातु प्रसंस्करण	41.91	-	0%	36.99	0.35	1%
	रसायन और रंजक	22.73	0.07	0%	11.74	-	0%
	पेट्रोलियम उत्पाद	70.08	-	0%	42.48	-	0%
	विद्युत	2.14	0.14	6%	-	-	0%
	अन्य	166.98	3.93	2%	118.78	9.75	8%
	सेवा क्षेत्र	**36.90**	**0.48**	**1%**	**44.43**	**0.32**	**1%**
	वित्तीय सेवाएं	-	-	-	12.33	-	-
	अन्य	36.90	0.48	1%	32.11	0.32	1%
2	**कुल आयात वित्त**	**121.72**	**1.56**	**1%**	**54.05**	**2.75**	**5%**
	कृषि क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
	औद्योगिक क्षेत्र	**74.44**	**1.56**	**2%**	**35.72**	**2.11**	**6%**
	लौह धातु और धातु प्रसंस्करण	2.19	-	0%	2.29	-	-
	रसायन और रंजक	12.80	-	0%	18.37	-	-
	विद्युत	42.11	1.56	4%	-	-	-
	अन्य	17.34	-	0%	15.06	2.11	14%

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	क्षेत्र	2023-24 कुल बकाया अग्रिम	2023-24 सकल अनर्जक आस्तियां	2023-24 क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत	2022-23 कुल बकाया अग्रिम	2022-23 सकल अनर्जक आस्तियां	2022-23 क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत
	सेवा क्षेत्र	**47.28**	**-**	**0%**	**18.33**	**0.64**	**3%**
	वित्तीय सेवाएं	44.70	-	0%	16.44	-	-
	अन्य	2.58	-	0%	1.89	0.64	34%
3	**(क) में से भारत सरकार द्वारा गारंटित एक्सपोज़र**	-	-	-	-	-	-
ख	**बाह्य क्षेत्र**	**147.87**	**8.77**	**6%**	128.13	12.18	10%
1	**कुल निर्यात वित्त**	**147.87**	**8.77**	**6%**	128.13	12.18	10%
	कृषि क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
	औद्योगिक क्षेत्र	**86.39**	**6.26**	**7%**	72.20	9.49	13%
	लौह धातु और धातु प्रसंस्करण	12.30	-	0%	2.31	-	-
	रसायन और रंजक	13.11	-	0%	14.40	-	-
	विद्युत	8.18	3.73	46%	-	-	-
	पेट्रोलियम उत्पाद	-	-	0%	-	-	-
	अन्य	52.80	2.53	5%	55.49	9.49	17%
	सेवा क्षेत्र	**61.47**	**2.50**	**4%**	55.93	2.69	5%
	वित्तीय सेवाएं	44.18	-	0%	50.85	-	-
	अन्य	17.29	2.50	14%	5.08	2.69	53%
2	**कुल आयात वित्त**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	कृषि क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
	औद्योगिक क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
	सेवा क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
3	**(ख) में से भारत सरकार द्वारा गारंटित एक्सपोज़र**	-	-	-	-	-	-
ग	**अन्य एक्सपोज़र#**	**992.13**	**16.07**	**2%**	956.12	31.62	3%
घ	**कुल एक्सपोज़र (क+ख+ग)**	**1,602.46**	**31.01**	**1.94%**	1,392.72	56.97	4.09%

इसमें ऋण–व्यवस्थाओं, राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अंतर्गत क्रेता ऋण, रियायती वित्त योजना, वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्वित्त और बैंकों द्वारा प्रति–गारंटित ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।

घ. हेज न किया गया विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र

बैंक ने आरबीआई के मास्टर निदेश डीबीआर.एफआईडी.सं. 108/01.02.000/2015-16 दिनांकित 23 जून, 2016 के अनुसार, पूँजी के प्रावधान की आवश्यकताओं के संबंध में एक आंतरिक नोट के अनुसार अरक्षित (हेज न किया गया) विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र वाली कंपनियों को एक्सपोज़र के लिए वृद्धिशील रूप से प्रावधान करने के नियम को लागू किया है। यथा 31 मार्च, 2024 को मुद्रा उत्प्रेरित ऋण जोखिम के लिए ₹ 1.04 बिलियन (गत वर्षः ₹ 0.57 बिलियन) की राशि रखी गई और मुद्रा उत्प्रेरित ऋण जोखिम के लिए आवंटित पूँजी ₹ 20.36 बिलियन (गत वर्षः ₹ 13.14 बिलियन) रही।

10. डेरिवेटिव

10.1 वायदा दर करार / ब्याज दर स्वाप

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	विवरण	2023-24		2022-23	
		हेजिंग	ट्रेडिंग	हेजिंग	ट्रेडिंग
1.	स्वाप करारों का मूल कल्पित मूल्य	573.75	-	502.34	-
2.	प्रतिपक्षी पार्टी द्वारा करार के दायित्वों का निर्वहन न करने पर संभावित हानि	1.08	-	-	-
3.	स्वाप करारों के लिए बैंक द्वारा अपेक्षित कोलैटरल	-	-	-	-
4.	स्वाप्स से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण	सभी संव्यवहार अनुमोदित ऋण जोखिम सीमाओं के अंदर हैं।*	–	सभी संव्यवहार अनुमोदित ऋण जोखिम सीमाओं के अंदर हैं।*	-
5.	स्वाप बही का सही मूल्य	(43.66)	-	(37.14)	-

*सभी ब्याज दर स्वाप बैंकों के साथ किए गए हैं।

स्वाप की प्रकृति तथा शर्तें: सभी संव्यवहार बैंक की आस्तियों/देयताओं से संबंधित हैं तथा इन्हें बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन स्थिति की हेजिंग के उद्देश्य से किया गया है।

लिखत	प्रकृति	संख्या	अनुमानित मूलधन	बेंचमार्क	शर्तें
आईआरएस	हेजिंग	13	208.50	6 माह सोफर	फिक्स्ड प्राप्तियां बनाम फ्लोटिंग देय
आईआरएस	हेजिंग	1	20.85	3 माह सोफर	फिक्स्ड प्राप्तियां बनाम फ्लोटिंग देय
आईआरएस	हेजिंग	4	95.91	6 माह सोफर	फिक्स्ड प्राप्तियां बनाम फ्लोटिंग देय
आईआरएस	हेजिंग	1	0.74	टोना	फिक्स्ड प्राप्तियां बनाम फ्लोटिंग देय
आईआरएस	हेजिंग	13	231.43	सोफर	फिक्स्ड प्राप्तियां बनाम फ्लोटिंग देय
आईआरएस	हेजिंग	2	16.30	आईएनटीबीफिक्स 3 माह	फिक्स्ड प्राप्तियां बनाम फ्लोटिंग देय
	कुल	**34**	**573.73**		

10.2 एक्सचेंजों में खरीदे-बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव

क्र. सं.	विवरण	राशि
1.	वर्ष के दौरान एक्सचेंजों में खरीदे-बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव की सांकेतिक मूल राशि	-
2.	यथा 31 मार्च, 2024 को एक्सचेंजों में खरीदे-बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव की बकाया सांकेतिक मूल राशि	-
3.	एक्सचेंजों में खरीदे-बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव की बकाया सांकेतिक मूल राशि किंतु "हाइली इफेक्टिव" नहीं	-
4.	एक्सचेंजों में खरीदे-बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव का बकाया मार्क-टू-मार्केट मूल्य किंतु "हाइली इफेक्टिव" नहीं	-

10.3 डेरिवेटिव्स में जोखिम एक्सपोज़र का प्रकटन

क. गुणात्मक प्रकटन

1. बैंक बाजार जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से मुख्यतः अपने तुलन–पत्र जोखिमों को हेज करने तथा प्रभावी न्यून लागत निधियों को जुटाने के लिए वित्तीय डेरिवेटिव का उपयोग करता है। बैंक वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत केवल ओवर दि काउंटर (ओटीसी) ब्याज दर तथा मुद्रा डेरिवेटिव्स का ही उपयोग करता है।

2. डेरिवेटिव संव्यवहारों में दो जोखिम (i) बाजार जोखिम अर्थात ब्याज दरों/विनिमय दरों के प्रतिकूल प्रचलन से बैंक को संभावित हानि तथा (ii) ऋण जोखिम अर्थात प्रतिपक्षी पार्टी द्वारा अपने दायित्व के निर्वहन में चूक से हानि की संभावना, विहित रहते हैं। बैंक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक डेरिवेटिव नीति है, जिसका उद्देश्य जोखिम प्रबंधन की दृष्टि से समग्र आस्ति देयता स्थिति को संव्यवहार स्तर पर ही प्रबंधित कर लेना है। यह नीति बैंक के व्यवसाय लक्ष्यों के अनुरूप अनुमत डेरिवेटिव उत्पादों के प्रयोग को परिभाषित करती है, नियंत्रण एवं निगरानी प्रणाली निर्धारित करती है और नियामकीय, प्रलेखन तथा लेखा संबंधी विषयों के बारे में बताती है। इसमें बाजार जोखिम को नियंत्रित करने तथा प्रबंध करने (स्टॉप लॉस लिमिट, ओपन पोजिशन लिमिट, टेनर लिमिट, सेटलमेंट तथा प्री–सेटलमेंट लिमिट, पीवी01 लिमिट आदि) संबंधी जोखिम मानदंडों को भी निर्धारित किया गया है।

3. बैंक की आस्ति–देयता प्रबंधन समिति (एल्को), डेरिवेटिव संव्यवहारों से जुड़े बाजार जोखिमों का आकलन और निगरानी करने वाले बैंक के मिड ऑफिस की सहायता से बाजार जोखिम प्रबंधन कार्य का पर्यवेक्षण करती है।

4. यथा 31 मार्च, 2024 को बैंक की बहियों में बकाया सभी डेरिवेटिव संव्यवहारों को हेजिंग के उद्देश्य से किया गया है तथा एएलएम बही में दर्शाया गया है। इन संव्यवहारों पर आय को बीमांकिक आधार पर हिसाब में लिया गया है।

5. आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत बकाया वायदा दर संविदाओं में ब्याज दर आईआरएस/करंसी स्वाप शामिल नहीं हैं जो डेरिवेटिव नीति के अनुपालन में है।

ख. मात्रात्मक प्रकटन

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	विवरण	2023-24		2022-23	
		करंसी डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स	करंसी डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स
1	डेरिवेटिव (कल्पित मूल राशि)				
	क) हेजिंग के लिए	233.11	573.74	372.74	502.34
	ख) ट्रेडिंग के लिए	-	-	-	-
2	मार्क्ड–टू–मार्केट स्थितियां				
	क) आस्ति (+)	-	-	-	-
	ख) देयता (–)	(40.86)	(43.66)	(51.65)	(37.14)
3	ऋण एक्सपोजर	9.18	4.26	12.74	3.19
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01)				
	क) हेजिंग डेरिवेटिव पर	5.43	21.57	8.44	25.10
	ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर	-	-	-	-
5	वर्ष के दौरान 100*पीवी 01 का अधिकतम और न्यूनतम				
	क) हेजिंग पर				
	(i) अधिकतम	8.01	25.25	9.74	25.66
	(ii) न्यूनतम	5.43	21.57	8.44	19.48
	ख) ट्रेडिंग पर				
	(i) अधिकतम	-	-	-	-
	(ii) न्यूनतम	-	-	-	-

11. बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र

वर्ष (वित्तीय वर्ष 2023-24) के दौरान, बैंक द्वारा कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया गया (गत वर्षः शून्य) और बकाया प्रतिबद्धताओं के लिए कोई वित्तीय उत्तरदायित्व नहीं रहा। यथा 31 मार्च, 2024 को, साख पत्र / आपाती साख पत्रों के अंतर्गत बैंक का बकाया एक्सपोज़र कुल ₹ 2.56 बिलियन का है, जिसके एवज में बैंक द्वारा ₹ 3.29 बिलियन का चुकौती आश्वासन पत्र प्राप्त किया गया है (गत वर्षः साख पत्र के अंतर्गत बकाया एक्सपोज़रः ₹ 3.23 बिलियन, जिसके एवज में चुकौती आश्वासन पत्रः ₹ 3.30 बिलियन)।

12. आस्ति–देयता प्रबंधन

वर्तमान वर्षः

(₹ बिलियन)

विवरण	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 माह	3 माह से 6 माह तक	6 माह से 1 साल तक	1 साल से 3 साल तक	3 साल से 5 साल तक	5 साल से ज्यादा	कुल
रुपया अग्रिम	22.37	22.94	92.55	87.68	101.51	57.45	45.06	33.93*	463.50
रुपया निवेश	0.00	7.48	13.60	12.27	23.52	27.48	14.45	65.71	164.50
रुपया अन्य आस्तियां	60.26	12.52	71.21	35.55	81.26	233.14	154.71	318.23	966.88
रुपया जमा राशियां	0.02	0.00	5.14	0.07	18.63	0.39	0.09	0.00	24.34
रुपया उधारियां	55.27	14.91	189.11	0.00	59.12	159.45	69.75	46.75	594.36
रुपया अन्य देयताएं	8.90	18.04	22.12	29.59	76.73	110.69	13.03	291.56	570.66
विदेशी मुद्रा आस्तियां	38.20	18.91	39.04	83.20	168.30	609.69	382.41	738.69	2078.44
विदेशी मुद्रा देयताएं	40.84	20.08	48.76	103.27	222.25	794.27	539.22	438.05	2206.74

(*) ऋण प्रावधानों के निवल

गत वर्षः

(₹ बिलियन)

विवरण	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 माह	3 माह से 6 माह तक	6 माह से 1 साल तक	1 साल से 3 साल तक	3 साल से 5 साल तक	5 साल से ज्यादा	कुल
रुपया अग्रिम	29.76	27.59	45.72	16.97	103.51	42.83	12.31	33.82*	312.51
रुपया निवेश	2.97	0.00	0.73	15.04	16.36	16.16	15.99	54.14	121.40
रुपया अन्य आस्तियां	59.59	2.92	65.76	48.08	103.96	236.10	110.30	265.64	892.36
रुपया जमा राशियां	0.02	0.00	28.41	28.22	26.00	0.32	0.14	0.00	83.12
रुपया उधारियां	40.48	1.50	26.62	26.88	100.52	146.03	34.30	46.75	423.08
रुपया अन्य देयताएं	49.15	14.81	70.80	26.61	78.07	65.81	10.20	248.27	563.71
विदेशी मुद्रा आस्तियां	71.63	15.51	69.97	54.98	152.51	349.79	292.07	558.71	1,565.18
विदेशी मुद्रा देयताएं	70.33	16.55	85.43	53.70	200.90	360.74	326.87	366.00	1,480.51

(*) ऋण प्रावधानों के निवल

13. आरक्षित निधियों से आहरण

बैंक द्वारा आरक्षित निधियों से कोई राशि नहीं निकाली गई है।

14. व्यवसाय अनुपात

विवरण	2023-24	2022-23
इक्विटी पर रिटर्न	15.83%	9.78%
आस्तियों पर रिटर्न	1.47%	1.04%
प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ बिलियन)	0.07	0.04

15. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने अथवा अधिनियम, आदेश, नियम अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अपेक्षित शर्त के उल्लंघन के लिए कोई दंड नहीं लगाया गया।

16. शिकायतों का प्रकटीकरण

ग्राहक शिकायतें

क्र. सं.	विवरण	2023-24	2022-23
(क)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतें	-	-
(ख)	वर्ष के दौरान मिली शिकायतें	1	-
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	1	-
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतें	-	-

17. तुलन पत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखा मानकों के अनुरूप समेकित किया जाना है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
घरेलू	विदेशी
-	-

विशिष्ट लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

18. अचल आस्तियों का विवरण

अचल आस्तियों का विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा अचल आस्तियों के लिए जारी लेखा मानक-10 के अनुसार नीचे दिया गया है।

वर्तमान वर्ष: (₹ बिलियन)

विवरण		परिसर	अन्य	कुल
सकल ब्लॉक				
यथा 31 मार्च, 2023 को लागत		5.24	1.87	7.11
परिवर्द्धन		0.12	0.37	0.49
निपटान		0.05	0.05	0.10
यथा 31 मार्च, 2024 को लागत	(क)	**5.31**	**2.19**	**7.50**
मूल्यह्रास				
यथा 31 मार्च, 2023 को संचित		1.93	1.44	3.37
वर्ष के दौरान प्रावधान		0.23	0.32	0.55
निपटान पर हटाया गया		-	0.05	0.05
यथा 31 मार्च, 2024 को संचित	(ख)	2.16	1.71	3.87
निवल ब्लॉक (क–ख)		**3.15**	**0.48**	**3.63**

गत वर्ष:

(₹ बिलियन)

विवरण		परिसर	अन्य	कुल
सकल ब्लॉक				
यथा 31 मार्च, 2022 को लागत		5.13	1.50	6.63
परिवर्द्धन		0.11	0.42	0.53
निपटान		-	0.05	0.05
यथा 31 मार्च, 2023 को लागत	(क)	**5.24**	**1.87**	**7.11**
मूल्यह्रास				
यथा 31 मार्च, 2022 को संचित		1.70	1.24	2.94
वर्ष के दौरान प्रावधान		0.23	0.25	0.48
निपटान पर हटाया गया		-	0.05	0.05
यथा 31 मार्च, 2023 को संचित	(ख)	1.93	1.44	3.37
निवल ब्लॉक (क-ख)		**3.31**	**0.43**	**3.74**

19. सरकारी अनुदानों का लेखा

भारत सरकार ने बैंक द्वारा विदेशी सरकारों, विदेशी बैंकों/संस्थाओं को प्रदान की गई विशिष्ट ऋण-व्यवस्थाओं के प्रति बैंक को ब्याज समकरण राशि अदा करने के लिए सहमति दी है और उसे उपचय (अक्रुअल) आधार पर हिसाब में लिया गया है।

20. तुलन पत्र की तारीख के पश्चात होने वाली आकस्मिकताएं और घटनाएं

वर्तमान वर्ष – शून्य (गत वर्ष: संलग्न वित्तीय विवरणों की अनुसूची XI में अन्य आस्तियों में भारत सरकार से प्राप्य ₹ 46.35 बिलियन की राशि शामिल है, जो अप्रैल 2023 में प्राप्त हो गई है।)

21. खंड रिपोर्टिंग

बैंक के परिचालनों में केवल एक व्यवसाय खंड शामिल है अर्थात वित्तीय गतिविधियां, अतएव इसे एकल व्यवसाय खंड वाली संस्था के रूप में माना गया है।

बैंक के भौगोलिक परिचालन खंडों को घरेलू परिचालनों एवं अंतरराष्ट्रीय परिचालनों में वर्गीकृत किया गया है। इन परिचालनों का घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय खंड में वर्गीकरण मुख्यत: संव्यवहार के जोखिम तथा प्रतिफल पर आधारित है।

(₹ बिलियन)

विवरण	घरेलू परिचालन		अंतरराष्ट्रीय परिचालन		कुल	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
राजस्व	147.76	111.61	6.77	2.98	1,54.53	114.59
आस्तियां	1,805.22	1,547.60	114.30	67.07	1,919.52	1,614.67

22. संबंधित पक्षकार प्रकटन

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक-18 के अनुसार, बैंक के संबंधित पक्षकारों का प्रकटन निम्नलिखित अनुसार है:

- **संबंध**

  (i) सहायक कंपनी:

  – इंडिया एक्ज़िम फिनसर्व आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड (पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

  (ii) संयुक्त उद्यम:

  – जीपीसीएल कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड
  – कुकज़ा परियोजना विकास कंपनी

(iii) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक:

- सुश्री हर्षा बंगारी (प्रबंध निदेशक)
- श्री तरुण शर्मा (उप प्रबंध निदेशक)
- श्री एन. रमेश (उप प्रबंध निदेशक 22 नवंबर, 2023 तक)
- श्री मुकुल सरकार, मुख्य जोखिम अधिकारी
- सुश्री दीपाली अग्रवाल, मुख्य वित्तीय अधिकारी
- सुश्री मंजिरी भालेराव, मुख्य अनुपालन अधिकारी
- सुश्री रीमा मारफतिया, आंतरिक लेखा परीक्षा की प्रमुख
- श्री उत्पल गोखले, बोर्ड सचिव, (01 फरवरी, 2024 से प्रभावी)
- सुश्री प्रीती थॉमस, बोर्ड सचिव, (31 जनवरी, 2024 तक)
- सुश्री सिद्धी केळुसकर, अनुपालन अधिकारी
- श्री मुकुल अग्रवाल, मुख्य तकनीकी अधिकारी

- **बैंक से संबंधित पक्षकार शेष राशियों तथा लेन-देनों का सारांश नीचे दिया गया है:**

(₹ मिलियन)

विवरण	सहायक कंपनियां		संयुक्त उद्यम		प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
प्रदत्त ऋण	7.90	-	-	-	8.50	-
जारी गारंटियां	-	-	-	-	-	-
प्राप्त ब्याज	0.02	-	-	-	0.01	0.01
प्राप्त गारंटी कमीशन	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त सेवाओं के एवज में प्राप्त भुगतान	-	-	-	0.03	-	-
स्वीकार की गई सावधि जमा राशियां	-	-	-	-	10.10	9.05
सावधि जमा राशियों पर ब्याज	-	-	-	-	1.80	0.75
रिटन ऑफ किए गए खातों की राशि / अपलेखीकृत की गई राशियां	-	-	-	-	-	-
बकाया सावधि जमा राशियां	-	-	-	-	29.03	10.24
वर्ष के अंत में बकाया ऋण	-	-	-	-	8.40	0.15
वर्ष के अंत में बकाया गारंटियां	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया निवेश (प्रावधानों के निवल)	415.73	-	3.23	3.23	-	-
प्राप्त लाभांश	-	-	0.70	0.51	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया ऋण	7.90	-	-	-	15.87	0.36
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया गारंटियां	-	-	-	-	-	-
परिलब्धियों सहित वेतन	-	-	3.85	-	44.30	11.11
भुगतान किया गया किराया	-	-	0.90	-	-	-
व्ययों की प्रतिपूर्ति	5.68	-	0.53	5.52	-	-
निदेशक की प्राप्त फीस	-	-	0.04	0.04	-	-
परामर्श के लिए भुगतान की गई फीस	-	-	17.52	18.43	-	-

23. आय पर कर के संबंध में लेखांकन

(क) कर के लिए प्रावधान संबंधी विवरण:

(₹ बिलियन)

विवरण	2023-24	2022-23
आय पर कर	8.07	6.57
जोड़ें /(घटाएं): निवल आस्थगित कर देयता	0.11	(1.24)
कुल	**8.18**	**5.33**

(ख) आस्थगित कर आस्ति:

प्रमुख करों के संदर्भ में आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं का संयोजन नीचे दिया गया है:

(₹ बिलियन)

विवरण	2023-24	2022-23
आस्थगित कर आस्तियां		
1. अस्वीकृत प्रावधान (निवल)	21.43	21.38
2. अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	0.05	0.01
घटाएं: आस्थगित कर देयता		
1. अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	-	-
2. बॉन्ड निर्गम व्ययों का परिशोधन	0.59	0.40
3. धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	3.12	3.12
निवल आस्थगित कर आस्तियां तुलन-पत्र के 'आस्तियां' पक्ष में 'अन्य आस्तियां' में शामिल	**17.77**	**17.88**

24. संयुक्त उपक्रमों में हित की रिपोर्टिंग

I.

संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं		देश	धारिता का प्रतिशत	
			वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
क	जीपीसीएल कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड	भारत	28.10%	28.10%
ख	कुकुज़ा परियोजना विकास कंपनी	मॉरीशस	36.36%	36.36%

II. संयुक्त उपक्रमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी लेखा मानक-27 के अनुसार, आनुपातिक समेकन पद्धति का प्रयोग करते हुए संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में हितों से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय की कुल राशि निम्नलिखित अनुसार है:

(₹ मिलियन)

देयताएं	2023-24	2022-23	आस्तियां	2023-24	2022-23
पूँजी एवं आरक्षित निधियां	42.71	11.61	अचल आस्तियां	0.23	0.25
ऋण	-	-	निवेश	11.06	12.72
अन्य देयताएं	4.98	35.06	अन्य आस्तियां	36.39	33.70
कुल	**47.69**	**46.67**	**कुल**	**47.69**	**46.67**

आकस्मिक देयताएं: शून्य (गत वर्ष: शून्य)

(₹ मिलियन)

व्यय	2023-24	2022-23	आय	2023-24	2022-23
ब्याज और वित्तपोषण व्यय	0.01	0.42	परामर्शी आय	16.25	21.14
अन्य व्यय	11.95	43.29	ब्याज आय तथा निवेश से आय	2.74	1.06
प्रावधान	2.19	1.56	अन्य आस्तियां	0.25	0.08
	5.09		हानि		22.99
कुल	**19.25**	**45.27**	**कुल**	**19.25**	**45.27**

कुकुज़ा परियोजना विकास कंपनी (केपीडीसी) बैंक की मॉरीशस में एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। अफ्रीकी विकास बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज़ (आईएल एंड एफएस) समूह इसके अन्य शेयरधारक हैं। चूंकि पिछले 3 वित्तीय वर्षों से केपीडीसी नुकसान में है और केपीडीसी का परिचालन सस्टेनेबल न होने के कारण शेयरधारकों की 10 मार्च, 2023 को आयोजित एक विशेष बैठक में शेयरधारकों ने केपीडीसी के परिचालन को बंद करने संबंधी संकल्प पारित किया। इसके बाद केपीडीसी को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। केपीडीसी बंद करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त किया गया है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केपीडीसी का वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं है और वित्तीय वर्ष 2022-23 की वित्तीय लेखा परीक्षा प्रक्रियाधीन है। बैंक को केपीडीसी बंद करने की प्रक्रिया में होने वाले सभी व्ययों का भुगतान अन्य शेयरधारकों के साथ करना आवश्यक है। चूंकि व्यय की इस राशि का निर्धारण अभी नहीं हुआ है, इसलिए इसे बैंक की आकस्मिक देयता में शामिल नहीं किया गया है।

25. आस्तियों का ह्रास

बैंक की आस्तियों में अधिकांश आस्तियां "वित्तीय आस्तियां" हैं, जिन पर "आस्तियों का ह्रास" संबंधी लेखा मानक 28 लागू नहीं होता है। बैंक की राय में, जिन आस्तियों पर ये मानक लागू होते हैं, उनमें उक्त लेखा मानकों के संबंध में हिसाब में लेने के लिए यथा 31 मार्च, 2024 को कोई ह्रास नहीं हुआ है।

26. कर्मचारी लाभ

बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा कर्मचारी लाभों पर यथा 01 अप्रैल, 2007 से जारी लेखा मानक–15 को अपनाया है। कर्मचारी लाभों से उत्पन्न देयता को बैंक की बहियों में दायित्व के विद्यमान मूल्य पर हिसाब में लिया गया है, जिसमें तुलन–पत्र की तारीख को आयोजनागत आस्तियों के सही मूल्य को घटाया गया है।

क) तुलन–पत्र में हिसाब में ली गई राशि

(₹ बिलियन)

विवरण	पेंशन निधि	ग्रेच्युटी
अवधि के अंत में आयोजनागत आस्तियों का सही मूल्य	1.76	0.32
अवधि के अंत में हित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	(1.87)	(0.35)
निधीयन स्थिति	(0.11)	(0.03)
अवधि के अंत में हिसाब में न ली गई पूर्व सेवा लागत	-	-
अवधि के अंत में हिसाब में न ली गई परिवर्ती देयता	-	-
अवधि के अंत में तुलन पत्र में हिसाब में ली गई निवल देयता	(0.11)	(0.03)

ख) लाभ और हानि खाते में हिसाब में लिया गया व्यय

(₹ बिलियन)

विवरण	पेंशन निधि	ग्रेच्युटी
वर्तमान सेवा लागत	0.04	0.02
ब्याज लागत	0.13	0.02
योजना आस्तियों पर संभावित रिटर्न	0.12	0.02
बीमांकिक हानि/(लाभ)	0.08	0.01
विगत सेवा लागत – गैर–निहित लाभ	-	-
विगत सेवा लागत – निहित लाभ	-	-
परिवर्ती देयता	-	-
लाभ और हानि खाते में हिसाब में लिया गया व्यय	0.12	0.03
नियोक्ता द्वारा अंशदान	0.09	-

ग) बीमांकिक अनुमानों का सारांश

विवरण	पेंशन निधि	ग्रेच्युटी
बट्टा दर (प्रति वर्ष)	7.52%	7.49%
आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर (प्रति वर्ष)	7.52%	7.49%
वेतन वृद्धि दर (प्रति वर्ष)	7.00%	7.00%

उपरोक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए छुट्टी नकदीकरण की परिभाषित लाभ दायित्व की राशि ₹ 0.185 बिलियन रही (गत वर्षः ₹ 0.192 बिलियन), जिसका पूर्णतः प्रावधान किया जा चुका है।

27. सेबी के दिनांक 29 अक्टूबर, 2013 के परिपत्र के अनुपालन में भारतीय निर्यात–आयात बैंक द्वारा जारी किए गए विभिन्न बॉन्डों के लिए डिबेंचर ट्रस्टी का संपर्क विवरण नीचे दिया गया है:

डिबेंचर ट्रस्टी

एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड

प्राधिकृत व्यक्ति: श्री अनिल ग्रोवर, ऑपरेशंस हेड
सुश्री दीपा रथ, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पता:

पंजीकृत कार्यालय: एक्सिस हाउस,
बॉम्बे डाइंग मिल्स कंपाउंड,
पांडुरंग बुधकर मार्ग,
वर्ली, मुंबई – 400 025

कॉर्पोरेट कार्यालय: द रूबी, दूसरी मंज़िल, एसडब्ल्यू
29, सेनापति बापट मार्ग,
दादर पश्चिम, मुंबई – 400 028

फोन: (022) 62300451
ईमेल: Debenturetrustee@axistrustee.in
वेबसाइट: www.axistrustee.in

28. आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की शुरुआत, कोविड–19 महामारी के कारण आर्थिक दबाव में आए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सहायता प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित ₹ 20 लाख करोड़ के व्यापक पैकेज के हिस्से के रूप में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा अपने मौजूदा उधारकर्ताओं को निम्नलिखित विवरण के अनुसार सहायता प्रदान की गई:

(₹ बिलियन)

योजना	2023-24				2022-23			
	मंजूरी	संवितरित*	बकाया		मंजूरी	संवितरित	बकाया	
			उधारकर्ताओं की संख्या	राशि			उधारकर्ताओं की संख्या	राशि
ईसीएलजीएस 1.0	-	-	4	0.08	0.04	-	4	0.10
ईसीएलजीएस 2.0	-	0.03	12	0.67	0.04	0.13	14	1.19
ईसीएलजीएस 3.0	-	0.21	1	0.22	-	0.01	1	0.01
कुल योग	**-**	**0.24**	**17**	**0.97**	**0.08**	**0.14**	**19**	**1.30**

(*) वित्तीय वर्ष 2020–21 और 2021–22 के दौरान मंजूर ऋणों के लिए किए गए संवितरण शामिल हैं।

29. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक हुआ, पुनर्वर्गीकृत/पुन: व्यवस्थित किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

श्री तरुण शर्मा
उप प्रबंध निदेशक

सुश्री हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

श्री दम्मू रवि

सुश्री हिमानी पांडे

सुश्री अपर्णा भाटिया

डॉ. अभिजीत फुकन

श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ

श्री दिनेश कुमार खारा

श्री एम. वी. राव

श्री अशोक कुमार गुप्ता

कृते जीएमजे एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 103429W

(सीए अतुल जैन)
पार्टनर सदस्यता
सं. 037097

स्थान: मुंबई
दिनांक: 10 मई, 2024

समेकित वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में
भारत के राष्ट्रपति

लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों संबंधी रिपोर्ट

अभिमत

हमने "भारतीय निर्यात–आयात बैंक" (इसके बाद "मूल संस्था" के रूप में संदर्भित), "इंडिया एक्ज़िम फिनसर्व आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड" ("सहायक कंपनी" के रूप में संदर्भित) और समूह की सामान्य निधि के इन समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा कर ली है। मूल संस्था और सहायक कंपनी को साथ मिलाकर "समूह" के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसमें यथा 31 मार्च, 2024 को समेकित तुलन–पत्र (बैलेंस शीट) तथा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखों एवं समेकित नकदी प्रवाह विवरण और समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां तथा महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य विवरणात्मक सूचना ('समेकित वित्तीय विवरण' के रूप में संदर्भित) शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, ये समेकित वित्तीय विवरण भारतीय निर्यात–आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 2020 के विनियम 14 (i) में वांछित अनुसार, यथा 31 मार्च 2024 को समूह की वित्तीय स्थिति, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समूह की समेकित लाभ और समेकित नकदी प्रवाह विवरण संबंधी स्थिति की सत्य एवं सही स्थिति प्रकट करते हैं और ये भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा अधिसूचित लेखांकन मानकों तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

अभिमत का आधार

हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों का विवरण, हमारी रिपोर्ट के 'समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा' खंड में 'लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व' में दिया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी "नैतिक संहिता" के अनुसार, समूह से संबद्ध नहीं हैं और हमने इन अपेक्षाओं एवं नैतिक संहिता के अनुरूप, अपने नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमारा मत है कि हमें मिले लेखा परीक्षा संबंधी साक्ष्य पर्याप्त हैं और हमारे समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित लेखा अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए समुचित हैं।

लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामले

लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामले वे हैं, जो हमारे प्रोफेशनल निर्णय में, वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्त्व के रहे हैं। इन मामलों का समाधान, संपूर्ण रूप से, समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा और उस पर हमारा अभिमत बनाने के संदर्भ में किया गया है और हम उन मामलों के संबंध में अलग से अभिमत प्रदान नहीं करते हैं।

हमने अपनी रिपोर्ट में नीचे दिए गए मामलों को लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामलों के रूप में वर्णित करने का निर्णय लिया है:

क्रमांक	लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामले	हमारी लेखा परीक्षा में मामलों का समाधान ऐसे किया गया
1	**अनर्जक ऋण एवं अग्रिमों का निर्धारण और प्रावधानीकरण:** ऋण एवं अग्रिम, बैंक की आस्तियों का महत्त्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और इन ऋण एवं अग्रिमों की गुणवत्ता को, बैंक के सकल ऋण एवं अग्रिमों की तुलना में अनर्जक ऋण एवं अग्रिमों ("एनपीए") के अनुपात के रूप में मापा जाता है। यथा 31 मार्च, 2024 को बैंक के ऋण एवं अग्रिम, समेकित कुल आस्तियों के 82.11% रहे और बैंक का सकल एनपीए अनुपात 1.94% रहा।	**हमने अन्य के साथ–साथ निम्नलिखित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं अपनाई हैं:** – एनपीए निर्धारण और प्रावधानीकरण के लिए बैंक की नीतियों को ध्यान में रखना तथा आईआरएसीपी मानदंडों के अनुपालन का मूल्यांकन करना। – मौजूदा आईआरएसीपी दिशानिर्देशों और केवल बैंक के संबंध में दिए गए आरबीआई के अतिरिक्त निदेशों के आधार पर ह्रासित खातों का निर्धारण करने के संबंध में प्रमुख नियंत्रणों (एप्लिकेशन नियंत्रणों सहित) को समझना और उनकी परिचालन प्रभावशीलता का मूल्यांकन तथा परीक्षण करना।

क्रमांक	लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामले	हमारी लेखा परीक्षा में मामलों का समाधान ऐसे किया गया
	भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") के आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण ("आईआरएसीपी") दिशानिर्देशों में एनपीए तथा ऐसी आस्तियों के लिए न्यूनतम प्रावधान का निर्धारण और वर्गीकरण करने के लिए विवेकसम्मत मानदंड निर्धारित किए गए हैं। ये मानदंड, मात्रात्मक और गुणात्मक कारकों का प्रयोग करते हुए एनपीए का निर्धारण करने और उनके लिए अपेक्षित प्रावधान करने के संबंध में बैंक पर भी लागू होते हैं। एनपीए का निर्धारण कुछ निश्चित क्षेत्रों में दबाव और लिक्विडिटी जैसे कारकों से प्रभावित होता है। निर्धारित एनपीए के लिए प्रावधानीकरण, उन एनपीए के कालिक क्षय और वर्गीकरण, वसूली अनुमान, सिक्योरिटी के मूल्य और अन्य गुणात्मक कारकों के आधार पर आकलित किया जाता है तथा यह प्रावधान आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रावधानीकरण मानदंडों के अध्यधीन है। इसके अतिरिक्त, बैंक, कुछ निश्चित क्षेत्रों में ऋण एवं अग्रिमों और एनपीए हो जाने की आशंका वाले चिह्नित ऋण एवं अग्रिमों अथवा समूह ऋण एवं अग्रिमों सहित उन एक्सपोज़रों के लिए भी प्रावधान करता है, जो एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किए गए हैं। इन्हें आकस्मिक प्रावधानों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। समूह ने इस संबंध में अपनी लेखांकन नीति में, नोट I (iii) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों पर टिप्पणियां में विवरण दिया है। चूंकि एनपीए का निर्धारण और ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधानीकरण में महत्त्वपूर्ण आकलन अपेक्षित होता है और समग्र लेखा परीक्षा में इसके महत्त्व को देखते हुए, हमने एनपीए के निर्धारण और प्रावधानीकरण को लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामला माना है।	– यथोचित प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने के लिए ऋण एवं अग्रिमों पर विभिन्न आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता की जांच की गई और बैंक की निगरानी प्रक्रिया के अनुसार की गई विभिन्न लेखा परीक्षाओं तथा आरबीआई निरीक्षण की टिप्पणियों/निर्देशों के संबंध में अनुपालन की जांच की गई। – चिह्नित उधारकर्ताओं के लेखा विवरणों और अन्य संबंधित जानकारियों की मात्रात्मक और गुणात्मक जोखिम कारकों के आधार पर समीक्षा करना। – बैंक द्वारा तनावग्रस्त ऋण खातों को चिह्नित करने के लिए बनाई गई पूर्व चेतावनी रिपोर्टों की जांच करना। – जहां कहीं भी ऋण जोखिम माना गया, उन मामलों में बैंक के प्रबंधन के साथ विशिष्ट चर्चा करना और जोखिमों को कम करने के उपाय करना। – बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार की गई जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा और संगामी लेखा परीक्षा की प्रमुख टिप्पणियों को ध्यान में रखना। – बैंक से संबंधित आरबीआई की वित्तीय निरीक्षण रिपोर्टों, वर्ष के दौरान इन टिप्पणियों पर बैंक के उत्तर और आरबीआई के साथ हुए पत्राचार को ध्यान में रखना। – हमने एनपीए के संबंध में, संबंधित लेखा मानकों और आरबीआई की अपेक्षाओं के एवज में प्रकटीकरण की सुसंगतता और पर्याप्तता का मूल्यांकन किया। साथ ही, विनियामकीय पैकेज और समाधान फ्रेमवर्क के अनुसार आवश्यक अतिरिक्त प्रकटीकरण का भी मूल्यांकन करना। ऋण एवं अग्रिमों के प्रावधानीकरण के संबंध में हमने निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनाईः – ऋण एवं अग्रिमों के प्रावधानीकरण के लिए बैंक की प्रक्रिया के संबंध में एक समझ बनाई। – आरबीआई विनियमों के अनुपालन के लिए प्रबंधन द्वारा की गई गणना तथा प्रावधानीकरण के लिए आंतरिक स्तर पर निर्धारित की गई नीतियों की सैंपल आधार पर जांच की गई। – ऐसे ऋण खातों के लिए, जो एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किए गए हैं और बैंक ने उनके लिए प्रावधान किए हैं, हमने उन प्रावधानों के लिए बैंक के मूल्यांकन की समीक्षा की।
2	**आयकर के लिए आकस्मिक देयताः** बैंक में कुछ महत्त्वपूर्ण कर मामले चल रहे हैं, जिनमें ऐसे मामले भी शामिल हैं, जो विवादित हैं और उन विवादों में संभावित परिणाम के लिए निर्णय महत्त्वपूर्ण होगा। चूंकि इन कर मामलों के मूल्यांकन में महत्त्वपूर्ण स्तर का निर्णय अपेक्षित है, इसलिए हमने इसे लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामलों में शामिल किया।	– कर देयताएं और कर प्रावधान निर्धारित करने के लिए बैंक की प्रक्रिया के संबंध में समझ बनाना। – रिपोर्टिंग की तारीख को कर मामलों के संबंध में कानूनी वरीयता, अन्य निर्णयों और नई जानकारी पर विचार करने के बाद महत्त्वपूर्ण कर जोखिमों के लिए देयता की संभावना और उसके स्तर के मूल्यांकन को समझने के लिए बाहरी कर विशेषज्ञों को शामिल किया। – कर प्राधिकारियों के साथ हुए पत्राचार सहित संबंधित दस्तावेजीकरण का संदर्भ लेते हुए कर मांग की समीक्षा की गई।

क्रमांक	लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामले	हमारी लेखा परीक्षा में मामलों का समाधान ऐसे किया गया
		– इस संबंध में वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरणों का मूल्यांकन किया गया। – समूह तथा बैंक द्वारा विधिवत नियुक्त बाह्य कर विशेषज्ञों के साथ हुई चर्चा के आधार पर आयकर के लिए आकस्मिक देयता के तहत ₹ 0.55 बिलियन का प्रकटीकरण (गत वर्षः ₹0.55 बिलियन) किया गया है।
3	**वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियां और नियंत्रण** समूह की प्रमुख वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं, प्रणालियों में स्वचालित नियंत्रण सहित सूचना प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भर हैं। यह निर्भरता इतनी अधिक है कि इससे यह जोखिम बना रहता है कि आईटी नियंत्रण परिवेश में किसी भी तरह के गैप से वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग रिकॉर्ड गलत हो सकते हैं। आईटी परिवेश की व्यापक प्रकृति और जटिलता के साथ-साथ सटीक और समय पर वित्तीय रिपोर्टिंग में आईटी के महत्त्व के कारण हमने इस क्षेत्र को एक प्रमुख ऑडिट मामले के रूप में चिह्नित किया है।	बैंक की आईटी प्रणालियों और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए संबंधित नियंत्रणों की समीक्षा हेतु हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं के हिस्से के रूप में हमने निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनाई हैं: – वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्त्वपूर्ण बैंक की आईटी प्रणालियों और नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभाविता का मूल्यांकन करने के लिए वॉकथ्रू किया गया। – बैंक में चिह्नित किए गए ऐप्लिकेशन सिस्टम्स के संबंध में यथोचित अंतराल पर ऐप्लिकेशन सॉफ्टवेयर ऑडिट के लिए एक प्रणाली लागू है। बैंक द्वारा यथोचित अंतराल पर सूचना प्रणाली सुरक्षा ऑडिट की जाती है। – हमने वर्ष के दौरान बैंक की आईटी प्रणालियों पर की गई ऑडिट में सामने आई प्रमुख टिप्पणियों की समीक्षा की है।

समेकित वित्तीय विवरण और इसके संबंध में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारियों के लिए समूह का प्रबंधन उत्तरदायी है। अन्य जानकारियों में, समेकित वित्तीय विवरण और इन पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को छोड़कर अन्य जानकारियां शामिल हैं। समूह की वार्षिक रिपोर्ट हमें इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध कराए जाने की आशा है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य जानकारियों को कवर नहीं किया गया है और इस संबंध में हम किसी भी रूप में आश्वासन/निष्कर्ष अभिव्यक्ति नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, अन्य जानकारी उपलब्ध होने पर उसे पढ़ना और इसे पढ़ते हुए इस पर विचार करना हमारा उत्तरदायित्व है कि यह अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों में दी गई जानकारी, या लेखा परीक्षा में हासिल की गई हमारी जानकारी से वस्तुतः असंगत तो नहीं है या अन्यथा किसी रूप में तो गलत नहीं है। समूह की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते समय, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कहीं कुछ गलत बयानी है तो हमें उस मामले से गवर्नेंस संबंधी प्राधिकारियों को अवगत कराना आवश्यक है।

अन्य मामले

इस समूह की 1 (एक) सहायक कंपनी, 11 (ग्यारह) क्षेत्रीय कार्यालय, 8 (आठ) विदेश स्थित कार्यालय और 1 (एक) विदेश स्थित शाखा है। क्षेत्रीय और विदेशी कार्यालयों के लिए मूल संस्था की वित्तीय लेखाकंन प्रणालियां केंद्रीकृत हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों, विदेशी स्थित कार्यालयों और विदेशी स्थित शाखाओं में से हमने 9 (नौ) क्षेत्रीय कार्यालयों और विदेशी स्थित 1 (एक) शाखा का दौरा किया है। हमने सहायक कंपनी के कार्यालय का भी दौरा किया है।

हमने 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही तक की मूल संस्था की जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और 31 मार्च, 2024 माह तक की मूल संस्था की संगामी लेखा परीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा कर ली है। हम समझते हैं कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए मूल संस्था की जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा से संबंधित कार्य प्रक्रियाधीन है और इसलिए ये रिपोर्टें हमारी समीक्षा के लिए हमें उपलब्ध नहीं कराई गई।

इस मामले के संबंध में हमारी राय इससे भिन्न नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन और गवर्नेंस प्रभारियों के उत्तरदायित्व

समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन और समेकित नकदी प्रवाह की सत्य एवं सही स्थिति दर्शाने वाले इन समेकित विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए समूह का प्रबंधन उत्तरदायी है। ये समेकित वित्तीय विवरण भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 2020 और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं। समूह में शामिल संबंधित इकाइयों के प्रबंधन, समूह की आस्तियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों के रखरखाव और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग करने; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेने एवं आकलन करने; और ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित करने, उन्हें क्रियान्वित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं, जो सत्य और सही स्थिति बताने वाले, तथा धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होनी वाली किसी भी भौतिक चूक से मुक्त, समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए संबंधित लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में समूह में शामिल इकाइयों के संबंधित प्रबंधन, समूह के परिचालन को जारी रखने के लिए समूह की क्षमता का मूल्यांकन करने, परिचालन जारी रखने संबंधी मामलों के यथा लागू अनुसार प्रकटीकरण, और जब तक कि भारत सरकार बैंक को लिक्विडेट न करना चाहे या परिचालन बंद न करना चाहे, या ऐसा करने के अलावा कोई उचित विकल्प न हो, तब तक लेखांकन के आधार पर परिचालन जारी रखने के लिए उत्तरदायी है।

समूह में शामिल इकाइयों के संबंधित प्रबंधन समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन हासिल करना और अपने अभिमत को शामिल करते हुए लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है कि इन एकल वित्तीय विवरणों में किसी भी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के चलते किसी भी तरह के मिथ्या कथन नहीं हैं। तर्कसंगत आश्वासन, उच्च स्तरीय आश्वासन हैं, किन्तु इस बात की गारंटी नहीं है कि इनमें यदि कोई गंभीर मिथ्या कथन हुए तो लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की गई इस लेखा परीक्षा में उनका पता लगा ही लिया जाएगा। मिथ्या कथन धोखाधड़ी या त्रुटि के चलते आ सकते हैं और ये तब ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, जब इन वित्तीय विवरणों के आधार पर इनके उपयोक्ताओं द्वारा अलग-अलग या सामूहिक रूप से लिए गए उनके आर्थिक निर्णय प्रभावित होते हों।

लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप लेखा परीक्षा के क्रम में, हम प्रोफेशनल निर्णय लेते हैं और और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान इसी प्रोफेशनल दृष्टि से तथ्यों को परखते हैं। हमारे उत्तरदायित्वों में निम्नलिखित भी शामिल हैं:

- धोखाधड़ी या त्रुटि के चलते, समेकित वित्तीय विवरणों के महत्त्वपूर्ण मिथ्या कथन के जोखिमों का निर्धारण और मूल्यांकन करना, उन जोखिमों की प्रतिक्रियास्वरूप लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन करना और उनका निष्पादन करना तथा हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समुचित लेखा परीक्षा साक्ष्य हासिल करना। किसी धोखाधड़ी आधारित गंभीर मिथ्या कथन का जोखिम, किसी त्रुटि आधारित मिथ्या कथनों की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, मिथ्या प्रस्तुति, अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना करना शामिल हो सकता है।
- समूह के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर अभिमत व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार यथोचित लेखा प्रक्रियाएं निर्धारित करने के लिए लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के संबंध में समझ बनाना।
- समेकित वित्तीय विवरणों में प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन आकलन की तार्किकता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करना।
- व्यवसाय की निरंतरता जारी रखने के संबंध में उच्च प्रबंधन द्वारा अपनाई जा रही लेखांकन पद्धतियों की हासिल किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर जांच करना, इसकी उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना और यह सुनिश्चित करना कि घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई महत्त्वपूर्ण अनिश्चितता तो नहीं है, जो बैंक के व्यवसाय जारी रखने के संबंध में कोई शंका पैदा करती हो। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऐसी कोई आशंका है तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में एकल वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों में इस ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक होता है अथवा यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होते हैं, तो अपना अभिमत बदलना पड़ता है। हमारे निष्कर्ष, हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक हासिल किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाएं या स्थितियां समूह द्वारा अपने व्यवसाय जारी रखने को बंद करने वाली हो सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, ढांचे और सामग्री का मूल्यांकन करना, और देखना कि समेकित वित्तीय विवरण निहित संव्यवहारों को प्रदर्शित करते हैं और घटनाएं इस रूप में हैं कि उचित प्रस्तुति प्रदर्शित करती हैं।

- समेकित वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने के लिए समूह में शामिल इकाइयों की वित्तीय जानकारी के बारे में पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। हम समेकित वित्तीय विवरणों, जिसके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, में शामिल की गई बैंक और इसकी सहायक कंपनी की वित्तीय सूचना की लेखा परीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। हम अपने लेखा परीक्षा अभिमत के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी हैं।

हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान चिह्नित किए गए किसी महत्त्वपूर्ण विचलन सहित अन्य मामलों में, गवर्नेंस से जुड़े व्यक्तियों को लेखा परीक्षा के नियोजित स्कोप और समय तथा महत्त्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष सूचित करते हैं।

हम गवर्नेंस से जुड़े व्यक्तियों को यह कथन भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित सभी नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और उन्हें सभी संबंधों तथा अन्य मामलों और जहां कहीं लागू हो, संबंधित सेफगार्ड के बारे में सूचित करते हैं, जिन्हें हमारी स्वतंत्रता के लिए जरूरी माना जा सकता है।

गवर्नेंस प्रभारियों को सूचित किए गए मामलों से, हमारा तात्पर्य उन मामलों से है, जो 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे महत्त्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि उस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण से विधि या विनियमों का उल्लंघन न होता हो, या जब तक अत्यन्त दुर्लभ परिस्थितियों में हम यह निर्धारित न कर लें कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में इसलिए सूचित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी सूचनाओं का प्रकाशन लोकहित में होने के बजाय प्रतिकूल परिणाम देने वाला हो सकता है।

अन्य कानूनी और विनियामकीय अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट

समेकित वित्तीय विवरण बैंक के प्रबंधन द्वारा आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 21, ''समेकित वित्तीय विवरण'' की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

- लेखा परीक्षा के लिए हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार जो तथ्य और स्पष्टीकरण आवश्यक थे, वे सब हमने प्राप्त किए हैं और वे संतोषजनक हैं।
- हमारी राय में, उक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार, समूह द्वारा लेखों की उचित बहियां अभी तक रखी गई हैं, जैसा कि हमारे द्वारा की गई इन बहियों की जांच में परिलक्षित होता है।
- समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजन से इस रिपोर्ट में लिए गए समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ और हानि लेखों तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण संबंधित लेखों की बहियों के अनुरूप हैं।
- समूह के संव्यवहार, जो हमारे संज्ञान में लाए गए हैं, समूह की शक्तियों के अन्दर हैं।
- हमारी राय में, विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार, लेखों की उचित बहियां, इन बहियों की हमारी जांच में परिलक्षित अनुसार, समूह द्वारा अभी तक रखी गई हैं और हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन से हमें ऐसे प्रतिनिधि कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों से पर्याप्त रिटर्न मिले हैं, जिनका दौरा हमने नहीं किया है।
- हमारी राय में, इस रिपोर्ट में लिए गए उक्त समेकित वित्तीय विवरण, लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं।

कृते **जीएमजे एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या 103429W

सीए अतुल जैन
पार्टनर
सदस्यता सं. 037097
यूडीआईएन: 24037097BKCXC26190

स्थान: मुंबई
दिनांक: 10 मई, 2024

यथा 31 मार्च, 2024 को समेकित तुलन–पत्र

सामान्य निधि

		इस वर्ष (यथा 31.03.2024 को) ₹
देयताएं	**अनुसूचियां**	
1. पूँजी	I	1,59,09,36,63,881
2. आरक्षित निधियां	II	69,84,65,95,100
3. लाभ और हानि खाता	III	2,52,00,00,000
4. नोट, बॉन्ड एवं डिबेंचर		9,12,35,46,53,250
5. देय बिल		-
6. जमा राशियां	IV	1,13,35,12,174
7. उधार राशियां	V	6,32,61,82,81,220
8. चालू देयताएं एवं आकस्मिकताओं हेतु प्रावधान		90,84,35,08,159
9. अन्य देयताएं		51,10,15,77,272
योग		**19,19,51,17,91,056**
आस्तियां		
1. नकदी एवं बैंक शेष	VI	84,69,84,94,154
2. निवेश	VII	1,65,81,92,41,957
3. ऋण एवं अग्रिम	VIII	15,12,01,27,83,809
4. भुनाए गए/पुनः भुनाए गए विनिमय बिल और वचन पत्र	IX	64,01,00,00,000
5. अचल आस्तियां	X	3,63,84,80,792
6. अन्य आस्तियां	XI	89,33,27,90,344
योग		**19,19,51,17,91,056**
आकस्मिक देयताएं		
(i) स्वीकृतियां, गारंटियां, परांकन तथा अन्य दायित्व		1,36,75,69,95,162
(ii) वायदा विनिमय संविदाओं की बकाया राशियों पर		2,26,85,842
(iii) हामीदारी वचनबद्धताओं पर		-
(iv) अंशतः प्रदत्त निवेशों पर अनाहूत देयताएं		18,98,22,180
(v) बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है		3,52,70,00,000
(vi) संग्रहण के लिए बिल		-
(vii)सहभागिता प्रमाण–पत्रों पर		-
(viii) भुनाए गए/पुनः भुनाए गए बिल		-
(ix) अन्य राशियां जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है		17,50,39,25,640
योग		**1,58,00,04,28,824**

'लेखों पर टिप्पणियां' संलग्न हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

श्री तरुण शर्मा
उप प्रबंध निदेशक

सुश्री हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

श्री दम्मू रवि

सुश्री हिमानी पांडे

सुश्री अपर्णा भाटिया

डॉ. अभिजीत फुकन

श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ

श्री दिनेश कुमार खारा

श्री एम. वी. राव

श्री अशोक कुमार गुप्ता

कृते जीएमजे एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 103429W

(सीए अतुल जैन)
पार्टनर सदस्यता
सं. 037097

स्थानः मुंबई
दिनांकः 10 मई, 2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा

सामान्य निधि

	अनुसूचियां	इस वर्ष (2023-24) ₹
व्यय		
1. ब्याज		1,12,91,85,43,653
2. ऋण बीमा, शुल्क एवं प्रभार		70,80,17,873
3. स्टाफ़ के वेतन, भत्ते आदि और सेवांत लाभ		1,00,22,83,236
4. निदेशकों एवं समिति के सदस्यों की फीस तथा व्यय		8,62,250
5. लेखा परीक्षा की फीस		14,33,923
6. भाड़ा, कर, बिजली और बीमा प्रीमिया		32,03,97,077
7. संचार विषयक व्यय		3,97,11,843
8. विधि विषयक व्यय		4,68,81,263
9. अन्य व्यय	XII	1,55,74,12,201
10. मूल्यह्रास		54,50,25,604
11. ऋण हानियों/आकस्मिकताओं, निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		4,13,57,64,503
12. नीचे ले जाया गया लाभ/(हानि)		33,36,30,25,350
योग		**1,54,63,93,58,776**
आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर राशि का निवल) [₹ 10,63,72,395 के आस्थगित कर सहित]		8,17,90,19,374
तुलन–पत्र में अंतरित शेष लाभ/(हानि)		25,18,40,05,976
		33,36,30,25,350
आय		
1. ब्याज और बट्टा	XIII	1,49,03,70,11,307
2. विनिमय, कमीशन, ब्रोकरेज और फीस		4,79,94,67,975
3. अन्य आय	XIV	80,28,79,494
योग		**1,54,63,93,58,776**
नीचे लाया गया लाभ/(हानि)		33,36,30,25,350
पूर्ववर्ती वर्षों की आधिक्य आय/ब्याज–कर प्रावधान का प्रतिलेखन		-
		33,36,30,25,350

'लेखों पर टिप्पणियां' संलग्न हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

श्री तरुण शर्मा
उप प्रबंध निदेशक

सुश्री हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

श्री दम्मू रवि

सुश्री हिमानी पांडे

सुश्री अपर्णा भाटिया

डॉ. अभिजीत फुकन

श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ

श्री दिनेश कुमार खारा

श्री एम. वी. राव

श्री अशोक कुमार गुप्ता

कृते जीएमजे एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 103429W

(सीए अतुल जैन)
पार्टनर सदस्यता
सं. 037097

स्थानः मुंबई
दिनांकः 10 मई, 2024

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियां

सामान्य निधि

	इस वर्ष (यथा 31.03.2024 को) ₹
अनुसूची I: पूँजी:	
1. प्राधिकृत	2,00,00,00,00,000
2. निर्गमित एवं प्रदत्तः (केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः अभिदत्त)	1,59,09,36,63,881
अनुसूची II: आरक्षित निधियां:	
1. आरक्षित निधि	52,26,93,79,636
2. सामान्य आरक्षित राशियां	-
3. अन्य आरक्षित राशियां:	
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि	1,98,18,96,400
ऋण शोधन निधि (ऋण-व्यवस्थाएं)	1,95,53,19,064
4. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित राशि	13,64,00,00,000
	69,84,65,95,100
अनुसूची III: लाभ और हानि लेखा:	
1. परिशिष्ट में उल्लिखित लेखों के अनुसार शेष	25,18,40,05,976
2. घटाएं: विनियोजनः	
– आरक्षित निधि को अंतरित	22,62,14,05,977
– निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि को अंतरित	4,26,00,000
– ऋण शोधन निधि को अंतरित	-
– आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि को अंतरित	-
3. निवल लाभ का शेष (एक्ज़िम बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 23(2) के अनुसार केंद्र सरकार को अंतरणीय)	**2,52,00,00,000**
अनुसूची IV: जमा राशियां:	
(क) भारत में	1,13,35,12,174
(ख) भारत के बाहर	-
	1,13,35,12,174
अनुसूची V: उधार राशियां:	
1. भारतीय रिज़र्व बैंक से:	
(क) न्यासी प्रतिभूतियों पर	-
(ख) विनिमय बिलों पर	-
(ग) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि से	-
2. भारत सरकार से	-
3. अन्य स्रोतों से:	
(क) भारत में	1,91,78,99,12,310
(ख) भारत के बाहर	4,40,82,83,68,910
	6,32,61,82,81,220
अनुसूची VI: नकदी एवं बैंक में शेष:	
1. हाथ में नकदी	1,69,832
2. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष	28,64,02,616
3. अन्य बैंकों में शेष:	
(क) भारत में	
i) चालू खातों में	8,24,13,06,160
ii) अन्य जमा खातों में	12,01,43,13,945
(ख) भारत के बाहर	34,17,27,80,212
4. मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि/ट्रेप्स के अंतर्गत ऋण	29,98,35,21,389
	84,69,84,94,154

समेकित तुलन–पत्र की अनुसूचियां

सामान्य निधि

	इस वर्ष (यथा 31.03.2024 को) ₹
अनुसूची VII: निवेश: (मूल्य में ह्रास का निवल, यदि कोई है)	
1. केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	1,32,37,11,58,755
2. इक्विटी शेयर और स्टॉक	2,15,49,07,644
3. अधिमानी शेयर एवं स्टॉक	19,88,28,626
4. नोट, डिबेंचर एवं बॉन्ड	1,66,74,95,794
5. अन्य	29,42,68,51,138
	1,65,81,92,41,957
अनुसूची VIII: ऋण एवं अग्रिम:	
1. विदेशी सरकारें	5,40,06,87,73,757
2. बैंक:	
(क) भारत में	1,56,24,23,50,000
(ख) भारत के बाहर	1,25,10,75,000
3. वित्तीय संस्थाएं:	
(क) भारत में	10,00,00,00,000
(ख) भारत के बाहर	1,11,42,82,04,946
4. अन्य	6,93,02,23,80,106
	15,12,01,27,83,809
अनुसूची IX: भुनाये गये/पुनः भुनाये गये विनिमय बिल और वचन–पत्र:	
(क) भारत में	64,01,00,00,000
(ख) भारत के बाहर	-
	64,01,00,00,000
अनुसूची X: अचल आस्तियां: (लागत पर मूल्यह्रास घटाकर)	
1. परिसर	
सकल राशि (आगे लाई गई)	5,24,67,32,163
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	11,62,08,251
वर्ष के दौरान निपटान	5,17,53,954
वर्ष के अंत में सकल राशि	5,31,11,86,460
संचित ह्रास	2,16,07,05,514
निवल राशि (ब्लॉक)	**3,15,04,80,946**
2. अन्य	
सकल राशि (आगे लाई गई)	1,86,00,90,076
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	37,37,54,007
वर्ष के दौरान निपटान	4,85,48,050
वर्ष के अंत में सकल राशि	2,18,52,96,033
संचित ह्रास	1,69,72,96,187
निवल राशि (ब्लॉक)	**48,79,99,846**
	3,63,84,80,792

समेकित तुलन–पत्र की अनुसूचियां

सामान्य निधि

	इस वर्ष (यथा 31.03.2024 को) ₹
अनुसूची XI: अन्य आस्तियां:	
1. निम्नलिखित पर उपचित ब्याज:	
(क) निवेशों/बैंक जमाओं पर	12,17,24,98,132
(ख) ऋण एवं अग्रिम	30,35,58,57,343
2. विविध पक्षों के पास जमा राशियां	6,40,09,436
3. प्रदत्त अग्रिम आयकर (निवल)	17,57,35,00,554
4. अन्य [₹ 17,77,16,40,983 की निवल आस्थगित कर आस्तियों सहित]	29,16,69,24,879
	89,33,27,90,344
अनुसूची XII: अन्य व्यय:	
1. निर्यात संवर्धन व्यय	4,20,45,166
2. डाटा प्रोसेसिंग पर और संबद्ध व्यय	32,84,470
3. मरम्मत और रखरखाव	56,19,38,393
4. मुद्रण और लेखन सामग्री	95,65,423
5. अन्य	94,05,78,749
	1,55,74,12,201
अनुसूची XIII: ब्याज एवं बट्टा:	
1. ऋणों और अग्रिमों/बिलों की भुनाई/पुनर्भुनाई पर ब्याज और बट्टा	1,11,99,79,61,472
2. निवेशों/बैंक शेष राशियों पर आय	37,03,90,49,835
	1,49,03,70,11,307
अनुसूची XIV: अन्य आय:	
1. निवेशों की बिक्री/पुनर्मूल्यांकन पर निवल लाभ	30,90,69,474
2. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर निवल लाभ	(5,39,299)
3. अन्य	49,43,49,319
	80,28,79,494

टिप्पणी:

'देयताओं' के अंतर्गत जमाओं [अनुसूची IV (क) देखिए] में 5.92 मिलियन यूएस डॉलर की 'ऑन शोर' विदेशी मुद्रा जमा राशियां (गत वर्ष 8.30 मिलियन यूएस डॉलर) शामिल हैं जो प्रतिपक्षी पार्टी बैंकों/संस्थाओं द्वारा एक्ज़िम बैंक के पास रेसीप्रोकल रुपया जमा/बॉन्डों के पेटे रखी गई हैं।

'आस्तियों' के अंतर्गत निवेश में [अनुसूची VII 4 देखिए] कुल ₹ 0.27 बिलियन की बॉन्ड राशि (गत वर्ष ₹ 0.39 बिलियन) शामिल है, जो स्वॉप्स के चलते है।

समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
परिचालनगत कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	
कर पूर्व निवल लाभ/(हानि) और असाधारण मदें	3,336.30
निम्नलिखित के लिए समायोजन:	
– अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ)/हानि (निवल)	0.05
– निवेशों की बिक्री से (लाभ)/हानि (निवल)	(30.91)
– मूल्यह्रास	54.50
– बट्टे में डाले गए बॉन्ड निर्गमों पर छूट/व्यय	17.15
– निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षित लेखे से अंतर	-
– ऋणों/निवेशों एवं अन्य प्रावधानों के लिए प्रावधान/बट्टे खाते डालना	413.58
– अन्य–उल्लेख करें	-
	3,790.68
निम्नलिखित के लिए समायोजन:	
– अन्य आस्तियां	3,594.12
– चालू देयताएं	713.44
परिचालनों से नकदी निर्माण	**8,098.24**
आय कर/ब्याज कर का भुगतान	(819.28)
परिचालनगत कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क)	**7,278.96**
निवेशगत कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	
– अचल आस्तियों की निवल खरीद	(43.71)
– निवेशों में निवल परिवर्तन	(4,240.17)
निवेशगत कार्यकलापों में उपयोग की गयी/से अर्जित निवल नकदी (ख)	**(4,283.88)**
वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	
– प्राप्त इक्विटी पूँजी	-
– लिए गए ऋण (चुकौती घटाकर)	26,187.41
– दिए गए ऋण, बिलों की भुनाई और पुनर्भुनाई (प्राप्त चुकौती घटाकर)	(23,078.88)
– इक्विटी शेयरों पर लाभांश तथा लाभांश पर कर (केन्द्र सरकार को अंतरित निवल लाभ अधिशेष)	(155.80)
वित्तीय कार्यकलापों में प्रयुक्त/से अर्जित निवल नकदी प्रवाह (ग)	**2,952.74**
नकदी और नकद समतुल्य में निवल वृद्धि/(गिरावट) (क+ख+ग)	**5,947.82**
प्रारंभिक नकदी एवं समतुल्य	**2,522.03**
अंतिम नकदी एवं समतुल्य	**8,469.85**

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

श्री तरुण शर्मा
उप प्रबंध निदेशक

सुश्री हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

श्री दम्मू रवि

सुश्री हिमानी पांडे

सुश्री अपर्णा भाटिया

डॉ. अभिजीत फुकन

श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ

श्री दिनेश कुमार खारा

श्री एम. वी. राव

श्री अशोक कुमार गुप्ता

कृते जीएमजे एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 103429W

(सीए अतुल जैन)
पार्टनर सदस्यता
सं. 037097

स्थानः मुंबई
दिनांकः 10 मई, 2024

महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं लेखों पर टिप्पणियां

I. महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(i) समेकित वित्तीय विवरण

क) तैयारी का आधार

भारतीय निर्यात–आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) का समेकित तुलन–पत्र तथा लाभ और हानि लेखा, भारत में प्रचलित लेखा सिद्धांतों और कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं। समेकित वित्तीय विवरण, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, ऐतिहासिक लागत पद्धति के तहत तैयार किए गए हैं। बैंक द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियां गत वर्ष प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों के अनुरूप हैं। एक्ज़िम बैंक का तुलन–पत्र तथा लाभ और हानि लेखा भारतीय निर्यात–आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 2020 में दिए गए अनुसार तैयार किए गए हैं, जिसे भारतीय निर्यात–आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) की धारा 39(2) के अधीन भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निर्देश डीबीआर.एफआईडी.सं. 108/01.02.000/2015-16, दिनांकित 23 जून, 2016 में अपेक्षित अनुसार कतिपय महत्त्वपूर्ण वित्तीय अनुपात/आंकड़े, "लेखों पर टिप्पणियां" के खंड के रूप में दर्शाए गए हैं।

ख) आकलन का प्रयोग

समेकित वित्तीय विवरणों को स्वीकृत मानक लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है और इन्हें तैयार करने के लिए प्रबंधन को वित्तीय विवरणों और रिपोर्ट की जाने वाली अवधि तक के लिए आय एवं व्यय की तारीख को आस्तियों, देयताओं और प्रावधानों (आकस्मिक देयताओं सहित) की रिपोर्ट की गई राशि में कुछ आकलन और पूर्वानुमान करने पड़ते हैं। समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयोग किए गए ये आकलन प्रबंधन की राय में विवेकसम्मत और तार्किक हैं।

ग) समेकन प्रक्रियाएं

समेकित वित्तीय विवरणों में बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, इंडिया एक्ज़िम फिनसर्व आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। समूह (सहायक कंपनी सहित) के समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किए गए हैं:

क. एक्ज़िम बैंक (मूल) के लेखे

ख. सहायक कंपनी की आस्ति, देयता, आय और व्यय की प्रत्येक मद का एकीकरण, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 21 के अनुसार, सभी महत्त्वपूर्ण अंतर–समूह ट्रांज़ैक्शनों और जमाओं, तथा अप्राप्त लाभ/हानि को हटाने के बाद, मूल संस्था की समान मदों से किया जाता है।

ग. मूल संस्था और सहायक कंपनी के बीच लेखांकन नीतियों में अंतर के मामले में, इन्हें मूल संस्था की लेखांकन नीतियों के अनुरूप बनाने के क्रम में, सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों को आवश्यकता और व्यवहार्यता के अनुसार समायोजित किया गया है।

(ii) राजस्व की गणना

क. अनर्जक आस्तियों/अनर्जक निवेशों और तनावग्रस्त आस्तियों, रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना के अंतर्गत ऋणों पर ब्याज, केंद्र सरकार द्वारा गारंटित ऋणों, जिनमें 90 दिन से अधिक का अतिदेय है, शुल्क आय, कमीशन, वचनबद्धता प्रभार और लाभांश जिन्हें नकदी आधार पर हिसाब में लिया जाता है, को छोड़कर आय/व्यय का निर्धारण उपचय आधार पर किया गया है। अनर्जक आस्तियों का निर्धारण अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है। एक्ज़िम बैंक के बॉन्डों पर दिया जाने वाला बट्टा/मोचन प्रीमियम बॉन्ड की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है और ब्याज व्यय में शामिल किया गया है।

ख. इंडिया एक्ज़िम फिनसर्व : आय/व्यय का निर्धारण, लाभांश और नकद आधार पर लेखाबद्ध निवेशों के निपटान पर लाभ/हानि को छोड़कर, उपचय आधार पर किया जाता है। आपूर्तिकर्ताओं को वित्तपोषण संबंधी ब्याज आय और सुविधा शुल्क को आपूर्तिकर्ताओं को संवितरण/इनवॉइस की डिस्काउंटिंग के समय हिसाब में लिया जाता है। यदि इनवॉइस प्रबंधन शुल्क में छूट नहीं दी गई है, तो इसे इनवॉइस की डिस्काउंटिंग के समय हिसाब में लिया जाता है।

(iii) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण

क) तुलन पत्र में दर्शायी गई ऋण और अग्रिम राशियों में अनर्जक आस्तियों हेतु प्रावधानों को घटाकर सिर्फ मूलधन बकाया राशियां शामिल हैं। प्राप्य ब्याज को "अन्य आस्तियों" में समूहित किया गया है।

ऋण चुकौती और वसूली हेतु कोलैटरल सिक्योरिटी पर निर्भरता के अनुसार ऋण आस्तियों को निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया गया है: मानक आस्तियां, अवमानक आस्तियां, संदिग्ध आस्तियां और हानि आस्तियां। ऋण आस्तियों का वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को जारी किए गए निदेशों / दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है।

ख) फैक्टरिंग के अंतर्गत इंडिया एक्ज़िम फिनसर्व द्वारा अधिग्रहीत रिसीवेबल के मामले में, देय तिथि तक भुगतान न होने पर उसे अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है, फिर चाहे वह रिसीवेबल कभी भी अधिग्रहीत किए गए हों या फैक्टरिंग को "रिकोर्स" अथवा "नॉन-रिकोर्स" किसी भी आधार पर किया गया हो। आईएफएससीए दिशानिर्देशों के अनुसार, देय तिथि, भुगतान के लिए विनिर्दिष्ट निर्धारित तिथि से 90 दिन मानी जाती है। प्रावधान, उपयोग में क्लोज़िंग फंड (एफआईयू) के संबंध में विनियामकीय प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर किए जाते हैं।

(iv) निवेश

संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

(क) "परिपक्वता तक धारित"(परिपक्वता तक रखने के इरादे से अर्जित प्रतिभूतियां),

(ख) "क्रय-विक्रय के लिए धारित" (प्रतिभूतियां इस इरादे से अर्जित की जाती हैं कि अल्पावधि मूल्य/ब्याज दर में होने वाले उतार-चढ़ावों आदि का लाभ उठाकर उनका क्रय-विक्रय किया जाए) और

(ग) "बिक्री के लिए उपलब्ध" (शेष निवेश)।

निवेशों को निम्नलिखित रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है:

i) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश
iii) शेयरों में निवेश
iv) डिबेंचर और बॉन्ड में निवेश
v) सहायक कंपनियों/संयुक्त उपक्रमों में निवेश
vi) अन्य (वाणिज्यिक-पत्र, म्युचुअल फंड इकाइयों आदि में) निवेश

निवेशों के विभिन्न लिखतों का वर्गीकरण, श्रेणीकरण, श्रेणियों के बीच परिवर्तन, मूल्य निर्धारण और निवेशों का प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए निर्धारित किए गए मानदंडों के अनुसार किया गया है।

(v) अचल आस्तियां तथा मूल्यह्रास

(क) अचल आस्तियों को संचित मूल्यह्रास घटाकर परंपरागत लागत अर्जन के समय मूल लागत पर दर्शाया गया है।

(ख) मूल्यह्रास का प्रावधान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर निम्नलिखित दरों पर किया गया है:

आस्ति	मूल्यह्रास दर
स्वामित्व वाले भवन	5%
फर्नीचर एवं फिक्सचर	25%
कार्यालय उपकरण	25%
अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	25%
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	25%
मोटर वाहन	25%
कम्प्यूटरों व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर मूल्यह्रास, प्रौद्योगिकी के पुराने होने के आधार पर लिया गया है	प्रथम दो वर्षों के लिए 33.33%, तीसरे वर्ष में 33.34%
मोबाइल फोन	50%

(ग) वर्ष के दौरान अर्जित आस्तियों के संबंध में, मूल्यह्रास खरीद वर्ष में समूचे वर्ष के लिए प्रदान किया गया है तथा वर्ष के दौरान बेची गई आस्तियों के संबंध में बिक्री वर्ष में कोई मूल्यह्रास नहीं किया गया है।

(घ) जहां किसी अवक्षयी आस्ति को बेच दिया गया है, त्याग दिया गया है, ढहा दिया गया है अथवा नष्ट कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में निवल अधिशेष या कमी को लाभ और हानि लेखे में समायोजित किया गया है।

(vi) ह्रास

आस्तियों के रख-रखाव की राशि को हर तुलन-पत्र की तारीख को आंतरिक अथवा बाह्य कारणों से आस्ति के मूल्य में हुए ह्रास के लिए प्रावधान अथवा गत अवधियों में हुई ह्रास हानियों यथा लागू प्रावधानों को रिवर्स करने के लिए पुनरीक्षित किया गया है। ह्रास हानि तब होती है जब किसी आस्ति की वहन राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है।

(vii) विदेशी मुद्रा लेन-देनों के लिए लेखांकन

(क) विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आस्तियों तथा देयताओं को वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (फेडई) द्वारा अधिसूचित विनिमय दर पर अंतरित किया गया है।

(ख) आय तथा व्यय मदों को वर्ष के दौरान विनिमय की औसत दरों पर अंतरित किया गया है।

(ग) बकाया विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाओं को निर्दिष्ट परिपक्वता अवधियों के लिए फेडई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है तथा इससे होने वाले लाभ/हानि को लाभ और हानि लेखे में शामिल किया गया है।

(घ) गारंटियों, स्वीकृतियों, परांकनों तथा अन्य दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देयताओं को वर्ष के अंत में फेडई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर दर्शाया गया है।

ङ) आईएफएससीए विनियमावली के अनुसार इंडिया एक्ज़िम फिनसर्व की रिपोर्टिंग मुद्रा यूएस डॉलर है। रुपये में किए गए सांविधिक और प्रशासनिक भुगतानों को फेडई एफईडीएएई द्वारा प्रकाशित पूर्ववर्ती सप्ताह की साप्ताहिक औसतन विनिमय दर का उपयोग करके यूएस डॉलर में परिवर्तित किया जाता है। वेंडर के भुगतान और स्टाफ के वेतन पर टीडीएस की कटौती के चलते आस्तियों और देयताओं को भुगतान के समय इस्तेमाल की गई विनिमय दर पर रिवर्स किया जाता है। व्यय, पूर्वदत्त व्यय और फुटकर राशि के संबंध में प्रावधान क्रमशः प्रावधानीकरण, भुगतान या आहरण के समय इस्तेमाल की गई विनिमय दर पर रिवर्स/हिसाब में लिया जाता है।

(viii) गारंटियां

ईसीजीसी पॉलिसियों के अधीन अरक्षित खण्ड के लिए गारंटियों का प्रावधान परियोजनाओं के पूरे होने तक संभावित हानियों को ध्यान में रखकर किया गया है।

(ix) डेरिवेटिव

बैंक अपनी आस्तियों और देयताओं की हेजिंग के लिए डेरिवेटिव संविदाएं जैसे ब्याज दर स्वाप, करंसी स्वाप, अंतर करंसी ब्याज दर स्वाप तथा वायदा दर करार करता है। आरबीआई के दिशानिर्देशों के आधार पर, हेजिंग के उद्देश्य से किए गए डेरिवेटिव संव्यवहारों को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है। यथा तुलन-पत्र की तारीख को बकाया डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्टों से संबंधित क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव प्रकटीकरणों को अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग मानदंडों संबंधी आरबीआई के मास्टर निदेश के अनुसार 'लेखों पर टिप्पणियां' में रिपोर्ट किया जाता है।

(x) कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान

क) बैंक में भविष्य निधि, ग्रेच्युटी निधि और पेंशन निधि बैंक द्वारा चलाई जा रही परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाएं हैं। इन निधियों में बैंक के अंशदान को संबंधित वर्ष के लिए लाभ-हानि खाते में हिसाब में लिया जाता है।

ख) ग्रेच्युटी, पेंशन तथा छुट्टी नकदीकरण परिभाषित कर्मचारी लाभ देयताएं हैं। इन देयताओं के लिए प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति के आधार पर किया जाता है।

(xi) आय पर करों का लेखांकन

(क) संबंधित संविधि के अधीन भुगतान योग्य कर के अनुसार वर्तमान कर के लिए प्रावधान किया गया है।

(ख) कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच समय अंतर की दृष्टि से आस्थगित कर की गणना विद्यमान कर दरों पर तथा अधिनियमित विधि अथवा तुलन–पत्र की सम दिनांक को प्रमुखतः अधिनियमित विधि के अनुसार की गई है। आस्थगित कर आस्तियों को केवल उसी सीमा तक हिसाब में लिया गया है जिस सीमा तक उनकी वसूली की समुचित निश्चितता है।

(ग) इंडिया एक्ज़िम फिनसर्व गिफ्ट आईएफएससी में परिचालनरत है। इसलिए कुल पंद्रह में से दस सालों की छूट के लिए यह पात्र है। कर से छूट की अवधि के दौरान रिवर्स किए जाने वाले समय अंतर पर आस्थगित कर को सकल कुल आय के लिए हिसाब में नहीं लिया जाता है, क्योंकि यह कर से छूट की अवधि के दौरान कटौती के अध्यधीन होता है। कर से छूट की अवधि के बाद रिवर्स किए जाने वाले समय अंतर पर आस्थगित कर को उस वर्ष हिसाब में लिया जाता है, जिस वर्ष समय अंतर उत्पन्न हुए हों। पहले उत्पन्न होने वाले समय अंतर को पहले रिवर्स किया जाता है।

(xii) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक 29 – 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां' के अनुसार, बैंक प्रावधानों को केवल तभी हिसाब में लेता है, जब वर्तमान दायित्व किसी विगत घटना का परिणाम हो। हालांकि यह संभव है कि इस दायित्व से उपजे आर्थिक भार संबंधी राशि का भुगतान दायित्व की राशि के सही आकलन के निर्धारण के बाद किया जाए।

आकस्मिक देयताएं तभी प्रकट की जाती हैं, जब आर्थिक लाभ संबंधी राशि का भुगतान किए जाने की कुछ न कुछ संभावना अवश्य हो।

आकस्मिक आस्तियों को न ही हिसाब में लिया जाता है तथा न ही उन्हें वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

(xiii) भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के क्रियान्वयन का स्थगन

(क) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के परिपत्र दिनांकित 04 अगस्त, 2016 के अनुसार, भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) सभी बैंकों, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं पर 01 अप्रैल, 2018 से शुरू होने वाली लेखांकन अवधि के लिए और 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाली अवधि के तुलनात्मक आंकड़ों के साथ लागू थे। आरबीआई ने एक्ज़िम बैंक को संबोधित 15 मई, 2019 के अपने पत्र के जरिए अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए इन मानकों का क्रियान्वयन अगली सूचना तक स्थगित करने के संबंध में सूचित किया है।

(ख) इंडिया एक्ज़िम फिनसर्व की निवल मालियत ₹ 500 करोड़ से कम होने के कारण इस पर भारतीय लेखा मानक लागू नहीं है।

II. समेकित लेखों पर टिप्पणियां

1. एजेंसी लेखा

चूंकि एक्ज़िम बैंक इराक में भारतीय कॉन्ट्रैक्टरों से संबंधित कतिपय सौदों को सुगम बनाने के लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है, अतएव भारत सरकार को समनुदेशित ₹ 57.32 बिलियन की राशि सहित बैंक को सूचित एजेंसी खाते में धारित ₹ 51.80 बिलियन की समतुल्य राशि की विदेशी मुद्रा की प्राप्य राशियां उपर्युक्त तुलन–पत्र में शामिल नहीं की गई हैं।

2. (क) आकस्मिक देयताएं

गारंटियों में ₹ 3.18 बिलियन की समाप्त हो चुकी गारंटियां शामिल हैं, जिन्हें बहियों में निरस्त करना शेष है।

(ख) दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है

आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत "बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है" के रूप में दिखाई गई ₹ 3.53 बिलियन की राशि अधिकांशत: बैंक के चूककर्ता उधारकर्ताओं के विरुद्ध बैंक द्वारा शुरू की गई कानूनी कार्रवाई के जवाब में उन उधारकर्ताओं द्वारा बैंक के विरुद्ध दायर किए गए दावों/प्रतिदावों से संबंधित है। बैंक के सॉलिसिटरों की राय में कोई भी दावा/प्रतिदावा अभिमत में रखने योग्य नहीं है तथा कोई भी मामला अभी तक अंतिम सुनवाई तक नहीं पहुंचा है; अतः विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर इस संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

(ग) आयकर के चलते आकस्मिक देयता

विभिन्न निर्णयन प्राधिकारियों के समक्ष लंबित विवादित आयकर मामलों के चलते ₹ 0.55 बिलियन की राशि को आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिनके बैंक के मूल्यांकन में देयता में फलीभूत होने की संभावना कम है और इनके एवज में ₹ 1.09 बिलियन का रिफंड प्राप्य है।

(घ) वायदा विनिमय संविदाएं, मुद्रा/ब्याज दर स्वाप

(i) यथा 31 मार्च, 2024 को बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की पूर्ण हेजिंग की गई है। बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के 7 जुलाई, 1999 के परिपत्र संदर्भ सं. एमपीडी.बीसी.187/07.01.279/1999-2000 एवं उसके बाद जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आस्ति–देयता प्रबंधन के प्रयोजनार्थ डेरिवेटिव सौदे (ब्याज दर स्वाप, वायदा दर करार तथा मुद्रा–सह–ब्याज दर स्वाप) करता है। बैंक अपनी आवश्यकताओं तथा बाजार स्थितियों के आधार पर ऐसे सौदे करता है और आवश्यकता पड़ने पर उनका निपटान भी करता है। ऐसे बकाया डेरिवेटिव संव्यवहारों को हिसाब में लिया जाता है, जिन पर ब्याज दर में उतार–चढ़ाव का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) द्वारा इस स्थिति की निगरानी की जाती है और निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा की जाती है। डेरिवेटिव के ऋण समतुल्य की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 'वर्तमान एक्सपोज़र' पद्धति के अनुसार की जाती है। डेरिवेटिव के आधार बिंदु (पीवी 01) के फेयर वैल्यू तथा प्राइस वैल्यू को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार 'लेखों पर टिप्पणियों' में अलग से प्रकट किया गया है। वायदा दर संविदाओं से होने वाले लाभ या हानि को संविदा की पूरी अवधि के लिए परिशोधित किया गया है। वायदा विनिमय संविदाओं के निरस्तीकरण से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को वर्ष के लिए आय/व्यय के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

(ii) बैंक को एफएक्स स्वाप, मुद्रा स्वाप और विदेशी मुद्रा ब्याज स्वाप में बिना किसी परिपक्वता समय या मुद्रा प्रतिबंधों के 'मार्केट मेकर' की भूमिका निभाने की अनुमति प्राप्त है।

(ङ) मुद्रा विनिमय दर के उतार–चढ़ाव पर लाभ/हानि

विदेशी मुद्रा में उल्लिखित आस्तियों तथा देयताओं को वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (फेडई) द्वारा अधिसूचित दरों पर अंतरित किया जाता है। आय तथा व्यय मदों को वर्ष के दौरान औसत विनिमय दर पर अंतरित किया जाता है। चालू वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा परिचालनों से अर्जित आय के इस प्रकार के अंतरण पर सांकेतिक लाभ ₹ 0.09 बिलियन है।

3.

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों संबंधित प्रकटीकरण: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को विलंबित भुगतान संबंधी कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपेक्षित अनुसार अतिरिक्त सूचना

4.1 पूँजी

(क)

(₹ बिलियन)

विवरण		यथा 31 मार्च, 2024 को
(i)	सामान्य इक्विटी	203.05
(ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी	-
(iii)	कुल टियर 1 पूँजी (i+ii)	203.05
(vi)	टियर 2 पूँजी	16.92
(v)	कुल पूँजी (टियर 1+ टियर 2)	219.96
(vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां	1,038.32
(vii)	सामान्य इक्विटी अनुपात (कुल जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में कॉमन इक्विटी)	19.56%
(viii)	टियर 1 अनुपात (कुल जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूँजी)	19.56%
(ix)	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात (सीआरएआर) (कुल जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल पूँजी)	21.18%
(x)	बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	100%
(xi)	भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई इक्विटी पूँजी राशि	शून्य
(xii)	जुटाई गई अतिरिक्त टियर 1 पूँजी, जिसमें से	
	क) बेमियादी गैर–संचयी अधिमानी शेयर	शून्य
	ख) बेमियादी ऋण लिखत	शून्य
(xiii)	जुटाई गई टियर 2 पूँजी, जिसमें से	
	क) ऋण पूँजी लिखतें	शून्य
	ख) बेमियादी गैर–संचयी अधिमानी शेयर	शून्य
	ग) प्रतिदेय गैर–संचयी अधिमानी शेयर	शून्य
	घ) प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर	शून्य

(ख) यथा 31 मार्च, 2024 को टियर–II पूँजी के रूप में जुटाए गए और बकाया गौण ऋण की राशिः ₹ शून्य

(ग) जोखिम भारित आस्तियां

(₹ बिलियन)

विवरण		यथा 31 मार्च, 2024 को
(i)	तुलन–पत्र में 'शामिल' मदें	840.15
(ii)	तुलन–पत्र में 'शामिल नहीं की गई' मदें	198.17

(घ) तुलन–पत्र की तारीख को शेयरधारिता का स्वरूपः भारत सरकार द्वारा पूर्णतः अभिदत्त पूँजी।

- जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात (सीआरएआर) और अन्य संबंधित मानदंडों का निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय संस्थाओं के लिए निर्धारित पूँजी पर्याप्तता मानदंडों के अनुसार किया गया है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 सितंबर, 2023 के अपने परिपत्र के ज़रिए बेसल III मास्टर निदेश जारी किए। बैंक सीआरएआर के निर्धारण हेतु बासेल III मानकों को इनके प्रभावी होने की तारीख यानी 01 अप्रैल, 2024 से लागू करेगा।

4.2 निर्बंध आरक्षित निधियां एवं प्रावधान

(क) मानक आस्तियों पर प्रावधान

(₹ बिलियन)

विवरण	2023-24
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	20.72

(ख) कोविड-19 विनियामकीय पैकेज पर आरबीआई के परिपत्र के अनुसार लेखों में किए गए प्रावधानों के संबंध में प्रकटीकरण

कोविड-19 विनियामकीय पैकेज–आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी आरबीआई के परिपत्रों डीओआर. सं. बीपी. बीसी. 47/21.04.048/2019-20 दिनांकित 27 मार्च, 2020 ('विनियामकीय पैकेज'), डीओआर. सं. बीपी. बीसी. 63/21.04.048/2019-20 दिनांकित 17 अप्रैल, 2020 और डीओआर. एफआईडी. सं. 8140/01.02.000/2019-20 दिनांकित 08 मई, 2020 के अनुसार, ऋणदाता संस्थाओं को ऐसे खातों के संबंध में किए गए प्रावधानों का प्रकटीकरण करना आवश्यक है, जिन्हें मॉरेटोरिअम प्रदान किया गया था और आस्ति वर्गीकरण का लाभ प्रदान किया गया था। ऐसे प्रावधानों का विवरण निम्नलिखित अनुसार है:

(₹ बिलियन)

विवरण	2023-24
उधारकर्ताओं की संख्या	-
बकाया ऋण राशि	-
अतिदेय राशि	-
राशि, जिसके लिए आस्ति वर्गीकरण लाभ प्रदान किया गया	-
राशि का प्रावधान किया गया	-

(ग) अस्थायी प्रावधान

(₹ बिलियन)

विवरण	2023-24
(क) अस्थायी प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	-
(ख) लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की राशि	-
(ग) लेखा वर्ष के दौरान आहरित की गई राशि	-
(घ) अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष	-

4.3 आस्ति गुणवत्ता और विशिष्ट प्रावधान

(क) अनर्जक अग्रिम

(₹ बिलियन)

विवरण		2023-24
(i)	निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां (%)	0.29%
(ii)	अनर्जक आस्तियों में घट–बढ़ (सकल)	
	(क) प्रारंभिक शेष	56.97
	(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	2.81
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	28.77
	(घ) अंतिम शेष	31.01
(iii)	निवल अनर्जक आस्तियों में घट–बढ़	
	(क) प्रारंभिक शेष	9.48
	(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	-
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	4.91
	(घ) अंतिम शेष	4.57
(iv)	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों में घट–बढ़ (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)	
	(क) प्रारंभिक शेष	47.49
	(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	2.99
	(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टा खाता/प्रतिलेखन	24.04
	(घ) अंतिम शेष	26.44

(ख) अनर्जक निवेश

(₹ बिलियन)

विवरण	2023-24
(i) निवल निवेशों की तुलना में निवल अनर्जक निवेश (%)	0.06%
(ii) अनर्जक निवेशों में घट-बढ़ (सकल)	
(क) प्रारंभिक शेष	2.95
(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	16.81
(ग) वर्ष के दौरान कमी	0.85
(घ) अंतिम शेष	18.91
(iii) निवल अनर्जक निवेशों में घट-बढ़	
(क) प्रारंभिक शेष	0.09
(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	0.04
(ग) वर्ष के दौरान कमी	0.03
(घ) अंतिम शेष	0.10
(iv) अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधानों में घट-बढ़ (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)	
(क) प्रारंभिक शेष	2.85
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	16.84
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टा खाता/प्रतिलेखन	0.88
(घ) अंतिम शेष	18.81

(ग) अनर्जक आस्तियां (क+ख)

(₹ बिलियन)

विवरण	2023-24
(i) निवल आस्तियों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां (अग्रिम + निवेश) (%)	0.28%
(ii) अनर्जक आस्तियों में घट-बढ़ (सकल अग्रिम + सकल निवेश)	
(क) प्रारंभिक शेष	59.92
(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	19.62
(ग) वर्ष के दौरान कमी	29.62
(घ) अंतिम शेष	49.92
(iii) अनर्जक आस्तियों में घट-बढ़	
(क) प्रारंभिक शेष	9.57
(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	0.04
(ग) वर्ष के दौरान कमी	4.94
(घ) अंतिम शेष	4.67
(iv) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों में घट-बढ़ (मानक आस्तियों पर किए गए प्रावधानों को छोड़कर)	
(क) प्रारंभिक शेष	50.34
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	19.83
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टा खाता/प्रतिलेखन	24.92
(घ) अंतिम शेष	45.25

4.4 पुनर्संरचित किए गए खातों का विवरण – वर्तमान वर्ष

(₹ बिलियन)

क्र.सं.	पुनर्संरचना का प्रकार / आस्ति वर्गीकरण	विवरण	कंपनी कर्ज पुनर्संरचना (सीडीआर) प्रक्रिया के अंतर्गत					एसएमई ऋण पुनर्संरचना प्रक्रिया के अंतर्गत					अन्य					कुल
			मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	
1	वित्तीय वर्ष की प्रारंभिक तारीख को पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक आंकड़े)*	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	2	6	-	11	12
		बकाया राशि	-	-	0.51	-	0.51	-	-	-	-	-	10.18	3.67	6.35	-	20.20	20.71
		उस पर प्रावधान	-	-	0.51	-	0.51	-	-	-	-	-	0.52	1.59	6.35	-	8.46	8.97
2	वर्ष के दौरान नवीन पुनर्संरचना/बढ़त	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.26	1.25	-	-	5.51	5.51
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.19	1.25	-	-	4.44	4.44
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	3.67	-	3.68	3.68
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.59	-	1.59	1.59
4	वित्तीय वर्ष के अंत में पुनर्संरचित मानक ऋण एवं अग्रिम, जिनमें उच्चतर प्रावधान हुए और / अथवा अतिरिक्त जोखिम भार और इस तरह उन्हें अगले वित्तीय वर्ष के आरंभ में पुनर्संरचित मानक ऋण एवं अग्रिमों के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1)	(2)	-	-	(3)	(3)
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.32)	(3.67)	-	-	(8.99)	(8.99)
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.25)	(1.59)	-	-	(1.84)	(1.84)
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का डाउनग्रेडेशन / घटत	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2)	-	-	-	(2)	(2)
		बकाया राशि	-	-	(0.12)	-	(0.12)	-	-	-	-	-	(5.32)	-	(0.15)	-	(5.47)	(5.59)
		उस पर प्रावधान	-	-	(0.12)	-	(0.12)	-	-	-	-	-	(0.61)	-	0.69	-	0.08	(0.04)
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों को बट्टे खाते डालना	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	(1)	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1)
		बकाया राशि	-	-	(0.39)	-	(0.39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.39)
		उस पर प्रावधान	-	-	(0.39)	-	(0.39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.39)
7	वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को पुनर्संरचित खाते (अंतिम आंकड़े*)	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	-	10	10
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.81	1.25	9.87	-	14.93	14.93
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.85	1.25	8.63	-	12.73	12.73

4.5 अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव

(₹ बिलियन)

विवरण	2023-24
यथा 1 अप्रैल को सकल अनर्जक आस्तियां (प्रारंभिक शेष)	56.97
वर्ष के दौरान बढ़त (नई अनर्जक आस्तियां)	2.00
ब्याज निधीयन	0.08
विनिमय दर उतार-चढ़ाव	0.73
उपखंड योग (क)	59.78
घटाएं:	
(i) उन्नयन	0.06
(ii) वसूली (अपग्रेड किए खातों से वसूली को छोड़कर)	21.85
(iii) तकनीकी/विवेकसम्मत राइट ऑफ	3.29
(iv) बट्टे खाते, उपर्युक्त (iii) के अलावा	3.58
(v) विनिमय दर उतार-चढ़ाव	-
उपखंड योग (ख)	28.77
यथा 31 मार्च को सकल अनर्जक आस्तियां (अंतिम शेष) (क-ख)	**31.01**

आरबीआई आईआरएसीपी मानदंड परिपत्र डीओआर.एसटीआर.आरईसी.3/21.04.048/2023-24 दिनांकित 1 अप्रैल, 2023 के अनुसार सकल अनर्जक आस्तियां

4.6 राइट ऑफ और वसूली

(₹ बिलियन)

विवरण	2023-24
यथा 1 अप्रैल को तकनीकी/विवेकसम्मत रूप से राइट ऑफ किए गए खातों का प्रारंभिक शेष	117.45
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकसम्मत राइट ऑफ	3.29
जोड़ें/(घटाएं): विनिमय में उतार-चढ़ाव	0.75
उपखंड योग (क)	121.48
घटाएं: वर्ष के दौरान पुराने तकनीकी/विवेकसम्मत राइट ऑफ किए गए खातों से की गई वसूली (ख)	(8.43)
यथा 31 मार्च को अंतिम शेष (क-ख)	**113.06**

4.7 विदेशी आस्तियां, अनर्जक आस्तियां और राजस्व

नीचे दिए गए आंकड़े बैंक की लंदन शाखा से संबंधित हैं, जिसने अक्टूबर 2010 में परिचालन शुरू किया था।

(₹ बिलियन)

विवरण	2023-24
कुल आस्तियां	114.45
कुल अनर्जक आस्तियां	2.77
कुल राजस्व	6.77

4.8 निवेशों पर मूल्यह्रास और प्रावधान

(₹ बिलियन)

विवरण	2023-24
(1) निवेश	
(i) सकल निवेश	189.49
(क) भारत में	187.44
(ख) भारत से बाहर	2.05
(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	23.25
(क) भारत में	21.31
(ख) भारत से बाहर	1.94

(₹ बिलियन)

विवरण	2023-24
(iii) निवल निवेश	166.23
(क) भारत में	166.12
(ख) भारत से बाहर	0.11
(2) निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव	
(i) प्रारंभिक शेष	24.31
(ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.63
(iii) वर्ष के दौरान निवेश अस्थिर आरक्षित निधि खाते से विनियोजन, यदि कोई है	
(iv) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों पर राइट ऑफ/प्रतिलेखन	(1.69)
(v) घटाएं: अस्थिर आरक्षित निधि खाते में हस्तांतरण, यदि कोई है	
(vi) अंतिम शेष	23.25

4.9 प्रावधान और आकस्मिक व्यय

(₹ बिलियन)

लाभ एवं हानि लेखा शीर्ष के अंतर्गत दिखाए गए 'प्रावधान और आकस्मिक व्यय' का विवरण	2023-24
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	(1.37)
अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान	(21.08)
आयकर के लिए किए गए प्रावधान	8.18
अन्य प्रावधान और आकस्मिक व्यय*	26.59

*इसमें बैंक गारंटियों के लिए ₹ 0.17 बिलियन और देशगत जोखिम के लिए ₹ 0.25 बिलियन और हेज न किए गए विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र वाली संस्थाओं को एक्सपोज़र के चलते ₹ 0.46 बिलियन का प्रावधानीकरण शामिल है।

4.10 प्रावधान कवरेज अनुपात

विवरण	2023-24
प्रावधान कवरेज अनुपात (तकनीकी राइट ऑफ सहित)	96.83%

4.11 वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी मामले और उनके लिए किए गए प्रावधान

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किसी भी नए खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, यथा वर्ष की समाप्ति को अपरिशोधित प्रावधान की कोई भी राशि 'अन्य आरक्षित निधियों' से डेबिट नहीं की गई है।

5. निवेश पोर्टफोलियो: संघटक एवं परिचालन

5.1 रेपो लेन-देन

वर्तमान वर्ष:

(₹ बिलियन)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	यथा 31 मार्च, 2024 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	3.50	8.95	1.99	24.05
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	--	--	--	--
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	--	--	--	--
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	--	--	--	--

5.2 ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के लिए निवेशकर्ता की जमाराशियों का प्रकटीकरण

वर्तमान वर्षः

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	निवेशकर्ता	राशि	राशि			
			निजी प्लेसमेंट के जरिए किया गया निवेश	"निवेश ग्रेड से नीचे" धारित प्रतिभूतियां	धारित "अश्रेणीकृत" प्रतिभूतियां	धारित "असूचीबद्ध" प्रतिभूतियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक उपक्रम	-	-	-	-	-
2	वित्तीय संस्थाएं	1.68	1.68		0.06	1.68
3	बैंक	4.99	4.99	-	-	4.99
4	निजी कॉर्पोरेट	48.66*	48.60		19.85	29.70
5	सहायक कंपनियां /संयुक्त उद्यम	0.42	0.42	-	0.42	0.42
6	अन्य	0.02	0.02		-	0.02
7	मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधान#	23.25	22.08	-	3.25	20.80
	कुल	**55.76**	**55.70**		**20.33**	**36.80**

कॉलम 3 में प्रकट किए जाने के लिए रखे गए प्रावधान की कुल राशि।
* जिसमें से ₹ 18.43 बिलियन की जमा राशियां आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में निवेश को दर्शाती हैं और ₹ 6.30 बिलियन का निवेश ऋण पुनर्संरचना के हिस्से के रूप में शेयरों/डिबेंचरों में है।

उपर्युक्त कॉलम 4, 5, 6 और 7 के अंतर्गत उल्लिखित राशियां पारस्परिक रूप से अनन्य नहीं हैं।

5.3 हेल्ड टू मैच्योरिटी (एचटीएम) श्रेणी में / से बिक्री और अंतरण

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, हेल्ड-टू-मैच्योरिटी (एचटीएम) श्रेणी में से निवेशों का कोई बिक्री और अंतरण नहीं किया गया।

6. खरीदी/बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

6.1 आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण / पुनर्संरचना कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

क. बिक्री का विवरण

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	विवरण	2023-24
(i)	खातों की संख्या	4
(ii)	प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेचे गए खातों (प्रावधानों को घटाकर) का कुल मूल्य	-
(iii)	कुल प्राप्ति	0.78
(iv)	गत वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त राशि	0.43
(v)	निवल बही मूल्य पर कुल प्राप्ति/(हानि)	1.21

- "आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों को बेची गई आस्तियों" को आरबीआई के मास्टर परिपत्र डीबीओडी संख्या एफआईडी.एफआईसी. 2/01.02.00/2006-07 दिनांकित 01 जुलाई, 2006 और उसके बाद परिभाषित अनुसार माना गया है।

ख. प्रतिभूति जमाओं में निवेशों के बही मूल्य का विवरण

(₹ बिलियन)

	विवरण	प्रतिभूति रसीदों में निवेशों का बही मूल्य
		2023-24
(i)	बैंक द्वारा बेची गई अनर्जक आस्तियों द्वारा गारंटित	0.53
(ii)	बैंकों/अन्य वित्तीय संस्थाओं/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेची गई अनर्जक आस्तियों द्वारा गारंटित	-
	कुल	**0.53**

6.2 खरीदी/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

क. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ बिलियन)

विवरण		2023-24
1.	(क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	--
	(ख) कुल बकाया	--
2.	(क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या	--
	(ख) कुल बकाया	--

ख. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ बिलियन)

विवरण		2023-24
1.	बेचे गए खातों की संख्या	4
2.	कुल बकाया	2.07
3.	कुल प्राप्त राशि	0.78

6.3 वर्ष के दौरान हस्तांतरित/अधिग्रहीत किए गए दबावग्रस्त ऋणों का विवरण

क. हस्तांतरित दबावग्रस्त ऋणों का विवरण

(सभी राशियां ₹ बिलियन में)	एआरसी को	अनुमत हस्तांतरणकर्ताओं को*	अन्य हस्तांतरणकर्ताओं को (कृपया उल्लेख करें)
खातों की संख्या	4	-	-
हस्तांतरित ऋणों का कुल मूलधन बकाया	2.07	-	-
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत शेष अवधि	शून्य	-	-
हस्तांतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	शून्य	-	-
कुल प्रतिफल	0.78	-	-
पूर्व वर्षों में हस्तांतरित ऋणों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	0.43	-	-

ख. वर्ष के दौरान दबावग्रस्त ऋणों का विवरण

(सभी राशियां ₹ बिलियन में)	खंड 3 में सूचीबद्ध ऋणदाताओं की सूची से	एआरसी से
अधिग्रहीत ऋणों का कुल मूलधन बकाया	-	-
कुल प्रदत्त प्रतिफल	-	-
अधिग्रहीत ऋणों की भारित औसत शेष अवधि	-	-

7. परिचालन परिणाम

क्र. सं.	विवरण	2023-24
(i)	औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	8.98
(ii)	औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर–ब्याज आय	0.34
(iii)	औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	2.26
(iv)	औसत आस्तियों पर प्रतिफल	1.47
(v)	प्रति (स्थायी) कर्मचारी निवल लाभ/(हानि) (₹ बिलियन में)	0.07

- परिचालन परिणामों के लिए कार्यशील निधियों और कुल आस्तियों को गत लेखा वर्ष के अंत तथा रिपोर्ट के अंतर्गत लेखा वर्ष के अंत के आंकड़ों के औसत के रूप में लिया गया है ("कार्यशील निधियों" का संदर्भ निवल अर्जक आस्तियों से है)।
- प्रति कर्मचारी निवल लाभ की गणना के लिए सभी कैडरों के स्थायी, पूर्णकालिक कर्मचारियों को लिया गया है।

8. ऋण संकेंद्रण जोखिम

8.1 पूँजी बाजार एक्सपोज़र

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	विवरण	2023-24
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिट्स में प्रत्यक्ष निवेश, जिनका निवेश केवल कॉर्पोरेट ऋण में ही नहीं है;	0.18
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईसॉप सहित) परिवर्तनीय बॉन्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिट्स में निवेश के लिए शेयरों / बॉन्डों / डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के एवज में अग्रिम अथवा गैर प्रतिभूति आधार पर व्यक्तियों को अग्रिम;	--
(iii)	अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम, जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिट्स को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	--
(iv)	अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिट्स की कोलैटरल सिक्योरिटी, अर्थात ऐसे उद्देश्य जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉन्डों / परिवर्तनीय डिबेंचरों / इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिट्स के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह कवर नहीं करती;	--
(v)	शेयर दलालों को जमानती और गैर-जमानती अग्रिम तथा शेयर दलालों और मार्केटमेकर्स की ओर से जारी गारंटियां;	--
(vi)	संसाधन जुटाने के लिए कॉर्पोरेट्स को नई कंपनियों में प्रवर्तक इक्विटी लेने के लिए शेयरों/बॉन्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के पेटे या बेजमानती ऋणों की मंजूरी;	--
(vii)	संभावित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के बदले पूरक ऋण;	--
(viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिट्स की प्राथमिक निर्गम की खरीद के संबंध में बैंक द्वारा दी गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं;	--
(ix)	शेयर दलालों को मार्जिन ट्रेडिंग के लिए वित्तपोषण;	--
(x)	उद्यम पूँजीगत निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के लिए सभी एक्सपोज़र	0.24
	पूँजी बाजार में कुल एक्सपोज़र	**0.42**

8.2 देशगत जोखिम एक्सपोज़र

(₹ बिलियन)

जोखिम श्रेणी	यथा 31 मार्च, 2024 को एक्सपोज़र (निवल)	यथा 31 मार्च, 2024 को रखे गए प्रावधान
नगण्य	94.09	0.47
न्यून	116.96	-
मध्यम	613.75	-
उच्च	231.47	-
बहुत ज्यादा	236.51	-
प्रतिबंधित	-	-
ऑफ क्रेडिट	-	-
कुल	**1,292.78**	**0.47**

8.3 रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना (एसडीआर) योजना

(₹ बिलियन)

विवरण	2023-24
खातों की संख्या	1
कुल बकाया राशि	-
इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि	0.08

8.4 वर्ष के दौरान क्रियान्वित की गई समाधान योजना

निधि आधारितः

(₹ बिलियन)

उधारकर्ताओं की संख्या	बकाया ऋण (पुनर्संरचना से पहले)	बकाया ऋण (पुनर्संरचना के बाद)	पुनर्संरचना के बाद वसूली राशि	यथा 31 मार्च, 2024 को बकाया राशि
5	1.39	1.28	3.19	1.28

गैर-निधि आधारितः

(₹ बिलियन)

उधारकर्ताओं की संख्या*	बकाया ऋण (पुनर्संरचना से पहले)	बकाया ऋण (पुनर्संरचना के बाद)	पुनर्संरचना के बाद वसूली राशि	यथा 31 मार्च, 2024 को बकाया राशि
-	-	-	-	-

- अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों पर आरबीआई के परिपत्र डीओआर सं. एसटीआर.आरईसी..3/21.04.048/2023-24 दिनांकित 01 अप्रैल, 2023 के अनुसार।

8.5 दबावग्रस्त आस्तियों की संवहनीय संरचना योजना (एस4ए) के अंतर्गत एक्सपोज़र

(₹ बिलियन)

विवरण		2023-24
मानक खातों के रूप में वर्गीकृत खातों की संख्या, जिन पर एस4ए लागू होता है		2
कुल बकाया राशि		-
बकाया राशि	भाग क में	2.94
	भाग ख में	2.59
किया गया प्रावधान		1.11

8.6 यथा 31 मार्च, 2024 को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत ₹ 8.21 बिलियन के बकाया ऋण के साथ 67 खातों को एनसीएलटी में दाखिल किया गया या संदर्भित किया गया, जिनके एवज में बैंक ने 100% प्रावधान किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान इन खातों से कुल ₹ 0.80 बिलियन राशि वसूल की गई।

8.7 बैंक द्वारा विवेकसम्मत ऋण सीमा से अधिक ऋण देने संबंधी मामले-एकल उधारकर्ता सीमा/समूह उधारकर्ता सीमा

क. वर्ष के दौरान विवेकसम्मत ऋण सीमा से अधिक ऋण संबंधी मामलों की संख्या और राशि

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	पैन	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कोड	उद्योग का नाम	क्षेत्र	निधिक राशि	गैर-निधिक राशि	पूँजीगत निधियों के % के रूप में एक्सपोज़र
1.	–	-	–	–	-	-	-	-

ख. पूँजीगत निधियों और कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण

वर्तमान वर्ष

(₹ बिलियन)

विवरण	पूँजीगत निधियों की तुलना में प्रतिशत*	कुल ऋण एक्सपोज़र (टीसीई) की तुलना में प्रतिशत@	कुल आस्तियों की तुलना में प्रतिशत
i) सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	18.85	1.56	1.92
ii) सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह	25.85	2.14	2.64
iii) 20 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	195.14	16.12	19.89
iv) 20 सबसे बड़े उधारकर्ता समूह	181.64	15.00	18.52

* यथा 31 मार्च, 2023 को पूँजीगत निधियां

@ टीसीई: ऋण + अग्रिम + अप्रयुक्त मंजूरियां + गारंटियां + साख पत्र + डेरिवेटिव्स पर ऋण एक्सपोज़र।

1) बैंकों और विदेशी संस्थाओं को दिए गए ऐसे ऋण, जिनके लिए भारत सरकार द्वारा गारंटी दी गई है/भारत सरकार की ओर से स्वीकृत किए गए हैं, उन्हें एकल/समूह उधारकर्ता एक्सपोज़र में शामिल नहीं किया गया है।

2) यथा 31 मार्च, 2024 को ऐसे कोई उधारकर्ता नहीं रहे, जिन्हें ऋण एक्सपोज़र विवेकसम्मत एक्सपोजर सीमा से अधिक रहा हो। इसके अलावा, ऐसे कोई उधारकर्ता समूह नहीं रहे, जिन्हें ऋण एक्सपोज़र कुल पूंजीगत निधियों के 40% की आधार सीमा से अधिक रहा हो। विवेकसम्मत एक्सपोजर सीमा से अधिक रहा हो। विवरण उपर्युक्त पैरा 8.7 क में दिया गया है।

ग. पांच सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को ऋण एक्सपोज़र

वर्तमान वर्ष:

क्षेत्र	कुल ऋण एक्सपोज़र (टीसीई) की तुलना में प्रतिशत	ऋण आस्तियों की तुलना में प्रतिशत
i. वित्तीय सेवाएं	4.71	6.97
ii. ईपीसी सेवाएं	4.33	6.40
iii. रसायन और रंजक (डाई)	3.26	4.83
iv. लौह धातुएं और धातु प्रसंस्करण	3.19	4.72
v. पेट्रोलियम उत्पाद	3.12	4.62

- "ऋण एक्सपोज़र" की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित अनुसार की गई है।
- उद्योग एक्सपोज़र की गणना के लिए बैंकों और विदेशी संस्थाओं को दिया गया वह ऋण जिसके लिए भारत सरकार द्वारा/भारत सरकार की ओर से गारंटी दी गई है को, भारत सरकार की ओर से दिया गया ऋण माना गया है और उसे इसमें शामिल नहीं किया गया है।

घ. अप्रतिभूतित अग्रिम

(₹ बिलियन)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2024 को
बैंक के कुल अप्रतिभूतित अग्रिम	249.73
i) जिसमें से कॉर्पोरेट / व्यक्तिगत गारंटियों, वचन पत्रों, ट्रस्ट रसीदों आदि जैसे अमूर्त आस्तियों के एवज में बकाया अग्रिम की राशि	10.82
ii) उपर्युक्त (i) में उल्लिखित अनुसार अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	4.49

ङ. फैक्टरिंग एक्सपोज़र

फैक्टरिंग व्यवस्था के अंतर्गत बैंक का कोई एक्सपोज़र नहीं है।

च. वर्ष के दौरान वित्तीय संस्था द्वारा पार की गई विवेकसम्मत ऋण सीमा वाले एक्सपोज़र

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	पैन	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कोड	उद्योग का नाम	क्षेत्र	निधिक राशि	गैर-निधिक राशि	पूँजीगत निधियों के % के रूप में एक्सपोज़र
1.	-	-	-	-	-	-	-	-

9. उधारियों/ऋण-व्यवस्थाओं, ऋण एक्सपोज़रों और अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

(क) उधारियों और ऋण-व्यवस्थाओं का संकेंद्रण

(₹ बिलियन)

विवरण	2023-24
20 सबसे बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियां	409.50
बैंक की कुल उधारियों की तुलना में 20 सबसे बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियों का प्रतिशत	26.49%

(ख) ऋण एक्सपोज़रों का संकेंद्रण

(₹ बिलियन)

विवरण	2023-24
20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल एक्सपोज़र	381.89
बैंक के कुल अग्रिमों की तुलना में 20 सबसे बड़े ऋणदाताओं को कुल एक्सपोज़र का प्रतिशत	23.83%
20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र	381.89
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोज़र की तुलना में 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को एक्सपोज़र का प्रतिशत	16.12%
एक्ज़िम बैंक के मामले में, कुल एक्सपोज़र की तुलना में शीर्ष 10 देशों के एक्सपोज़र का प्रतिशत	36.87%

ऋण और निवेश एक्सपोज़र पर आधारित एक्सपोज़र की गणना वित्तीय संस्थाओं के लिए एक्सपोज़र मानदंडों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र संख्या डीबीआर.एफआईडी.एफआईसी.संख्या 4/01.02.00/2015-16 दिनांकित 01 जुलाई, 2015 के अनुसार की गई है।

(ग) ऋणों और अनर्जक आस्तियों का क्षेत्रवार संकेंद्रण

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	क्षेत्र	2023-24		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत
क	**घरेलू क्षेत्र**	**462.46**	**6.18**	**1%**
1	**कुल निर्यात वित्त**	**340.74**	**4.62**	**1%**
	कृषि क्षेत्र	-	-	-
	औद्योगिक क्षेत्र	**303.84**	**4.14**	**1%**
	लौह धातुएं और धातु प्रसंस्करण	41.91	-	0%
	रसायन और रंजक	22.73	0.07	0%
	पेट्रोलियम उत्पाद	70.08	-	0%
	विद्युत	2.14	0.14	6%
	अन्य	166.98	3.93	2%
	सेवा क्षेत्र	**36.90**	**0.48**	**1%**
	वित्तीय सेवाएं	-	-	-
	अन्य	36.90	0.48	1%
2	**कुल आयात वित्त**	**121.72**	**1.56**	**1%**
	कृषि क्षेत्र	-	-	-
	औद्योगिक क्षेत्र	**74.44**	**1.56**	**2%**
	लौह धातु और धातु प्रसंस्करण	2.19	-	0%
	रसायन और रंजक	12.80	-	0%
	विद्युत	42.11	1.56	4%

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	क्षेत्र	2023-24		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत
	अन्य	17.34	-	0%
	सेवा क्षेत्र	**47.28**	**-**	**0%**
	वित्तीय सेवाएं	44.70	-	0%
	अन्य	2.58	-	0%
3	(क) में से भारत सरकार द्वारा गारंटित एक्सपोज़र	-	-	-
ख	बाह्य क्षेत्र	**147.87**	**8.77**	**6%**
1	कुल निर्यात वित्त	**147.87**	**8.77**	**6%**
	कृषि क्षेत्र	**-**	**-**	**-**
	औद्योगिक क्षेत्र	**86.39**	**6.26**	**7%**
	लौह धातु और धातु प्रसंस्करण	12.30	-	0%
	रसायन और रंजक	13.11	-	0%
	विद्युत	8.18	3.73	46%
	पेट्रोलियम उत्पाद	-	-	0%
	अन्य	52.80	2.53	5%
	सेवा क्षेत्र	**61.47**	**2.50**	**4%**
	वित्तीय सेवाएं	44.18	-	0%
	अन्य	17.29	2.50	14%
2	कुल आयात वित्त	-	-	-
	कृषि क्षेत्र	-	-	-
	औद्योगिक क्षेत्र	-	-	-
	सेवा क्षेत्र	-	-	-
3	(ख) में से भारत सरकार द्वारा गारंटित एक्सपोज़र	-	-	-
ग	अन्य एक्सपोज़र#	**992.13**	**16.07**	**2%**
घ	कुल एक्सपोज़र (क+ख+ग)	**1,602.46**	**31.01**	**1.94%**

#इसमें ऋण–व्यवस्थाओं, राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अंतर्गत क्रेता ऋण, रियायती वित्त योजना, वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्वित्त और बैंकों द्वारा प्रति–गारंटित अग्रिम शामिल हैं।

घ. हेज न किया गया विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र

बैंक ने आरबीआई के मास्टर निदेश डीबीआर.एफआईडी.सं. 108/01.02.000/2015-16 दिनांकित 23 जून, 2016 के अनुसार, पूँजी के प्रावधान की आवश्यकताओं के संबंध में एक आंतरिक नोट के अनुसार अरक्षित (हेज न किया गया) विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र वाली कंपनियों को एक्सपोज़र के लिए वृद्धिशील रूप से प्रावधान करने के नियम को लागू किया है। यथा 31 मार्च, 2024 को मुद्रा उत्प्रेरित ऋण जोखिम के लिए ₹ 1.04 बिलियन की राशि रखी गई और मुद्रा उत्प्रेरित ऋण जोखिम के लिए आवंटित पूँजी ₹ 20.36 बिलियन रही।

10. डेरिवेटिव

10.1 वायदा दर करार एवं ब्याज दर स्वाप

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	विवरण	2023-24	
		हेजिंग	ट्रेडिंग
1.	स्वाप करारों का मूल कल्पित मूल्य	573.75	-
2.	प्रतिपक्षी पार्टी द्वारा करार के दायित्वों का निर्वहन न करने पर संभावित हानि	1.08	-
3.	स्वाप करारों के लिए बैंक द्वारा अपेक्षित कोलैटरल	-	-
4.	स्वाप्स से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण	सभी संव्यवहार अनुमोदित ऋण जोखिम सीमाओं के अंदर हैं।*	-
5.	स्वाप बही का सही मूल्य	(43.66)	-

*सभी ब्याज दर स्वाप बैंकों के साथ किए गए हैं।

स्वाप की प्रकृति तथा शर्तें: सभी संव्यवहार बैंक की आस्तियों/देयताओं से संबंधित हैं तथा इन्हें बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन स्थिति की हेजिंग के उद्देश्य से किया गया है।

(₹ बिलियन)

लिखत	प्रकृति	संख्या	अनुमानित मूलधन	बेंचमार्क	शर्तें
आईआरएस	हेजिंग	13	208.50	6एम सोफर	फिक्स्ड प्राप्तियां बनाम फ्लोटिंग देय
आईआरएस	हेजिंग	1	20.85	3एम सोफर	फिक्स्ड प्राप्तियां बनाम फ्लोटिंग देय
आईआरएस	हेजिंग	4	95.91	6एम सोफर	फिक्स्ड प्राप्तियां बनाम फ्लोटिंग देय
आईआरएस	हेजिंग	1	0.74	टोना	फिक्स्ड प्राप्तियां बनाम फ्लोटिंग देय
आईआरएस	हेजिंग	13	231.43	सोफर	फिक्स्ड प्राप्तियां बनाम फ्लोटिंग देय
आईआरएस	हेजिंग	2	16.30	आईएनटीबीफिक्स 3एम	फिक्स्ड प्राप्तियां बनाम फ्लोटिंग देय
	कुल	**34**	**573.73**		

10.2 एक्सचेंजों में खरीदे-बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव

क्र. सं.	विवरण	राशि
1.	वर्ष के दौरान एक्सचेंजों में खरीदे-बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव की सांकेतिक मूल राशि	-
2.	यथा 31 मार्च, 2024 को एक्सचेंजों में खरीदे-बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव की बकाया सांकेतिक मूल राशि	-
3.	एक्सचेंजों में खरीदे-बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव की बकाया सांकेतिक मूल राशि किंतु "हाइली इफेक्टिव" नहीं	-
4.	एक्सचेंजों में खरीदे-बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव का बकाया मार्क-टू-मार्केट मूल्य किंतु "हाइली इफेक्टिव" नहीं	-

10.3 डेरिवेटिव्स में जोखिम एक्सपोज़र का प्रकटन

क. गुणात्मक प्रकटन

1. बैंक बाजार जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से मुख्यतः अपने तुलन-पत्र जोखिमों को हेज करने तथा प्रभावी न्यून लागत निधियों को जुटाने के लिए वित्तीय डेरिवेटिव का उपयोग करता है। बैंक वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत केवल ओवर दि काउंटर (ओटीसी) ब्याज दर तथा मुद्रा डेरिवेटिव्स का ही उपयोग करता है।

2. डेरिवेटिव संव्यवहारों में दो जोखिम (i) बाजार जोखिम अर्थात ब्याज दरों/विनिमय दरों के प्रतिकूल प्रचलन से बैंक को संभावित हानि तथा (ii) ऋण जोखिम अर्थात प्रतिपक्षी पार्टी द्वारा अपने दायित्व के निर्वहन में चूक से हानि की संभावना, विहित रहते हैं। बैंक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक डेरिवेटिव नीति है, जिसका उद्देश्य जोखिम प्रबंधन की दृष्टि से समग्र आस्ति

देयता स्थिति को संव्यवहार स्तर पर ही प्रबंधित कर लेना है। यह नीति बैंक के व्यवसाय लक्ष्यों के अनुरूप अनुमत डेरिवेटिव उत्पादों के प्रयोग को परिभाषित करती है, नियंत्रण एवं निगरानी प्रणाली निर्धारित करती है और नियामकीय, प्रलेखन तथा लेखा संबंधी विषयों के बारे में बताती है। इसमें बाजार जोखिम को नियंत्रित करने तथा प्रबंध करने (स्टॉप लॉस लिमिट, ओपन पोजिशन लिमिट, टेनर लिमिट, सेटलमेंट तथा प्री सेटलमेंट रिस्क लिमिट, पीवी01 लिमिट आदि) संबंधी जोखिम मानदंडों को भी निर्धारित किया गया है।

3. बैंक की आस्ति–देयता प्रबंधन समिति (एल्को) बैंक के मिड ऑफिस, जो डेरिवेटिव संव्यवहारों से जुड़े बाजार जोखिमों का आंकलन और निगरानी करता है, की सहायता से बाजार जोखिम प्रबंधन कार्य की देखरेख करती है।

4. यथा 31 मार्च, 2024 को बैंक की बहियों में बकाया सभी डेरिवेटिव संव्यवहारों को हेजिंग के उद्देश्य से किया गया है तथा एएलएम बही में दर्शाया गया है। इन संव्यवहारों पर आय को बीमांकिक आधार पर हिसाब में लिया गया है।

5. आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत बकाया वायदा दर संविदाओं में ब्याज दर आईआरएस तथा करंसी स्वाप शामिल नहीं हैं जो डेरिवेटिव नीति के अनुपालन में है।

ख. क्वांटिटेटिव प्रकटन

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	विवरण	2023-24 करंसी डेरिवेटिव्स	2023-24 ब्याज दर डेरिवेटिव्स
1	डेरिवेटिव (कल्पित मूल राशि)		
	क) हेजिंग के लिए	233.11	573.74
	ख) ट्रेडिंग के लिए	-	-
2	मार्क्ड–टू–मार्केट स्थितियां	-	-
	क) आस्ति (+)	-	-
	ख) देयता (–)	(40.86)	(43.66)
3	ऋण एक्सपोजर	9.18	4.26
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01)		
	क) हेजिंग डेरिवेटिव पर	5.43	21.57
	ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर	-	-
5	वर्ष के दौरान 100*पीवी 01 का अधिकतम और न्यूनतम		
	क) हेजिंग पर		
	(i) अधिकतम	8.01	25.25
	(ii) न्यूनतम	5.43	21.57
	ख) ट्रेडिंग पर		
	(i) अधिकतम	-	-
	(ii) न्यूनतम	-	-

11. बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र

वर्ष (वित्तीय वर्ष 2023-24) के दौरान, बैंक द्वारा कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया गया और बकाया प्रतिबद्धताओं के लिए कोई वित्तीय उत्तरदायित्व नहीं रहा। यथा 31 मार्च, 2024 को, साख पत्र / आपाती साख पत्रों के अंतर्गत बैंक का बकाया एक्सपोज़र कुल ₹ 2.56 बिलियन का है, जिसके एवज में बैंक द्वारा ₹ 3.29 बिलियन का चुकौती आश्वासन पत्र प्राप्त किया गया है।

12. आस्ति–देयता प्रबंधन

वर्तमान वर्ष:

(₹ बिलियन)

विवरण	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 माह	3 माह से 6 माह तक	6 माह से 1 साल तक	1 साल से 3 साल तक	3 साल से 5 साल तक	5 साल से ज्यादा	कुल
रुपया अग्रिम	22.37	22.94	92.55	87.68	101.51	57.45	45.06	33.93*	463.50
रुपया निवेश	0.00	7.48	13.60	12.27	23.52	27.48	14.45	65.71	164.50
रुपया अन्य आस्तियां	60.26	12.52	71.21	35.55	81.26	233.14	154.71	318.23	966.88
रुपया जमा राशियां	0.02	0.00	5.14	0.07	18.63	0.39	0.09	0.00	24.34
रुपया उधारियां	55.27	14.91	189.11	0.00	59.12	159.45	69.75	46.75	594.36
रुपया अन्य देयताएं	8.90	18.04	22.12	29.59	76.73	110.69	13.03	291.56	570.66
विदेशी मुद्रा आस्तियां	38.20	18.91	39.04	83.20	168.30	609.69	382.41	738.69	2,078.44
विदेशी मुद्रा देयताएं	40.84	20.08	48.76	103.27	222.25	794.27	539.22	438.05	2,206.74

(*) ऋण प्रावधानों के निवल

13. आरक्षित निधियों से आहरण

बैंक द्वारा आरक्षित निधियों से कोई राशि नहीं निकाली गई है।

14. व्यवसाय अनुपात

विवरण	2023-24
इक्विटी पर रिटर्न	15.83%
आस्तियों पर रिटर्न	1.47%
प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ बिलियन)	0.07

15. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने अथवा अधिनियम, आदेश, नियम अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अपेक्षित शर्त के उल्लंघन के लिए कोई दंड नहीं लगाया गया।

16. शिकायतों का प्रकटीकरण

ग्राहक शिकायतें

क्र. सं.	विवरण	2023-24
(क)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतें	-
(ख)	वर्ष के दौरान मिली शिकायतें	1
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	1
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतें	-

17. तुलन पत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखा मानकों के अनुरूप समेकित किया जाना है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
घरेलू	विदेशी
-	-

विशिष्ट लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

18. अचल आस्तियों का विवरण

वर्तमान वर्ष:

अचल आस्तियों का विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा अचल आस्तियों के लिए जारी लेखा मानक-10 के अनुसार नीचे दिया गया है।

(₹ बिलियन)

विवरण		परिसर	अन्य	कुल
सकल ब्लॉक				
यथा 31 मार्च, 2023 को लागत		5.24	1.87	7.11
परिवर्द्धन		0.12	0.37	0.49
निपटान		0.05	0.05	0.10
यथा 31 मार्च, 2024 को लागत	(क)	**5.31**	**2.19**	**7.50**
मूल्यह्रास				
यथा 31 मार्च, 2023 को संचित		1.93	1.44	3.37
वर्ष के दौरान प्रावधान		0.23	0.32	0.55
निपटान पर हटाया गया		-	0.05	0.05
यथा 31 मार्च, 2024 को संचित	(ख)	**2.16**	**1.71**	**3.87**
निवल ब्लॉक (क-ख)		**3.15**	**0.48**	**3.63**

19. सरकारी अनुदानों का लेखा

भारत सरकार ने बैंक द्वारा विदेशी सरकारों, विदेशी बैंकों/संस्थाओं को प्रदान की गई विशिष्ट ऋण-व्यवस्थाओं के प्रति बैंक को ब्याज समकरण राशि अदा करने के लिए सहमति दी है और उसे उपचय (अक्रुअल) आधार पर हिसाब में लिया गया है।

20. खंड रिपोर्टिंग

बैंक के परिचालनों में केवल एक व्यवसाय खंड शामिल है अर्थात वित्तीय गतिविधियां, अतएव इसे एकल व्यवसाय खंड वाली संस्था के रूप में माना गया है।

बैंक के भौगोलिक परिचालन खंडों को घरेलू परिचालनों एवं अंतरराष्ट्रीय परिचालनों में वर्गीकृत किया गया है। इन परिचालनों का घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय खंड में वर्गीकरण मुख्यतः संव्यवहार के जोखिम तथा प्रतिफल पर आधारित है।

(₹ बिलियन)

विवरण	घरेलू परिचालन	अंतरराष्ट्रीय परिचालन	कुल
	2023-24	2023-24	2023-24
राजस्व	147.76	6.77	154.53
आस्तियां	1,805.22	114.30	1919.52

21. संबंधित पक्षकार प्रकटन

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक-18 के अनुसार, बैंक के संबंधित पक्षकारों का प्रकटन निम्नलिखित अनुसार है:

- **संबंध**

  (i) सहायक कंपनी:

  – इंडिया एक्ज़िम फिनसर्व आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड (पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

  (ii) संयुक्त उपक्रम:

  – जीपीसीएल कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड
  – कुकुज़ा परियोजना विकास कंपनी

  (iii) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक अधिकारी:

  – सुश्री हर्षा बंगारी (प्रबंध निदेशक)
  – श्री तरुण शर्मा (उप प्रबंध निदेशक)
  – श्री एन. रमेश (उप प्रबंध निदेशक 22 नवंबर, 2023 तक)
  – श्री मुकुल सरकार, मुख्य जोखिम अधिकारी
  – सुश्री दीपाली अग्रवाल, मुख्य वित्तीय अधिकारी
  – सुश्री मंजिरी भालेराव, मुख्य अनुपालन अधिकारी
  – सुश्री रीमा मारफतिया, आंतरिक लेखा परीक्षा की प्रमुख
  – श्री उत्पल गोखले, बोर्ड सचिव (01 फरवरी, 2024 से प्रभावी)
  – सुश्री प्रीती थॉमस, बोर्ड सचिव (31 जनवरी, 2024 तक)
  – सुश्री सिद्धि केलुसकर, अनुपालन अधिकारी
  – श्री मुकुल अग्रवाल, मुख्य तकनीकी अधिकारी

- बैंक से संबंधित पक्षकार शेष राशियों तथा लेन–देनों का सारांश नीचे दिया गया है:

(₹ मिलियन)

विवरण	संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
	2023-24	2023-24
प्रदत्त ऋण	-	8.50
जारी गारंटियां	-	-
प्राप्त ब्याज	-	0.01
प्राप्त गारंटी कमीशन	-	-
प्रदत्त सेवाओं के एवज में प्राप्त भुगतान	-	-
स्वीकार की गई सावधि जमा राशियां	-	10.10
सावधि जमा राशियों पर ब्याज	-	1.80
बट्टाकृत / अपलेखीकृत की गई राशियां	-	-
बकाया सावधि जमा राशियां	-	29.03
वर्ष के अंत में बकाया ऋण	-	8.40
वर्ष के अंत में बकाया गारंटियां	-	-
वर्ष के अंत में बकाया निवेश (प्रावधानों के निवल)	3.23	-
प्राप्त लाभांश	0.70	-
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया ऋण	-	15.87
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया गारंटियां	-	-
परिलब्धियों सहित वेतन	3.85	44.30
भुगतान किया गया किराया	0.90	-
व्ययों की प्रतिपूर्ति	0.53	-
निदेशक की प्राप्त फीस	0.04	-
परामर्श के लिए भुगतान की गई फीस	17.52	-

22. आय पर कर के संबंध में लेखांकन

(क) कर के लिए प्रावधान संबंधी विवरण:

(₹ बिलियन)

विवरण	2023-24
आय पर कर	8.07
जोड़ें: निवल आस्थगित कर देयता	0.11
कुल	8.18

(ख) आस्थगित कर आस्ति:

प्रमुख करों के संदर्भ में आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं का संयोजन नीचे दिया गया है:

(₹ बिलियन)

विवरण	2023-24
आस्थगित कर आस्तियां	
1. अस्वीकृत प्रावधान (निवल)	21.43
2. अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	0.05
घटाएं: आस्थगित कर देयता	
1. अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	-
2. बॉन्ड निर्गम व्ययों का परिशोधन	0.59
3. धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	3.12
निवल आस्थगित कर आस्तियां [तुलन-पत्र के 'आस्तियां' पक्ष में 'अन्य आस्तियां' में शामिल]	17.77

23. संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग

I.

संयुक्त रूप से नियंत्रित की गई इकाइयां			वर्तमान वर्ष
क	जीपीसीएल कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड	भारत	28.10%
ख	कुकुज़ा परियोजना विकास कंपनी	मॉरीशस	36.36%

II. संयुक्त उपक्रमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी लेखा मानक-27 के अनुसार, आनुपातिक समेकन पद्धति का प्रयोग करते हुए संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में हितों से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय की कुल राशि निम्नलिखित अनुसार है:

(₹ मिलियन)

देयताएं	2023-24	आस्तियां	2023-24
पूँजी एवं आरक्षित निधियां	42.71	अचल आस्तियां	0.23
ऋण	-	निवेश	11.06
अन्य देयताएं	4.98	अन्य आस्तियां	36.39
कुल	47.69	कुल	47.69

आकस्मिक देयताएं: शून्य

(₹ मिलियन)

व्यय	2023-24	आय	2023-24
ब्याज और वित्तपोषण व्यय	0.01	परामर्शी आय	16.25
अन्य व्यय	11.95	ब्याज आय तथा निवेश से आय	2.74
प्रावधान	2.19	अन्य आय	0.25
लाभ	5.09		
कुल	19.24	कुल	19.24

कुकुज़ा परियोजना विकास कंपनी (केपीडीसी) बैंक की मॉरीशस में एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। अफ्रीकी विकास बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज़ (आईएल एंड एफएस) समूह इसके अन्य शेयरधारक हैं। चूंकि पिछले 3 वित्तीय वर्षों से केपीडीसी नुकसान में है और केपीडीसी का परिचालन सस्टैनेबल न होने के कारण शेयरधारकों की 10 मार्च, 2023 को आयोजित एक विशेष बैठक में शेयरधारकों ने केपीडीसी के परिचालन को बंद करने संबंधी संकल्प पारित किया। इसके बाद

केपीडीसी को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। केपीडीसी बंद करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त किया गया है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केपीडीसी का वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं है और वित्तीय वर्ष 2022-23 की वित्तीय लेखा परीक्षा प्रक्रियाधीन है। बैंक को केपीडीसी बंद करने की प्रक्रिया में होने वाले सभी व्ययों का भुगतान अन्य शेयरधारकों के साथ करना आवश्यक है। चूंकि व्यय की इस राशि का निर्धारण अभी नहीं हुआ है, इसलिए इसे बैंक की आकस्मिक देयता में शामिल नहीं किया गया है।

24. आस्तियों का ह्रास

बैंक की आस्तियों में अधिकांश आस्तियां "वित्तीय आस्तियां" हैं, जिन पर "आस्तियों का ह्रास" संबंधी लेखा मानक 28 लागू नहीं होता है। बैंक की राय में, जिन आस्तियों पर ये मानक लागू होते हैं, उनमें उक्त लेखा मानकों के संबंध में हिसाब में लेने के लिए यथा 31 मार्च, 2024 को कोई ह्रास नहीं हुआ है।

25. कर्मचारी लाभ

बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा कर्मचारी लाभों पर यथा 01 अप्रैल, 2007 से जारी लेखा मानक–15 को अपनाया है। कर्मचारी लाभों से उत्पन्न देयता को बैंक की बहियों में दायित्व के विद्यमान मूल्य पर हिसाब में लिया गया है, जिसमें तुलन–पत्र की तारीख को आयोजनागत आस्तियों के सही मूल्य को घटाया गया है।

क) तुलन–पत्र में हिसाब में ली गई राशि

(₹ बिलियन)

विवरण	पेंशन निधि	ग्रेच्युटी
अवधि के अंत में आयोजनागत आस्तियों का सही मूल्य	1.76	0.32
अवधि के अंत में हित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	(1.87)	(0.35)
निधीयन स्थिति	(0.11)	(0.03)
अवधि के अंत में हिसाब में न ली गई पूर्व सेवा लागत	-	-
अवधि के अंत में हिसाब में न ली गई परिवर्ती देयता	-	-
तुलन पत्र में हिसाब में ली गई निवल देयता	(0.11)	(0.03)

ख) लाभ और हानि खाते में हिसाब में लिया गया व्यय

(₹ बिलियन)

विवरण	पेंशन निधि	ग्रेच्युटी
वर्तमान सेवा लागत	0.04	0.02
ब्याज लागत	0.13	0.02
योजना आस्तियों पर संभावित रिटर्न	0.12	0.02
बीमांकिक हानि/(लाभ)	0.08	0.01
विगत सेवा लागत – गैर–निहित लाभ	-	-
विगत सेवा लागत – निहित लाभ	-	-
परिवर्ती देयता	-	-
लाभ और हानि खाते में हिसाब में लिया गया व्यय	0.12	0.03
नियोक्ता द्वारा अंशदान	0.09	-

ग) बीमांकिक अनुमानों का सारांश

विवरण	पेंशन निधि	ग्रेच्युटी
बट्टा दर (प्रति वर्ष)	7.52%	7.49%
आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर (प्रति वर्ष)	7.52%	7.49%
वेतन वृद्धि दर (प्रति वर्ष)	7.00%	7.00%

उपरोक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए छुट्टी नकदीकरण की परिभाषित लाभ दायित्व की राशि ₹ 0.185 बिलियन रही, जिसका पूर्णतः प्रावधान किया जा चुका है।

26. सेबी के दिनांक 29 अक्टूबर, 2013 के परिपत्र के अनुपालन में भारतीय निर्यात–आयात बैंक द्वारा जारी किए गए विभिन्न बॉन्डों के लिए डिबेंचर ट्रस्टी का संपर्क विवरण नीचे दिया गया है:

डिबेंचर ट्रस्टी

ऐक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड

प्राधिकृत व्यक्ति: श्री अनिल ग्रोवर, ऑपरेशंस हेड
सुश्री दीपा रथ, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पता:

पंजीकृत कार्यालय:

ऐक्सिस हाउस,
बॉम्बे डाइंग मिल्स कंपाउंड,
पांडुरंग बुधकर मार्ग,
वर्ली, मुंबई – 400 025

कॉर्पोरेट कार्यालय:

द रूबी, दूसरी मंज़िल, एसडब्ल्यू
29, सेनापति बापट मार्ग,
दादर पश्चिम, मुंबई – 400 028

फोन: (022) 62300451
ईमेल: Debenturetrustee@axistrustee.in
वेबसाइट: www.axistrustee.in

27. आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की शुरुआत, कोविड–19 महामारी के कारण आर्थिक दबाव में आए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सहायता प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित ₹ 20 लाख करोड़ के व्यापक पैकेज के हिस्से के रूप में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा अपने मौजूदा उधारकर्ताओं को निम्नलिखित विवरण के अनुसार सहायता प्रदान की गई:

(₹ बिलियन)

योजना	2023-24			
	मंजूरी	संवितरित*	बकाया	
			उधारकर्ताओं की संख्या	राशि
ईसीएलजीएस 1.0	-	-	4	0.08
ईसीएलजीएस 2.0	-	0.03	12	0.67
ईसीएलजीएस 3.0	-	0.21	1	0.22
कुल योग	**-**	**0.24**	**17**	**0.97**

(*) वित्तीय वर्ष 2020–21 और 2021–22 के दौरान मंजूर ऋणों के लिए किए गए संवितरण शामिल हैं।

28. यह समेकन का पहला वर्ष होने के कारण, पिछले वर्ष के तुलनात्मक आंकड़े समेकित वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

श्री तरुण शर्मा
उप प्रबंध निदेशक

सुश्री हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

श्री दम्मू रवि

सुश्री हिमानी पांडे

सुश्री अपर्णा भाटिया

डॉ. अभिजीत फुकन

श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ

श्री दिनेश कुमार खारा

श्री एम. वी. राव

श्री अशोक कुमार गुप्ता

कृते जीएमजे एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 103429W

(सीए अतुल जैन)
पार्टनर सदस्यता
सं. 037097

स्थान: मुंबई
दिनांक: 10 मई, 2024

निदेशकों की रिपोर्ट

निर्यात विकास कोष

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय ने भारत से ईरान को वस्तुओं और सेवाओं के निर्यातों के वित्तपोषण के लिए चुनिंदा ईरानी बैंकों को ₹ 9 बिलियन की क्रेता ऋण सुविधा के रूप में निर्यात विकास कोष (ईडीएफ) से राशि प्रदान करने के लिए एक्ज़िम बैंक अधिनियम की धारा 17(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार का अनुमोदन सूचित किया। सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, भारत से ईरान को वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के वित्तपोषण के लिए ईडीएफ के अंतर्गत सात ईरानी बैंकों को ₹ 9 बिलियन की क्रेता–ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए 23 दिसंबर, 2014 को अम्ब्रेला फ्रेमवर्क करार पर हस्ताक्षर किए गए। ईरानी बैंकों को प्रदान की जाने वाली इस क्रेता ऋण सुविधा को ईरान सरकार की संप्रभु गारंटी प्राप्त है। तत्पश्चात, भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार, भारत से स्टील रेलों के आयात के वित्तपोषण और ईरान में चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए इस क्रेता ऋण सुविधा की राशि ₹ 30 बिलियन तक बढ़ाई गई।

इस फ्रेमवर्क करार के अंतर्गत, भारत से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के रेलवे को 150,000 टन स्टील रेलों की आपूर्ति के लिए ₹ 8.19 बिलियन मूल्य के प्रथम कॉन्ट्रैक्ट को क्रेता ऋण सुविधा के अंतर्गत अनुमोदित किया गया था। राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) ट्रस्ट ने उक्त ऋण सुविधा के लिए प्रथम कॉन्ट्रैक्ट को कवर करते हुए क्रेता ऋण (व्यापक जोखिम) कवर प्रदान किया है।

इस ऋण सुविधा के अंतर्गत कुल ₹ 8.11 बिलियन के संवितरण किए जा चुके हैं और कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत भौतिक तथा वित्तीय पूर्णता प्राप्त कर ली गई है। चुकौती में लंबे समय से चूक के चलते, एनईआईए ट्रस्ट से कवर को इन्वोक किया गया है और वित्तीय वर्ष के दौरान इस ऋण सुविधा के अंतर्गत संपूर्ण बकाया मूलधन की वसूली कर ली गई है। यथा 31 मार्च, 2024 को इस ऋण सुविधा के अंतर्गत बकाया राशि शून्य रही।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में
भारत के राष्ट्रपति

लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों संबंधी रिपोर्ट

अभिमत

हमने भारतीय निर्यात–आयात बैंक ('बैंक') के निर्यात विकास कोष वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा कर ली है, जिसमें यथा 31 मार्च, 2024 को तुलन–पत्र एवं उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखे तथा वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां और महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त ये वित्तीय विवरण भारतीय निर्यात–आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 2020 के विनियम 14(i), भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा अधिसूचित लेखांकन मानकों तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं और यथा 31 मार्च, 2024 को बैंक की वित्तीय स्थिति, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का लाभ संबंधी स्थिति की सत्य एवं सही स्थिति प्रकट करते हैं।

अभिमत का आधार

हमने आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार लेखा परीक्षा की। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों का विवरण, हमारी रिपोर्ट के 'वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा' खंड में 'लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व' में दिया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक संहिता और विशिष्ट वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा से जुड़ी नैतिक अपेक्षाओं के अनुरूप बैंक से किसी प्रकार से संबद्ध नहीं है तथा हमने इन अपेक्षाओं एवं नैतिक संहिता के अनुरूप अपने नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमारा मत है कि हमें मिले लेखा परीक्षा संबंधी साक्ष्य पर्याप्त हैं और हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए समुचित हैं।

वित्तीय विवरण और इसके संबंध में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारियों के लिए बैंक का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य जानकारियों में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, किंतु वित्तीय विवरण और उस संबंध में हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। बैंक की वार्षिक रिपोर्ट हमें इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा है।

वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य जानकारी को कवर नहीं किया गया है और इस संबंध में हम किसी भी रूप में कोई आश्वासन / निष्कर्ष अभिव्यक्त नहीं करते हैं। वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व ऊपर चिह्नित की गई अन्य जानकारी को पढ़ना है, और इसे पढ़ते हुए इस पर विचार करना है कि यह अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों में दी गई जानकारी से वस्तुतः असंगत तो नहीं है, या लेखा परीक्षा में ली गई हमारी जानकारी या अन्यथा कोई जानकारी गलत तो नहीं है।

यदि, इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से पूर्व में हमें मिली अन्य जानकारी पर हमारे द्वारा किए गए काम के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह अन्य जानकारी गलत है तो हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हुए, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें कहीं कुछ गलत बयानी है तो हम उन मामलों को गवर्नेंस प्राधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे।

वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन और गवर्नेंस प्रभारियों के उत्तरदायित्व

बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह की सत्य एवं सही स्थिति दर्शाने वाले इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए बैंक का प्रबंधन उत्तरदायी है। ये वित्तीय विवरण भारतीय निर्यात–आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 2020 और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं। बैंक में शामिल संबंधित इकाइयों के प्रबंधन आस्तियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों के रखरखाव और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनके पता

लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनप्रयोग करने; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेने एवं आकलन करने; और ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित करने, उन्हें कार्यान्वित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं, जो सत्य और सही स्थिति बताने वाले, तथा धोखाधड़ी या त्रुटी के कारण होने वाली किसी भी भौतिक चूक से मुक्त, वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए संबंधित लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

वित्तीय विवरण तैयार करने में बैंक में शामिल इकाइयों के संबंधित प्रबंधन, बैंक के परिचालन को जारी रखने के लिए समूह की क्षमता का मूल्यांकन करने, परिचालन जारी रखने संबंधी मामलों के यथा लागू अनुसार प्रकटीकरण, और जब तक कि भारत सरकार बैंक को लिक्विडेट न करना चाहे या परिचालन बंद न करना चाहे, या ऐसा करने के अलावा कोई उचित विकल्प न हो, तब तक लेखांकन के आधार पर परिचालन जारी रखने के लिए उत्तरदायी है।

बैंक का प्रबंधन बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन हासिल करना और अपने अभिमत को शामिल करते हुए लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है कि इन एकल वित्तीय विवरणों में किसी भी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के चलते किसी भी तरह के मिथ्या कथन नहीं हैं। तर्कसंगत आश्वासन, उच्च स्तरीय आश्वासन हैं, किन्तु इस बात की गारंटी नहीं है कि इनमें यदि कोई गंभीर मिथ्या कथन हुए तो लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की गई इस लेखा परीक्षा में उनका पता लगा ही लिया जाएगा।

मिथ्या कथन धोखाधड़ी या त्रुटि के चलते आ सकते हैं और ये तब ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, जब इन वित्तीय विवरणों के आधार पर इनके उपयोक्ताओं द्वारा अलग–अलग या सामूहिक रूप से लिए गए उनके आर्थिक निर्णय प्रभावित होते हों।

लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की गई इस लेखा परीक्षा के क्रम में, हम प्रोफेशनल निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान इसी प्रोफेशनल दृष्टि से तथ्यों को परखते हैं। हमारे उत्तरदायित्वों में निम्नलिखित भी शामिल हैं:

- धोखाधड़ी या त्रुटि के चलते, वित्तीय विवरणों के महत्त्वपूर्ण मिथ्या कथन के जोखिमों का निर्धारण और मूल्यांकन, उन जोखिमों की प्रतिक्रियास्वरूप लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन करना और उनका निष्पादन करना तथा हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समुचित लेखा परीक्षा साक्ष्य हासिल करना। किसी धोखाधड़ी आधारित गंभीर मिथ्या कथन का जोखिम, किसी त्रुटि आधारित मिथ्या कथनों की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, मिथ्या प्रस्तुति, अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना करना शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों के अनुसार यथोचित लेखा प्रक्रियाएं डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ विकसित करना।
- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन आकलन की तार्किकता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करना।
- व्यवसाय की निरंतरता जारी रखने के संबंध में उच्च प्रबंधन द्वारा अपनाई जा रही लेखांकन पद्धतियों की हासिल किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर जांच करना, इसकी उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना और यह सुनिश्चित करना कि घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई महत्त्वपूर्ण अनिश्चितता तो नहीं है, जो बैंक के व्यवसाय जारी रखने के संबंध में कोई शंका पैदा करती हो। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऐसी कोई आशंका है तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में एकल वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों में इस ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक होता है अथवा यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होते हैं, तो अपना अभिमत बदलना पड़ता है। हमारे निष्कर्ष, हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक हासिल किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं।
- प्रकटीकरणों सहित एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना और देखना कि एकल वित्तीय विवरण निहित संव्यवहारों और कार्यों को उचित रूप में प्रस्तुत करते हैं।

हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान चिह्नित किए गए किसी गंभीर विचलन सहित अन्य मामलों में, गवर्नेंस से जुड़े व्यक्तियों को लेखा परीक्षा के नियोजित स्कोप और समय तथा महत्त्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष सूचित करते हैं।

हम गवर्नेंस से जुड़े व्यक्तियों को यह कथन भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित सभी संबंधित नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और उन्हें सभी संबंधों तथा अन्य मामलों और जहां कहीं लागू हो, संबंधित सेफगार्ड के बारे में सूचित करते हैं, जिन्हें हमारी स्वतंत्रता के लिए जरूरी माना जा सकता है।

अन्य कानूनी और विनियामकीय अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट

तुलन–पत्र तथा लाभ और हानि खाता, भारतीय निर्यात–आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 2020 की अनुसूचियों I क और II क के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

- लेखा परीक्षा के लिए हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार जो तथ्य और स्पष्टीकरण आवश्यक थे, वे सब हमने प्राप्त किए हैं और वे संतोषजनक हैं।
- हमारी राय, इस रिपोर्ट में लिए गए तुलन–पत्र तथा लाभ और हानि लेखा विवरण, लेखों की बहियों के अनुरूप हैं।
- कोष के संव्यवहार, जो हमारे संज्ञान में लाए गए हैं, बैंक की शक्तियों के अन्दर हैं।
- हमारी राय में, इस रिपोर्ट में लिए गए उक्त वित्तीय विवरण, लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

कृते **जीएमजे एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या 103429W

सीए अतुल जैन
पार्टनर
सदस्यता सं. 037097
यूडीआईएन: 24037097BKCXDA1450

स्थान: मुंबई
दिनांक: 10 मई, 2024

तुलन पत्र यथा 31 मार्च, 2024 को

निर्यात विकास कोष

	इस वर्ष (यथा 31.03.2024 को) ₹	गत वर्ष (यथा 31.03.2023 को) ₹
देयताएं		
1. ऋण:		
क) सरकार से	-	-
ख) अन्य स्रोतों से	-	-
2. अनुदान:		
क) सरकार से	12,83,07,787	12,83,07,787
ख) अन्य स्रोतों से	-	-
3. उपहार, दान, उपकृतियां:		
क) सरकार से	-	-
ख) अन्य स्रोतों से	-	-
4. अन्य देयताएं	38,32,61,481	33,55,15,316
5. लाभ और हानि लेखा	1,07,58,07,691	1,00,47,68,189
योग	**1,58,73,76,959**	**1,46,85,91,292**
आस्तियां		
1. बैंक की शेष राशियां		
क) चालू खातों में	15,00,000	15,00,000
ख) अन्य जमा खातों में	1,18,56,86,055	1,18,56,86,055
2. निवेश	-	-
3. ऋण एवं अग्रिम:		
क) भारत में	-	-
ख) भारत के बाहर	-	85,05,318
4. भुनाए गए, पुनर्भुनाए गए विनिमय बिल और वचन-पत्र:		
क) भारत में	-	-
ख) भारत के बाहर	-	-
5. अन्य आस्तियां		
क) निम्नलिखित पर उपचित ब्याज		
i) ऋण एवं अग्रिम	-	-
ii) निवेश/बैंक शेष	10,37,19,918	2,82,616
ख) प्रदत्त अग्रिम आय कर	29,64,70,986	27,26,17,303
ग) अन्य	-	-
योग	**1,58,73,76,959**	**1,46,85,91,292**

निर्यात विकास कोष

	इस वर्ष (यथा 31.03.2024 को) ₹	गत वर्ष (यथा 31.03.2023 को) ₹
आकस्मिक देयताएं		
i) स्वीकृतियां, गारंटियां, परांकन तथा अन्य दायित्व	-	-
ii) वायदा विनियम संविदाओं की बकाया राशियों पर	-	-
iii) हामीदारी एवं वचनबद्धताओं पर	-	-
iv) अंशतः प्रदत्त निवेशों पर अनाहूत देयताएं	-	-
v) बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	-	-
vi) संग्रहण के लिए बिल	-	-
vii) सहभागिता प्रमाण–पत्रों पर	-	-
viii) भुनाए गए/पुनः भुनाए गए बिल	-	-
ix) अन्य राशियां जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है	-	-

टिप्पणी: भारतीय निर्यात–आयात बैंक अधिनियम, 1981 (अधिनियम) की धारा 15 की शर्तों के अनुसार बैंक द्वारा निर्यात विकास कोष की स्थापना की गई है। अधिनियम की धारा 17 की शर्तों के अनुसार, किसी भी ऋण अथवा अग्रिम की मंजूरी से पहले अथवा ऐसी कोई व्यवस्था करने से पहले भारतीय निर्यात–आयात बैंक को केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

श्री तरुण शर्मा
उप प्रबंध निदेशक

सुश्री हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

श्री दम्मू रवि

सुश्री हिमानी पांडे

सुश्री अपर्णा भाटिया

डॉ. अभिजीत फुकन

श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ

श्री दिनेश कुमार खारा

श्री एम. वी. राव

श्री अशोक कुमार गुप्ता

कृते जीएमजे एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 103429W

(सीए अतुल जैन)
पार्टनर
सदस्यता सं. 037097

स्थानः मुंबई
दिनांकः 10 मई, 2024

लाभ और हानि लेखा, यथा 31 मार्च, 2024 को

निर्यात विकास कोष

	इस वर्ष (2023-24) ₹	गत वर्ष (2022-23) ₹
व्यय		
	-	26,18,39,097
1. ब्याज	-	-
2. अन्य व्यय	85,05,318	
3. आगे ले जाया गया लाभ	9,49,31,984	11,44,09,048
योग	**10,34,37,302**	**37,62,48,145**
आयकर के लिए प्रावधान	2,38,92,482	2,87,94,469
तुलन–पत्र में अंतरित शेष लाभ	7,10,39,502	8,56,14,579
	9,49,31,984	**11,44,09,048**
आय		
1. ब्याज और बट्टा		
क) ऋण एवं अग्रिम	-	37,59,65,529
ख) निवेश/बैंक शेष	10,34,37,302	2,82,616
2. विनिमय, कमीशन, ब्रोकरेज और फीस	-	-
3. अन्य आय	-	-
4. तुलन–पत्र को ले जायी गयी हानि	-	-
योग	**10,34,37,302**	**37,62,48,145**
लाभ नीचे लाया गया	9,49,31,984	11,44,09,048
पूर्ववर्ती वर्षों की आधिक्य आय/ब्याज कर के प्रावधान का प्रतिलेखन	-	-
	9,49,31,984	**11,44,09,048**

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

श्री तरुण शर्मा
उप प्रबंध निदेशक

सुश्री हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

श्री दम्मू रवि

सुश्री हिमानी पांडे

सुश्री अपर्णा भाटिया

डॉ. अभिजीत फुकन

श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ

श्री दिनेश कुमार खारा

श्री एम. वी. राव

श्री अशोक कुमार गुप्ता

कृते जीएमजे एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 103429W

(सीए अतुल जैन)
पार्टनर
सदस्यता सं. 037097

स्थानः मुंबई
दिनांकः 10 मई, 2024

भारतीय निर्यात-आयात बैंक

प्रधान कार्यालय

केन्द्र एक भवन, 21वीं मंज़िल,
विश्व व्यापार केन्द्र संकुल,
कफ़ परेड, मुंबई 400 005.
फोन : (91 22) 22172600
ई-मेल : ccg@eximbankindia.in
वेबसाइट : www.eximbankindia.in

अहमदाबाद
साकार II, पहली मंज़िल, एलिसब्रिज शॉपिंग सेंटर के पास,
एलिसब्रिज पी.ओ., अहमदाबाद 380 006.
फोन: (91 79) 26576852/26576843
ई-मेल: eximahro@eximbankindia.in

बेंगलूरु
रमणश्री आर्केड, चौथी मंज़िल,
18, एम. जी. रोड, बेंगलूरु 560 001.
फोन: (91 80) 25585755/25589101-04
ई-मेल: eximabro@eximbankindia.in

चंडीगढ़
सी-213, दूसरी मंज़िल, एलान्ते कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र फेज-1,
चंडीगढ़ 160 002.
फोन: (91 172) 2997960-63,
ई-मेल: eximcro@eximbankindia.in>

चेन्नै
ओवरसीज टॉवर्स, चौथी एवं पांचवीं मंज़िल,
756-एल, अन्ना सलाई, चेन्नै 600 002.
फोन: (+91 44) 28522830/31
ई-मेल: eximchro@eximbankindia.in

गुवाहाटी
नेडफी हाउस, चौथी मंज़िल, जी. एस. रोड, दिसपुर,
गुवाहाटी 781 006.
फोन: (91 361) 2237607/609
ई-मेल: eximgro@eximbankindia.in

लखनऊ
इकाई संख्या 101,102 और 103, पहली मंज़िल, शालीमार इरिडियम विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ 226 010
फोन: (91 522) 6188035
ई-मेल: lro@eximbankindia.in

हैदराबाद
गोल्डन एडिफिस, दूसरी मंज़िल, 6-3-639/640,
खैरताबाद सर्कल, हैदराबाद 500 004.
फोन: (91 40) 23307816-21
ई-मेल: eximhro@eximbankindia.in

कोलकाता
वाणिज्य भवन, चौथी मंज़िल, (अंतरराष्ट्रीय व्यापार सुगमीकरण केंद्र), 1/1 वुड स्ट्रीट, कोलकाता 700 016.
फोन: (9133) 68261301
ई-मेल: eximkro@eximbankindia.in

मुंबई
8वीं मंज़िल, मेकर चैंबर IV, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021.
फोन: (91 22) 22861300
ई-मेल: eximmro@eximbankindia.in

नई दिल्ली
ऑफिस ब्लॉक, टॉवर 1, सातवीं मंज़िल,
रिंग रोड के पास, किदवई नगर (पूर्व), नई दिल्ली 110 023.
फोन: (91 11) 61242600/24607700
ई-मेल: eximndo@eximbankindia.in

पुणे
नं. 402 और 402 (बी), चौथी मंज़िल, सिग्नेचर बिल्डिंग, भाम्बुर्डा,
भंडारकर रोड, शिवाजी नगर, पुणे 411 004.
फोन: (91 20) 26403000
ई-मेल: eximpro@eximbankindia.in

विदेश स्थित कार्यालय

लंदन (शाखा)
5वीं मंजिल, 35, किंग स्ट्रीट, लंदन- ईसी2वी 8 बीबी,
यूनाइटेड किंगडम
फोन: (44) 20 77969040
ई-मेल: eximlondon@eximbankindia.in

आबिदजान
5वीं मंज़िल, अज्यूर बिल्डिंग, 18-डॉक्तर क्रोज़े रोड, प्लेत्यो,
आबिदजान, कोत दि'वार
फोन: (225) 27 20242951/ 37
ईमेल: eximabidjan@eximbankindia.in

ढाका
मधुमिता प्लाज़ा कॉनकॉर्ड, 12वीं मंज़िल, प्लॉट संख्या 11,
रोड नंबर 11, ब्लॉक जी, बानानी, ढाका 1213, बांग्लादेश
फोन: (880) 255042444
ईमेल: eximdhaka@eximbankindia.in

दुबई
लेवल 5, टेनेंसी 1 बी, गेट प्रीसिंक्ट बिल्डिंग नं.3,
दुबई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र,
पो ओ बॉक्स नं. 506541, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात
फोन: (971) 436377462
ई-मेल: eximdubai@eximbankindia.in

जोहांस्बर्ग
दूसरी मंज़िल, सैंडटन सिटी ट्विन टॉवर्स ईस्ट,
सैंडहर्स्ट एक्सटेंशन 3, सैंडटन 2196, जोहांस्बर्ग, दक्षिण अफ्रीका
फोन : (+27 11) 3265103/13
ई-मेल : eximjro@eximbankindia.in

नैरोबी
नैरोबी यूनिट 1.3, द ओवल, जालाराम रोड, वैस्टलैंड्स, नैरोबी, केन्या
फोन: (254) 741757567
ई-मेल: eximnairobi@eximbankindia.in

सिंगापुर
20, कोलियर क्वे, #10-02, सिंगापुर 049319
फोन: (65) 65326464
ई-मेल: eximsingapore@eximbankindia.in

वाशिंगटन डी.सी.
1750 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू एन डब्ल्यू, सुइट 1202, वाशिंगटन डी.सी. 20006,
संयुक्त राज्य अमेरिका.
फोन: (1) 2022233238
ई-मेल: eximwashington@eximbankindia.in

यॉंगॉन
08/05, आठवीं मंज़िल, यूनियन फायनैंशियल सेंटर (टॉवर-ए), 45वां स्ट्रीट, महार बंडूला रोड, बोटाहटौंग टाउनशिप, यॉंगॉन, म्यांमार.
फोन: (95) 9423694109
ई-मेल: eximyangon@eximbankindia.in

इंडिया एक्ज़िम बैंक

केंद्र एक भवन, 21वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल, कफ़ परेड, मुंबई – 400 005
+91-22-22172600 ccg@eximbankindia.in www.eximbankindia.in

हमें फॉलो करें